30 नवम्बर, 1995

अग्रहायण, 1917 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

पन्द्रहवां सत्र

(दसवीं लोक सभा)

PARLIAMENT
No. 55
Date 27.1.97

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्यः पचास रूपये

दिनांक 30 नवम्बर, 1995 के लोक सभा

वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण) का शुद्धि-पत्र

कालम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
9	19	पेट्रान	पेट्रौल
11	8	श्री प्रबीन ऐका	*62 श्री प्रबीन ऐका
19	9	साथ	सार्थ
24	9	में	के
25	4	हिसा	हिंसा
44	नीचे से 6	श्री सीताराम केसरी	(श्री सीताराम केसरी)
45	2	रॉय	राय
47	नीचे से 3	प्रो० एम०कामत्त	(प्रो० एम०कामत्त)
73 और 74	-	कालम 73 और 74	दोनों कालमों के पुनः मुद्रण के कारण इनका लोप किया जाए ।
86	नीचे से 3	रेडिया	रेडियो
87	3	को ब्यौरा	का ब्यौरा
90	नीचे से 7	केप्टल	केप्टन
94	2	टी०पी०	टी०वी०
105	4	श्री के०वी०तंकाबालू	श्री के०वी०तैंकाबालू
105	4	कल्याण राज्य मंत्री	कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री
123	21	राज्य	राज्य मंत्री
147	11	सूचना तथा मंत्रालय	सूचना तथा प्रसारण
164	नीचे से 12	राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा)	राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा)
167	13	संशोधन	संसाधन
187	20	(प्रो० एम०कामना)	प्रो० एम०कामत्त
234	नीचे से 2	श्री प्रबीन ऐका	श्री प्रबीन ऐका
239	नीचे से 8	आकायीर	आकारथि
244	7	श्री राम नायक	श्री राम नाईक
246	7	श्री काशीराम राजा	श्री काशीराम राणा
258	2	(श्री के०वी०तंकाबालू)	(श्री के०वी०तैंकाबालू)
288	नीचे से 7	श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवसी	श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी
290	नीचे से 2	अवेयरनैस ब्यूरो	अवेयरनैस ब्यूरो

विषय-सूची

दशममाला, खंड 45, पन्द्रहवां सत्र, 1995/1917 (शक)
अंक 4, गुरुवार, 30 नवम्बर, 1995 / 9 अग्रहायण, 1917 (शक)

विषय		कालम
निधन संबंधी उल्लेख		1-9
प्रश्नों के लिखित उत्तरः		
तारांकित प्रश्न संख्या	61-80	9-44
अतारांकित प्रश्न संख्या	615-663 और 665-832	45-310

लोक सभा

गुरुवार, 30 नवम्बर 1995/9 अग्रहायण, 1917 (शक)

लोक सभा 11 बजे म0 पू0 पर समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

निधन सम्बन्धी उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को केन्द्रीय मंत्री श्री दिनेश सिंह तथा तीन अन्य भूतपूर्व सहयोगियों, सर्व श्री ओंकार लाल बोहरा, मार्तण्ड सिंह और लखन लाल कपूर के दुखद निधन की सूचना देनी है।

श्री दिनेश सिंह ने 1955-77 और 1984-91 के दौरान दूसरी लोक सभा से पांचवी लोक सभा तक, आठवीं और नौवीं लोक सभा में उत्तर प्रदेश के बांदा, जालौन और प्रतापगढ़ संसदीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व किया।

वे 1977-82 के दौरान राज्य सभा के भी सदस्य रहे तथा वर्तमान में वे जुलाई, 1993 से राज्य सभा के सदस्य थे।

कुशल प्रशासक तथा एक जाने माने सामाजिक और राजनैतिक कार्यकर्ता श्री सिंह ने विदेश मंत्रालय सहित केन्द्रीय मंत्रीमंडल के विभिन्न पदों पर बड़ी कुशलता से कार्य किया।

उनके लगभग तीन दशकों के लम्बे संसदीय जीवनकाल के दौरान, उन्होंने विभिन्न संसदीय समितियों तथा विभिन्न मंत्रालयों की अन्य सलाहकार समितियों में इस महान सभा के सदस्य के रूप में बड़ी कुशलता से कार्य किया। उनकी अर्थशास्त्र, व्यापार तथा विदेशी मामलों में विशेष रुचि थी। उन्होनें कई अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे एफ.ए.ओ. ई.एस.सी.ए.पी., ई.सी.ओ.एस.सी., जी.ए.टी.टी., यू.एन.सी.टी.ए.डी. में विभिन्न पदों पर देश का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों में भी भारतीय शिष्टमंडल का प्रतिनिधित्व किया।

वे एक बहु रुचि वाले व्यक्ति थे। उन्होंने अनेक सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और खेल-कूद सम्बन्धी क्रियाकलापों में हिस्सा लिया और इस तरह के कई संगठनों और न्यासों के वे सदस्य थे।

श्री दिनेश सिंह ने विभिन्न विषयों पर किताबें लिखी और उन्हें प्रकाशित किया जिनमें 'टूवर्ड्स न्यू होरिजन, 1971' तथा 'इंडिया एंड दि चैंजिग एशियन सीन, 1973, महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने राष्ट्रीय समाचारपत्रों तथा पत्रिकाओं में सम-सामयिक विषयों पर कई लेख लिखें।

संसद के दोनों सदनों की सदस्यता के दौरान, उन्होंने सभा की कार्यवाहियों में सक्रियता से भाग लिया और संसदीय वाद-विवाद में अपनी छाप छोड़ी।

श्री दिनेश सिंह, जो कुछ समय से अस्वस्थ्य चल रहे थे, का निधन आज सुबह 70 वर्ष की आयु में डॉ0 राम मनोहर लोहिया अस्पताल में हुआ।

श्री ओंकार लाल बोहरा ने 1967-70 के दौरान चौथी लोक सभा में राजस्थान के चित्तौड़गढ़ संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

पेशे से पत्रकार श्री बोहरा 'विशाल राजस्थान' नामक साप्ताहिक के संपादक थे। वे एक सक्रिय सामाजिक तथा राजनैतिक कार्यकर्ता थे तथा गांधी सेवा सदन, वल्लभनगर के संस्थापक तथा सचिव थे। उन्होंने रीलिफ सोसायटी, उदयपुर के अध्यक्ष पद पर भी कार्य किया।

श्री ओंकार लाल बोहरा का निधन 67 वर्ष की आयु में 2 नवम्बर, 1995 को बम्बई में हुआ।

श्री मार्तण्ड सिंह मध्य प्रदेश के रीवा संसदीय क्षेत्र से वर्ष 1971-77 तथा 1980-89 के दौरान पांचवीं, सातवीं और आठवीं लोक सभा के सदस्य थे।

व्यवसाय से कृषक और व्यापारी श्री मार्तण्ड सिंह, रीवां की पूर्व रियासत के राजा थे। वे विंध्य प्रदेश के राज प्रमुख भी थे। वे एक लोकप्रिय और सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता थे। वह एक मानव प्रेमी थे जिन्होनें अस्पतालों, औषधालयों का निर्माण करवाया और गरीब तथा बीमार व्यक्तियों की दवा-दारू हेतु शिविरों का आयोजन किया। उन्होंने सतना स्थित अपने महल एवं अन्य सम्पत्तियों को बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय तथा सतना कालेज की स्थापना हेतु शैक्षणिक संस्थानों को दान में दे दिया।

उन्होंने कई देशों की यात्राएं की तथा खेलों, शिक्षा, फोटोग्राफी, पुरातत्व एवं वन्यजीव संरक्षण में अत्यधिक रुचि दिखाई। उन्होंने बन्धौगढ़ में नेशनल पार्क की स्थापना की और उसका विकास करवाया। उन्होंने अखिल भारतीय वन्यजीव संरक्षण बोर्ड के सदस्य तथा मध्य प्रदेश उद्योग विकास निगम, भोपाल के निदेशक के पद पर कार्य किया। उन्होंने अपने क्षेत्र में सिचांई, उद्योग, परिवहन, बिजली और रेल सेवाओं के विकास के लिए भी विशेष प्रयास किए।

श्री मार्तण्ड सिंह का निधन रीवां में 20 नवम्बर, 1995 को 72 वर्ष की आयु में हुआ।

श्री लखन लाल कपूर ने वर्ष 1967-70 एवं 1977-79 के दौरान क्रमशः चौथी एवं छठी लोक सभा में किशनगंज और पूर्णिया संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

इससे पूर्व वह वर्ष 1957-62 के दौरान बिहार विधान सभा के सदस्य थे। श्री कपूर एक वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। तेरह वर्ष की अल्पायु में ही वे स्वंतत्रता आन्दोलन में कूद पड़े और सन् 1937-38 में भू-सत्याग्रह में भाग लेने के कारण जेल भी गये। भारत छोड़ो आन्दोलन के दौरान उन पर अन्तर्राष्ट्रीय साजिश का आरोप लगाया गया और तीन बार कुल मिलाकर 75 वर्षों की अवधि के लिए कालापानी की सजा भुगतनी पड़ी लेकिन 1946 में रिहा कर दिये गए।

वह समाजवादी आन्दोलन के निष्ठावान अनुयायी थे और उन्होंने मजदूर संघ आन्दोलनों में सक्रिय रूप से भाग लिया तथा श्रमिकों के कल्याण्ण हेतु अथक कार्य किये। वे कई मजदूर संघों से सम्बद्ध थे और उनमें कई पदों पर कार्य किया। उन्होंने ग्रामीण पुनर्निर्माण तथा कुटीर तथा लघु उद्योगों की स्थापना के लिए भी कठिन परिश्रम किया।

वह एक कुशल सांसद थे। उन्होंने सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति तथा सभा-पटल पर रखे गए पत्रों सम्बन्धी समिति के सदस्य के रूप में भी कार्य किया।

श्री लखन लाल कपूर का निधन 72 वर्ष की आयु में 24 नवम्बर, 1995 को नई दिल्ली में हुआ।

हम इन मित्रों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं और मुझे विश्वास है कि यह सभा शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करने में मेरे साथ हैं।

प्रधान मंत्री (श्री पी.वी. नरसिंह राव) : अध्यक्ष महोदय, बड़े ही दुख और भारी मन से मैं अपने मन्त्रिमंडल के सहयोगी श्री दिनेश सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूँ, जिनका आज प्रातः निधन हो गया। श्री दिनेश सिंह एक प्रख्यात संसदविद्, योग्य प्रशासक और कूटनीति तथा अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य क्षेत्र के विशेषज्ञ थे। उनकी मृत्यु से हमने भारत माता के एक ऐसे योग्य सपूत को खो दिया है जिसने अपना पूरा जीवन देश की सेवा में समर्पित कर दिया। श्री दिनेश सिंह वर्ष 1957 से 1977 तक लगातार लोक सभा के सदस्य रहे और इस अवधि के दौरान उन्होंने विदेश मंत्रालय, वाणिज्य और औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार विभागों में मंत्री के रूप में सेवा की। बाद में वे जल संसाधन और वाणिज्य मंत्रालय में भी मंत्री रहे। उन्होंने मंत्री के रूप में अपने कार्यों से सम्बन्धित मंत्रालयों में अमिट छाप छोड़ी है।

महोदय, मैंने अपने बहुत ही अनमोल सहयोगी और मित्र को खो दिया है। देश के लिए उनकी सेवा को बहुत दिनों तक याद किया जायेगा। उन्होंने बड़े ही कठिन समय में विदेश मंत्रालय का मार्गदर्शन किया। वे एक कुशल वार्ताकार थे और उनके इस गुण और उनकी संसदीय दक्षता से हमारे देश की विदेश नीति को काफी लाभ हुआ। श्री दिनेश सिंह के निधन पर मुझे वैयक्तिक रूप से और हमारे देश को और हम सबको जो नुकसान हुआ है, उसे सदन के रिकार्ड में लाना चाहता हूँ।

मैं सदन के अन्य तीन पूर्व सदस्यों, सर्वश्री ओंकार लाल बोहरा, मार्तण्ड सिंह, लखन लाल कपूर के निधन पर भी शोक व्यक्त करता हूँ। उन्होंने अपने-अपने हिसाब से देश और संसद की सेवा की है। हमें उनके निधन पर दुख है।

भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : अध्यक्ष जी, सामान्यतः हर सत्र के आरंभिक दिन इस प्रकार का शोक प्रस्ताव होता है, लेकिन ऐसा कम ही होता है कि पहले ही सप्ताह में दो बार इस प्रकार के शोक प्रसंग आएं। इस बार हमारे कुछ पुराने सहयोगियों के नाम शायद पहले दिन भी आ सकते थे, लेकिन स्वाभाविक रूप से सचिवालय उनके बारे में जानकारी करता होगा, कनफर्म करता होगा, इसके कारण विलंब हुआ है। लेकिन उसी दिन यह सूचना मिली थी कि हमारे सहयोगी श्री दिनेश सिंह जी अचानक ज्यादा अस्वस्थ हो गए, कौमा में आ गए और अस्पताल में भर्ती हो गए। तभी से लेकर चिन्ता थी कि वे अभी के इस आघात से उभर पाएंगे या नहीं। आज प्रातःकाल यह दुखद समाचार मिला। वे बहुत वर्षों से सांसद रहे। सभी से उनके संबंध स्नेहपूर्ण रहे और कुछ विषयों पर तो निश्चित रूप से अधिकारपूर्वक वह बोल सकते थे, कह सकते थे और उन्होंने सभी प्रकार से सरकार की तथा देश की सेवा की। राज्य सभा में जब मैं था, तब 1977 से लेकर एक टर्म तक वे सदस्य रहे और तब से मेरी उनके निकटता रही।

मैं आपके भावों से तथा प्रधान मंत्री जी के विचारों से अपने को सम्बद्ध करता हूँ। श्री दिनेश सिंह जी, रीवां नरेश श्री मार्तण्ड सिंह जी और श्री ओंकार लाल बोहरा जी से मेरे व्यक्तिगत सम्बन्ध रहे। मैं इन सभी के प्रति और श्री लाखन लाल कपूर के प्रति अपनी ओर से तथा अपनी पार्टी की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उनके परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करता हूँ।

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : अध्यक्ष जी, प्रधान मंत्री जी और आडवाणी जी ने जो भावनाएं व्यक्त की हैं, उनसे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूँ। हमारे इस सदन के स्वर्गीय श्री दिनेश सिंह जी बहुत जीवन्त और संस्कृतिपरक थे। पिछले बीस वर्ष से इस सदन में या उस सदन में और जब कोई इस सदन में नहीं रहता था तो सेन्ट्रल हॉल में वे रहते थे। वह सब तरह के गुणों से सम्पन्न थे। विशेष तौर पर भारत की जो विदेश नीति है, उस विदेश नीति को अंजाम देने वाले लोगों में यदि किसी आदमी का कभी इतिहास में नाम आएगा तो मैं सोचता हूँ कि स्वर्गीय दिनेश सिंह जी का नाम उनमें सबसे आगे आना चाहिए।

श्री ओंकार लाल बोहरा जी से मेरा कोई संपर्क नहीं था। मैं उनके प्रति और रीवां नरेश श्री मार्तण्ड सिंह जी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। हमारी धरती और प्रकृति का एक अद्भुत प्राणी

व्हाइट टाइगर है जिसके लिए सारी दुनिया में हिन्दुस्तान का नाम शान के साथ लिया जाता है। इस व्हाइट टाइगर को जंगलों से निकालकर अपने पुराने महल में लाकर उनकी परवरिश करने तथा दुनिया में उनकी संख्या में वृद्धि करने का श्रेय रीवां नरेश श्री मार्तण्ड सिंह को जाता है। जो बातें अभी अध्यक्ष जी ने व्यक्त की उन सबसे तो उनका रिश्ता था ही, मेरा निजी रिश्ता भी उनसे था। व्हाइट टाइगर को दुनिया भर में एक शानदार प्राणी माना जाता है। इसको खोजने का और इसको प्रिजर्व करने का जो शानदार काम उन्होंने किया, उसके लिए वे हमेशा याद किये जाएंगे।

श्री लाखन लाल कपूर जी हम लोगों के समाजवादी आंदोलन के नेता रहे हैं। 1942 के आंदोलन में जयप्रकाश जी ने यदि हजारीबाग की जेल फांदी थी तो आजादी की लड़ाई में लाखन लाल कपूर ने भी जेल फांदकर 1942 में हिंदुस्तान की आजादी की जंग में एक शानदार काम किया था और उन्होंने सब तरह से देश की सेवा की और वे गरीबों के पक्ष में बोलने वाले आदमी थे।

उन्होंने जीवनभर संघर्ष किया। अपने चारों स्वर्गीय साथियों के प्रति मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनके परिवार के लोगो को इस दुख को सहन करने की ताकत और शक्ति मिले, इसके साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : मैं अपनी ओर से और अपने दल की ओर से विशिष्ट नेताओं के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों और देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

श्री दिनेश सिंह ने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों विशेषकर इस सभा के सदस्य के रूप में और विभिन्न विभागों के प्रभारी के रूप में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। हमें उनके साथ कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वह एक अच्छे मित्र थे, एक योग्य प्रशासक के रूप में उनकी एक अलग पहचान थी। वे संसद सदस्यों से तत्परता से मिलते थे। जब कभी भी हम उनसे मिलना चाहते थे, हमें उनसे मिलने के लिए तत्काल समय मिल जाता था। वह बहुत ही सतर्क रहते थे और जो भी समस्याएं उनके समक्ष लाई जाती थीं उनका समाधान करने के लिए वह भरसक प्रयास करते थे।

वह एक कुशल वक्ता थे। उनकी नम्रता और सांस्कृतिक कौशल ने सबका मन जीत लिया था। मैंने व्यक्तिगत रूप से हमेशा अनुभव किया है कि उनमें शालीनता और स्नेह की भावना व्याप्त रहती थी जिससे वे सभी के प्रिय बन गये थे।

मैं जानता हूँ वह देश के विभिन्न भागों के विकास के बारे में हमेशा चिन्तित रहते थे। वह हमारे मुख्य मंत्री के अच्छे मित्र थे। मुझे पता है जब कभी भी हमारे मुख्य मंत्री यहां आते थे, तो वे उनके मेजबान बनते थे। और वह यह जानना चाहते थे कि हम पश्चिम बंगाल में अपने भूमि सुधार कानूनों को कैसे क्रियान्वित कर रहे हैं और इनका क्या परिणाम निकला है और हमारे राज्य के गरीब लोग अपनी उपलब्धियों का फायदा उठाने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि वे न केवल अपने दल या अपने लोगों के बारे में ही नहीं सोचते थे अपितु पूरे देश में हो रही गतिविधियों की पूरी जानकारी रखने का प्रयास भी करते थे।

हमने एक बहुत अच्छे मित्र, अच्छे प्रशासक और एक अच्छे व्यक्ति को खो दिया है। मैं, हमारे इन सभी मित्रों के निधन पर शोक प्रकट करता हूँ और अनुरोध करता हूँ कि कृपया शोक संतप्त परिवारों को हमारी संवेदनायें पहुंचा दें।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : महोदय, श्री दिनेश सिंह की अचानक मृत्यु से हमें गहरा दुख हुआ है। वस्तुतः पिछले कुछ वर्षों से, जबसे वे शारीरिक अपंगता से पीड़ित थे, जिससे वे अपने सामान्य कार्यों को करने में बिल्कुल असहाय से हो गये थे, तो सभी के मन में आशंका थी कि क्या वे पुनः स्वस्थ्य हो पायेंगे या नहीं। अब उनका निधन हो गया है। मैं न केवल एक योग्य राजनेता और मंत्री के निधन पर शोक व्यक्त करता हूँ अपितु वे मेरे घनिष्ठ मित्र भी थे और वह अत्यधिक नम्र, सौम्यप्रद और सभी के प्रति अत्यधिक व्यवहार कुशल थे। वह विदेशी मामलों के विशेषज्ञ थे उन्होंने अपने को योग्य सिद्ध किया था। वह अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में सतत अध्ययनशील रहे। इन सभी वर्षों में मुझे याद है कि जब कभी भी किसी को उनसे बातचीत करने का अवसर मिलता था तो यह पता लगता था कि मानों वे कई नवयुवकों की मंडली में पले बढ़े हैं जिन्होंने पंडित नेहरू के पदचिन्हों का अनुसरण किया और उनकी विचारधाराओं और धारणाओं का पूर्णतः पालन किया। अब वह हमारे बीच नहीं हैं, इसका हमें बहुत दुख है। जिन तीन अन्य मित्रों का निधन हुआ है वे भी अपने-अपने क्षेत्र में विशिष्ट व्यक्ति थे। उन्होंने देश और राष्ट्र की पूर्ण कुशलता के सेवा की। मुझे इस बात का बहुत दुख है कि इस सत्र के पहले दिन ही हमें एक साथ इतने सहयोगियों के निधन का समाचार सुनना पड़ा है। महोदय, इस अवसर पर मैं अपने दल की ओर से शोक प्रकट करता हूँ और अनुरोध करता हूँ कि शोक संतप्त परिवारों को हमारी संवेदनाएं पहुंचा दी जायें।

श्री पी.जी नारायणन (गोबिचेट्टिपालयम) : अध्यक्ष महोदय, मैं सभा के नेता और अन्य साथियों द्वारा श्री दिनेश सिंह की अचानक और दुखद मृत्यु पर व्यक्त किए गये शोक संदेश के साथ स्वयं को सम्बद्ध करता हूँ। उनके निधन से हमने एक वरिष्ठ राजनेता, एक अच्छे सांसद और निष्ठावान सामाजिक कार्यकर्ता खो दिया है। अपने जीवन काल में उन्होंने कई क्षेत्रों में कार्य किया। उनका सक्रिय राजनैतिक जीवन 1962 में विदेश मंत्रालय में उपमंत्री के रूप में शुरू हुआ था। उसके बाद केन्द्रीय मंत्री के रूप में उनका दर्जा बढ़ा दिया गया था और अनेक विभागों का काम कुशलता से संभाला। उन्होंने विभिन्न

विषयों पर अनेक पुस्तकें और लेख लिखे। आर्थिक मामलों, वन्यजीव और फोटोग्राफी में उनकी विशेष रुचि थी। श्री दिनेश सिंह के निधन से हमारे देश को बहुत क्षति हुई है। अन्य तीन सहयोगियों का योगदान भी अति महत्वपूर्ण है। मैं अपने दल ए.आई.डी.एम.के. की ओर से शोक संतप्त परिवारों को हार्दिक संवेदनायें व्यक्त करता हूँ।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : अध्यक्षजी, श्री दिनेश सिंह जी ने एक होनहार, प्रतिभाशाली युवक के रूप में देश की राजनीति में प्रवेश किया था। उसके पहले वे एक कुशल, दक्ष राजनयिक थे। वह न केवल देश में बल्कि दुनिया में जाने-माने विदेश मंत्री थे। श्री दिनेश सिंह जी पूरे जीवन भर राष्ट्रीय राजनीति में एक सक्रिय भूमिका निभाते रहे। वे बहुत मृदुभाषी थे। शायद ही उन्होंने कभी अपनी बात से किसी को किसी तरह का कष्ट पहुंचाया हो। उन्हें जो भी जिम्मेदारी दी गई उसे उन्होंने बड़े सुचारु ढंग से और बड़ी योग्यता से निभाया। खासतौर से विदेश मंत्री के रूप में उनकी सबसे बड़ी योग्यता एशिया-अफ्रीका के देशों की एकता करने के बारे में मानी जाती है। उनके संगठन में उन्होंने प्रारंभ से ही बहुत गहरी दिलचस्पी ली और हमारे गुट निरपेक्ष आंदोलन में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। बहुत करीने की जिंदगी वे जीये। हर क्षेत्र में एक उच्च स्तर के जीवन का उन्होंने निर्वाह किया। उनकी मृत्यु से हमारे देश ने एक कुशल प्रशासक और एक राष्ट्रीय स्तर का नेता खो दिया है।

श्री ओंकार लाल जी बोहरा मेरे मित्रों में से एक थे। बड़े निष्ठावान व सहज विचारों के व्यक्ति थे। एक दैनिक हिन्दी पत्र का संपादन भी बड़ी निष्ठा के साथ उन्होंने जीवन भर किया।

श्री मार्तण्ड सिंह जी का सबसे बड़ा योगदान उनके रचनात्मक कार्यों में है। वे हर क्षेत्र में रचनात्मक दृष्टिकोण रखते थे और उनका योगदान न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि देश में भी सदैव सराहा जाएगा।

श्री लखन लाल कपूर एक क्रान्तिकारी, समाजवादी नेता थे और स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने बहुत बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया तथा वे बहुत निर्भीक जीवन जिए। अपनी बात को बेलाग कहने के वे आदी थे।

इन तमाम हमारे बहुत प्रतिष्ठित देश के जानेमाने नेताओं के निधन से देश का नुकसान हुआ है। हम उनको अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से श्रद्धांजलि पेश कर रहे हैं और आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि उनके परिवारों तक हमारी संवेदना पहुंचा दें।

[अनुवाद]

श्री चित्त बसु (बारासाट) : महोदय, श्री दिनेश सिंह के आकस्मिक निधन पर मैं अपने आपको सदन के नेता तथा अन्य माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई भावनाओं के साथ सम्बद्ध करता हूँ। आपने सही कहा है कि श्री दिनेश सिंह संसद के दोनों सदनों के सदस्य थे और मुझे दोनों सदनों का सदस्य होने के कारण उन्हें सुनने का अवसर मिला है। जब कभी भी उन्होंने वाद-विवाद में भाग लिया उन्होंने वाद-विवाद को जीवन्त और समृद्ध बनाया।

महोदय, मेरी राय में, वे हमारे विदेश सम्बन्धों सम्बन्धी नीति बनाने वालों में से एक थे। उन्होंने भारत सरकार की विदेश नीति जो कि गुट निरपेक्ष, शान्ति और निरस्त्रीकरण पर आधारित है में काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया। विश्व समुदाय इस बारे में भारत के योगदान को हमेशा याद रखेगा। वे हमारे देश की विदेश नीति बनाने में सर्वोच्च व्यक्ति थे, जिसकी बहुत प्रशंसा की जाती थी और पूरे राष्ट्र में स्वीकार की जाती थी।

[हिन्दी]

श्रीमती लवली आनंद (वैशाली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वर्गीय दिनेश सिंह जी और अन्य तीन नेताओं के निधन पर मैं अपनी तथा अपनी पार्टी की ओर से संवेदना व्यक्त करती हूँ। आज उनके निधन से पूरा सदन शोकसंतप्त है।

मैं चाहूंगी कि उनके परिवार तक हमारा शोक संदेश पहुंचा दें। धन्यवाद।

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी (हैदराबाद) : जनाब स्पीकर साहब, दिनेश सिंह और दीगर लोगों की मौत से जो नुकसान पहुंचा है वह नाकाबिले तरदीद है। दिनेश सिंह साहब एक साफ-सुथरे, एक नफीस आदमी थे। उनका इन्तकाल यकीनन पूरे हिन्दुस्तान के लिए नुकसान का बाइस है। मैं चाहूंगा कि हमारे और हमारी पार्टी के जज़बात आप उनके खानदान तक पहुंचा दें।

[अनुवाद]

प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु (तेनाली) : दिनेश सिंह जो केन्द्रीय मंत्रिमंडल के मंत्री एवं भारत के राजनैतिक इतिहास के एक सर्वोच्च राजनीतिज्ञ थे, के आकस्मिक निधन से हमें गहरा दुःख हुआ है। वे विदेश मंत्रालय के पर्याय बन गये थे और वे भारत के राजनैतिक इतिहास में बहुत लम्बे समय तक छाये रहे।

यद्यपि वे विगत कुछ समय से बीमार थे, फिर भी हमने श्री दिनेश सिंह को अचानक ही खो दिया। मैं अपनी ओर से अपनी पार्टी तेलगू देशम जिसका नेतृत्व श्री नरचन्द्र बाबू नायडू कर रहे हैं, की ओर से शोक संतप्त परिवार को संवेदनायें भेजता हूँ। मैं अनुरोध करता हूँ कि शोक संतप्त परिवारों को हमारी संवेदनाएं पहुंचा दें।

श्री याइमा सिंह युमनाम (आन्तरिक मणिपुर) : महोदय, मैं अपनी ओर से ओर अपनी पार्टी की ओर से श्री दिनेश सिंह के निधन पर शोक व्यक्त करता हूँ। वह एक प्रसिद्ध राजनेता और योग्य

प्रशासक थे। मैं अन्य भूतपूर्व संसद सदस्यों के निधन पर भी शोक व्यक्त करता हूँ। अनुरोध करता हूँ। मैं अनुरोध करता हूँ मेरी पार्टी के संदेश को शोक संतप्त परिवारों को पहुंचा दें।

अध्यक्ष महोदय : यह सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में कुछ क्षण मौन खड़ी होगी।

11.30 म. पू.

तत्पश्चात सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा कल 1 दिसम्बर, 1995 को 11.00 बजे म.पू. पर पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

पेट्रोल पम्प तथा रसोई गैस एजेंसियां

***61. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :**
श्री मदेश कनोडिया :

क्या **पैट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 11 अगस्त, 1995 के इंडियन एक्सप्रेस में ''पेट्राल एण्ड पेट्रोनेज फ्लो टुगैदर'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ग) स्वविवेकाधीन कोटे के अंतर्गत बिना बारी के आवंटित रसोई गैस एजेंसियों तथा पेट्रोल पम्पों की राज्यवार संख्या क्या है;

(घ) क्या उच्चतम न्यायालय ने इस संबंध में मंत्रालय को कोई निर्देश दिया है;

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(च) स्वविवेकाधीन कोटे के अधीन रसोई गैस एजेंसियों तथा पेट्रोल पम्पों के आंवटन हेतु कितने अनुरोध उनके मंत्रालय के पास लंबित हैं; और

(छ) ऐसी सभी लम्बित अनुरोधों का ब्यौरा क्या है तथा उन पर विचार न किये जाने के क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, हाँ।

(ख) समाचार पत्र में यह आरोप है कि पेट्रोलियम उत्पादों की डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों का आंवटन सरकार द्वारा मनमाने ढंग से किया जा रहा है। उपर्युक्त समाचार को सर्वोच्च न्यायालय के ध्यान में लाया गया है तथा माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालनार्थ सरकार ने पहले ही आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया है। यह मामला फिलहाल सर्वोच्च न्यायालय में निर्णयाधीन है।

(ग) विवेकाधीन आंवटनों के लिए कोई राज्यवार कोटा नहीं है। ये आंवटन सरकार द्वारा विशिष्ट मामले में गुण-दोष के आधार पर किए जाते हैं। पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान 153 खुदरा बिक्री केन्द्र और 182 एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिपें सरकार द्वारा अनुकंपा आधारों पर देश के विभिन्न भागों में आंवटित किए गए हैं।

(घ) जी, हाँ।

(ङ) सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 1.4.1995 से प्रभावी अनुमोदित दिशा-निर्देशों के अनुसार अनुकंपा आधार पर व्यक्तियों को डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के विवेकाधीन आवंटनों के संबंध में सरकार के लिए मार्गदर्शी घटक निम्नानुसार हैं :

(1) ऐसे व्यक्ति का आश्रित जिसने देश के लिए उच्चतम बलिदान किया हो, परन्तु जिसका अब तक समुचित रूप से पुनर्वासन नहीं किया गया है।

(2) ऐसे परिवार का सदस्य जो आतंकवादी आक्रमण, भूंकप, बाढ़ आदि जैसी अप्रत्याशित परिस्थितियों का शिकार हुआ हो।

(3) शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति।

(4) ड्यूटी के दौरान स्थाई रूप से अपंग हुए रक्षा/अर्धसैनिक/पुलिस कार्मिक/अन्य केन्द्रीय/राज्य सरकार के कर्मचारी।

(5) अपसामान्य परिस्थितियों में अपने प्राण गंवाने वालों के निकटतम संबंधी अर्थात् विधवा, माता-पिता, बच्चे।

(6) कठिन परिस्थितियों में रह रहे उत्कृत खिलाड़ियों, संगीतकारों, साहित्यकारों आदि जैसे विशिष्ट व्यवसाय में ख्यातिप्राप्त व्यक्ति और उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त महिलाएं।

(7) बेहद दुख-तकलीफ के विशिष्ट मामले, जो सरकार की राय में अत्यंत मार्मिक हैं और किसी उल्लिखित समय पर मामले की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए जिन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार

किया जाना चाहिए।

(8) विवेकाधीन आवंटनों की संख्या सामान्य रूप से औसत वार्षिक विपणन योजना के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए, जिसमें से पेट्रोलियम उत्पादों के लिए खुदरा बिक्री के आंवटन सामान्य रूप से 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होने चाहिए।

विवेकाधीन आवंटन किसी भी उम्मीदवार को निम्नलिखित सामान्य शर्तों के अधीन दिए जाएंगे :-

(1) वह भारत का/की नागरिक होना/होनी चाहिए।

(2) उसके अथवा उसके निम्न निकट संबंधियों (सौतेले संबंधियों सहित) के पास पहले से ही किसी तेल कम्पनी के पेट्रोलियम उत्पादों की डीलरशिप नहीं होनी चाहिए।

(1) पति/पत्नी

(2) पिता/माता

(3) भाई

(4) पुत्र/पुत्रवधु

सरकार द्वारा स्वविवेक आधार पर आंवटन अब उपर्युक्त विशा निर्देशों के अनुसार किए जा रहे हैं।

(च) और (छ). सरकार के स्वविवेकाधिकार के अंतर्गत डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के आवंटन के लिए बड़ी संख्या में अनुरोध प्राप्त होते हैं। इन पर सरकार द्वारा विशिष्ट मामलों के गुण दोष के आधार पर विचार किया जाता है। और यथोचित निर्णय लिया जाता है। फिलहाल ऐसे कुछ आवेदन लंबित हैं जिनके संबंध में यथासमय निर्णय लिया जाएगा।

असम में गैस उत्पादन

*श्री प्रदीप डेका : क्या पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम के विभिन्न तेल क्षेत्रों में प्रतिदिन कितनी मात्रा में प्राकृतिक गैस का उत्पादन हो रहा है;

(ख) राज्य के विभिन्न तेल क्षेत्रों में प्रतिदिन प्राकृतिक गैस की कितनी मात्रा जलाई जा रही है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस प्राकृतिक गैस का उपयोग करने का है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) असम में प्राकृतिक गैस का वर्तमान उत्पादन लगभग 5.1 एम.एम.एस.सी.एम.डी. है।

(ख) वर्तमान दहन लगभग 1.1 एम.एम.एस.सी.एम.डी. है।

(ग) और (घ). ओ.एन.जी.सी. और ओ.आई.एल. दहन को तकनीकी रूप से न्यूनतम स्तर तक कम करने के लिए अपेक्षित परिवहन और संपीड़न सुविधाएँ स्थापित कर रही हैं।

[हिन्दी]

तेल की खोज के कार्य में लगी विदेशी कंपनियां

*63. डा0 रमेश चन्द तोमर :
श्री सत्यदेव सिंह :

क्या पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में तेल की खोज के कार्य में लगी विदेशी कंपनियों की भागीदारी बढ़ाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में अंतिम निर्णय संभवतः कब तक कर लिया जायेगा ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) (क) और (ख). सरकार ने संयुक्त उद्यम अन्वेषण कार्यक्रम के तहत मार्च, 1995 में तेल तथा गैस के अन्वेषण के लिए 28 ब्लाक (18 तटवर्ती एवं 10 अपतटीय) प्रस्तावित किये थे। बोलियों को प्राप्त करने की अंतिम तिथि 15 सितम्बर, 1995 थी। 12 भारतीय तथा 10 विदेशी कंपनियों से 7 ब्लाकों के लिए 22 बोलियां प्राप्त हुई हैं। इस कार्यक्रम के तहत हस्ताक्षरित संविदाओं में राष्ट्रीय तेल कंपनियां अर्थात ओ.एन.जी.सी./ओ.आई.एल. संविदा के आरम्भ से 25 से 40 प्रतिशत के बीच भागीदारी अंश लेंगी। अन्वेषण अवधि अधिकतम 6 वर्षों की होगी।

(ग) बोली मूल्यांकन की प्रक्रिया चल रही है।

[अनुवाद]

कोल इंडिया लि. की आनुषंगिक कंपनियों में घाटा

*64. श्री मोडन रावले : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोल इंडिया लि० की कौन-कौन सी आनुषंगिक कंपनियां गत कुछ वर्षों से घाटे में चल रही हैं;

(ख) मार्च, 1995 तक उक्त प्रत्येक कंपनी को कुल कितना घाटा हुआ;

(ग) इतना भारी घाटा होने के मुख्य कारण क्या हैं;

(घ) क्या इन कंपनियों की स्थिति के बारे में औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) को सूचित कर दिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इन मामलों में बी.आई.एफ.आर. द्वारा क्या-क्या सिफारिशें की गई हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) कोल इंडिया लि० की दो सहायक कंपनियां अर्थात् भारत कोकिंग कोल लि० तथा ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० कुछ वर्षों से घाटा उठा रही हैं।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) भारत कोकिंग कोल लि० द्वारा दिनांक 23 नवम्बर, 1995 को रुग्ण उद्योग (विशेष प्रावधान) अधिनियम के निर्देशों के अंतर्गत औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) को इस संबंध में एक मामला संदर्भगत किया गया है।

(ङ) बी.आई.एफ.आर. द्वारा उक्त संदर्भ पर अभी फाइल पर कार्रवाई की जानी अपेक्षित है। अतः वर्तमान में सिफारिशों का प्रश्न ही नहीं उठता है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान इन यूनिटों द्वारा उठाए गए घाटे की स्थिति (कोयला कीमत विनियमन लेखे के अंतर्गत समायोजन किए जाने से पूर्व तथा बाद) नीचे दर्शायी गई है :

(करोड़ रु. में)

	उठाया गया घाटा (सी.पी.आर.ए. से पूर्व)			उठाया गया घाटा (सी.पी.आर.ए. के बाद)		
	92-93	93-94	94-95	92-93	93-94	94-95
भारत कोकिंग कोल लि.(भा.को.को.लि.)	370.26	341.87	560.48(-)	73.83(+)	21.56(-)	154.63
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (ई.को.लि.)	354.28	477.98	575.54(-)	17.20(-)	70.40(-)	108.47

इसके मुख्य कारण निम्नलिखित हैं :-

(1) भूमिगत खनन की प्रति यूनिट लागत सामान्यतः ओपनकास्ट खनन की लागत से ऊंची होती है। भा.को.को.लि. तथा ई.को.लि. में कुल उत्पादन के अनुपात में भूमिगत उत्पादन को.इ.लि. के औसत उत्पादन से ऊंचा है।

(2) भा.को.को.लि. और ई.को.लि. में खानों का औसत आकार छोटा है। खान का आकार उत्पादन की आर्थिक-स्थिति का निर्धारण करता है।

(3) भा.को.को.लि. तथा ई.को.लि. की काफी खानों में प्रतिकूल भू-खनन परिस्थितियां विद्यमान हैं और इनमें रेत भराई की कार्रवाई की जानी अपेक्षित है। इससे कोयले के खनन की लागत में वृद्धि हो जाती है।

(4) भा.को.को.लि. तथा ई.को.लि. के पास अतिरिक्त श्रम शक्ति विद्यमान है और ये कंपनियां विद्युत की अपर्याप्त आपूर्ति तथा आपूर्ति में अवरोध होने संबंधी समस्या से भी अन्तर्ग्रस्त हैं।

भारत-ईरान पाइपलाइन

***65. श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :**
श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

क्या **पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-ईरान के बीच प्राकृतिक गैस की पाइपलाइन बिछाने की व्यवहार्यता संबंधी अध्ययन रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या पाकिस्तान इस पाइपलाइन को अपनी समुद्री सीमा से होकर गुजरने की अनुमति नहीं देगा;

(ग) यदि हाँ, तो पाकिस्तान द्वारा यह अनुमति न देने के क्या कारण बताए गए हैं; और

(घ) भारत सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

पैट्रोलियम उत्पादों का आयात

*66. डा० महादीपक सिंह शाक्य :
श्री गुमान मल लोढा :

क्या पैट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर खर्च में वृद्धि होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो कितनी वृद्धि होने का अनुमान है;

(ग) 1996-97 के अंत तक पैट्रोलियम उत्पादों का संभवतः कुल कितनी मात्रा में आयात किया जाएगा और इसका मूल्य कितना है; और

(घ) पैट्रोलियम उत्पादों के आयात में वृद्धि होने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (घ). कच्चे तेल तथा पेट्रोलियम उत्पादों के आयात के लिए तेल अर्थ बजट अनुमानित मांग, देशी क्रूड उत्पादन, शोधन क्षमता का क्रियान्वयन, अंतर्राष्ट्रीय कीमत तथा मांग की वास्तविक पूर्ति आदि को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है।

8वीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्षों 1996-97 के लिए तेल अर्थ बजट को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

[अनुवाद]

कोयला क्षेत्रों में दुर्घटनाएं

*67. श्री सुदर्शन राय चौधरी :
श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के धनबाद-झरिया कोयला क्षेत्रों में सितम्बर, 1995 के दौरान हुई कोयला खान दुर्घटनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त दुर्घटनाओं में कितने व्यक्ति मारे गए तथा घायल हुए;

(ग) मृतकों के परिवारों और घायल हुए व्यक्तियों के दिए गए मुआवजे और अन्य सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उक्त दुर्घटनाओं के कारणों का पता लगाने के लिए कोई जांच कराई गई है;

(ङ) यदि हाँ, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले और इन दुर्घटनाओं के लिए दोषी पाये गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई; और

(च) सरकार का विचार इस आशय से क्या निवारण उपाय करने का है जिनसे ऐसी दुर्घटनाएं कम से कम हों ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख). खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के अनुसार, कोयला खान संबंधी दुर्घटनाओं के ब्यौरे, जो कि सितम्बर, 95 के दौरान बिहार में धनबाद-झरिया कोयला क्षेत्रों में हुई और इसके साथ इन दुर्घटनाओं में मृतक व्यक्तियों और गंभीर रूप से घायल हुए व्यक्तियों की संख्या नीचे दर्शायी गई है :-

क्र.सं.	खान का नाम	कंपनी का नाम	दिनांक	मृतक व्यक्ति	गंभीर रूप से घायल हुए व्यक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	रामकनाली	भा.को.को.लि.	2.9.95	3	1
2.	मूनीडीह प्रोजेक्ट	भा.को.को.लि.	4.9.95	0	1
3.	कुसुन्दा	भा.को.को.लि.	4.9.95	1	0
4.	मूडीडीह	भा.को.को.लि.	6.9.95	0	1
5.	लोहापट्टी	भा.को.को.लि.	6.9.95	0	1
6.	सिजुआ	टिस्को	9.9.95	0	1
7.	लोहापट्टी	भा.को.को.लि.	14.9.95	0	1
8.	तेतुलमारी	भा.को.को.लि.	19.9.95	0	1
9.	लोयाबद	भा.को.को.लि.	21.9.95	0	1
10.	दिगवाडीह	टिस्को	22.9.95	0	1
11.	भैलाटांड	टिस्को	22.9.95	0	1
12.	गैसलीटांड	भा.को.को.लि.	26.9.95	64	0
13.	साउथ गोविंदपुर	भा.को.को.लि.	26.9.95	3	1
14.	बेरा	भा.को.को.लि.	26.9.95	3	1
15.	केसलपुर	भा.को.को.लि.	26.9.95	1	0

1	2	3	4	5	6
16.	कटरास छोटुडीह	भा.को.को.लि.	27.9.95	4	0
17.	नीचितपुर	भा.को.को.लि.	27.9.95	2	0
18.	बरारी/भूलनबरारी	भा.को.को.लि.	29.9.95	1	0

(ग) इस दुर्घटनाओं में चोटें आने के मामले में मुआवजे की राशि का हिसाब, कामगार मुआवजा अधिनियम, 1923 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार लगाया जाता है और यह कामगार की अयोग्यता, आयु तथा मासिक आमदनी की मात्रा पर निर्भर करती है। मृत्यु होने की स्थिति में अधिनियम के उपबंधों के अनुसार संगणित की गई मुआवजे की राशि के अलावा, मृतक कामगार के आश्रितों को निम्न राशि की अदायगी की जाती है :-

(1) अन्त्येष्टि व्यय - 500/- रु.

(2) अनुग्रह राशि - 10,000/- रु.

(3) जीवन बीमा के अंतर्गत राशि की अदायगी - 15,000/- रु.

इसके अलावा, मृतक व्यक्तियों के एक आश्रित को रोजगार दिए जाने की भी पेशकश की जाती है। वैकल्पिक रूप में, रोजगार के एवज् में विधवा/महिला आश्रित को 60 वर्ष की आयु प्राप्त किए जाने तक/मृत्यु होने तक/पुर्नविवाह किए जाने इसमें जो भी पहले हो, तक की अवधि के लिए 3000/- रु. की मासिक पेंशन की अधायगी की जाती है।

गैसलीटांड के 77 पीड़ितों के नामितों को तथा अन्य खानों में दिनांक 26/27.9.1995 को हुई दुर्घटना के नामितों को अदा की गई नकद मुआवजे की राशि में 1000/- रु. की तत्काल अदा की गई वित्तीय सहायता की राशि और प्रत्येक मामले में कोयला मंत्री द्वारा घोषित की गई 75,000/- रु. की अतिरिक्त अनुग्रह की राशि भी शामिल है। इसके अलावा, केन्द्रीय परामर्शदात्री समिति, जो कि प्रबंधन तथा मजदूर संघों का एक संयुक्त मंच है, उसने प्रत्येक मृतक कामगार के मामलें में 51,000/- रु. की राशि अदा किए जाने का भी निर्णय लिया है।

(घ) और (ङ). ऐसे सभी दुर्घटनाओं के मामलों में, जिनमें मृतक दुर्घटनाएं अंतर्ग्रस्त हैं, जोकि दिनांक 26/27.9.95 को भा.को.को.लि. की खानों में हुई हैं, न्यायाधीश एक.के. मुखर्जी की अध्यक्षता में सरकार द्वारा खान अधिनियम 1952 की धारा 24 के अंतर्गत एक न्यायिक जांच का गठन कर दिया है, जोकि इस दुर्घटना के होने संबंधी कारणों तथा परिस्थितियों की जांच करेगी। अन्य सभी दुर्घटनाएं, जिनमें एक अथवा एक से अधिक मृत्यु के मामले अंतर्ग्रस्त हैं, उनकी जांच खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा की जाती है। इस दुर्घटना के लिए पाए गए दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई उपर्युक्त जांचों के परिणामों पर निर्भर करती है।

(च) दुर्घटनाओं को रोके जाने संबंधी उपाय, जो कि कोयला खान विनियमन में विस्तृत रूप में निर्धारित किए गए हैं, खान सुरक्षा महानिदेशालय के निर्देश, विशेषज्ञ समिति की सिफारिशें तथा विभिन्न न्यायिक जांचों, सुरक्षा सम्मेलनों आदि की सिफारिशों को भी खान प्रबंधन द्वारा अंगीकृत किया जाता है। इन उपायों का बेहतर अनुपालन किए जाने हेतु सरकार, कोयला कंपनियों द्वारा आंतरिक सुरक्षा लेखा-परीक्षा, सुरक्षा प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी, विभिन्न स्तरों पर त्रिपक्षीय तथा द्विपक्षीय समीक्षाएं करके, कामगार व्यक्तियों को प्रशिक्षण तथा पुनः प्रशिक्षण देकर, सुरक्षा सप्ताह/सुरक्षा अभियान आयोजित करके तथा राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार दिए जाने के माध्यम से स्व-विनियमों को प्रोत्साहित करा रही है।

[हिन्दी]

भारत-ओमान गैस पाइपलाइन

*68. **श्री बलराज पासी :**
श्रीमती भावना चिखलिया :

क्या **पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-ओमान गैस पाइपलाइन के निर्माण का कार्य शुरू हो गया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ग) यदि नहीं, तो इस कार्य में विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) इस कार्य के कब तक शुरू हो जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा): (क) से (घ). सितम्बर, 1994 में ओमान के साथ हस्ताक्षरित करार की मुख्य शर्तों में ओमान आयल कंपनी ने ओमान-इंडिया गैस पाइपलाइन से संबंधित विस्तृत व्यवहार्यता अध्ययन की जिम्मेदारी ले ली है। ओमान आयल कम्पनी ने बताया है कि प्रथम पाइप लाइन मध्य 1999 तक आरम्भ कर दी जाएगी।

[अनुवाद]

दूरदर्शन का चैनल-3

*69. **श्री रवि राय** : क्या **सूचना तथा प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन का चैनल-3 शुरू हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो यह चैनल कब तक शुरू हो जाएगा?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) और (ख). जी, हाँ। हालांकि इस चैनल की पूर्वदर्शन सेवा 3 सितम्बर, 1995 से शुरू हो गई थी, पर इसे 14 नवम्बर, 1995 को औपचारिक रूप से आंरभ किया गया था। यह चैनल दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में स्थलीय रूप से उपलब्ध है तथा इनसैट 2बी उपग्रह के जरिए इसे देश के अन्य भागों में भी प्राप्त किया जा सकता है। वर्तमान में सप्ताह में सातों दिन सांय 6 बजे से रात्रि 11.15 बजे तक इसका एक ही ट्रांसमिशन है।

इस चैनल के कार्यक्रम डी.डी.-1 और 2 पर कार्यक्रमों को पूरा करते हैं। डी.डी. 3 के कार्यक्रमों को जिज्ञासु मस्तिष्क वाले व्यापक परिधि के लोगों को विविधता और रुचियों को प्रतिबिंम्बित करने के लिए बनाया गया है। मूलतः इन कार्यक्रमों का उद्देश्य विभिन्न प्रकार के प्रारूपों के जरिए जांच करना, विश्लेषण करना, जागृत करना तथा सूचना उपलब्ध करवाना होता है जिनमें वार्ताएं, प्रश्नोत्तरी, नाटक और वृत्तचित्र शामिल होते हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

टाडा पैनल

*70. **श्री राम टहल चौधरी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के बावजूद अभी तक आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम (टाडा) के अधीनस्थ मामलों पर विचार करने वाले समिति (टाडा पैनल) का गठन नहीं किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस पैनल का गठन कब तक कर दिए जाने की संभावना है?

गृह मंत्री (श्री एस.बी. चव्हाण) : (क) से (ग). माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा करतार सिंह बनाम पंजाब सरकार के मामले में दिनांक 11.3.1994 को दिए गए दिशानिर्देश के अनुसरण में केन्द्र सरकार तथा राज्य/संघ शासित क्षेत्रों के लिए पुनरीक्षण समितियों का गठन किया गया है। वे लम्बित पड़े टाडा के मामलों की पुनरीक्षा कर रही है तथा जहां आवश्यक समझा जाता है वहां स्थिति में सुधार कर रही है।

फरक्का बांध संबंधी सत्यमूर्ति समिति

*71. **श्री जगमीत सिंह बरार** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने फरक्का बांध परियोजना के संबंध में मई, 1992 में सत्यमूर्ति समिति का गठन किया था;

(ख) यदि हाँ, तो क्या उक्त समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ग) यदि हाँ, तो यह रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई और उक्त रिपोर्ट की सिफारिशें क्या हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है?

जल संसाधन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जल संसाधन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 1992 में समिति का गठन किया गया था। इस समिति का पुनर्गठन मई, 1992 में किया गया। केंद्रीय जल आयोग के केंद्रीय यांत्रिकी संगठन के तत्कालीन मुख्य इंजीनियर श्री एन. सत्यमूर्ति इसके अध्यक्ष थे।

(ख) जी हाँ।

(ग) समिति ने अपनी रिपोर्ट दिसम्बर, 1994 में प्रस्तुत की थी। इसने यह सिफारिश की थी कि परियोजना की वर्तमान व्यवस्था को प्रारंभिक तौर पर एक महाप्रबंधक/मुख्य इंजीनियर, दो परिमंडलों और सात प्रभागों में परिवर्तित किया जा सकता है। प्रत्येक परिमंडल और प्रभाग की क्षमता वर्तमान स्तर पर ही बनाए रखी जाए। इसने यह भी टिप्पणी की कि फरक्का डाउनस्ट्रीम जल विद्युत परियोजना जब कभी यह प्रारंभ की जाती है, के लिए एक मुख्य इंजीनियर के साथ दो परिमंडलों की सीमा तक स्टाफ की आवश्यकता है। परियोजना के महाप्रबंधक द्वारा परियोजना के लिए संचालन और अनुरक्षण नियमावली तैयार करने और प्रत्येक प्रभाग द्वारा कार्यान्वित किए जाने वाले कार्यों का पता लगाने के पश्चात स्टाफ क्षमता को कम करने के लिए उसकी पुनरीक्षा की जा सकती है। यह भी सिफारिश की गई है कि विस्तृत सीमा तक संपदा, विद्यालय और अस्पताल के प्रबंध का उत्तरदायित्व राज्य सरकार को स्थानांतरित किया जा सकता है। समिति ने परियोजना की सुरक्षा के लिए स्टाफ की आवश्यकता का अनुमान नहीं लगाया किंतु इसने यह सिफारिश की कि परियोजना की सुरक्षा के लिए स्टाफ की आवश्यकता, परियोजना का कार्य करने के लिए सुझाए गए स्टाफ के अतिरिक्त होगी।

(घ) समिति की सिफारिशों की जांच सरकार द्वारा की जा रही है।

[अनुवाद]

सेल्यूलर टेलीफोन

*72. श्री देवी चक्स सिंह :
डॉ० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विभिन्न सर्किलों में सेल्यूलर टेलीफोन हेतु निविदायें प्रस्तुत करने वालों को ठेका देनें संबंधी अपनाए गए मानदंडों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या श्रेणी 'क' तथा श्रेणी 'ख' के सर्किलों में अधिकतम दो लाइसेंस देने के बारे में सीमा निर्धारित की गई थी;

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण थे; और

(घ) उन कंपनियों का ब्यौरा क्या है जिनकी निविदायें स्वीकार की गई हैं और उन्हें कौन से सर्किल आबंटित किए गए हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम): (क) सेल्युलर सचल टेलीफोन सेवा के लिए मांगी गई निविदा-2 भाग वाली निविदा थी जिसे दो चरणों में खोला गया। पहले चरण में बोलीदाताओं को पात्रता, तकनीकी, वाणिज्यिक और वित्तीय मानदंडों के आधार पर चुना गया था। दूसरे चरण में चुने गए बोलीदाताओं की वित्तीय बोलियों का, कुल वसूली के मौजूदा निवल मूल्य और लाइसेंस की दस वर्ष की अवधि के लिए बोलीदाताओं द्वारा उद्धृत भुगतान अनुसूची के आधार पर मूल्यांकन किया गया।

(ख) जी नहीं। सरकार ने अधिकतम तीन लाइसेंसों की सीमा निर्धारित की है। जो 'क' और 'ख' श्रेणी के सर्किलों के लिए एक बोलीदाता कंपनी को दिए जा सकते हैं। यह प्रतिबंध 'ग' के सर्किलों पर लागू नहीं होता है।

(ग) यह सीमा-निर्धारण किसी एक कंपनी के एकाधिकार को प्रतिबंधित करने तथा इस सेवा को प्रदान करने में अधिक कंपनियों की भागीदारी प्रोत्साहित करने के लिए किया गया है।

(घ) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

क्र.सं.	बोलीदाता कंपनी/विदेशी सहयोगकर्ता का नाम	अनुबंध आबंटित सर्किल
1.	जे.टी. मोबाइल/टेलिया, स्वीडन	आन्ध्र प्रदेश, पंजाब
2.	मोदोकाम/बेनगार्ड, यू.एच.ए.	पंजाब, कर्नाटक
3.	बिरला कॉम/ए.टी. एंड टी.यू.एस.ए.	गुजरात, महाराष्ट्र
4.	यू.एस. वेस्ट-बीपीएल टेलीकॉम/यूएस वेस्ट यूएसए	तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र
5.	एयरसेल डिजिलिंक/स्विस पीटीटी, स्विटरजलैंड हांगकांग	हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश (पूर्व)
6.	एस्कोटेल/फर्स्ट पैसिफिक, हांगकांग	उत्तर प्रदेश (पश्चिम), हरियाणा, केरल
7.	कोशिक टेलीकॉम/फिलोपिनों टेलीकॉम, फिलीपिन्स	उत्तर प्रदेश (पूर्व), उत्तर प्रदेश (पश्चिम), उड़ीसा बिहार
8.	हिन्दुजा एच.सी.एल./सिंगापुर टेलीकॉम, सिंगापुर	तमिलनाडु
9.	सेल्यूलर कॉम/एयरटच, यूएसए	मध्य प्रदेश
10.	रिलायंस टेलीकॉम/नाइनेक्स, यूएसए	मध्य प्रदेश, पश्चिमी बंगाल उड़ीसा, बिहार, उत्तर पूर्व असम, हिमाचल प्रदेश
11.	हेक्साकॉम/कुवैत मोबाइल, कुवैत	उत्तर पूर्व, राजस्थान
12.	भारती टेलीनेट एसटीईटी इटली	हिमाचल प्रदेश
13.	टाटा कम्युनिशन्स/बैल, कनाडा	आंध्र प्रदेश
14.	फासेल/बेजेक, इजराइल लि०	गुजरात

रसोई गैस कनेक्शन

*73. **श्री जितेन्द्र नाथ दास :** क्या **पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सामान्यतः और पश्चिम बंगाल में विशेषतः रसोई गैस कनेक्शनों की भारी कमी है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस समस्या में निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा): (क) और (ख). एलपीजी की उपलब्धता, नये ग्राहकों का कुल नामांकन, प्रतीक्षा सूची डिस्ट्रीब्यूटरों के पास उपलब्ध स्लैक तथा उनकी साध्यता के आधार पर पश्चिमी बंगाल सहित समूचे देश में नये एलपीजी कनेक्शन चरणों में दिए जाते हैं। वर्ष 1995-96 के दौरान देश में 15 लाख एलपीजी कनेक्शनों के नामांकन का लक्ष्य निश्चित किया गया है। राज्यवार लक्ष्य निश्चित नहीं किए जाते हैं।

उत्पादन के विद्यमान स्रोतों की क्षमता को बढ़ाकर नये संयत्रों को स्थापित करके तथा अपेक्षाकृत अधिक आयातों द्वारा आपूर्ति को बढ़ाकर एलपीजी की अधिक उपलब्धता के लिए योजनाएं तैयार की गयी हैं। कांडला तथा मंगलौर में एलपीजी के आयात की नयी सुविधाएं बनायी जा रही हैं जिनके अक्टूबर, 1996 तक आरम्भ होने की आशा है। अधिक मांग को पूरा करने के लिए सरकार की तेल कंपनियों द्वारा नये भराई संयंत्र तथा और अधिक एलपीजी की डिस्ट्रीब्यूटरशिपें खोली जा रही हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के माध्यम से उपलब्ध मात्रा के अतिरिक्त देश में एलपीजी की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए सरकार ने फरवरी, 1993 में निजी एजेंसियों द्वारा एलपीजी के आयात तथा बिक्री किये जाने की अनुमति देने का निर्णय लिया।

[हिन्दी]

एलपीजी एजेंसियां

*74. **श्री एन.जे. राठवा :**
श्री अजय मुखोपाध्याय :

क्या **पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न राज्यों, विशेषकर आदिवासी तथा पिछड़े क्षेत्रों में इस समय एलपीजी एजेंसियों तथा पेट्रोल पम्पों की संख्या कितनी है तथा इनमें से आरक्षित श्रेणी में आने वाली एजेंसियों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) राज्यों में इस समय एलपीजी की मांग तथा आपूर्ति की स्थिति क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकारों से नई एलपीजी एजेंसियों को खोलने के कोई अनुरोध प्राप्त हुए हैं, तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी एजेंसियां आरक्षित श्रेणी में दर्शायी गई हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो प्राप्त हुए अनुरोधों का ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक राज्य में उक्त एजेंसियां कब तक खोले जाने की संभावना है ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) 1.10.95 की स्थिति के अनुसार देश में 16,150 खुदरा बिक्री केन्द्र की डीलरशिपें तथा 4869 एलपीजी की डिस्ट्रीब्यूटरशिपें थी इनमें से नीचे दर्शायी गयी डीलरशिपें/डिस्ट्रीब्यूटरशिपें विभिन्न आरक्षित श्रेणियों को आवंटित की गयी हैं:

	अ.जा.	अ.ज.जा.	विकलांग	रक्षा श्रेणी	स्वतंत्रता सेनानी
खुदरा बिक्री केन्द्र	893	335	470	216	149
एलपीजी	532	208	379	286	150

(ख) अप्रैल-अक्टूबर, 1995 की अवधि के दौरान एलपीजी की औसत मासिक मांग 287962 मि.ट. थी जिसे उद्योग द्वारा पूर्णतः पूरा किया गया था।

(ग) और (घ). देश के विभिन्न भागों में और अधिक खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपें/एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिपें स्थापित करने के लिए समय-समय पर अनुरोध प्राप्त होते हैं। विद्यमान नीति के अनुसार विभिन्न श्रेणियों के लिए निम्नानुसार आरक्षण की व्यवस्था है :

अ.जा./अ.ज.जा.	-	25 प्रतिशत,
प्रतिरक्षा	-	7½ प्रतिशत
विकलांग	-	7½ प्रतिशत
स्वतंत्रता सेनानी	-	3 प्रतिशत
असाधारण खिलाड़ी	-	2 प्रतिशत
खुली	-	55 प्रतिशत

तदनुसार विभिन्न राज्यों के लिए खुदरा बिक्री केन्द्र विपणन योजना 1993-96 तथा एलपीजी डीलरशिपें/एलपीजी विपणन योजना 1994-96 में क्रमशः 1040 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपें तथा 1191 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें शामिल की गयी हैं। डीलरों का चयन तेल चयन बोर्डों के माध्यम से किया जाता है। तेल चयन बोर्ड द्वारा

चयन के उपरांत किसी डिस्ट्रीब्यूटरशिप को शुरू करने में सामान्यतया 1-2 वर्ष का समय लगता है।

[अनुवाद]

दूरदर्शन कार्यक्रमों में हिंसा और अश्लीलता

*75. श्री डाराचन रायः क्या सूचना तथा प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन द्वारा प्रसारित कार्यक्रमों में हिंसा और अश्लीलता का प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार को इस संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हाँ, तो वर्ष 1994 के दौरान और वर्ष 1995 में अब तक प्राप्त हुई शिकायतों का ब्यौरा क्या है;

(घ) इस दिशा में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं अथवा करने का प्रस्ताव है;

(ङ) क्या ''सेंटर फार मीडिया स्टडीज़'' ने भी ''दूरदर्शन का सामाजिक प्रभाव'' विषयक कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है;

(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (श्री पी.ए.संगमा) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, हाँ।

(ग) इस प्रकार के ब्यौरे नहीं रखे जाते हैं।

(घ) दूरदर्शन यह सुनिश्चित करने के लिए प्रसारण से पूर्व सभी कार्यक्रमों का पूर्वदर्शन करता है कि वे कार्यक्रम और विज्ञापन संहिता के अनुकूल हों तथा पारिवारिक दर्शन हेतु उपयुक्त हों।

(ङ) और (च). जी, हाँ। यह अध्ययन जिसे हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं पर टेलीविजन के प्रभाव का मूल्यांकन करने हेतु शुरू किया गया था, ने एक ओर विभिन्न क्षेत्रों में दूरर्शन के सकारात्मक योगदान पर तथा दूसरी ओर समाज पर अपराध तथा हिंसा का प्रक्षेपण करने वाले कार्यक्रमों के प्रतिकूल प्रभाव के बारे में लोगों की चिन्ता पर प्रकाश डाला है।

(छ) इस प्रकार यह रिपोर्ट किसी भी सीधी अनुवर्ती कार्रवाई को निर्दिष्ट नहीं करती।

सेल्युलर एवं मूलभूत दूरसंचार सेवाएं

*76. श्री श्रीकांत जेना :
प्रो० के.वी. थामसः

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेल्युलर एंव मूलभूत दूरसंचार सेवाओं के लिए निविदायें प्रस्तुत करने हेतु बढ़ाई गई तिथियां बीत चुकी हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भारतीय एवं विदेशी कंपनियों से कितनी निविदाएं प्राप्त हुई हैं तथा वे कंपनियां कौन-कौन सी हैं;

(घ) लाइसेंस देने के लिए निर्धारित शर्तें क्या हैं;

(ङ) किन-किन कंपनियों को अब तक लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं तथा उन्हें देश में सुल्युलर एवं मूलभूत दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु कौन-कौन से क्षेत्र आवंटित किए गए हैं;

(च) यदि कोई लाइसेंस नहीं दिये गये हैं, तो इसके क्या कारण हैं;

(छ) उक्त लाइसेंस कब तक जारी किए जाएंगे; और

(ज) आई.टी.आई. सहित स्वदेशी क्षेत्र में इस तरह की सेवाएं प्रदान करने वालों तथा उपस्कर निर्माताओं के हितों की किस प्रकार रक्षा की जाएगी ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी. हाँ।

(ख) ''सेल्युयर सचल टेलीफोन सेवा'' तथा ''मूलभूत टेलीफोन सेवा'' हेतु टैंडर प्रस्तुत करने की अंतिम तिथियों को बढ़ाकर क्रमशः 7 जून 95 तथा 23 जून 95 कर दिया गया था।

(ग) ''सेल्यूलर सचल'' तथा ''मूलभूत टेलीफान सेवाओं'' के टैंडरों में शामिल होने के लिए केवल ''भारतीय पंजीकृत कंपनियों'' ही पात्र थी। ''सेल्यूलर सचल टेलीफोन सेवा'' की टैंडर प्रक्रिया में 32 कम्पनियाँ शामिल हुईं। उनके नाम संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

16 बिडर कंपनियों ने, ''मूलभूत टेलीफोन सेवा'' के टैण्डर भरे। कंपनियों के नाम संलग्न विवरण-II में हैं।

(घ) ''सैल्यूलर सचल टेलीफोन सेवा'' तथा ''मूलभूत टेलीफोन-सेवा'' हेतु लाइसेंस देने की प्रमुख-शर्तें क्रमशः संलग्न विवरण-II, तथा IV में दी गई हैं।

(ङ) चार महानगरों - दिल्ली, बंबई, कलकत्ता तथा मद्रास में "सैल्यूलर सचल टेलीफोन सेवा" के प्रचालन हेतु, 8 भारतीय कंपनियों को पहले ही लाइसेंस दिए जा चुके हैं। उन कम्पनियों के नाम विवरण V में दिए गए हैं। प्रादेशिक दूरसंचार सर्किलों में "सैल्यूलर सचल टेलीफोन-सेवा" के प्रचालनार्थ लाइसेंस देने के लिए जिन कम्पनियों को प्रस्ताव/प्रति प्रस्ताव दिए गऐ हैं, उनके नाम संलग्न विवरण-VI में दिए गए हैं।

अभी तक किसी भी कंपनी को, "मूलभूत टेलीफोन-सेवा" प्रदान करने के लिए लाइसेंस नहीं दिया गया है।

(च) "सैल्यूलर सचल टेलीफोन सेवा" का प्रश्न नहीं उठता। जहाँ तक "मूलभूत टेलीफोन-सेवा" का संबंध है, अभी तक टैण्डर-प्रक्रिया को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(छ) "सैल्यूलर सचल टेलीफोन सेवा" तथा "मूलभूत टेलीफोन-सेवा", दोनों के ही लाइसेंस दिसंबर 95 तथा मार्च 96 के बीच जारी किए जाने की संभावना है।

(ज) दिल्ली में केवल एम.टी.एन.एल., सीमित सचल टेलीफोन सेवा का प्रचालन करता है, जिस पर कोई प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है। इन सेवाओं के फ्रेंचाइज देने के कारण आई.टी.आई. सहित उपस्कर विनिर्माताओं के हितों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। वस्तुतः, इससे उपस्कर के लिए और अधिक मांग बढ़ जाएगी।

मूलभुत टेलीफोन सेवा के लिए, बोलियों का मूल्यांकन करते समय, उन बोली-दाताओं को तीन प्रतिशत का अधिमान दिया गया है, जो अपने टेलीफोन नेटवर्क में देश में विनिर्मित उपस्कर का इस्तेमाल करेंगे।

विवरण-I

सेल्युलर सचल टेलीफोन सेवा के लिए निविदा में भाग लेने वाले बोलीदाता

क्र.सं.	बोलीदाता का नाम	भारतीय प्रवर्तक	विदेशी प्रवर्तक
1	2	3	4
1.	श्रीनिवास सेलकाम लि०	श्री निवास कम्प्यूटर लि०	सेन्चुरी टेलीफोन इन्टरप्राइजेज इनकार्पो० यू.एस.ए. रेडिंटन प्रा० लि०, सिंगापुर
2.	ए.आर. सैल डिगिलिंग इंडिया लि०	स्टीलिंग कम्प्यूटर सर्विस लि०	स्विस प्रा० लि० स्विजरलैंड नेपोस्टल कन्सटेन्सी बी.बी. नीदरलैंडस
3.	सत्यम् टेलीकॉम लि०	सत्यम कम्प्यूटर सर्विस लि० जिल्टेज सिक्योरिटीज लि०	टेलेनार एज नार्वे सीटल सेल्युलर लि०
4.	ईसर-टेलीकॉम लि०	ईसर इन्वेस्टमेंट लि० ईसर गुजरात लि०	बैल अटलान्टिक ऑफ-शोर मारीशस लि०, यू.एस.ए.
5.	भीलवाड़ा सेल्यूलर लि.	हेग लि० राजस्थान शिपलिंग एंड विविंग मिल्स लि० कोस्ट लाइन्स फार्म्स प्रा. लि.	वैस्टर्न वायरलैस, यू.एस.ए. बौस्टन सैल्यूलर लि० यू.एस.ए. बोस्टन सेल्यूलर लि. यू.एस.ए.
6.	फासेल लि.	हिमालय फयूचरिस्टिक कम्यूनिकेशन लि० कोटक महेन्द्र फाईनेन्स लि०	बिजेग, इजराइल शिनावातारा इन्टरनेशनल पब्लिक कं० लि० थाईलैंड
7.	हेक्साकॉम इंडिया लि०	शाम टेलीकॉम लि० टेलीकम्यूनिकेशन्स कन्सलटैन्ट्स इंडिया लि०	मोबाइल टेलीकम्यूनिकेशंस क० कुवैत, पी.सी.एम. पार्टनरशिप यू.एस.ए., अली एंड फीद एम.टी. कुवैत

1	2	3	4
8.	नैटवर्क सिस्टम्स प्रा. लि.	इन्टरसिटी केबल सिस्टम्स प्रा० लि०	टेलीकॉम मलेशिया बरहड मलेशिया पैन एशियान कम्यू० लि० मैसकॉम लि०
9.	ज्वाइंट मोबाइल्स लि०	सन्मार इलैक्ट्रोन्किस कॉरपोरेशन लि० यूनाइटेट टेलीकॉम लि० पारसराम युरिया क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट लि०	तेलिया ऐब स्वीडन टेलीफोन आर्गेनाइजेशन ऑफ थाईलैंड जैसमिन पब्लिक कम्पनी लि० थाईलैंड
10.	कोशिका टेलीकॉम प्रा० लि०	ऊषा इंडिया लि० गोर्डन इरबर्ट (इंडिया) लि० वारेन फाइनेंशियल सर्विस लि० होल्डिंग एंड जनरल फाइनेंस क० (आई) प्रा० लि०	फिलपिन टेलीफोन कारपोरेशन फिलीपीन्स एन.आर.आई. संघ
11.	टाटा कम्युनिकेशन्स प्रा० लि०	टाटा इंडस्ट्रीज लि० टाटा आइरन एंड स्टील कंपनी लि०	बैल कनाडा इंटरनेशलन इन्कॉरपोरेशन कनाडा
12.	पुनवायर टेलीसिस्टम्स सैल्युलर लि०	पंजाब वायरलैस सिस्टम्स लि० डीएसएस टेलीकॉम प्रा० लि०	बैल साउथ एशिया पैसिफिक एन्टरप्राइजेज यू.एस.ए. टेलीसिस्टम इंटरनेशनल वायरलैस कॉरपोरेशन एन.बी. कनाडा
13.	एस्कॉटेल मोबाइल कम्युनिकेशन्स प्रा० लि०	एस्कॉट्स लि०	फर्स्ट पैसिफिक क० लि० हांगकांग
14.	यू.एस. वेस्ट बी.पी.एल. सेल्युलर टेलीकॉम सर्विसेज प्रा.लि.	बी.पी.एल. लि० बी.पी.एल. सेल्युलर होल्डिंग प्रा० बी.पी.एल. रेफ्रिजरेशन लि० बी.पी.एल. इंजीनियरिंग लि०	यू.एस. वेस्ट सेल्युलर इन्वेस्टमेंट कंपनी लि०
15.	सी. जी. कम्युनिकेशन्स प्रा० लि०	क्रॉम्पटन ग्रीव्स लि०	मिलिकॉम इंटरनेशनल सेल्युलर एस.ए. लग्जमबर्ग इण्डस्टरफॉर वाल्टिंग्स ए.बी. किन्नेविक स्वीडन
16.	स्पिक टेलस्ट्रा टेलीकॉम इंडिया प्रा० लि०	सदर्न पेट्रो कैमिकल कॉरपोरेशन लि०	टेल्स्टा साउथ एशिया होल्डिंग्स लि० ऑस्ट्रेलिया

1	2	3	4
17.	कॉस्मिक मोबीटेल प्रा० लि०	मैक्स इंडिया लि०	ब्रिटिश टेलीकम्युनिकेशन्स पी.एल.सी.
18.	टेली लिंक सेल्युलर लि०	द अरविंद मिल्स लि०	फ्रांस टेलीकॉम मोबाइल इंटरनेशनल
19.	कीर्ति टेलीकम लि०	गेम्बेल एन.वी. (एन.आर.आई.)	शंघाई पीस्ट एंड टेलीकॉम ऐडमिनिस्ट्रेशन थाइना
20.	सी.पी.आर.एम. मार्कोनी इंडिया प्रा० लि०	नेशनल टेलीकॉम ऑफ इंडिया लि०	कंपहेनिया पुर्तगीजा रेडियो मारकोनी एस.ए. कंपहेनिया कंपहेनिया डि टेलीकम्यूनिका डि मकाउ सार्ल मार्कौनी टेलीकम्यूनिकेशन्स प्रा० लि०
21.	ई.जी.कॉल सेल्युलर इंडिया प्रा० लि०	टेलीकॉम सिस्टम्स इंडिया लि०	टोटल एक्सेस कम्युनिकेशन्स पब्लिक कंपनी लि. थाईलैंड लॅसी होल्डिंग्स कंपनी लि०
22.	एच.एच.एस. कम्युनिकेशन्स प्रा० लि०	अशोक लीलैंड फाइनेन्स लि० अशोक लीलैण्ड लि० एशिया सिक्यूरिटीज होल्डिंग लि० स्लौ इन्वैस्टमेंट प्रा० लि०	सिंगापुर टेलीकॉम लि० सिंगापुर टेलीकॉम लि० सिंगापुर टेलीकॉम इण्टरनेशनल पी.टी.ई.लि. सिंगापुर
23.	भारती टेलेनैट लि०	भारतीय टेलीकॉम लि० एपैक्स इन्टरप्राइजेज (1) लि०	स्टैट इन्टरनेशनल, इटली, स्टेट इन्टर, नीदरलैण्डस लि०
24.	हयूजेज इस्पात लि०	निपन डेनेश दूरथात लि०	हयूजेज, इलैक्ट्रानिक्स कार.यू.एस.ए., आलटेल कार
25.	फिनोलैक्स टेलीकम्युनिकेशन्स इंडिया लि०	फिनोलैक्स केबिल्स लि०	पी.टी. बेकरी एंड ब्रादर्स पी.टी.टी. टेलीकॉम बी.वी., नीडरलैण्ड्स
26.	सेल्यूलर कम्यूनिकेशन्स इंडिया लि०	आर.पी.जी. टेलीकॉम लि० हैरिशन मलयालम लि० कोईसी इन्टर. लि. आर.पी.जी. मोबाइल लि०	एअर ब्च इन्टर अनकारपोरेशन।
27.	मोदी कॉम नेटवर्क प्रा. लि.	मोदी वेलवेस्ट प्रा. लि.	वेन्गार्ड सेल्युलर सिस्टम इनकारपोरेशन, यू.एस.ए. टेलीकॉम इण्टरनेशनल प्रा. लि.

1	2	3	4
28.	निडला कम्यूनिकेशन लि.	हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लि० प्रासिम इण्डस्ट्रीज लि० इंडिया शेयान एंड इण्डस्ट्रीज लि० इण्डोगल्फ फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स कार्पो लि०	मका सेल्यूलर कम्यूनिकेशन इन्कार्पोरेशन (वाया ए टी एंड टी) टी एंड टी इण्टरनेशनल (वाया) ए.टी. एंड टी. सेल प्रा. लि.
29.	विडियोकॉन सेल्युलर प्रा. लि.	विडियोकॉन इंटरनेशनल लि०	डेट मोबाइल
30.	रिलायन्स टेलीकॉम प्रा० लि०	रिलायन्स इंडस्ट्रीज लि०	नाइनेक्स इंटरनेशनल (इंडिया) लि० मारीशॅस
31.	डालमिया कम्युनिकेशन्स प्रा० लि०	इंडिया टेलीकॉम प्रा० लि०	कोरिया मोबाइल टेलीकॉम, कोरिया
32.	ए.आर.एम. सेल कॉम लि०	एडवान्स्ड रेडियो मास्ट्स लि०	टेक्नालॉजी रिसोर्सेज इंडस्ट्रीज बरहद, मलेशिया

विवरण - II

मूलभूत टेलीफोन सेवा के लिए निविदा बोलीदाता कम्पनियों के नाम

क्र स.	बोलीदाता कम्पनियों के नाम	भारतीय प्रवर्तकों के नाम	विदेशी सहयोगकर्ताओं के नाम
1	2	3	4
1.	जेटी टेलीकॉम लिमिटेड	(क) मैसर्स यूनाइटिड टेलीकॉम लिमिटेड	(क) मैसर्स जासनिक इंटरनेशनल पब्लिक कंपनी ऑफ थाइलैंड
		(ख) मैसर्स सानमार इलैक्ट्रानिक कम्पनी लिमिटेड	(ख) तेलिया ए.बी.ऑफ स्वीडन
		(ग) परसुरामपुरिला क्रेडिट एंड इन्वेस्टमैंट लि०	(ग) टेलीफोन ऑरगैनाइजेशन ऑफ जेशन ऑफ थाइलैंड
2.	ह्यूजेज इस्पात लिमिटेड	(क) मैसर्स निप्पॉन डेनरो इस्पात लि०	(क) मैसर्स ह्यूजिज इलैक्ट्रानिक्स कोरपरेशन यू.एस.ए.
		(ख) मैसर्स अलटेल कॉरपोरेशन यू.एस.ए.	
3.	मैसर्स भारती टेलीनैट लि०	(क) भारती टेलीकॉम लि० एंड एसोसिएट्स	(क) एस.टी.डी. इंटरनेशनल एस.पी.ए. इटली
		(ख) एपेक्स इंटरप्राजिज़ इंडिया लि०	(ख) एस.टी.ई.टी. इंटरनैशनल नीदरलैंड्स एन.वी

1	2	3	4
4.	मैसर्स यूरोटेल इंडिया प्रा०	(क) पंजाब वायरलैस सिस्टम्स लिमिटेड (पनवायर)	(क) डच टेलीकॉम एजी जर्मनी
		(ख) वाइडकोन इंटरनेशनल लि०	(ख) डच टेलीपोस्ट कंसलटिंग जर्मनी
5.	मैसर्स बेसिक टेलीसर्विसेज लि०	(क) आर.पी.जी. उद्यमों की सात कम्पनियाँ, जापान	(क) मैसर्स निपोन टेलीग्राफ कोरपोरेशन जापान
			(ख) मैसर्स आई.टी.ओ.सी. एच.यू. कोरपोरेशन जापान
6.	मैसर्स एच.एफ.सी.एल. बीईजैडई क्यू टेलीकॉम लि० एच.एफ.सी.एल. बीईजैड (इक्यू)	(क) एच.एफ.सी. एल इंडिया	(क) बी.ई.जैड.ई.क्यू. इजराइला (ईजराइल टेलीकॉम कोरपोरेशन)
		(ख) केजेएमसी फाइनैंस सर्विसेज लि० इंडिया	(ख) शिनमात्रा इंटरनैशनल पब्लिक कम्पनी लि० थाईलैंड
		(ग) कोटक महिन्द्रा फाइनैंसं लि०	
7.	मैसर्स टाटा टेलीसर्विसिज प्रा.लि.	(क) मैसर्स टाटा इंडस्ट्रीज लि.	(क) मैसर्स बैल कनाडा इंटरनेशलन कारपोरेशन कनाडा (बीसीई इन्कोरपोरेशन की सहायक कम्पनी)
		(ख) मैसर्स टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लि०	
		(ग) टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लि०	
		(घ) टाटा कैमिकल्स लि०	
8.	टैकनो टेलीकॉम (इंडिया) प्रा० लि०	(क) मैसर्स ऊषा इंडिया लि०	(क) मैसर्स मौस्को लोकल टेलीफोन नेटवर्क
		(ख) मैसर्स गोरडोन् हर्बर (इंडिया) लि०	(ख) एन.आर.आई. कौनसोरेटियम
		(ग) मैसर्स वारन फाइनैन्सशियल सर्विसेज लि०	
		(घ) मैसर्स होल्डिंग एंड जनरल क० इंडिया प्रा० लि०	
9.	मैसर्स एस्सार कमीशन लि०	(क) मैसर्स एस्सार इंवेस्टमैंट्स लि०	(क) मैसर्स बैल अटलांटिक ऑफशोर मौरिशस लि०
		(ख) मैसर्स एस्सार गुजरात लि०	
10.	मैसर्स बिरला टेलीकॉम लि०	(क) मैसर्स हिन्डालको इंडस्ट्रीज लिमिटेड	(क) एटीएंड टी मारिशस प्रा. लि.
		(ख) प्रासिम इंडस्ट्रीज लि.	(ख) फिलीपीन लौंग डिस्टैंस टेलीफोन कं०
		(ग) इंडियन रयान एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड	
		(घ) इंडो-गल्फ फर्टिलाइज़र्स एंड कैमिकल्स कोरपोरेशन लि०	

1	2	3	4
11.	मैसर्स स्पिर्क टेलस्ट्रा टेलीकॉम प्रा. लि.	(क) मैसर्स सदर्न पैट्रो-कैमिकल्स इंडस्ट्रीज कोरपोरेशन ऑफ इंडिया	(क) मैसर्स टेलिस्ट्रा साउथ एशिया होल्डिंग्स सर्विस मारिशस मॉरिशस
12.	मैसर्स यूएस वैस्ट बीपीएल टेलीफोन सर्विसेज प्रा.लि.	(क) मैसर्स बीपीएल लि. टेलीफोन्स इंवेस्टमैंट्स कम्पनी (ख) बीपीएल ब्रॉड बैंड होल्डिगस प्रा० लि०	(क) मैसर्स यूएस वेस्ट बेसिक (ख) यूएस वैस्ट कम्यूनिकेशंस इन्कोरपोरेशन
13.	मैसर्स स्टरलाइट टेलीकॉम लि.	(क) स्टरलाइट इंडस्ट्रीज़ इंडिया लि.	(क) टेलीकॉम मलेशिया बरहाद (ख) उसाहा तेगास एसडीएन बरहाद मलेशिया
14.	मैसर्स रिलायन्स टेलीकॉम प्रा० लि०	(क) रिलायन्स इंडस्ट्रीज लि. (इंडिया) लि० मॉरीशस	(क) नाइनैक्स इंटरनेशनल
15.	मैसर्स मोदी इन्फॉटैक प्रा० लि०	(क) सुपर इन्फोसिस प्रा० लि० (ख) देवदास एंड एसोसेसन ऑफ पर सौमस्	(क) मैसर्स टेलीकॉम होल्डिंग कम्पनी लि० (टेलीकॉम एशिया, थाइलैंड की सहायक कम्पनी) (ख) बैल साउथ वर्ल्डवायर होल्डिंग बी.वी. नैदरलैंड्स (बैल साउथ की सहायक कम्पनी)
16.	टेलीलिंक नेटवर्क (इंडिया) लि०	(क) श्यायम टेलीकॉम लि० दिल्ली (ख) एंडवांस्ड रेडिया मास्टर्स लि० ऑफ इंडिया (ए.आर.एम.) हैदराबाद	(क) हैरिस कॉरपोरेशन इन्ककोरपोरेशन (यू.एस.ए.) (ख) लिन्टैक लिमिटेड (जी.पी.टी.ए.बी. की सहायक कम्पनी)

विवरण - III

क्षेत्रीय दूरसंचार सर्किलों में सेल्यूलर सचल टेलीफोन सेवा की मुख्य शर्तें

1. बोलीदाता कम्पनी अपनी बोली प्रस्तुत करने की तारीख से पहले पंजीकृत भारतीय कम्पनी होनी चाहिए।

2. बोलीदाता कम्पनी की इक्विटी में कुल 49 प्रतिशत से अधिक की विदेशी इक्विटी नहीं होनी चाहिए।

3. बोलीदाता कम्पनी और इसके भारतीय तथा विदेशी दोनों प्रवर्तकों की निवल पूंजी सर्किल की श्रेणी के अनुसार निम्नलिखित से कम नहीं होनी चाहिए।

''क'' ''ख'' एवं ''ग'' सर्किल	100 करोड़ रु०
''ख'' एवं ''ग'' सर्किल	50 करोड़ रु०
''ग'' सर्किल	30 करोड़ रु०

यदि बोलीदाता कम्पनी की इक्विटी-पूंजी में विदेशी प्रवर्तक का हिस्सा 10 प्रतिशत मे कम है तो उसकी निवल-पूंजी को महत्व नहीं दिया जाएगा।

4. बोलीदाता कम्पनी के नेटवर्क में सेल्यूलर सचल टेलीफोन-सेवा की कम से कम एक लाख लाइनों का उपभोक्ता-आधार होना चाहिए तथा उसे 1.1.95 को सेल्यूलर टेलीफोन नेटवर्क के प्रधालन का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

5. बोलीदाता कम्पनी के अनुभव में, सेल्युलर सचल नेटवर्क का प्रचालन करने वाली उस भारतीय या प्रवर्तक कम्पनी का अनुभव भी शामिल किया जाएगा, जिसकी बोलीदाता कम्पनी में इक्विटी भागीदारी 10 प्रतिशत या इससे अधिक है।

6. प्रारम्भ में लाइसेंस की अवधि 10 वर्ष की होगी, जिसे बाद में एक बार में 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

7. लाइसेंस प्राप्तकर्ता, लाइसेंस करार पर हस्ताक्षर करने या लाइसेंस के प्रभाव में आने की तारीख से 12 माह के भीतर, इनमें से जो भी पहले हो, सेवा प्रदान करेगा।

8. सेवा, समूह विशेष सचल या विश्वजनीन सचल संचार (जी.एम. एम.) के मानकों के अनुरूप होगी।

9. ये सेवाएं दूरसंचार प्राधिकारी द्वारा निर्धारित अधिकतम शुल्क-दर के भीतर प्रदान की जाएगी।

10. लाइसेंस प्राप्तकर्ता दूरसंचार विभाग को दिए जाने वाले अभिगम्यता तथा जंक्शन प्रभारों के अलावा दूरसंचार प्राधिकारी को लाइसेंस शुल्क का भुगतान करेगा।

11. लाइसेंस प्राप्तकर्ता बेतार लाइसेंस शुल्क, डब्ल्यू पीसी रॉयल्टी, जीएमएम समझौता ज्ञापन संबंधी प्रभारी आदि का भी भुगतान करेगा।

12. लाइसेंस, गैर-विशिष्ट आधार पर जारी किए जाएंगे।

विवरण – IV

"मूलभूत टेलीफोन-सेवा" निविदा की प्रमुख शर्तें

1. बोलीदाता, "भारतीय पंजीकृत कंपनी हो"।

2. यदि बोलीदाता कंपनी में कोई विदेशी-इक्विटी, हो, तो वह 49 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

3. बोलीदाता "कंपनी की निवल पूंजी" निम्नलिखित राशि से कम नहीं होनी चाहिए :

बोलीदाता कंपनी की कुल निवल पूंजी	सेवा-क्षेत्र की श्रेणी (एक या अधिक सेवा क्षेत्र) जिसकी बोली दी जा सकती है।
50 करोड़ रु०	ग
200 करोड़ रु०	ख और ग
300 करोड़ रु०	क, ख और ग

4. बोलीदाता कम्पनी को सेवा-प्रदाता के रूप में 1.1.95 को कम से कम 5,00,000 सीधी एक्सचेंज लाइनों के न्यूनतम उपभोक्ता नेटवर्क का प्रचालन करने का अनुभव होना चाहिए।

5. लाइसेंस प्राप्तकर्ता को लाइसेंस जारी होने के 12 माह के भीतर सेवा शुरू करनी होगी।

6. निजी प्रचालक सभी सम्बद्ध सहायक सेवाएं, जैसे दोष-सूचना, दोष मरम्मत, डायरेक्टरी, पूछ-ताछ सेवा आदि प्रदान करेंगे।

7. प्रारम्भ में लाइसेंस 10 वर्ष की अवधि के लिए दिया जाएगा, जिसे यह एक बार में 15 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है।

विवरण – V

महानगरों में "सेल्यूलर सचल टेलीफोन सेवा" के लाइसेंसियों के ब्यौरे

क्र.सं.	भारतीय कंपनी का नाम	विदेशी सहयोगी का नाम	जिस शहर के लिए चुना गया है
1	2	3	4
1.	भारतीय सेल्यूलर लि०	(i) मैसर्स जनरल मोबाइल यू.के. (ii) मैसर्स ईएमटी ईएल लि० मारिशस (iii) मैसर्स मोबाइल सिस्टम्स इंटरनेशनल यू.के.	दिल्ली
2.	स्टर्लिंग सेल्यूलर लि०	मैसर्स सेल्यूलर कॉम इंटरनेशनल यू. एस. ए.	दिल्ली यू.एम.ए.
3.	बी.पी.एल. सिस्टम्स एंड प्रोजेक्ट लि०	(i) मैसर्स फ्रांस टेलीकॉम (ii) मैसर्स एल.सी.सी. इंका०, यूएसए	बंबई
4.	हूचीसन मैक्स टेलीकॉम	हूचीसन टेलीकॉम लि० हांगकांग	बंबई
5.	मोदी टैलस्ट्रा प्रा० लि०	मैसर्स टेलस्ट्रा, ऑस्ट्रेलिया	कलकत्ता

1	2	3	4
6.	उषा मार्टिन टेलीकॉम लि०	टेलीकॉम मलेशिया बी.एच.डी, मलेशिया	कलकत्ता
7.	आर.पी.जी. सैल्यूलर सर्विसज लि०	वोडाफोन ग्रुप पी.एल.सी, यू.के.	मद्रास
8.	स्कांसैल कम्युनिकेशन्स प्रा० लि०	(i) बैल साऊथ, इंटरनैशनल (एशिया/पेसिफिक) इन्कॉ., यू.एस.ए. (ii) मिलिकॉम इंटरनैशनल सेल्यूलर, यू.एस.ए.	मद्रास

विवरण - VI

बोलीदाता कंपनियों व "सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन-सेवा" हेतु प्रस्तावित सर्किलों के नाम

क्रं. सं.	बोलीदाता कंपनी/विदेशी सहयोगी का नाम	प्रस्तावित प्रादेशिक दूरसंचार सर्किल
1	2	3
1.	जे.टी. मोबाइल/टेलिया, स्वीडन	आन्ध्र प्रदेश, पंजाब
2.	मोदीकॉम/वेन्गार्ड, यू.एस.ए.	पंजाब, कर्नाटक
3.	बिरला कॉम/ए.टी. एंड टी.यू.एस.ए.	गुजरात, महाराष्ट्र
4.	यू.एस. वेस्ट -बी.पी.एल. टेलीकॉम/यू.एस. बेस्ट, यू.एस.ए.	तमिलनाडु, केरल महाराष्ट्र
5.	एअरसैल डिजिलिंक/स्विस पी.टी.टी. स्विट्जरलैंड	हरियाणा, राजस्थान, पूर्वी उ.प्र.
6.	ऐसकौटल/फर्स्ट पेसिफिक, हौंगकांग	प० उत्तर प्रदेश, हरियाणा, केरल
7.	कोशिका टेलीकॉम/फिलिपिन्सी टेलीकॉम, फिलिपीन्स	पूर्वी उत्तर प्रदेश, प० उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार
8.	हिन्दुजा एच.सी.एल./सिंगापुर टेलीकॉम, सिंगापुर	तमिलनाडु
9.	सेल्यूलर कॉम/एअरटच, यू.एस.ए.	मध्य प्रदेश
10.	रिलायंस टेलीकॉम/ निनेक्स, यू.एस.ए.	मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, पूर्वोत्तर असम, हिमाचल प्रदेश
11.	हैक्सकॉम/कुवैत मोबाइल, कुवैत	पूर्वोत्तर राजस्थान
12.	भारती टेलीनेट, स्टेट इटली	हिमाचल प्रदेश
13.	टाटा कॉम/बैल, कनाडा	आन्ध्र प्रदेश
14.	फैसेल/बिज़ेक-इम्राइल लि०	गुजरात

टाडा अधिनियम

*77. **श्री राम नाईक** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आतंकवादी और विध्वसंकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम - 1987 (टाडा) के स्थान पर कोई अन्य अधिनियम बनाने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) टाडा अधिनियम के स्थान पर नया अधिनियम कब तक लाये जाने की संभावना है ?

गृह मंत्री (श्री एस.बी. चव्हाण) : (क) से (ग). आतंकवादी और विध्वसंकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1987 को मई, 1995 में रद्द हो जाने दिया गया। तथापि भारत में आतंकवादी हिंसा के विस्तार, फैलाव और परिमाण तथा राष्ट्र विरोधी तत्वों को सीमा पार से प्राप्त सहायता मदद और मौन समर्थन को ध्यान में रखते हुए सरकार ने राज्य सभा में आपराधिक कानून संशोधन विधेयक, 1995 प्रस्तुत किया। इस पर सर्व-सम्मति बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

"आयल पूल" खाते में घाटे की स्थिति

*78. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रुपये के मूल्य में वर्तमान गिरावट के परिणामस्वरूप "आयल पूल" खातें में कुल मिलाकर कितने घाटे की स्थिति है;

(ख) तेल समन्वय समिति द्वारा 1995-96 के लिए "आयल पूल" खाते में कितने घाटे की स्थिति दर्शाई गई है; और

(ग) सरकार का विचार "आयल पूल" खाते में घाटे की स्थिति का सामना करने हेतु क्या उपाय करने का है ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख). दिनांक 31.03.96 को तेल कंपनियों को देय संचयी अनुमानित बकाया लगभग 6,300 करोड़ रुपए होगा।

(ग) तेल पूल खाते की स्थिति की लगातार निगरानी की जाती है तथा आवश्यक समझे जाने पर सुधारात्मक कार्रवाई के लिए इसकी पुनरीक्षा की जाती है।

आर्थिक नीति

*79. **श्री जगतवीर सिंह द्रोण** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने नई आर्थिक नीति के अनुरूप रोज़गार के नए अवसर पैदा करने हेतु कोई कार्यक्रम तैयार किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख). दूर संचार उपस्करों का विनिर्माण, लाइसेंस-मुक्त कर दिया गया है और इनका अविनियमन कर दिया गया है। दूरसंचार सेवाएं भी एक व्यापक रूप में शुरू की गई हैं, जिनमें काफी तेजी से वृद्धि हो रही हैं। इन सब से काफी रोज़गार पैदा किया गया है। दूरसंचार विभाग ने 24.7.93 से एसटीडी/आईएसडी/पीसीओ नीति में संशोधन किया है, ताकि शिक्षित बेरोजगारों को रोज़गार के अवसर प्रदान किए जा सकें। शहरी क्षेत्रों में कम से कम मैट्रिक पास और ग्रामीण क्षेत्रों में आठवीं पास शिक्षित व्यक्ति ही एसटीडी, आईएसडी, पीसीओ के आंवटन के लिए पात्र हैं। यद्यपि, स्थानीय पीसीओ उदारतापूर्वक मंजूर किए जाते हैं, तथापि, जहां एक्सचेंज-क्षमता कम होती है, वहां शिक्षित बेरोज़गारों को प्राथमिकता दी जाती है।

डाक-विभाग द्वारा पंचायतों के पर्यवेक्षणाधीन ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत डाक सुविधाएं प्रदान करने की दृष्टि से पंचायत संचार सेवा योजना नामक एक स्कीम शुरू करने का प्रस्ताव है तथा शिक्षित व्यक्तियों के लिए लाभप्रद रोज़गार के अवसर पैदा करने का भी प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए पदोन्नतियों में आरक्षण

*80. **श्री सुरेन्द्रपाल पाठक** :
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव :

क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजतियों के लोगों को सरकारी सेवाओं में पदोन्नति के मामले में आरक्षण देने संबंधी उच्चतम न्यायालय के हाल ही के निर्णय को कोई अध्ययन किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले ?

कल्याण मंत्री श्री सीताराम केसरी : (क) जी हां।

(ख) रेल मंत्रालय में सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को पदोन्नति में आरक्षण के मुद्दे पर वीरपालसिंह चौहान तथा अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्यों के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सरकार द्वारा 13.11.95 को पहले ही एक पुनरीक्षण याचिका दायर की गई है।

लंबित सिंचाई योजनाएं

615. श्री लाल बाबू रॉय : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केंद्रीय सरकार की स्वीकृति के लिए बिहार की लंबित सिंचाई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) इन योजनाओं को कब तक स्वीकृत कर दिए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : (क) और (ख). विवरण संलग्न है।

(ग) परियोजनाओं की स्वीकृति इस बात पर निर्भर करती है कि राज्य सरकार कितनी जल्दी केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों को टिप्पणियों का अनुपालन करती है तथा पर्यावरणीय/वन/पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन स्वीकृतियां प्राप्त करती है।

विवरण

बिहार की लम्बित नई बड़ी एवं मझौले सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा

क्रं सं०	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत (करोड़ रुपये)	लाभ (हेक्टेयर)	मूल्यांकन की स्थिति
1.	2.	3.	4.	5.
क.	**टिप्पणियों को अनुपालन करने की शर्त पर सलाहकार समिति द्वारा स्वीकार्य पाई गई परियोजनाएं**			
	बड़ी			
1.	सिकित्तया बराज	133.11	40,480	राज्य सरकार को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करनी है।
2.	नार्थ कोयल जलाशय	475.00	104,700	राज्य सरकार को वन स्वीकृति प्राप्त करनी है।
3.	सोन नहर आधुनिकीकरण फेज-1	235.93	48,600	राज्य सरकार की पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से स्वीकृति तथा राज्य के वित्त विभाग को सहमति प्राप्त करनी है।
4.	पुनासी जलाशय	173.04	24,290	राज्य सरकार को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से स्वीकृति, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन योजनाओं पर कल्याण मंत्रालय से स्वीकृतियां, राज्य के वित्त विभाग की सहमति और नदी के बायें तट पर सिंचाई विस्तार की संभावना की जाँच करनी है और मृदा-संरक्षण उपायों की व्यवस्था करनी है।
5.	सुवर्णरेखा बहुउद्देश्योय परियोजना	1428.82	237,000	राज्य सरकार को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से स्वीकृति, कल्याण मंत्रालय से स्वीकृति राज्य के वित्त विभाग से सहमति प्राप्त करनी है।
	मझौले			
6.	कुन्दघाट जलाशय	5.61	1800	राज्य सरकार को अभिकल्पन योजना को अंतिमरूप देने आठवीं योजना में इसे शामिल करने तथा राज्य के वित्त विभाग से सहमति प्राप्त करनी है।

1.	2.	3.	4.	5.
ख. तकनीकी आर्थिक रूप से मूल्यांकन की गई परियोजनाएं किन्तु सलाहकार समिति द्वारा इन पर विचार विमर्श आस्थगित				
	बड़ी			
7.	तिलैया धनधर	120.33	31,700	राज्य सरकार को अद्यतन लागत अनुमानों के साथ संशोधित रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है।
8.	कोनार जलाशय	252.97	62,900	- वही -
ग. पत्राचार के तहत परियोजनाएं				
	बड़ी			
9.	कोसी परियोजना चरण-II	114.78	73,000	राज्य सरकार को केन्द्रीय जल आयोग के साथ विभिन्न तकनीकी आर्थिक मामले हल करने हैं और पर्यावरण/वन/पुनर्वास तथा पुन स्थापन स्वीकृतियां प्राप्त करनी है।
10.	गंडक चरण-II	770.67	-	- वही -
11.	बरहाय जलाशय	112.50	35,000	- वही -
12.	सुखसेनाघाट पम्प नहर	20.62	23,190	- वही -
13.	जमानिया पम्प नहर	94.87	30,000	- वही -
14.	पुनपुन धरधा	85.66	42,890	- वही -

महिलाओं के साथ बलात्कार

616. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993, 1994 तथा 1995 के दौरान अब तक राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार, कितनी महिलाओं के साथ बलात्कार तथा छेड़छाड़ की घटनाएं हुई हैं;

(ख) महिलाओं के विरुद्ध अपराधों को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) राज्य-वार तथा संघ राज्य क्षेत्र-वार कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया; और

(घ) इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री प्रो. एम. कामसन : (क) और (ग). सूचना संलग्न विवरण-I में दी गई है। ''बलात्कार'' के मामलों के संबंध में की गई गिरफ्तारियों की उपलब्ध सूचना भी विवरण-II में दी गई है। छेड़छाड़ के आरोपों के कारण की गई गिरफ्तारियों के बारे में आंकड़े इस समय संकलित नहीं किए जाते हैं।

(ख) और (घ). 'पुलिस' और लोक व्यवस्था'' राज्य के विषय है अतः महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों को दर्ज करना, उनकी जांच करना, पता लगाना और उनकी रोकथाम करने की जिम्मेवारी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों की है। महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों को रोकने के लिए उठाए जाने वाले कदमों और गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी भी मुख्यतया राज्य सरकारों की है। तथापि सरकार महिलाओं के प्रति होने वाले अत्याचारों के संबंध में निवारात्मक, दण्डात्मक और पुनर्वास संबंधी उपायों के बारे में समय-समय पर संबंधित राज्य सरकारों को लिखती रही है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न राज्यों में महिला विकास कार्यक्रमों को प्रोजेक्ट करने के लिए मीडिया का प्रयोग भी किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र महिला और बाल विकास कार्यक्रम (डी. डब्ल्यू. ए. सी. आर. ए.) और महिला साक्षरता कार्यक्रम उन अन्य कदमों में से कुछ हैं जिन्हें महिलाओं का स्तर सुधारने के लिए उठाया जा रहा है।

विवरण - 1

1993, 1994 और 1995 के दौरान बलात्कार और छेड़खानी की घटनायें

(राज्य और संघ शासित क्षेत्रवार)

क्र सं	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1993		1994		1995		टिप्पणी
		बलात्कार	छेड़खानी	बलात्कार	छेड़खानी	बलात्कार	छेड़खानी	1995 के आंकड़े निम्नलिखित महीनों तक के है
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	राज्य							
1.	आन्ध्र प्रदेश	827	1899	854	2185	573	1608	अगस्त
2.	अरुणाचल प्रदेश	29	20	28	28	13	14	अगस्त
3.	असम	568	146	441	184	उ.न.	उ.न.	-
4.	बिहार	775	145	823	432	351	196	मई
5.	गोवा	13	27	7	21	12	27	सितम्बर
6.	गुजरात	266	850	290	1017	121	504	जून
7.	हरियाणा	189	276	198	356	128	211	जून
8.	हिमाचल प्रदेश	87	257	110	286	96	213	सितम्बर
9.	जम्मू एवं कश्मीर	136	185	123	237	24	21	मार्च
10.	कनार्टक	220	930	279	1159	168	857	अगस्त
11.	केरल	168	468	193	579	185	614	सितंम्बर
12.	मध्य प्रदेश	2486	5572	2801	6362	1822	3568	जुलाई
13.	महाराष्ट्र	1107	2996	1275	3007	927	2287	अगस्त
14.	मणिपुर	5	30	6	8	8	23	सितम्बर
15.	मेघालय	21	19	32	11	2	10	जुलाई
16.	मिजोरम	32	44	37	32	21	36	अगस्त
17.	नागालैण्ड	0	0	1	1	11	1	सितम्बर
18.	उड़ीसा	372	910	364	955	144	374	अप्रैल
19.	पंजाब	87	15	108	60	62	37	अगस्त

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20.	राजस्थान	890	1587	1050	1364	594	1074	जुलाई
21.	सिक्किम	4	18	8	31	3	22	अगस्त
22.	तमिलनाडु	186	600	265	935	160	461	जुलाई
23.	त्रिपुरा	69	100	61	95	53	51	अगस्त
24.	उत्तर प्रदेश	1754	2416	2021	2891	1361	1916	अगस्त
25.	पश्चिम बंगाल	740	1074	उ.न.	उ.न.	289	499	मई
	योग राज्य	10971	20664	11375	22336	7128	14624	
संघ शासित क्षेत्र								
26.	अ. एवं निकोबार द्वीप समूह	3	27	4	18	4	9	सितम्बर
27.	चण्डीगढ़	4	14	9	17	4	7	सितम्बर
28.	दादरा एवं नगर हवेली	0	3	2	1	1	2	अगस्त
29.	दमन एवं द्वीप	1	1	0	0	1	0	अगस्त
30.	दिल्ली	255	259	261	291	253	395	सितम्बर
31.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	सितम्बर
32.	पाण्डिचेरी	8	17	5	18	2	5	सितम्बर
	योग संघ शा. क्षेत्र	271	321	281	345	265	418	
योग अखिल भारत		11242	20985	11656	22581	7393	15042	

टिप्पणी : 1. आंकड़े मासिक अपराध आंकड़ों पर आधारित हैं और उन्हें अनन्तिम समझा जाये।
2. उ. न. का अर्थ उपलब्ध नहीं।

विवरण-II

वर्ष 1993 के दौरान "बलात्कार" अपराध शीर्षक के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति

(राज्य और संघ शासित क्षेत्रवार)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या
1.	2.	3.
	राज्य	
1.	आन्ध्र प्रदेश	1131
2.	अरुणाचल प्रदेश	36
3.	असम	589
4.	बिहार	1787
5.	गोवा	24
6.	गुजरात	481
7.	हरियाणा	365
8.	हिमाचल प्रदेश	142

1.	2.	3.
9.	जम्मू एवं कश्मीर	133
10.	कर्नाटक	330
11.	केरल	271
12.	मध्य प्रदेश	3587
13.	महाराष्ट्र	1669
14.	मणिपुर	2
15.	मेघालय	28
16.	मिजोरम	44
17.	नागालैण्ड	13
18.	उड़ीसा	581
19.	पंजाब	170
20.	राजस्थान	893
21.	सिक्किम	13
22.	तमिलनाडु	352
23.	त्रिपुरा	100
24.	उत्तर प्रदेश	666
25.	पश्चिम बंगाल	720
योग राज्य		16127
	संघ शासित क्षेत्र	
26.	अं एवं नि. द्वीपसमूह	5
27.	चण्डीगढ़	16
28.	दा. और न. हवेली	0
29.	दमण और दीव	1
30.	दिल्ली	297
31.	लक्षद्वीप	0
32.	पांडिचेरी	7
योग संघ श. क्षेत्र		326
योग अखिल भारत		16453

स्रोत : क्राईम इन इंडिया डाटा।

[अनुवाद]

असम की जनजातियों की ओर से ज्ञापन

617. डा. जयन्त रंगपी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को असम के मिजिंग और तिवा जनजतियों के प्रतिनिधि/संगठनों की ओर से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस ज्ञापन की प्रमुख बातें क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (सैयद सिब्ते रजी) : (क) से (ग). जी हां, श्रीमान्। ज्ञापन में अन्य बातों के साथ-साथ दोनों समझौतों (तीवा और मिसींग) पर असम सरकार द्वारा हस्ताक्षर किए जाने पर कुछ आपत्तियां की गई हैं और मांग की गई है कि उक्त समझौतों के कार्यान्वयन को अभी लंबित रखा जाय और केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा क्षेत्र के कतिपय जनजातीय संगठनों के साथ नये सिरे से त्रिपक्षीय वार्ता की जाये। एक आपत्ति यह भी थी कि परिषद की सीमा स्पष्ट नहीं की गई है।

राज्य सरकार ने सूचित किया है कि इन स्वायत्तशासी परिषदों का कोई संहत भौगोलिक क्षेत्र नहीं है क्योंकि इन जनजतियों के लोग विभिन्न क्षेत्रों में बसे हुए हैं और यह कि स्वायत्तशासी परिषदें बनाए जाने का निर्णय संबंधित जनजातीय ग्रुपों द्वारा लगातार की गई मांग के अनुसरण में लिया गया है।

[हिन्दी]

बराज का निर्माण

618. श्री भगवान शंकर रावत : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आगरा बराज परियोजना का प्रस्ताव केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों का पुनः अनुपालन करने के पश्चात् केंद्रीय सरकार को अनुमोदनार्थ दोबारा प्रस्तुत किया गया है;

(ख) यदि हां, तो कब और इस संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) इस परियोजना को कब तक स्वीकृति दिये जाने की संभावना है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : (क) और (ख). जी हां। आगरा बराज को संशोधित

परियोजना रिपोर्ट केन्द्रीय जल आयोग से दिसम्बर, 1993 में प्राप्त हुई। अंतर्राज्यीय बराज और नहर अभिकल्पन, जल विज्ञान, लागत एवं नदी आकृति विज्ञान संबंधी पहलुओं पर टिप्पणियां राज्य सरकार को भेज दी गई हैं।

(ग) राज्य सरकार को केन्द्रीय जल आयोग द्वारा की गई टिप्पणियों का अनुपालन करना है तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय और कल्याण मंत्रालय से पर्यावरण/वन/पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन संबंधी पहलुओं पर स्वीकृति प्राप्त करनी है।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में टेलीफोन एक्सचेंज

619. श्री अन्ना जोशी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में गत तीन वर्षों के दौरान कितने इलैक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए गये हैं; उनकी वर्ष वार तथा जिला वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सभी एक्सचेंजों को एस टी डी सुविधा से जोड़ दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर कुल कितना खर्च हुआ तथा उसका वर्ष-वार ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) संलग्न विवरण में दिए गए ब्यौरों के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में 1587 इलैक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए गए।

(ख) जी, नहीं।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और उपलब्ध होने पर यथा शीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में स्थापित इलैक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंजों की जिलावार संख्या

क्र. सं	जिला	1992-93	1993-94	1994-95
1	2	3	4	5
1.	अहमदनगर	67	46	50
2.	अकोला	12	15	19
3.	अमरावती	23	16	12
4.	औरंगाबाद	26	16	15
5.	बीड	11	12	12
6.	भांडारा	30	7	4
7.	बुलदाना	13	12	16
8.	चन्द्रपुर	9	6	9
9.	धुले	16	25	20
10.	गाडचिरोली	0	0	1
11.	जलगांव	22	16	34
12.	जलना	8	12	10
13.	कोल्हापुर	47	21	16
14.	लातूर	9	23	2
15.	नागपुर	30	8	6
16.	नादौड़	19	14	16
17.	नासिक	48	42	24
18.	ओशमानाबाद	11	5	5
19.	परभानी	19	13	4
20.	पुणे	38	21	26
21.	रायगढ़	23	8	7
22.	रत्नगिरी	30	23	6
23.	सांगली	21	43	20
24.	सतारा	29	32	12
25.	सिंधुर्ग	12	10	5
26.	सोलपुर	50	11	12
27.	थाणे	22	9	13
28.	वरधा	13	5	5
29.	यवतमाल	8	9	11
30.	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड बम्बई	13	14	10
कुल जोड़		688	494	405

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की सूची में पिछड़े वर्गों को शामिल करना

620. श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की सूची ने पिछड़े वर्ग के लोगों को शामिल किये जाने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है ?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वी. तंग्कावालू) : (क) और (ख). जी हां। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की सूचियों में पिछड़े वर्गों तथा अन्य वर्गों को शामिल करने के लिए लगभग 1134 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(ग) यह मुद्दा जटिल प्रकृति का होने के कारण कोई विशेष समय अनुसूची नहीं बताई जा सकती है।

दिल्ली में टेलीफोन कनेक्शन

621. श्री मुडी राम सैकिया :
श्री सत्यदेव सिंह :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में एक्सचेंजवार और वर्गवार टेलिफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची में कितने लोग हैं; और

(ख) इन्हें कब तक टेलीफोन उपलब्ध कराए जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) 1.11.95 की स्थिति के अनुसार, दिल्ली में एक्सचेंज-वार और श्रेणी-वार टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची का ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) वर्ष 1995-96 के लिए 272700 सीधी एक्सचेंज लाइनों को प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है, बशर्ते कि समय पर उपस्कर तथा अन्य सामग्री उपलब्ध हो। अतः यह आशा की जाती है कि इस समय प्रतीक्षा सूची में दर्ज अधिकांश आवेदकों को मार्च 96 तक टेलीफोन प्रदान कर दिए जाएंगे। तथापि, राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 1994 के अनुसार, दिल्ली समेत सम्पूर्ण देश में मांग पर टेलीफोन प्रदान करना परिकल्पित है।

विवरण

क्र सं.	एक्सचेंज का नाम	1.11.95 को प्रतीक्षा सूची		
		ओ. वाई. टी.	विशिष्ट	सामान्य
1	2	3	4	5
	केन्द्रीय दिल्ली			
1.	जनपथ	शून्य	शून्य	555
2.	जोरबाग	शून्य	शून्य	1200
3.	किदवई भवन	66	शून्य	1136
4.	राजपथ	शून्य	शून्य	शून्य
5.	सेना भवन	शून्य	शून्य	518
6.	सीजीओ काम्पलेक्स	शून्य	शून्य	शून्य,
	पूर्व			
1.	दिल्ली गेट	शून्य	शून्य	2857
2.	ईदगाह	शून्य	शून्य	शून्य
3.	तीस हजारी	शून्य	शून्य	शून्य
4.	मिन्टो रोड	शून्य	शून्य	शून्य
5.	लोठियां रोड	शून्य	शून्य	शून्य
	यमुनापार			
1.	लक्ष्मीनगर	शून्य	शून्य	शून्य
2.	यमुना विहार	शून्य	शून्य	4093
3.	शाहदरा	शून्य	शून्य	शून्य
4.	मयूर विहार	शून्य	शून्य	शून्य
5.	मयूर विहार (फेज-2)	शून्य	शून्य	शून्य
6.	कड़ कड़ डूमा	शून्य	शून्य	शून्य
	दक्षिण-I			
1.	चाणक्यपुरी	539	61	6636
2.	हौज खास	462	67	3186

1	2	3	4	5
3.	वसंत कुंज	664	64	5548
4.	हत्तर पुर	शून्य	शून्य	1747
दक्षिण-II				
1.	नेहरू प्लेस	944	113	22511
2.	ओखला	शून्य	शून्य	2956
3.	तेखण्ड	शून्य	शून्य	शून्य
4.	तुगलकाबाद	शून्य	शून्य	शून्य
5.	सरिता विहार	शून्य	शून्य	शून्य
उत्तर				
1.	अलीपुर	शून्य	शून्य	665
2.	बादली	शून्य	शून्य	3768
3.	शक्ति नगर	शून्य	शून्य	6109
4.	नरेला	शून्य	शून्य	1277
5.	केशवपुरम	शून्य	शून्य	1041
6.	रोहिणी दक्षिण	शून्य	शून्य	2057
7.	रोहिणी उत्तर	170	61	15173
8.	दिल्ली विश्वविद्यालय	शून्य	शून्य	शून्य
पश्चिम-I				
1.	जनकपुरी	शून्य	शून्य	6911
2.	दिल्ली कैंट	शून्य	शून्य	शून्य
3.	करोल बाग	शून्य	शून्य	शून्य
4.	नजफगढ़	शून्य	शून्य	2853
5.	शादी पुर	शून्य	शून्य	शून्य
6.	पालम	शून्य	शून्य	शून्य
7.	इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा	शून्य	शून्य	शून्य

1	2	3	4	5
8.	समालखा	शून्य	शून्य	188
पश्चिम-II				
1.	नांगलोई	शून्य	शून्य	शून्य
2.	राजौरी गार्डन	शून्य	शून्य	11828
3.	पश्चिम विहार	शून्य	शून्य	519
4.	हरि नगर	शून्य	शून्य	शून्य

अन्य पिछड़े वर्ग

622. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अधिसूचित की गयी अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में किन-किन जातियों को शामिल किया गया है;

(ख) विभिन्न राज्यों में अन्य पिछड़े वर्गों की सूची में अब तक किन-किन जातियों को शामिल किया जा चुका है;

(ग) अन्य पिछड़े वर्गों की ऐसी कौन-कौन सी जातियां हैं जिनके नाम किसी राज्य विशेष के लिए केन्द्रीय सूची में शामिल हैं किन्तु उस राज्य की सूची में नही हैं अथवा राज्य सूची में तो शामिल हैं किन्तु केन्द्र की सूची में शामिल नहीं है तथा इस प्रकार की विसंगति के क्या कारण हैं;

(घ) देश की जनसंख्या में अन्य पिछड़े वर्गों की जनसंख्या का अनुपात क्या हैं; और

(ङ) केन्द्रीय सूची और राज्यों की सूची में शामिल राज्यों के अन्य पिछड़े वर्गों का राज्यों की जनसंख्या में राज्य वार अनुपात क्या है ?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वी. तंगकाबालू) : (क) अभी तक 25 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में अन्य पिछड़े वर्गों की सूची इस प्रकार अधिसूचित की गई है :-

I. निम्नलिखित राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में राजपत्र अधिसूचना संख्या 186 भाग - 1, खंड 1, दिनांक 10.9.93 : आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश।

II. निम्नलिखित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में राजपत्र

अधिसूचना संख्या 163 भाग 1 खण्ड 1, दिनांक 20.9.94 :

उड़ीसा, राजस्थान, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, दादर व नगर हवेली, दमन व दीव, और पांडिचेरी।

III. निम्नलिखित राज्यों के संबंध में राजपत्र अधिसूचना संख्या 88, भाग 1 खण्ड 1 दिनांक 25-5-95 : जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, सिक्किम और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली।

(ख) प्रत्येक राज्य की अन्य पिछड़ी जातियों की अपनी सूची हैं जो राज्य राजपत्रों में प्रकाशित होती हैं।

(ग) अन्य पिछड़ी जातियों की केन्द्रीय सूची केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रथम चरण यथा अधिसूचित जैसा कि (क) में दिया गया है में वे जातियां और समुदाय शामिल हैं जो मंडल आयोग की सूची और राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों दोनों की अन्य पिछड़ी जातियों की सूची में शामिल हैं।

(घ) और (ङ). अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर जातियों और सामाजिक समूहों के 1991 के बाद में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट में अन्य पिछड़ी जातियों की जनसंख्या का अनुमान कुल जनसंख्या का 52 प्रतिशत लगाया है।

कोयला खानें

623. श्री जी. गंगा रेड्डी : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का मध्य प्रदेश में कतिपय कोयला खानों को बंद करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसका कोयले के उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख). कोल इंडिया लि. द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार, मध्य प्रदेश की नार्दर्न कोलफील्ड्स लि. की गोरबी कोयला खान कोयले के भण्डारों के परिसमापन के कारण वर्ष 1996-97 में बंद की जा रही है।

(ग) कोल इंडिया लि० ने यह भी सूचित किया है कि गोरबी खान के बंद किये जाने के परिणामस्वरूप नार्दर्न कोलफील्डस लि. के कोयले के कुल उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, चूंकि नार्दर्न कोलफील्ड्स लि० की अन्य खानों से उत्पादन में वृद्धि हो जायेगी।

गरीबी रेखा

624. श्री प्रकाश बी. पाटील : क्या **योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या जानने के लिए कोई संशोधित मापदण्ड बनाये हैं;

(ख) यदि हां, तो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का निर्धारण करने के लिए वर्तमान आय सीमा क्या निर्धारित की गई है; और

(ग) गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों की राज्य-वार संख्या क्या है और यह आंकड़े 1979-80 और 1989-90 की तुलना में किस प्रकार हैं ?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) और (ख). योजना आयोग द्वारा 1979 में न्यूनतम आवश्यकताओं और प्रभावी उपभोग मांग के संरक्षण के संबंध में गठित कृतिक बल द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 49.09 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह और शहरी क्षेत्रों के लिए 56.64 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह की गरीबी की रेखा की सिफारिश की गई थी। इसका उपयोग भारत में गरीबों की संख्या और अनुपात का अनुमान लगाने के लिए मापदण्ड के रूप में किया गया है और जिसे बदला नहीं गया है। गरीबी रेखा के आस-पास के लोगों के निर्वाह व्यय को प्रभावित करने वाली कीमतों में परिवर्तन के लिए गरीबी रेखा अद्यतन की जाती है। नवीनतम वर्ष 1987-88 के लिए अद्यतन की गई गरीबी रेखा जिसके लिए राज्य-वार अनुमान उपलब्ध है, इस प्रकार है :

ग्रामीण : 132.0 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह

शहरी : 152.3 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह

(ग) उपलब्ध नवीनतम अनुमानें के अनुसार 1977-78 और 1987-88 के लिए गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों का राज्य-वार विवरण संलग्न है। ये अनुमान वर्ष 1979-80 और 1989-90 के लिए उपलब्ध नहीं हैं।

विवरण

गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों का राज्यवार ब्यौरा

अधिकारिक तौर पर जारी अनुमान

क्र सं	राज्य	अवधि	
		1977-78	1987-88
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	217.4	195.7

1	2	3	4
2.	असम	84.4	52.9
3.	बिहार	364.2	336.4
4.	गुजरात	122.1	73.3
5.	हरियाणा	29.9	18.2
6.	हिमाचल प्रदेश	10.7	4.5
7.	जम्मू व कश्मीर	18.4	9.8
8.	कर्नाटक	173.5	136.5
9.	केरल	117.1	49.0
10.	मध्य प्रदेश	285.8	224.9
11.	महाराष्ट्र	296.2	214.1
12.	उड़ीसा	162.7	135.1
13.	पंजाब	25.5	13.9
14.	राजस्थान	103.5	99.5
15.	तमिलनाडु	244.4	176.9
16.	उत्तर प्रदेश	506.0	448.3
17.	पश्चिम बंगाल	265.5	173.5
18.	छोटे राज्य और संघ राज्य क्षेत्र	40.7	14.2
	अखिल भारत	3068.0	2376.7

केरल में टेलीफोन एक्सचेंजों के लिए भवनों का निर्माण

625. श्री थाइल जॉन अंजलोज : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केरल में विशेष रूप से अलेप्पी जिलें में टेलीफोन के लिए नए भवनों का निर्माण करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन भवनों का निर्माण किस-किस स्थान पर किया जाएगा ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी हां।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण I और II में दिये गये हैं।

विवरण-I

वर्ष 1996-97 के दौरान विभागीय भूमि पर निम्नलिखित टेलिफोन एक्सचेंज भवन बनाने के प्रस्ताव है

क्र सं	एक्सचेंज का नाम	गौण स्विचन क्षेत्र
1	2	3
1.	किलीमानूर	त्रिवेन्द्रम
2.	कुलाथुपुझा	क्विलन
3.	अयूर	-वही-
4.	पूयापाली	-वही-
5.	कोट्टाराक्का	-वही-
6.	छायानूर	-वही-
7.	पारिपाली	-वही-
8.	कुन्नीकोडे	-वही-
9.	पारापूर	-वही-
10.	ओचिरा	-वही-
11.	पुथुर	-वही-
12.	वेट्टीकावाला	-वही-
13.	अयारकुन्नं	कोट्टायम
14.	इत्तुमानूर	-वही-
15.	वाझुर	-वही-
16.	इरातुपेट्टा	-वही-
17.	इटायुआ	आल्लीपे
18.	नूरानाडु	-वही-
19.	भारनानगाम	कोट्टायम
20.	पूवारनी	-वही-
21.	कोल्लपापाली	-वही-
22.	पेनगालाम	-वही-
23.	किदागान्नूर	-वही-

1	2	3
24.	मनीमाला	-वही-
25.	नजीझूर	-वही-
26.	वाकाथानाम	-वही-
27.	कुवापादी	इरनाकुलम
28.	कल्लार	-वही-
29.	कादादूर	-वही-
30.	अरिकुझा	-वही-
31.	कोडेन्थेरी	कलिकर
32.	पोनमेरी	कलिकट
33.	केनीथिरा	-वही-
34.	चोम्बाला	-वही-
35.	वल्लुवम्बरम	-वही-
36.	वेन्गारा	-वही-
37.	पान्नीआनकोरा	-वही-
38.	नादुवान्नूर	-वही-
39.	चन्गारान्कुलम	-वही-
40.	इलायुर	-वही-
41.	पोदिक्कद	-वही-
42.	कालिकुक	-वही-
43.	कोझेन्चेरी	पाथानामथिट्टा
44.	कादम्बरनन्द	-वही-
45.	इलानथूर	-वही-
46.	रान्नी	-वही-
47.	पारली	पालघाट
48.	श्रीकृश्णपुरम	-वही-
49.	कोल्लेमगोड	-वही-
50.	कून्नूसेरी	-वही-
51.	मुन्दुर	-वही-
52.	कादम्पाजिपुरम	-वही-
53.	पाथिरीपाला	-वही-
54.	चालीसेटी	-वही-
55.	कावादिकोड	-वही-
56.	थूवाकुन्नू	कन्नूर
57.	चेम्पेरे	-वही-
58.	इरिक्कुर	-वही-
59.	चेरूपुआ	-वही-
60.	पैमालिका	-वही-
61.	पोरदाला	-वही-
62.	माथिल	-वही-
63.	आरालाम	-वही-
64.	मुल्लेरिया	कान्नूर
65.	कुडियानभाला	-वही-
66.	पय्यावूर	-वही-
67.	मुलियार	-वही-
68.	कुट्टिकोले	-वही-

विवरण-II

केरल के अलेप्पी जिले में नए टेलीफोन एक्सचेंज भवन के निर्माण के लिए और प्रस्ताव इस प्रकार हैं

क्र सं	स्टेशन
1	2
1.	काराकड्ड
2.	कुरूवात्ता
3.	थ्रिकुनापुझा
4.	काट्टानाम
5.	पात्तानासाद
6.	वाल्लीकुन्नाम
7.	आरात्तुपुझा
8.	कावालाम

1	2
9.	कैनाकारी
10.	काम्पाकुलम
11.	वेलियानाद
12.	थोट्टापाली

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में संचार प्रणाली

626. डा. सत्यनारायण जटिया : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में कितने लोग टेलीफोन कनेक्शन के लिए प्रतीक्षा सूची में हैं, उनका जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उन्हें टेलीफोन कनेक्शन कब तक दिये जाने की संभावना है; और

(ग) उज्जैन जिले की उन जगहों के नाम क्या हैं जहां बेतार संचार प्रणाली शुरू की गई थी तथा कब से शुरू की गई थी और उन जगहों के नाम क्या हैं जहां अभी भी यह प्रणाली चल रही है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) मध्य प्रदेश में 31.10.95 की स्थिति के अनुसार टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची में 56446 व्यक्ति दर्ज हैं। जिला-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिये गये हैं।

(ख) अधिकांश प्रतीक्षा सूची 31 मार्च 1996 तक निपटा दिये जाने की संभावना है। तथापि राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 1994 में, मध्य प्रदेश सहित संपूर्ण देश में 1997 तक मांग पर टेलीफोन प्रदान करने की परिकल्पना की गई है।

(ग) ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

मध्य प्रदेश में 31.10.95 की स्थिति के अनुसार प्रतीक्षा सूची के जिलावार ब्यौरे

क्रमं	जिला	प्रतीक्षा सूची
1	2	3
1.	बालाघाट	80
2.	बस्तर	443
3.	बेतुल	386
4.	भिण्ड	250
5.	भोपाल	6795
6.	बिलासपुर	3361
7.	छत्तरपुर	667
8.	छिंदवाड़ा	514
9.	दमोह	304
10.	दतिया	730
11.	देवास	1219
12.	धार	316
13.	दुर्ग	6072
14.	गुना	805
15.	ग्वालियर	3740
16.	होशंगाबाद	883
17.	इन्दौर	7783
18.	जबलपुर	3190
19.	झबुआ	0
20.	खाण्डवा	459
21.	खारगोन	339
22.	मण्डला	48
23.	मंदसौर	901
24.	मोरेना	426
25.	नरसिंघपुर	200
26.	पन्ना	175
27.	रायगढ़	328

1	2	3
28.	रायपुर	3819
29.	रायसेन	664
30.	रायगढ़	77
31.	राजनन्द गांव	672
32.	रतलाम	788
33.	रीवां	2111
34.	सागर	800
35.	सरगुजा	777
36.	सतना	1850
37.	सेहोर	324
38.	सिओनी	93
39.	शाहदोल	711
40.	शजापुर	110
41.	शिवपुरी	1040
42.	सिंधी	247
43.	टिकमगढ़	326
44.	उज्जैन	1312
45.	विदिशा	303
	मध्य प्रदेश	56446

विवरण-II

उज्जैन जिले में वेतार प्रणाली (एम ए आर आर) के ब्यौरे

क्र सं	स्थान	चालू करने की तारीख
1.	बादनगर	10.12.92
2.	उज्जैन	10.3.94
3.	घाटिया	16.3.94
4.	नागदा	28.2.92
5.	माकडोन	13.3.94
6.	झारदा	15.3.94
7.	माडिलपुर	24.12.92
8.	तराना	4.1.93
9.	खेड़ाखजूरिया	11.3.95
10.	डींगरखेड़ा	22.3.95
11.	कानारडी	7.4.95
12.	तिलावड	24.3.95
13.	पानविहार	14.3.95
14.	रामगढ़	15.3.95
15.	जहांगीरपुर	27.3.95
16.	खारसोद खुर्द	28.3.95
17.	पिपलया राधव	16.3.95
18.	बादकुमेद	20.3.95
95-96 में प्रस्तावित		
1.	अम्बोडिया	
2.	लेकोडा	
3.	दातना - मातना	
4.	द्वारकाधीश	

[अनुवाद]

"एच.पी.सी.एल" एक्जोन संयुक्त उद्यम

627. श्री आर0 सुरेन्द्र रेड्डी : क्या पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी. एल.) ने हाल ही में अमरीका स्थित "एक्जोन" नाम की प्रमुख तेल कंपनी के साथ संयुक्त उद्यम लगाने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके अंतर्गत क्या-क्या कार्य किये जायेंगे;

(ग) क्या एच.पी.सी.एल. तथा "एक्जोन" के बीच किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये हैं;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उक्त संयुक्त उद्यम रसोई गैस कनेक्शन की बढ़ती प्रतीक्षा सूची को कम करने में सहायक होगी; और

(च) यदि हाँ, तो किस हद तक सहायक सिद्ध होगी?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, हाँ।

(ख) प्रस्तावित संयुक्त उद्यम कंपनी एल.पी.जी. के समानांतर विपणन के लिए उपयोग किये जाने हेतु आयात टर्मिनलों, टैंकेज, भराई सयंत्रों, वितरण सुविधाओं आदि जैसी आधारभूत सुविधाओं का अध्ययन और उनका विकास करेगी। संयुक्त उद्यम कंपनी मौजूदा सर्विस स्टेशनों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आधुनिकीकरण करके ऐसे स्तर के नए सर्विस स्टेशनों का निर्माण करके ईंधनों के खुदरा व्यवसाय को विकसित करने की व्यवहार्यता का अध्ययन भी करेगी।

(ग) जी, हाँ।

(घ) समझौता ज्ञापन की मुख्य विशेषताएं नीचे दी गई हैं :

(1) भण्डारण और वितरण सुविधाओं सहित बन्दरगाह स्थानों पर एल.पी.जी. के आयात के लिए आधारभूत सुविधाओं का अध्ययन करना और उनका विकास करना।

(2) जब और जैसे ही भारत सरकार द्वारा अनुमति दी जाए भारत में और पेट्रोलियम उत्पादों का आयात करने, निर्माण करने और/अथवा विपणन करने की व्यवहार्यता का अध्ययन करना।

(3) मैसर्स एक्जोन और एच.पी.सी.एल. प्रत्येक संयुक्त उद्यम कंपनी की संमाशंता (इक्विटी) का 50 प्रतिशत धारण करेंगी।

(4) संयुक्त उद्यम कंपनी की सुविधाएं एच.पी.सी.एल. और ऐसो के स्तर पूरा करने के लिए डिजाइन, निर्मित और प्रचालित की जाएंगी।

(ङ) और (च). जी, हाँ। आशा है कि चालू होने पर प्रस्तावित संयुक्त उद्यम कम्पनी घरेलू एल.पी.जी. कनेक्शनों की बढ़ती प्रतीक्षा सूची को कम करने में सहायता करेगी।

[हिन्दी]

टेलीफोन बिल

628. श्री शिवराज सिंह चौहान : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान अधिक बिल आने के संबंध में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) इस पर की गई कार्यवाही का विस्तृत ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या महाप्रबंधकों ने सभी मामलों में सरकार के निर्देशानुसार उपचारात्मक कार्यवाही की है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान ज्यादा बिल बनाए जाने वाली प्राप्त शिकायतों की संख्या निम्नलिखित है :

वर्ष	शिकायतों की संख्या
1992-93	248241
1993-94	249336
1994-95	204535

(ख) ज्यादा बिल बनाए जाने की (लिपिक संबंधी और तकनीकी सहित) शिकायतों को दी गई क्रियाविधि के अनुसार सभी पहलुओं से सूक्ष्मता से जांच की जाती है। लिपिक संबंधी मामले में बिल को तुरन्त ठीक किया जाता है। अन्य मामलों में, गलतियों के रिकार्ड, एक्सचेंज उपस्कर और बाहरी संयंत्रों की जांच की जाती है। अभिदाताओं के कॉलिंग पैटर्न का सत्यापन भी उनके पूर्व रिकार्ड और निरीक्षण रिपोर्ट के संदर्भ में किया जाता है।

इन सभी पहलुओं पर विचार करने के पश्चात शिकायत पर निर्णय लिया जाता है और उचित पाए जाने पर अभिदाता की यथोचित छूट की अनुमति दी जाती है।

(ग) जी, हाँ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

अनिवासी भारतीयों को नारंगी कार्ड

629. श्री गुरुदास कामत : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अनिवासी भारतीयों को नारंगी कार्ड दिये जाने संबंधी किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ग) क्या एच.पी.सी.एल. तथा "एक्जोन" के बीच किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये हैं;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उक्त संयुक्त उद्यम रसोई गैस कनेक्शन की बढ़ती प्रतीक्षा सूची को कम करने में सहायक होगी; और

(च) यदि हाँ, तो किस हद तक सहायक सिद्ध होगी?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, हाँ।

(ख) प्रस्तावित संयुक्त उद्यम कंपनी एल.पी.जी. के समानांतर विपणन के लिए उपयोग किये जाने हेतु आयात टर्मिनलों, टैंकेज, भराई सयंत्रों, वितरण सुविधाओं आदि जैसी आधारभूत सुविधाओं का अध्ययन और उनका विकास करेगी। संयुक्त उद्यम कंपनी मौजूदा सर्विस स्टेशनों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आधुनिकीकरण करके ऐसे स्तर के नए सर्विस स्टेशनों का निर्माण करके ईंधनों के खुदरा व्यवसाय को विकसित करने की व्यवहार्यता का अध्ययन भी करेगी।

(ग) जी, हाँ।

(घ) समझौता ज्ञापन की मुख्य विशेषताएं नीचे दी गई हैं :

(1) भण्डारण और वितरण सुविधाओं सहित बन्दरगाह स्थानों पर एल.पी.जी. के आयात के लिए आधारभूत सुविधाओं का अध्ययन करना और उनका विकास करना।

(2) जब और जैसे ही भारत सरकार द्वारा अनुमति दी जाए भारत में और पेट्रोलियम उत्पादों का आयात करने, निर्माण करने और/अथवा विपणन करने की व्यवहार्यता का अध्ययन करना।

(3) मैसर्स एक्जोन और एच.पी.सी.एल. प्रत्येक संयुक्त उद्यम कंपनी की संमाशंता (इक्विटी) का 50 प्रतिशत धारण करेंगी।

(4) संयुक्त उद्यम कंपनी की सुविधाएं एच.पी.सी.एल. और ऐसो के स्तर पूरा करने के लिए डिजाइन, निर्मित और प्रचालित की जाएंगी।

(ङ) और (च). जी, हाँ। आशा है कि चालू होने पर प्रस्तावित संयुक्त उद्यम कम्पनी घरेलू एल.पी.जी. कनेक्शनों की बढ़ती प्रतीक्षा सूची को कम करने में सहायता करेगी।

[हिन्दी]

टेलीफोन बिल

628. श्री शिवराज सिंह चौहान : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान अधिक बिल आने के संबंध में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) इस पर की गई कार्यवाही का विस्तृत ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या महाप्रबंधकों ने सभी मामलों में सरकार के निर्देशानुसार उपचारात्मक कार्यवाही की है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान ज्यादा बिल बनाए जाने वाली प्राप्त शिकायतों की संख्या निम्नलिखित है :

वर्ष	शिकायतों की संख्या
1992-93	248241
1993-94	249336
1994-95	204535

(ख) ज्यादा बिल बनाए जाने की (लिपिक संबंधी और तकनीकी सहित) शिकायतों को दी गई क्रियाविधि के अनुसार सभी पहलुओं से सूक्ष्मता से जांच की जाती है। लिपिक संबंधी मामले में बिल को तुरन्त ठीक किया जाता है। अन्य मामलों में, गलतियों के रिकार्ड, एक्सचेंज उपस्कर और बाहरी संयंत्रों की जांच की जाती है। अभिदाताओं के कॉलिंग पैटर्न का सत्यापन भी उनके पूर्व रिकार्ड और निरीक्षण रिपोर्ट के संदर्भ में किया जाता है।

इन सभी पहलुओं पर विचार करने के पश्चात शिकायत पर निर्णय लिया जाता है और उचित पाए जाने पर अभिदाता की यथोचित छूट की अनुमति दी जाती है।

(ग) जी, हाँ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

अनिवासी भारतीयों को नारंगी कार्ड

629. श्री गुरुदास कामत : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अनिवासी भारतीयों को नारंगी कार्ड दिये जाने संबंधी किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो० एम० कामसन) : (क) और (ख). तथ्यों का पता लगाया जा रहा है तथा उन्हें सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में टेलीफोन कनेक्शन

630. श्री राम पूजन पटेल :
श्री सत्यदेव सिंह :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में जिला-वार कितने टेलीफोन कनैक्शन उपलब्ध करवाये गये तथा अभी भी कितने आवेदनकर्त्ता प्रतीक्षा सूची में हैं; और

(ख) प्रतीक्षा सूची को समाप्त करने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए गये अथवा उठाये जाने का प्रस्ताव है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) 31.10.95 की स्थिति के अनुसार प्रदान किए गए टेलीफोन कनेक्शनों की कुल संख्या और प्रतीक्षा सूची में विद्यमान व्यक्तियों की जिलावार सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) वर्ष 1995-96 के लिए 195200 टेलीफोन लाइनें प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, बशर्ते कि उपस्कर तथा अन्य सामग्री संसाधन समय पर उपलब्ध हो जाएं। आशा है कि जो आवेदक अभी प्रतीक्षा सूची में हैं, उनमें से अधिकांश को मार्च 1996 तक टेलीफोन प्रदान कर दिए जाएंगे। तथापि, राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, 1994 में उत्तर प्रदेश सहित संपूर्ण देश में 1997 तक व्यावहारिक रूप से मांग कर टेलीफोन उपलब्ध कराऐ जाने की परिकल्पना की गई है।

विवरण

क्र. सं.	जिला	31.10.95 तक प्रदान किए गए टेलीफोनों की संख्या	अब भी प्रतीक्षा सूची में विद्यमान व्यक्ति
1	2	3	4
1.	आगरा	40992	10138
2.	आजमगढ़	3943	1869
3.	अलीगढ़	14763	6044
4.	अल्मोड़ा	5453	1034
5.	अम्बेडकर नगर	2221	45
6.	इलाहाबाद	30888	5956
7.	बरेली	12639	2296
8.	बिजनौर	6831	1582
9.	बाराबंकी	4132	480
10.	बाँदा	4871	730
11.	बलिया गाजिपुर सहित	5903	1349
12.	देहरादून	21735	10096
13.	फर्रूखाबाद	6020	1576
14.	फैजाबाद	4998	770
15.	गाजियाबाद	96386	15147
16.	महाराजगंज सहित गोरखपुर	15230	3681
17.	बहराइच, बस्ती और सिद्धार्थ नगर सहित गोंडा	11112	1950
18.	हरदोई	2184	375
19.	हमीरपुर	2033	16
20.	इटावा	3908	889
21.	झांसी	10407	6166
22.	जालौन	2752	1131
23.	कानपुर-देहात, उन्नाव सहित कानपुर	80528	10203
24.	ललितपुर	2286	387
25.	लखीमपुर	4217	319
26.	लखनऊ	64098	17730
27.	मथुरा	16829	3188

1	2	3	4
28.	मेरठ	47010	2594
29.	मुरादाबाद	18196	3936
30.	मुजफ्फर नगर	19362	2703
31.	मैनपुरी	4282	433
32.	महोबा	803	62
33.	देवरिया और पड़रौना सहित मऊ	8289	1435
34.	सोनभद्र और जौनपुर सहित मिर्जापुर	9993	2120
35.	नैनीताल	17092	5274
36.	रामपुर	9603	915
37.	श्रीनगर गढ़वाल	10851	891
38.	सहारनपुर	28769	6044
39.	शाहजहाँपुर	4440	शून्य
40.	सीतापुर	4498	158
41.	रायबरेली, फतेहपुर, प्रतापगढ़ सहित सुल्तानपुर	11883	2732
42.	वाराणसी	40909	5602

[अनुवाद]

जलाशय में डूबे कर्मचारी

631. **श्री अमर रायप्रधान** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान ''दि हिंदुस्तान टाइम्स'' समाचार पत्र दिनांक 18 अक्टूबर, 1995 में ''टू.सी.डब्ल्यू.सी. आफिशियल एंमग फाइव ड्रोंड इन रिजरवायर'' नामक शीर्षक से प्रकाशित समाचार की तरफ आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) क्या खामियों का पता लगाने के लिए कोई समिति गठित की गई है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो;

(घ) यदि हाँ, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले;

(ङ) ऐसी खामियों के लिए जिम्मेदार कर्मचारियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है या क्या कार्यवाही करने जा रही है; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : (क) और (ख). जी हाँ। केंद्रीय जल आयोग और राजस्थान राज्य सरकार के सिंचाई विभाग के अधिकारियों का एक दल 16.10.95 को राजस्थान में धौलपुर के निकट परवती बांध के क्षतिग्रस्त भाग के प्रतिप्रवाह मुख्य (अपस्ट्रीम फेस) के निरीक्षण पर थे। निरीक्षण के दौरान राजस्थान सरकार के अन्य अधिकारियों के साथ केंद्रीय जल आयोग के उपनिदेशक श्री अन्नामलाई और अतिरिक्त सहायक निदेशक श्री आर.एस. रंधावा को ले जा रही नौका, बांध के जलाशय में उलट जाने के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गई। राज्य सिंचाई विभाग के तीनों अधिकारियों के साथ-साथ श्री अन्नामलाई और श्री रंधावा की मृत्यु डूब जाने के कारण हुई।

(ग) से (च). राजस्थान सरकार ने मामले की न्यायिक जांच के लिए धौलपुर के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को नियुक्त किया है। जांच का नतीजा और ऐसे मामलों को रोकने के लिए उठाए जाने वाले और एहतियाती उपायों का पता जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के बाद ही चल पाएगा। तथापि, ऐसे ही कार्यों में लगे केंद्रीय जल आयोग के अधिकारियों को अनुदेश दिए गए हैं कि वे ऐसे निरीक्षण करने से पहले उपलब्ध सुरक्षा प्रबंधों की जांच सावधानीपूर्वक कर लें।

[हिन्दी]

भारतीय फर्मों के साथ संयुक्त उद्यम

632. **श्रीमती शीला गौतम** :
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :

क्या पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों की खोज और इनके उत्पादन के लिए भारतीय फर्मों के साथ संयुक्त उद्यमों की स्थापना हेतु अंतर्राष्ट्रीय निविदाएं आमंत्रित की हैं;

(ख) यदि हाँ, तो उन कम्पनियों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने भारतीय फर्मों के साथ मिलकर संयुक्त उद्यमों की स्थापना पर अपनी सहमति व्यक्त की है;

(ग) क्या इस संबंध में तेल और प्राकृतिक गैस निगम की पूरी तरह उपेक्षा की गई है; और

(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) भारत सरकार ने मार्च, 1995 में संयुक्त उद्यम अन्वेषण कार्यक्रम के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किये थे जिसके अन्तर्गत भारतीय तथा विदेशी कंपनियों को 28 ब्लाकों के लिए बोली देने हेतु आमंत्रित किया गया था।

इससे पूर्व भी भारत सरकार ने 1992 तथा 1993 में संयुक्त उद्यम व्यवस्था के तहत भारतीय एवं विदेशी कंपनियों द्वारा विकास के लिए कुल 19 मध्यम आकार के क्षेत्रों का प्रस्ताव किया था।

(ख) कंपनियों का नाम संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) जी, नहीं, संयुक्त उद्यम अन्वेषण कार्यक्रम के मामले में सफल कंपनी/परिसंघ ओ.एन.जी.सी./ओ.आई.एल. के साथ अनिगमित संयुक्त उद्यम बनाएंगे जिसमें ओ.एन.जी.सी.ओ.आई.एल. का भागीदारी अंश 25 से 40 प्रतिशत के बीच होगी। जहां तक मध्यम आकार के क्षेत्रों से संबंधित संविदाओं का संबंध है, ओ.एन.जी.सी. के पास 40 प्रतिशत भागीदारी अंश है।

(घ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

प्रथम प्रस्ताव

मध्य आकार के क्षेत्र

विदेशी कंपनियां

1. वाल्को एनर्जी इंक. अमेरिका।
2. ह्युन्दाई हैवी इंडस्ट्रीज कंपनी लि०, दक्षिण कोरिया।
3. बी.एच.पी. पेट्रोलियम (इंडिया) इंक., आस्ट्रेलिया।
4. आक्सिडेंटस इंटरनेशनल एक्स्प्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कंपनी, अमेरिका
5. पेट्रोनास काटीगली ओवरसीज, मलेशिया।
6. ओलम्पिक आयल एण्ड गैस कारपोरेशन, अमरीका
7. प्रास्सो प्रोडक्शन मैनेजमेंट, इंक, अमेरिका।
8. एनरान एक्स्प्लोरेशन कंपनी, अमेरिका।
9. कमांड पेट्रोलियम एन.एल., आस्ट्रेलिया
10. चीन पेट्रोलियम टैक्टनोलॉजी एंड डेवेलपमेंट कारपोरेशन, चीन
11. वाल्टर इंटरनेशनल, इंक, अमेरिका।
12. नुएवो एनर्जी कंपनी, अमेरिका।
13. मासवैचर इंटरनेशनल, इंक, अमेरिका।
14. इंटरनेशनल पेट्रोलियम कारपोरेशन, वरमुडा
15. कम्पैगने जिओफाइनेंसियरे, फ्रांस
16. ए.एम.ई.सी. प्रासेस एंड एनर्जी इंटरनेशनल लिमिटेड, यू.के.
17. मैककेम्ना इंजीनियरिंग एंड इक्वीपमेंट कंपनी, अमेरिका।
18. अमेरिकन इगल इलेक्ट्रानिक्स सिस्तम्स, अमेरिका।
19. नोवोस्को सर्विस लिमिटेड, कनाडा।
20. जयइश (लंदन) लिमिटेड, यू.के.
21. मेरूबेनी कारपोरेशन, जापान

भारतीय कंपनियां

1. टाटा पेट्रोडायन (प्रा०) लिमिटेड, नई दिल्ली।
2. एस्सार आयल लिमिटेड, बम्बई।
3. हिन्दुस्तान आयल एक्सप्लोरेशन कंपनी लिमिटेड, बड़ौदा।
4. रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बम्बई
5. वीडियोकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, औरंगाबाद, महाराष्ट्र
6. एन्प्रो सर्विसेज इंडिया (प्र०) लिमिटेड, नई दिल्ली
7. बम्बई आफसोर सप्लाईज एंड सर्विसेज लिमिटेड, बम्बई
8. कल्याणी स्टील्स लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र
9. टोरेंट एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, अहमदाबाद
10. गुजरात स्टेट पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड, अहमदाबाद
11. गुजरात पावर कारपोरेशन लिमिटेड, अहमदाबाद
12. सिजकोन कंसल्टेंट्स (प्रा०) लि० अहमदाबाद

13. एलाइड इंजीनियर्स, नई दिल्ली।

द्वितीय आफर

विदेशी कम्पनियां

1. ओमीमेक्स एनर्जी, अमेरिका
2. बेचटेल एनर्जी, अमेरिका
3. नारायण कंसल्टैंट्स, कनाडा
4. क्लाइड एक्स्प्रो पी.एल.सी., यू.के.
5. सैम्सन इंटरनेशनल, अमेरिका
6. कंपैगेने, जिओफाइनेसियरे, फ्रांस
7. चीन पेट्रोलियम टैक्नोलाजी डेवलपमेंट कारपोरेशन लि०, चीन
8. जोशी टैक्नोलाजीज, अमेरिका
9. बी.एन.जी. होलिडंगस, कनाडा
10. रूसपेट्रोल, अमेरिका
11. बेरी क्रीक रिसोर्सेज इंक, कनाडा
12. सान्ता फे एनर्जी, अमेरिका।
13. प्रिमियर आयल, सिंगापुर
14. क्रॉस रोडलैंड पी.एल.सी., यू.के.

भारतीय कम्पनियां

1. गुजरात स्टेट, पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लि०, अहमदाबाद
2. गुजरात फिलामेंट्स लिमिटेड, बड़ौदा
3. मरूडिया केमिकल्स लिमिटेड, अहमदाबाद
4. दिवान चंद राम सरन इंडस्ट्रीज (प्रा०) लि०, बम्बई
5. जिंदल ड्रिलिंग एंड इंडस्ट्रीज लि०, नई दिल्ली
6. एस्सार आयल लिमिटेड, बम्बई
7. रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बम्बई
8. एन्प्रो सर्विसेज इंडिया (प्रा०) लिमिटेड, नई दिल्ली
9. जिओएन्प्रो इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली
10. टाटा पेट्रोडायन (प्रा०) लिमिटेड, नई दिल्ली
11. लार्सन एंड टुब्रो, बंबई
12. हिन्दुस्तान इलेक्ट्रो ग्रेफाइट्स लिमिटेड, नई दिल्ली

संयुक्त उद्यम अन्वेषण कार्यक्रम

विदेशी कम्पनियां

1. टुल्लो आयल पी.एल.सी., आयरलैंड
2. जोशी टैक्नोलाजीज इंक, अमेरिका
3. आकलैंड इंटरनेशनल, अमेरिका
4. पोलिश आयल एण्ड गैस कम्पनी, पोलैंड
5. मिडकान आफशौर इंक, अमेरिका
6. ड्रिलिंग एक्स्प्लोरेशन एण्ड आपरेटिंग कंपनी, अमेरिका।
7. अराकिस एनर्जी कारपोरेशन, कनाडा
8. ग्लोबल आयल एण्ड गैस डेवेलपमेंट कारपोरेशन, कनाडा
9. जेरेज इन्वेस्टमेंट्स, कनाडा
10. नीको रिसोर्सेज, कनाडा

भारतीय कंपनियां

1. असम कंपनी लिमिटेड, कलकत्ता
2. रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बम्बई
3. एस्सार आयल लिमिटेड, बम्बई
4. लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड, बम्बई
5. मेस्को पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली
6. यूरोपियन साफ्टवेयर एलायंस लिमिटेड, कानपुर
7. शिव-वानी ड्रिलिंग कंपनी, नई दिल्ली।
8. एन्प्रो इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली।
9. जिओएन्प्रो पेट्रोलियम लिमिटेड, नई दिल्ली

10. डंकन मैकनेइल पेट्रोलियम लिमिटेड, कलकत्ता

11. गोटेस्मन पेइजर्स (इंडिया), लिमिटेड कलकत्ता।

12. इंटरलिंक पेट्रोलियम, बड़ौदा

[अनुवाद]

तेल निकालने के लिए खुदाई

633. श्री हरिभाल ननजी पटेल : क्या **पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात में तेल के लिए खुदाई की गई है;

(ख) यदि हाँ, तो ऐसे स्थानों का विवरण क्या है; और

(ग) इसके क्या परिणाम निकले ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग). गुजरात राज्य में गत तीन वर्षों (1.4.92 से 31.3.95) के दौरान हाइड्रोकार्बनों के लिए निम्नलिखित क्षेत्रों/फिल्डों में वेधन किया गया था। जोताना, लंघनाज, वेचराजी, लनवा, लिंच, मेवाड़, नंदासन, सोभासन, धिनोज, खंबेल, संथाल, बलोल, ब्रेहमानवादा, चंद्रोरा, मंसा, वरोसन, उनावा, गमीज, कलोल, लिम्बोदरा, जीवनपुरा, मोटेरा, नंदेज, नावागाम, कादी, इन्द्रोरा विरज, अहमदाबाद, हलिया, मिरोली, खेंड़ा, अम्बलियाला, सानंद, वाडु, पालियाड़, वासना, पाद्रा, काठाना, अखोलजुनी, मित्रमपुरा, वासो, वोरसाड़, सिसवा, गंभिरा, गजेरा, अंकलेश्वर, दबका, गंधार, जंबुसर, दहेज, झागाडिया, झेनोर, कीम, कोसाम्बा, मतार, नद, ओलपड़, पखाजान, पालेज, सजोड, शुक्ल तीर्थ, टाकामारा, टंकारी, दियान, लोधिका।

उपर्युक्त क्षेत्रों में गत तीन वर्षों के दौरान किए गए वेधन से गुजरात राज्य में वांछित उत्पादन स्तर को कायम रखने के साथ-साथ 99.94 मि.मी. टन तक आरंभिक तेल भण्डार (तेल एवं गैस के समतुल्य तेल) का ऊर्जन हुआ है।

[हिन्दी]

अनिवासी भारतीयों के लिए कार्यक्रम

634. श्रीमती कुम्भेन्द्र कौर (दीपा) :
श्री मढेश कनोडिया :
श्री बृज भूषण शरण सिंह :

क्या **सूचना तथा प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरदर्शन ने विशेष रूप से अनिवासी भारतीयों के लिए शुरू किये गऐ कार्यक्रमों का प्रसारण बन्द कर दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार उपरोक्त सेवा को पुनः शुरू करने का है; और

(घ) यदि हाँ, तो इसे पुनः कब तक शुरू कर दिया जाएगा ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) से (घ). जी नहीं। दूरदर्शन का अंतर्राष्ट्रीय चैनल दूरदर्शन इंडिया जिसको पहले एशियासैट-। उपग्रह से प्रसारित किया जा रहा था, सितम्बर-अक्टूबर में एक लघु अंतराल के बाद अब भारतीय मानक समय प्रातः 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक (सोमवार से शुक्रवार तक) पी.ए.एस. 4 उपग्रह पर उपलब्ध है।

[अनुवाद]

तेल परियोजनाएं/योजनाएं

635. श्री दिलीपभाई संघाणी : क्या **पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री** तेल परियोजनाओं/योजनाओं के बारे में 8 दिसम्बर, 1994 के अतारांकित प्रश्न संख्या 255 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा अब तक स्वीकृत की गई तेल परियोजनाओं/योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) स्वीकृति के लिए अभी तक लंबित परियोजनाओं/योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं/योजनाओं को कब तक स्वीकृति प्रदान की जाएगी ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) सरकार द्वारा अब तक निम्नोक्त तेल परियोजनाओं/योजनाओं को अनुमोदित किया गया है :

(1) तेल और प्राकृतिक गैस कारपोरशन के बलोल (मुख्य) में इन्सीट् कम्बस्थन में व्यावसायीकरण

(2) तेल और प्राकृतिक गैस कारपोरेशन के संथल चरण-2 के इन्सीट् कम्बस्थन का लागू किया जाना।

(3) पेट्रोलियम उत्पादों की सम्भाल करने के लिए मूलभूत सुविधाएं विकसित करने के लिए गुजरात गैस कंपनी लि० के साथ भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड का संयुक्त उद्यम।

(4) गुजरात में खोजे गए तेल और गैस क्षेत्रों के विकास के लिए प्रथम प्रस्ताव के अंतर्गत निजी कंपनियों के साथ नीचे दिए गए ब्यौरों के अनुसार ठेकों पर हस्ताक्षर किए गए हैं :

कम्पनी का नाम	क्षेत्र
सेलन एक्सप्लोरेशन टेक्नोलोजी लिमिटेड नई दिल्ली।	इन्दौर, चाकरोल, लोहार
लार्सन एण्ड टुब्रो, बम्बई जोशी टेक्नालाजीज, यू.एस.ए.	ढोल्का, वावेल
इंटरलिंक ज्योफिजिका, बड़ौदा	बावला
एच.ओ.ई.सी., बड़ौदा-पेट्रोडायन यू.एस.ए., जी.एस.पी.सी.एल., अहमदाबाद	असजोल

(ख) और (ग). शेष परियोजनाएं अनुमोदन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में हैं। परन्तु इस स्तर पर यह बताना कि कब तक कम से कम समय में ये परियोजनायें/योजनाएं स्वीकृत कर दी जाएंगी संभव नहीं है।

धनराशि का दुरुपयोग

636. श्री धर्मण्णा मॉडय्या सादुल : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विभिन्न कल्याण योजनाओं के अंतर्गत निर्धनों के लिए रखी गई धनराशि का हाल के वर्षों में दुरुपयोग किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई/किए जाने का विचार है ?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.वी. तंग्कावालू) : (क) से (ग). कल्याण मंत्रालय, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों को गरीबों के कल्याण के लिए राज्य सरकारों तथा गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से अनेक योजनाएं/कार्यक्रम चला रहा है। इस मंत्रालय से सहायता अनुदान प्राप्त कर रहे गैर सरकारी संगठनों द्वारा निधियों के दुरुपयोग से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राप्त शिकायतों और उन पर की गई कार्यवाही का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

इस मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रमों विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित कार्यक्रमों के गहराई से मानीटरिंग और विचार विमर्श के बाद यह नोटिस में आया है कि प्रदान की गई धनराशि शीघ्र और उचित रूप से कार्यान्वयन एजेंसियों को नहीं भेजी जा रही हैं और कुछ राज्य सरकारों द्वारा उनका उचित उपयोग भी सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है। उदाहरण के लिए अक्टूबर, 1994 में यह नोटिस में आया कि राजस्थान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास के लिए अभिप्रेत 20 करोड़ रुपये राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड को दे दिए थे। इस निगम द्वारा बिजली बोर्ड को 20 करोड़ रु0 के विपणन की सूचना प्राप्त होने पर राज्य सरकार को 1994-95 के लिए विशेष संघटक योजना हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता बंद कर दी गई और राज्य सरकार को निधियों के उपयोग की स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा गया था। राजस्थान राज्य सरकार ने यह पुष्टि की थी कि राजस्थान अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम ने अप्रैल, 1994 में उक्त राशि राज्य बिजली बोर्ड को दी थी और इस बोर्ड ने यह राशि अक्टूबर 1994 में वापस कर दी थी। राज्य सरकार द्वारा भेजी गई नवीनतम सूचना के अनुसार राजस्थान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा समस्त राशि का उपयोग अनुसूचित जातियों के विकास हेतु उपयोग की गई है।

इसी प्रकार, सरकार के नोटिस में यह आया कि बिहार सरकार ने 1990-91 से 1993-94 की अवधि के दौरान विशेष संघटक योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता की 70.50 करोड़ रुपए की राशि का उपयोग नहीं किया है। 1994-95 से राज्य सरकार को विशेष संघटक योजना हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता बंद कर दी गई है। राज्य सरकार को राज्य सिविल जमा में अप्रयुक्त समस्त राशि को उन कार्यान्वयन एजेंसियों को निर्मुक्त करने के लिए कहा गया था जो अनुसूचित जातियों के लिए विभिन्न कल्याण तथा विकास योजनाएं कार्यान्वित कर रही हैं। राज्य सरकार को यह भी सूचित किया गया था कि जब तक अनुसूचित जातियों के विकास के लिए समस्त राशि का उपयोग नहीं किया जाता तब तक विशेष संघटक योजना हेतु कोई विशेष केन्द्रीय सहायता प्रदान नहीं की जाएगी।

स्काई रेडिया सेवा

637. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या सूचना तथा प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में स्काई रेडियो सेवा आरम्भ की है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना के अन्तर्गत किन-किन क्षेत्रों को लिया गया है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) से (ग). आकाशवाणी के 20 चैनलों की स्काई रेडिया सेवा 1 अप्रैल, 1994 से प्रचलन में है। यह सेवा दूरदर्शन की उपग्रह टेलीविजन सेवा की अतिरिक्त स्पेक्ट्रम क्षमता का उपयोग करती है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान कल्याण मंत्रालय से सहायतानुदान प्राप्त कर रहे गैर सरकारी संगठनों के विरुद्ध निधियों के दुरुपयोग के संबंध में प्राप्त शिकायतों को ब्यौरा और उन पर की गई कार्रवाई

क्र.सं.	संगठन का नाम	वर्ष	राज्य	की गई कार्यवाही
1	2	3	4	5
1.	अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद, नई दिल्ली (शाखा यूनिट बांकुरा, पश्चिम बंगाल)	1993-94	पश्चिम बंगाल	शिकायत की जांच राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग, कलकत्ता के निदेशक द्वारा कराई गई निरीक्षण अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में दुर्विनियोजन के किसी विशेष मामले का उल्लेख नहीं किया था। तथापि, रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया था कि 6,31,170 रु0 की अनुमोदित धनराशि में से स्कूल भवनों के निर्माणार्थ 3,37,623/- रु0 व्यय किए गए मंत्रालय ने निरीक्षण अधिकारी द्वारा अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किए गए मुद्दों पर संगठन से स्पष्टीकरण मांगा। इस पर संगठन ने उत्तर दिया है कि भवन का पूर्णतः निर्माण किया गया है और निधियों का उपयोग किया गया है। मंत्रालय ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, कलकत्ता के निदेशक से संगठन द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण को मद्देनजर रखते हुए नए सिरे से जांच करने का अनुरोध किया है। आगे अनुदानों की निर्मुक्ति नहीं की गई है। बालवाड़ी कार्यकरण संतोषजनक पाया गया और बालवाड़ी से संबंधित अनुदान की निर्मुक्ति की है।
2.	अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद, नई दिल्ली (शाखा यूनिट गुजरात)	1993-94	गुजरात	निरीक्षण रिपोर्ट के सार से उक्त संगठन को अवगत करा दिया गया है और उनसे प्राप्त उत्तर की जांच की गई। संगठन द्वारा दिए गए उत्तर के आधार पर राज्य सरकार ने एक बार फिर निरीक्षण करने और अपनी रिपोर्ट भेजने का अनुरोध किया गया।
3.	ईश्वर शरण आश्रम इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश	1994-95	उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश सरकार से एक जांच करवाने का अनुरोध किया गया है क्योंकि शिकायत का बड़ा भाग राज्य सरकार द्वारा दी गई वित्तीय सहायता से संबंधित है।
4.	सार्वजनिक शिक्षोन्यन संस्थान, हरदोई	1994-95	उत्तर प्रदेश	इस शिकायत की जांच पहले ही भारत सरकार द्वारा की गई है। बाद में शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत वापस ले ली है।
5.	स्वर्गीय तपेश्वर राम कल्याण समिति मऊ, उत्तर प्रदेश	1994-95	उत्तर प्रदेश	इस शिकायत की जांच की जा रही है।
6.	मुक्ति संगम संघ, दिल्ली	1994-95	दिल्ली	संस्थान को प्रशिक्षण को स्टाइपेंड के भुगतान तथा प्रशिक्षण सामग्री में हुई अनियमितताओं को ठीक करने के लिए कहा गया है।
7.	शोषण उन्मूलन परिषद दिल्ली	1994-95	दिल्ली	आरंभिक जाँच से यह शिकायत झूठी पाई गई।

1	2	3	4	5
8.	समाज सेवा संघ, दिल्ली	1994-95	दिल्ली	यह मामला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार को भेजा गया है।
9.	प्रकाशम जिला बालाछीना, वरगावा कालोनी, वरला सेवा संस्थान, प्रकाशन आन्ध्र प्रदेश	1994-95	आन्ध्र प्रदेश	मंत्रालय द्वारा इसकी जांच की गई थी और यह शिकायत झूठी पाई गई है।
10.	पीपल्स आरगनाईजेशन फार वेलफेयर एम्पलायमेंट एंड रूरल डेवेलपमेंट, भुवनेश्वर, उड़ीसा	1994-95	उड़ीसा	इस संस्थान के विरुद्ध आरोपों के संबंध में उड़ीसा के कामाख्या नगर पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता को 468/406/477/34 के अंतर्गत मामला संख्या 20 दिनांक 16.2.95 दायर किया गया है। और उसकी जांच की जा रही है। राज्य सरकार के अनुरोध पर आगामी अनुदान प्रदान नहीं किए गए हैं।

अधिकांश राज्यों की राजधानी के केन्द्रों द्वारा प्रसारित क्षेत्रीय कार्यक्रमों को उपग्रह के जरिए अपलिंक किया जा रहा है जिससे कि उन्हें दूरदर्शन के उपग्रह चैनलों के साथ-साथ पूरे देश में उपलब्ध कराया जा सके। इन चैनलों के कार्यक्रम अब एफ.एम. बैण्ड पर पूरे देश में सुने जा सकते हैं। समग्र देश में उपग्रह टेलीविजन अभिग्रहण हेतु प्रत्यक्ष अभिग्रहण सेट धारी लोगों सहित केबल टेलीविजन आपरेटर लघु गैजिट की सहायता से अपने एफ.एम. रिसीवरों पर इन कार्यक्रमों को ग्रहण कर सकते हैं।

नर्सों द्वारा आंदोलन

638. श्री जार्ज फर्नान्डीज :
श्री सुरेन्द्र पाल पाठक :

क्या **सूचना तथा प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान देश भर में नर्सों द्वारा किए गए आन्दोलन की ओर दिलाया गया है जिसमें उन्होंने चलचित्रों में नर्सों का गलत ढंग से चित्रण का विरोध किया है;

(ख) क्या नर्सों के एसोसिएशन ने इस संबंध में कोई अभ्यावेदन किया है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने इस मामले को निपटाने के लिए क्या कार्यवाही की है?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) से (घ). नर्सों की विभिन्न एसोसिएशनों से इस आशय की शिकायतें प्राप्त हुई थी कि दिल का डाक्टर (हिन्दी) नामक प्रमाणित फिल्म में नर्सों को गलत ढंग से प्रदर्शित किया गया है। चलचित्रिकी अधिनियम, 1952 के संबद्ध उपबंधों के अनुसार सरकार ने फिल्म को पुनः जाँच हेतु केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को लौटा दिया। पुनः जाँच के पश्चात बोर्ड ने आपत्तिजनक दृश्यों को फिल्म में से हटाने के आदेश दे दिए हैं।

[हिन्दी]

पेट्रोल खुदरा बिक्री केन्द्र

639. डा० परशुराम गंगवार :
श्री राम बदन :

क्या **पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1995 के दौरान आज तक आबंटित किए गए पेट्रोल खुदरा बिक्री केन्द्रों तथा रसोई गैस एजेंसियों की राज्य-वार संख्या क्या है;

(ख) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों तथा स्वतंत्रता सेनानियों के लिए क्या कोटा निर्धारित किया गया है; और

(ग) इस संबंध में अपनाये जाने वाले प्राथमिकता संबंधी मानदंड क्या हैं?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग). वर्तमान निति के अनुसार अधिकांश डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों का आबंटन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार विज्ञापन के माध्यम से आवेदन आमंत्रित करके और उम्मीदवारों की उपयुक्तता और क्षमता के आधार पर राज्यवार/क्षेत्रवार तेल चयन बोर्डों द्वारा चयन के माध्यम से किया जाता है। कुछेक डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप सरकार के स्वविवेकाधीन अधिकार के

अंतर्गत अनुकम्पा आधार पर आंवटित की जाती हैं। तो तेल चयन बोर्डों के माध्यम से किए जाने वाले चयनों में निम्नानुसार आरक्षण का प्रावधान किया गया है:-

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	- 25 प्रतिशत
रक्षा	- 7½ प्रतिशत
शारीरिक विकलांग व्यक्ति	- 7½ प्रतिशत
स्वतंत्रता सेनानी	- 3 प्रतिशत
उत्कृष्ट खिलाड़ी	- 2 प्रतिशत
सामान्य	- 55 प्रतिशत

तदनुसार जनवरी-अक्टूबर, 1995 की अवधि के दौरान देश भर में 419 खुदरा बिक्री डीलरशिप और 307 एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिप आवंटित की गईं।

[हिन्दी]

नए दूरदर्शन केन्द्र

640. श्री केशरी लाल : क्या सूचना तथा प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994-95 के दौरान स्थापित किये जाने वाले नए दूरदर्शन केन्द्रों की राज्य-वार संख्या कितनी है; और

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान राज्य-वार किन-किन स्थानों पर नए दूरदर्शन केन्द्र स्थापित किय गये हैं?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) संलग्न विवरण-I में दी गई राज्यवार संख्या के अनुसार 13 कार्यक्रम निर्माण केन्द्रों और भिन्न-भिन्न शक्तियों के 325 ट्रांसमीटरों को 1994-95 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है बशर्ते संसाधन तथा अन्य आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हों।

(ख) 1994-95 के दौरान पूरी की गई परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण - I

1994-95 के दौरान स्थापित किए जाने के लिए प्रस्तावित टी.वी. परियोजनाओं की संख्या

राज्य/संघ शासित प्रदेश	उ.श.ट्रां	अ.श.ट्रां/अ.अ.श.ट्रां.	कार्यक्रम निर्माण केन्द्र
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	2	31	-
अरुणाचल प्रदेश	-	6	1
असम	-	8	-
बिहार	-	13	3
गुजरात	-	18	-
हरियाणा	-	2	-
हिमाचल प्रदेश	1	23	1
जम्मू एवं कश्मीर	1	14	-
कर्नाटक	-	15	1
केरल	1	5	-
मध्य प्रदेश	-	19	1
महाराष्ट्र	-	20	-
मणिपुर	1	2	-
मेघालय	-	1	-
मिजोरम	1	2	1
नागालैण्ड	1	2	-
उड़ीसा	-	32	-
पंजाब	-	-	-
राजस्थान	2	31	-
सिक्किम	1	3	-
तमिलनाडु	1	15	1
त्रिपुरा	-	3	-
उत्तर प्रदेश	1	36	1
पश्चिम बंगाल	-	5	2
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	-	4	1
दिल्ली	-	-	-
चंडीगढ़	-	-	-
दादर एवं नगर हवेली	-	1	-
पांडिचेरी	-	1	-
	13	312	13

विवरण-II

1994-95 के दौरान स्थापित टी.पी. परियोजनाएं

राज्य/संघ शासित प्रदेश	अवस्थिति			
	उ.श.ट्रां.	अ.श.ट्रां.	अ.श.श.ट्रां.	का. नि. के.
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश		अलगद्दा	श्रीसेलम	
		भीमावरम	इच्छापुरम	
		छिन्दूपुर	पेडेरू	
		कावेली		
		कुप्पम		
		मदनापल्लो		
		मेढ़क		
		नरकरनूल		
		निर्मल		
		ईमंगन्नूर		
		विजाग		
		मधिरा		
		मंडासा		
		तन्दूर		
		वानापार्थो		
अरुणाचल प्रदेश		ईटानगर (डी.डी.2)		
असम		बोंगईगांव		
		डाफलोंग		
		नार्थ लखीमपुर		
		गुवाहाटी (डीडी-2)		
बिहार		औरंगाबाद		मुजफ्फरपुर
		गोड्डा		
		गुमला		
		हजारीबाग		
		लोहारदगा		
		नवादा		
		रेक्सोल		
गुजरात	अहमदाबाद (डीडी-2)	गांधीनगर (डीडी-2)		
		धरंगधरा	देवगढ़-बारिया	

1	2	3	4	5
		महुआ		
		मंगरोल (जूना)		
		रापड़		
		पालीताना		
		सेंजेली		
		दाण्डी		
		खम्बात		
हरियाणा		मेहम		
		रेवाड़ी		
हिमाचल प्रदेश	शिमला	शिमाला	आहजू फोर्ट	
		(डीडी-2)		
जम्मू और कश्मीर		रियासी	डावर	
		श्रीनगर	साम्बा	
		(डीडी-2)		
		जम्मू	पूंछ	
		(डीडी-2)		
		श्रीनगर		
		(कश्मीर चैनल)		
कर्नाटक		गंगावती	सकलेशपुर	गुलबर्गा
		मुडिगेरी		
		पावगाड़ा		
		रामदुर्ग		
		बंगलौर (डीडी-2)		
केरल	कालीकट	पुन्नालूर		
	(अंतरिम सेट-अप)	त्रिवेन्द्रम (डीडी-2)		
मध्य प्रदेश	-	अलीराजपुर	परसिया	
		दतिया		
		बीजईपुर		
		लाहर		
		भोपाल (डीडी-2)		
		उज्जैन		
महाराष्ट्र		अकलुज	जुन्नार	
		चिपलुन	करजात	
		डिंगनघाट	चिखलधरा	

1	2	3	4	5
		कंकोली		
		संगमनेर		
		उमेरगा		
		मोर्शी		
		वणी		
उड़ीसा	कटक (डीडी-2)	बुध		
		लुधेरपुंक		
		लोहापाड़ा		
		पालाहारा	पटनागढ़	
		रायरंगपुर	बोनाई	
		रेड्डाखल		
		तलचर		
		पाराद्वीप		
		अधमल्लिक		
		भूबन		
		जी-उदयगिरि		
		भुवनेश्वर (डीडी-2)		
		मल्कानगिरि		
		बाणापुर		
		राजराणापुर		
		बालीगुड़ा		
		नरसिंहपुर		
		खंडपाड़ा		
पंजाब	-	जालधंर (डीडी-2)		
राजस्थान		चिरवा	अमेट	
		बारन	चौमहल्ला	
		बासवा	देवगढ़	
		भाद्रा		
		रतनगढ़		
		रावतसर	खुम्बलगढ़	
		श्रीडुंगरगढ़		
		सुजानगढ़		
		गंगापुर (सवाई)	राजगढ़ (अलवर)	
		नौखा		

1	2	3	4	5
		जयपुर (डीडी-2)		
		कोटा (डीडी-2)		
सिक्किम	गंगटोक	गंगटोक (डीडी-2)		
तमिलनाडु	रामेश्वरम	आरकोट		मद्रास
	(अंतरिम)	राजापलयम		(2 चैनल)
		उदगमंडलम		
		पुड्डुकोट्टई		
उत्तर प्रदेश	मऊ	चम्पावत		
		कोटद्वार		
		मोहम्मदाबाद		
		सिकन्दरपुर		
		एटा		
पश्चिम बंगाल		राणाघाट		
दिल्ली		लोक सभा		
		राज्य सभा		
चंडीगढ़		चंडीगढ़ (डीडी-2)		
पांडिचेरी	-	कराईकल		
लक्षद्वीप	-	कावारती	कावारती (डीडी-2)	

बाढ़ नियंत्रण

641. श्री रामपाल सिंह : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश में बाढ़ नियत्रंण हेतु कोई योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : (क) और (ख). बाढ़ नियंत्रण योजनाओं की योजना बनाने और निष्पादित करने का उत्तरदायित्व मुख्यतः राज्य सरकारों का है। केन्द्र उन कार्यों के लिए सहायता देती है जो तकनीकी और संवर्धन प्रकृति के होते हैं। गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश में बाढ़ लाने वाली सभी नदियों के लिए बाढ़ प्रबंध की विस्तृत योजनाएं तैयार की गई हैं जिनमें अल्पावधिक और दीर्घावधिक उपाय शामिल हैं। इन्हें राज्य सरकार के पास इस अनुरोध के साथ भेजा गया है कि वह विस्तृत भू-सर्वेक्षण और अन्वेषण करने के बाद अलग-अलग योजनाएं करे।

[अनुवाद]

दिल्ली पुलिस द्वारा अभियुक्त करार दिये गए व्यक्ति

642. श्री बृज किशोर त्रिपाठी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष दिल्ली पुलिस द्वारा अपराधों के लिए अभियुक्त-करार दिए गए व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) उक्त वर्षों के दौरान अन्तिम रूप से सिद्ध दोष अभियुक्तों का प्रतिशत कितना है;

(ग) क्या सरकार ने सिद्ध दोष अभियुक्तों की कम दर के बारे में कोई अध्ययन किया है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी निष्कर्ष क्या हैं तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० एम० कामसन) : (क) और

(ख). पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न अपराध शीर्षों के अन्तर्गत गिरफ्तार दोष-सिद्ध व्यक्तियों की कुल संख्या और दोष-सिद्धि का प्रतिशत निम्न प्रकार से है :-

वर्ष	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या	दोषसिद्ध व्यक्तियों की संख्या	दोषसिद्धि का प्रतिशत
1992	53966	13267	24.6 प्रतिशत
1993	55525	13423	23.7 प्रतिशत
1994	56201	10587	18.8 प्रतिशत

(ग) जी हाँ श्रीमान।

(घ) दोष सिद्धि दर कम होने के प्रमुख कारण निम्न प्रकार से हैं :-

(i) तकनीकी राय उपलब्ध न होने के कारण जांच-पड़ताल में विलम्ब।

(ii) न्यायालयों में बड़ी संख्या में पिछले मामले लम्बित होने के कारण उनमें कार्य की अधिकता है, जिसके परिणामस्वरूप विचारण में विलम्ब होता है जिससे चश्मदीद गवाहों के बयानों में गलतियां होती हैं।

जांच-पड़ताल और अभियोजन कार्य की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं :

(i) दिल्ली पुलिस के लिए एक अलग विधि-विज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की गयी है।

(ii) महत्वपूर्ण मामलों में जांच के लिए सहायक तरीके के रूप में सेन्टर फार सेल्यूलर और मोलक्यूलर बायोलोजी, हैदराबाद आदि में डी.एन.ए.-फिंगर प्रिन्टिंग जैसी विकसित वैज्ञानिक तकनीकों का सहारा लिया जाता है।

(iii) न्यायालयों/विशेष न्यायालयों की संख्या बढ़ा दी गयी है।

(iv) सरकारी अभियोजकों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि करने की अनुमति दी गयी है।

जयपुर में टेलीफोन सेवा

643. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के जयपुर शहर में टेलीफोन की निःशुल्क कालों की संख्या बढ़ाए बगैर टेलीफोन का किराया 245 रुपये से बढ़ाकर 360 रुपए करने का क्या औचित्य है;

(ख) टेलीफोन किराया बढ़ाने के परिणामस्वरूप जयपुर शहर में टेलीफोन सेवाओं में क्या सुधार किए गए तथा टेलीफोन उपभोक्ताओं को क्या अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान की गई हैं;

(ग) क्या दूरसंचार विभाग का बढ़ाए गए टेलीफोन किराए को वापस लेने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) टेलीफोन के किराए, टेलीफोन केन्द्र प्रणाली की उपस्कृत क्षमता पर आधृत होते हैं। जयपुर के टेलीफोन किरायों में वृद्धि वहां की एक्सचेंज-प्रणाली की क्षमता में वृद्धि के कारण है। निःशुल्क कालों की संख्या, एक्सचेंज-प्रणाली के आकार को ध्यान में रखे बिना तय की जाती है तथा प्रभारित किरायों से इसका कोई संबंध नहीं होता।

(ख) किराया वृद्धि, एक्सचेंज-प्रणाली की उपस्कृत क्षमता में वृद्धि पर आधारित है, ताकि अधिकाधिक उपभोक्ता इससे लाभान्वित हो सकें।

(ग) जी, नहीं।

(घ) कारण, ऊपर ''क'' में वर्णित है।

हेलीकॉप्टरों की खरीद

644. **श्री शैलेन्द्र महतो** : क्या पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान अनेक तेल कंपनियों ने हेलीकाप्टरों की खरीद की है;

(ख) यदि हाँ, तो उनकी लागत, खरीद की तारीख और जिन कम्पनियों से हेलीकाप्टरों की खरीद की गयी है उनके नाम सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उपर्युक्त हेलीकाप्टरों में से कुछ खराब हो गये हैं;

(घ) यदि हाँ, तो उनकी संख्या कितनी है और उपर्युक्त अवधि के दौरान उनके रख-रखाव और मरम्मत पर कितनी धनराशि खर्च की गयी है; और

(ङ) यह सुनिश्चित करने हेतु कि इन हेलीकाप्टरों का दुरूपयोग न हो, सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ). प्रश्न नहीं उठता।

टेलीफोन कनेक्शन

645. श्री बी. धनजंय कुमारः
श्री वृशिण पटेल :
श्री पंकज चौधरी :
श्री बृज भूषण शरण सिंह :
श्री नवल किशोर राय :
डा० लाल बहादुर रावल :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ी संख्या में उपभोक्ता, विशेषकर देश के ग्रामीण क्षेत्रों में नया टेलीफोन कनैक्शन प्राप्त करने के लिये काफी लंबे समय से प्रतीक्षा सूची में हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) भविष्य में नए टेलीफोन कनेक्शन त्वरित रूप से उपलब्ध करवाने के लिए क्या योजना बनाई गई है तथा कब तक देश में मांग पर टेलीफोन कनैक्शन मिलने आरंभ हो जायेंगे?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख). जी नहीं। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन कनेक्शन वस्तुतः मांग पर दिए जाते है, कुछ ऐसे मामलों को छोड़कर, जहां संसाधनों की कमी के कारण, इसमें विलम्ब हो सकता है।

(ग) राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 1994 में ग्रामीण क्षेत्रों सहित संपूर्ण देश में 1997 तक मांग पर टेलीफोन कनेक्शन देने की परिकल्पना की गई है। इसके लिए मूलभूत सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से निजी क्षेत्र की भागीदारी की अनुमति भी दी जा रही है।

नदियों को जोड़ना

646. श्री एस. बी. थोरात : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में भीमा और सीना नदियों को जोड़ने के लिए केंद्रीय सरकार को कोई परियोजना प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हाँ, तो इस परियोजना की कुल लागत कितनी है;

(ग) इस संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) उक्त परियोजना के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है; और

(ङ) इसमें केंद्रीय सरकार का हिस्सा कितना होगा?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडु) : (क) जी नहीं।

(ख) से (ङ). प्रश्न नहीं उठते।

तेल की खोज के लिए संयुक्त उद्यम

647. डा० वसन्त पवार : क्या **पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल की खोज के लिए निजी क्षेत्र के संयुक्त उद्यमों को प्रोत्साहित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस प्रस्ताव के अधीन चालू योजना के दौरान कितना निवेश अपेक्षित है?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) भारत सरकार ने मार्च, 1995 में तेल एवं गैस के अन्वेषण के लिए संयुक्त उद्यम अन्वेषण कार्यक्रम के अधीन 28 ब्लाक निजी कंपनियों को प्रस्तावित किए हैं।

(ख) इसके मुख्य कारण है :

- विदेशी कंपनियों द्वारा अद्यतन प्रौद्योगिकी जुटाई जाएगी जिसके जरिए प्रौद्योगिकी उन्नयन किया जाएगा।
- देश के हाइड्रोकार्बन के भण्डारों में वृद्धि करने के उद्देश्य से अन्वेषण क्रियाकलापों में निजी क्षेत्र से अतिरिक्त संसाधन जुटाए जाएंगे।

(ग) कुल निवेश हस्ताक्षारित संविदाओं की संख्या तथा इन संविदाओं में प्रत्येक के अंतर्गत वचनबद्ध कार्य की मात्रा पर निर्भर करेगा।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में सेवाओं में आरक्षण

648. श्री राम विलास पासवान : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को मध्य प्रदेश सरकार से राज्य में सरकारी सेवाओं में 69 प्रतिशत आरक्षण के उपाबंध को संविधान की नौवीं अनुसूची में सम्मिलित करने के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या केन्द्रीय सरकार का विचार इस बारे में संविधान संशोधन विधेयक लाने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कल्याण राज्य मंत्री (श्री. के. वी. तन्कावालू) : (क) मध्य प्रदेश राज्य सरकार से एक प्रस्ताव 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण प्रदान करने के लिए प्राप्त हुआ है।

(ख) और (ग). मामले की जांच की गई है तथा मध्य प्रदेश सरकार से आगे स्पष्टीकरण मांगा गया है जो कि अभी प्रतीक्षाधीन है।

[अनुवाद]

पेट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल की आपूर्ति

649. डा0 अमृत लाल कालिदास पटेल : **क्या पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान पेट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल की राज्यवार मांग और आपूर्ति कितनी थी;

(ख) इस समय उपर्युक्त वस्तुओं की कितनी मात्रा की राज्यवार आपूर्ति की जा रही है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को उपर्युक्त वस्तुओं के कोटे में वृद्धि हेतु राज्य सरकारों से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) वर्ष 1992-93, 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान पेट्रोल, डीजल तथा केरोसीन की राज्यवार खपत संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) अप्रैल-अक्टूबर, 1995 अवधि के दौरान राज्यों में खपत हुई उपर्युक्त मदों की मात्रा, संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ग) से (घ). पेट्रोल तथा डीजल निर्धारित मात्रा में आंवटित किये जाने वाला उत्पाद नहीं है तथा उनकी मांग संपूर्ण देश में पूर्णतया पूरी की जाती है। केरोसीन निर्धारित मात्रा में आवंटित किया जाने वाला उत्पाद है। केरोसीन के अतिरिक्त आंवटन के संबंध में राज्य सरकारों से समय समय पर अनुरोध प्राप्त होते हैं। तथापि उत्पाद उपलब्धता, विदेशी मुद्रा तथा निहित भारी राज सहायता संबंधी कठिनाइयों के कारण राज्यों की संपूर्ण मांग को पूरा करना संभव नहीं है। तथापि, पिछले वर्षों की तुलना में वर्ष 1993-94, 1994-95 तथा 1995-96 के दौरान समग्रतः देश के लिए केरोसीन के आंवटनों में 3 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।

विवरण-I

1992-93, 1993-94 तथा 1994-95 के संबंध में पेट्रोलियम उत्पादों की राज्यवार खपत

आंकड़े हजार मी.ट. में

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1992-93			1993-94			1994-95		
	एमएस	एसकेओ	एचएसडी	एमएस	एसकेओ	एचएमडी	एसएसडी	एसकेओ	एचएसडी (अनंतिम)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
जम्मू और कश्मीर	36	96	167	46	104	184	43	108	202
पंजाब	219	328	1315	247	327	1442	287	341	1605
राजस्थान	136	268	1487	146	286	1640	167	306	1796
उत्तर प्रदेश	340	928	3187	360	976	3363	367	1022	3615
हरियाणा	116	153	945	123	157	1077	134	160	1214
हिमाचल प्रदेश	23	37	122	25	38	136	24	36	144
चंडीगढ़	33	21	140	37	22	45	38	20	51
दिल्ली	363	237	810	375	238	840	400	240	929

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
असम	53	253	337	51	255	346	53	260	359
मणिपुर	9	21	23	9	22	21	9	22	23
मेघालय	15	16	75	16	17	73	16	16	79
नागालैंड	11	11	22	10	11	23	11	11	25
त्रिपुरा	6	22	31	5	21	29	6	22	32
अरुणाचल प्रदेश	10	13	43	12	13	51	14	13	52
मिजोरम	5	7	15	6	7	15	5	7	17
बिहार	134	472	1376	136	511	1329	144	559	1458
उड़ीसा	56	157	504	59	175	534	63	205	573
पश्चिम बंगाल	142	750	1424	144	762	1404	150	782	1507
सिक्किम	3	6	6	3	6	6	3	6	7
अंडमान और निकोबार	2	4	37	2	4	43	2	5	40
गोआ	25	27	126	27	27	141	28	29	167
गुजरात	278	783	1570	310	790	1772	327	886	1920
मध्य प्रदेश	164	377	1386	174	405	1487	187	441	1649
महाराष्ट्र	555	1503	2789	582	1523	2970	629	1518	3227
दादर और नगर हवेली	2	4	13	2	3	17	3	3	25
दमन और दीव	2	5	5	2	5	5	2	4	7
आंध्र प्रदेश	225	582	2106	242	591	2191	270	598	2422
केरल	144	266	803	157	270	960	174	273	1054
तमिलनाडु	244	662	2144	262	666	2233	291	671	2445
कर्नाटक	232	452	1275	252	452	1368	275	459	1518
लक्षद्वीप	-	0.3	4	-	0.3	3	-	0.4	0.1
पांडिचेरी	9	14	95	9	15	98	10	15	88

विवरण - II

अप्रैल-अक्टूबर, 1995-96 के दौरान एम.एस., एस.के.ओ. तथा एच.एस.डी. की राज्यवार खपत (अनंतिम)

आंकड़े हजार मी. टन में

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एमएस	एसकेओ	एचएसडी
1	2	3	4
जम्मू और कश्मीर	31	79	123
पंजाब	176	191	1028
राजस्थान	104	181	1179
उत्तर प्रदेश	231	619	2082
हरियाणा	83	95	739
हिमाचल प्रदेश	17	25	99
चंडीगढ़	24	11	29
दिल्ली	252	141	655
असम	30	152	195
मणिपुर	5	13	13
मेघालय	10	9	43
नागालैंड	6	7	15
त्रिपुरा	3	14	18
अरुणाचल प्रदेश	9	7	31
मिजोरम	4	4	11
बिहार	91	354	877
उड़ीसा	41	123	347
पश्चिम बंगाल	90	446	864
सिक्किम	3	7	4
अंडमान और निकोबार	1	3	25
गोआ	17	16	89
गुजरात	225	469	1249
मध्य प्रदेश	123	276	1023
महाराष्ट्र	403	883	218
दादर और नागर हवेली	2	2	17
दमन और द्वीप	1	2	5
आंध्र प्रदेश	174	353	1582
केरल	115	163	647
तमिलनाडु	192	394	1587
कर्नाटक	179	278	942
लक्षद्वीप	-	-	-
पांडिचेरी	7	8	54

इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड

650. श्री इन्द्रजीत गुप्त: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दूरसंचार विभाग, महानगर टेलीफोन और अन्य ऐसी ही सरकारी एजेंसियों द्वारा भारतीय टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड को आर्डर न देने के कारण हुई दशा की ओर गया है;

(ख) यदि हाँ, तो पिछले दो वर्षों में इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड की विभिन्न इकाइयों की उत्पादन क्षमता और वास्तविक उत्पादन का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन इकाइयों की अधिष्ठापित क्षमता का भरपूर सदुपयोग करने के लिए आर्डर दिये जाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम): (क) जी हाँ।

तथापि, आई.टी.आई. को, मुख्यतः मौजूदा प्रतियोगी माहौल के कारण इस संबंध में कठिनाई हो रही है और फलतः दूरसंचार-उपस्करों के मूल्य कम हो गए हैं।

(ख) उत्पादन-क्षमता, तैयार उत्पादों के रूप में निर्धारित होती हैं, किंतु दूरसंचार-क्षेत्र में उत्पाद में परिवर्तन मिश्रित, प्रौद्योगिकी, समेकन-स्तर, उत्पाद की कार्य अवधि की विभिन्न अवस्थाएं आदि किसी इकाई की क्षमता को उल्लेखनीय रूप से प्रभावित करती हैं। अतः कंपनी के विभिन्न उत्पादों के लिए विभिन्न इकाइयों की ठीक-ठीक उत्पादन-क्षमता का आकलन करना कठिन है। गत दो वर्षों के दौरान वास्तविक उत्पादन के इकाई-वार वार्षिक विवरण इस प्रकार हैं:-

इकाई	लक्ष्य (1993-94) (करोड़ रुपयों में)	वास्तविक (1993-94) (करोड़ रुपयों में)	लक्ष्य (1994-95) (करोड़ रुपयों में)	वास्तविक (1994-95) (करोड़ रुपयों में)
1	2	3	4	5
बंगलौर इलैक्ट्रानिक	467	352	491.00	227.42

1	2	3	4	5
नगर इकाई	182	173	140.00	98.44
नैनी	218	284	200.00	133.46
राय बरेली	180	130	164.00	87.35
मनकापुर	318	390	363.00	296.31
पालकड	146	160	175.00	115.22
श्रीनगर	1	1	1.00	1.26
आई एंड एम तथा अन्य	8	30	86.00	26.10
जोड़	1520	1520	1620	985.56

(ग) प्रतियोगी माहौल में प्रर्याप्त आदेश प्राप्त कर उनका समुचित निष्पादन, आई.टी.आई. प्रबंधक-मण्डल का दायित्व है।

तथापि, इसके अपने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अर्थात् आई. टी.आई. तथा हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लि० की क्षमता का अधिकाधिक उपयोग करने के उद्देश्य से तथा इन उपक्रमों को वाणिज्यिक रूप से भी व्यवहार्य बनाए रखने के लिए दूरसंचार विभाग ऐसी नीति अपना रहा है, जिसके तहत, दूरसंचार विभाग के 30-35 प्रतिशत आदेश इन कंपनियों द्वारा विनिर्मित मदों के लिए सुरक्षित रखे जाएंगे।

साथ ही, सरकार ने आई.टी.आई. को यह सलाह भी दी है कि वह जरूरत पड़ने पर, अपने उत्पादों तथा ग्राहकों में, विविधता पैदा करे चाहे विदेशी सहयोगों या संयुक्त उद्यम की कंपनियों के माध्यम से ही क्यों न हों। सरकार सदा ही ऐसे अभियानों की सम्यक रूप से सहायता करती है, जिनसे आई.टी.आई. लि० सहित इसके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का समग्र काया-कल्प तथा उत्पादन में सुधार संभव हो सके।

रसोई गैस की खपत

651. डा० खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी : क्या पैट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय रसोई गैस की राज्यवार कितनी खपत है;

(ख) इस समय रसोई गैस एजेंसियों की राज्यवार संख्या क्या है;

(ग) गत दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान रसोई गैस की खपत एवं उत्पादन का ब्यौरा क्या है; और

(घ) खपत तथा उत्पादन के बीच के लिए अंतर को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख). विवरण संलग्न है।

(ग) विगत प्रत्येक दो वर्षों (1993-94 तथा 1994-95) के दौरान एल.पी.जी. की खपत और उत्पादन के ब्यौरे निम्नवत् हैं :

(आंकड़े हजार मी.टन में)

वर्ष	एल.पी.जी. उत्पादन	एल.पी.जी. खपत
1993-94	2699	3113
1994-95 (अनंतिम)	2858	3434

(घ) विद्यमान उत्पादन स्रोतों की क्षमता बढ़ाकर, नई परियोजनाएं स्थापित कर तथा आयातों के माध्यम से आपूर्ति बढ़ाकर एल.पी.जी. की उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए योजनाएं तैयार की गई हैं। फरवरी, 1993 में सरकार ने निजी एजेंसियों द्वारा एल.पी.जी. के आयात तथा बिक्री किये जाने के संबंध में अनुमति देने का भी निर्णय ले लिया है।

विवरण

एल.पी.जी. खपत - 1994-95

आंकड़े मी.टन में

राज्य	पैक्ड	थोक	योग	1 अक्टूबर 1995 की स्थिति में वितरकों की संख्या
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	243880	10138	254018	420
अरुणाचल प्रदेश	2931	12	2943	15
असम	50195	538	50733	128
बिहार	98787	650	99437	181
गोआ	16762	62	16824	30
गुजरात	252459	36826	289285	329
हरियाणा	100536	4894	105430	158
हिमाचल प्रदेश	21328	0	21382	62

(ख) सिनेमा पोस्टरों का प्रदर्शन राज्य का विषय है। इसलिए अश्लीलता के बारे में देश के सामान्य कानून विशेष रूप से भारतीय दंड संहिता की धारा 292 के अंतर्गत कार्यवाही राज्य सरकारों के स्थानीय अधिकारियों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों द्वारा की जानी है। तथापि, फिल्म उद्योग ने स्वैच्छिक रूप से प्रचार जांच समितियां गठित की हैं तथा ये समितियां अनापत्ति प्रमाणपत्र देने से पूर्व पोस्टरों की जांच करती हैं।

[हिन्दी]

दूरदर्शन रिले केन्द्रों की स्थापना

654. श्री रामेश्वर पाटीदार :
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :

क्या सूचना तथा प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू योजनाधधि के दौरान 10 किलोवाट की क्षमता वाले दूरदर्शन रिले केन्द्रों की स्थापना राज्यवार किन-किन स्थानों पर किये जाने का विचार है;

(ख) इन केन्द्रों की स्थापना हेतु शुरू किए गए निर्माण कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) इन के पूरा हो जाने पर प्रत्येक राज्य की जनसंख्या के कितने प्रतिशत भाग द्वारा दूरदर्शन प्रसारण देखे जा सकेंगे ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) और (ख). संसाधनों एंव अन्य आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए चालू योजना के दौरान राज्यवार स्थान जहाँ पर 10 कि.वा. ट्रांसमीटरों सहित उच्च शक्ति टी.वी. ट्रांसमीटर स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है, वह संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं। चूंकि इस प्रकृति की स्कीम को कार्यान्वित करने में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन, स्थल की प्राप्ति, एस.ए.सी.एफ.ए. अनापत्ति प्रमाणपत्र, भवन और टावर का निर्माण तथा उपकरण आदि की प्राप्ति आदि जैसे विभिन्न कार्यकलाप शामिल होते हैं इसलिए इन स्कीमों का कार्यान्वयन विभिन्न स्तरों पर किया जा रहा है।

(ग) चालू योजना के दौरान वर्तमान में कार्यान्वयनाधीन/स्थापित किए जाने हेतु परिकल्पित उच्च शक्ति ट्रांसमीटरों सहित सभी ट्रांसमीटर परियोजाओं के पूरा होने पर दूरदर्शन ट्रांसमिशन द्वारा कवर की जाने वाली संभावित जनसंख्या की राज्यवार, प्रतिशतता विवरण-II में दी गई है।

विवरण-I

देश में राज्यवार ऐसे स्थान, जहां चालू योजना के दौरान उच्च शक्ति टी.वी. ट्रांसमीटर स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है

राज्य/संघशासित प्रदेश	स्थान	शक्ति/क्षमता
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश	कुरनूल	10 कि.वा.
	नांदयाल	5 कि.वा. यूएचएफ
	राजामुंद्री	10 कि.वा.
	हैदराबाद (डीडी-II)	1 कि.वा.
	वारंगल	10 कि.वा.
	ओंगोल	10 कि.वा.
असम	जोरहाट	10 कि.वा.
	बोंगाईगांव/कोकराझार	10 कि.वा.
	तेजपुर	1 कि.वा
बिहार	मोतिहारी	10 कि.वा.
	जमशेदपुर	1 कि.वा.
	देवघर	10 कि.वा.
गुजरात	भुज (पीएमटी)	10 कि.वा.
	पालिताना	10 कि.वा.
	सूरत	10 कि.वा.
	वडोदरा	10 कि.वा.
	राधनपुर	10 कि.वा.
	जूनागढ़	10 कि.वा.
हरियाणा	हिसार	10 कि.वा.

1	2	3
हिमाचल प्रदेश	धर्मशाला	10 कि.वा.
जम्मू और कश्मीर	नौशेरा	30 कि.वा. यूएचएफ
	कठुआ	5 कि.वा. यूएचएफ
कर्नाटक	गुलबर्गा*	10 कि.वा.
	मंगलोर	10 कि.वा.
	मैसूर	10 कि.वा.
	रायचूर	10 कि.वा.
	हासन	1 कि.वा
	बंगलौर (डीडी-2)	1 कि.वा.
केरल	कालीकट*	10 कि.वा.
	कन्नानूर	10 कि.वा.
मध्य प्रदेश	अम्बिकापुर	10 कि.वा.
	गुना	10 कि.वा.
	शहडोल	1 कि.वा.
	सागर	10 कि.वा.
महाराष्ट्र	चन्द्रपुर	10 कि.वा.
	जलगांव	10 कि.वा.
	मछिपतगढ़	5 कि.वा.
मणिपुर	चुराचांदपुर	1 कि.वा.
नागालैंड	मोकोकंचुग	1 कि.वा.
उड़ीसा	बालेश्वर	10 कि.वा.
	बरहामपुर	10 कि.वा.
	सम्बलपुर*	10 कि.वा.
पंजाब	फाजिल्का	1 कि.वा.
राजस्थान	अजमेर	10 कि.वा.
	अनूपगढ़	10 कि.वा.
	बाड़मेर (पीएमटी)	10 कि.वा.
	बीकानेर	10 कि.वा.
	जैसलमेर	10 कि.वा.
	जोधपुर	10 कि.वा.
	नाथद्वारा	10 कि.वा.
तमिलनाडु	धर्मापुरी	10 कि.वा.
	कुंभकोणम	10 कि.वा.
	रामेश्वरम	10 कि.वा.
	तिरूनेलवेली	10 कि.वा.
उत्तर प्रदेश	बांदा	1 कि.वा.
	लखीमपुर	10 कि.वा.
	सीतापुर	10 कि.वा.
	जालौन	10 कि.वा.
पश्चिम बंगाल	बलुरघाट	10 कि.वा.
	खड़गपुर	10 कि.वा.
	कृष्णानगर	10 कि.वा.
पांडिचेरी	पांडिचेरी	10 कि.वा.

* विद्यमान 1 कि.वा. उच्च शक्ति ट्रांसमीटर से उन्नयन

विवरण-II

चालू योजना के दौरान कार्यान्वयनाधीन अथवा स्थापना के लिए प्रस्तावित परियोजनाओं के पूरा होने पर राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में उपलब्ध होने वाला संभावित टी.वी. कवरेज (जनसंख्यावार)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	टीवी सेवा द्वारा कवर किए जाने हेत विस्तृत जनसंख्या प्रतिशत
1	2	3
01.	आंध्र प्रदेश	94.3

1	2	3
02.	अरुणाचल प्रदेश	53.0
03.	असम	88.1
04.	बिहार	96.4
05.	दिल्ली	100.0
06.	गोवा	100.0
07.	गुजरात	96.4
08.	हरियाणा	100.0
09.	हिमाचल प्रदेश	71.8
10.	जम्मू और कश्मीर	92.3
11.	कर्नाटक	82.1
12.	केरल	99.7
13.	मध्य प्रदेश	80.9
14.	महाराष्ट्र	90.2
15.	मणिपुर	81.2
16.	मेघालय	97.2
17.	मिजोरम	72.6
18.	नागालैण्ड	69.6
19.	उड़ीसा	89.0
20.	पंजाब	100.0
21.	राजस्थान	83.7
22.	सिक्किम	95.0
23.	तमिलनाडु	96.1
24.	त्रिपुरा	93.5
25.	उत्तर प्रदेश	95.0
26.	पश्चिम बंगाल	99.9
27.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	99.5
28.	चंडीगढ़	100.0
29.	दादरा और नगर हवेली	65.0
30.	दमन और दीप	100.0
31.	लक्ष्यद्वीप समूह	99.0
32.	पांडिचेरी	100.0
	राष्ट्रीय औसत :	92.8

[हिन्दी]

दिल्ली में अपराध

655. श्री बी.एल. शर्मा प्रेम :
श्री मनोरंजन भक्त :
कुमारी सुशीला तिरिया :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में जनवरी, 1995 के बाद से अपराध की दर बढ़ रही है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) हत्या, हत्या का प्रयास करने, अपहरण और चोरी के मामलों की वर्ष 1995 के दौरान अब तक की संख्या क्या है तथा गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष अपराधों में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई; और

(घ) अपराधों की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० एम० कामसन) : (क) वर्ष 1994 की प्रथम तीन तिमाहियों और वर्ष 1995 (30 सितम्बर तक) के दौरान दिल्ली में सूचित हुए अपराध के तुलनात्मक आंकड़े निम्न प्रकार हैं :-

तिमाही	1994	1995
जनवरी-मार्च	8822	9870
अप्रैल-जून	9057	12165
जुलाई-सितम्बर	9999	12636

(ख) अपराध की बढ़ती हुई घटनाओं के लिए जिम्मेदार मुख्य कारण है : राजधानी को हर रोज आने-जाने वाली जनता की संख्या में तेजी से वृद्धि होना, दिल्ली के बाहर के अपराधियों का संलिप्त होना, पहली बार अपराध करने वालों की संख्या में वृद्धि होना, सामाजिक तनाव में वृद्धि तथा योजनाबद्ध अपराध किए जाना।

(ग) अपेक्षित सूचना निम्न प्रकार है:-

अपराध शीर्ष	सूचित हुए		प्रतिशत वृद्धि
	1994 (1.1.94 से 30.9.94 तक)	1995 (1.1.95 से (30.9.95 तक)	
हत्या	416	429	+ 3.12 प्रतिशत
हत्या का प्रयास	405	494	+ 21.97 प्रतिशत
चोरी	10911	13930	+ 27.76 प्रतिशत
अपहरण/व्यपहरण	871	1039	+ 19.28 प्रतिशत

(घ) दिल्ली में अपराधों की रोकथाम के लिए सरकार ने कई उपाय किए हैं। इन उपायों में गश्त बढ़ाना, महत्वपूर्ण स्थानों पर पिकेट स्थापित करना, आसूचना तंत्र को मजबूत बनाना, अपराधियों के छिपने के अड्डों पर बार-बार छापे मारना, चौकसी में वृद्धि, पड़ौसी राज्यों के अधिकारियों के साथ समन्वय बैठकें करना, जांच-पड़ताल के वैज्ञानिक तरीकों में प्रशिक्षण देना, संचार-व्यवस्था तंत्र का आधुनिकीकरण करना इत्यादि शामिल हैं।

[अनुवाद]

रसोई गैस एजेंसियों का आबंटन

656. श्री शंकर सिंह वाघेला: क्या **पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री** दिनांक 8.12.94 के अतारांकित प्रश्न संख्या 199 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रसोई गैस विपणन योजना 1992-94 में शामिल 65 एजेंसियों में से अब तक कुल कितनी एजेंसियो वास्तव में आबंटित की गई हैं और उनमें से कितनी एजेंसियों ने काम करना शुरू कर दिया है;

(ख) शेष एजेंसियाँ कब तक आबंटित कर दी जाएंगी; और

(ग) उपर्युक्त योजना में उल्लिखित इन एजेंसियों के आबंटन में विलंब के कारण क्या हैं?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) एल.पी.जी. विपणन योजना 1992-94 में गुजरात राज्य के लिए सम्मिलित की गई 65 एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूरशिपों में से 43 एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूट्रशिपों के संबंध में आशय पत्र जारी किए गए हैं। 43 में से 10 डिस्ट्रीब्यूटरशिपों ने कार्य करना आरम्भ कर दिया है।

(ख) और (ग). डिस्ट्रीब्यूटरशिपों का वास्तविक रूप से चालू होना तेल चयन बोर्डों द्वारा चयन किये जाने आबंटितियों द्वारा भूमि प्रापण तथा विविध प्रकार के लाइसेंस आदि प्राप्त करने जैसे अनेक घटकों पर निर्भर करता है। डिस्ट्रीब्यूटरशिपों को चालू करने के संबंध में विज्ञापन जारी होने की तारीख से सामान्यतया लगभग 1-2 वर्षों का समय लगता है।

भारतीय प्रैस परिषद को अधिकार

657. श्री के.एम. मैथ्यू : क्या **सूचना तथा प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय प्रेस परिषद को और अधिक शक्तियाँ प्रदान करने का है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) वर्तमान में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

दूरदर्शन धारावाहिक

658. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : क्या **सूचना तथा प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन पर प्रसारित किए जाने वाले लगभग सभी धारावाहिकों की विषय-वस्तु धनाढ्य परिवारों से संबंधित होती है जबकि देश की अस्सी प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है;

(ख) क्या सरकार का विचार ग्रामीण जनसंख्या के लिए ऐसे धारावाहिक बनाने की अनुमति देने का है जिससे देश के निम्न तथा मध्यम वर्ग पर राष्ट्रीय संस्कृति का सकारात्मक प्रभाव पड़े; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). जी, हाँ। दूरदर्शन का हमेशा ऐसे कार्यक्रमों को

प्रसारित करने का प्रयास रहता है जो अच्छे सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों को प्रोत्साहित करते हैं, विभिन्न धर्मों के प्रति समान आदर की भावना मन में बिठाते हैं और अन्य बातों के साथ-साथ, राष्ट्रीय एकता को बढ़ाते हैं। वर्तमान में ग्रामीण, मध्यवर्गीय वातावरण में निर्मित अनेक धारावाहिकों का प्रसारण किया जा रहा है जिनमें से कुछ के नाम नीम का पेड़, उजाले की ओर, उड़ान है।

[हिन्दी]

मध्यावधि मूल्यांकन

659. **श्री कृशिण पटेल :**
श्री नीतिश कुमार :
श्री ए. इन्द्रकरन रेड्डी :
श्री जी. गंगा रेड्डी :

क्या **योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य क्या हैं;

(ख) क्या उक्त योजना का मध्यावधि मूल्यांकन पूरा कर लिया गया है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विभिन्न क्षेत्रों में क्षेत्रवार कितनी कमी पाई गई है; और

(घ) इन कमियों को किस तरह से पूरा किये जाने का विचार है ?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) आठवीं पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राथमिकता दी गई है :

(1) शताब्दी के अन्त तक लगभग पूर्ण रोजगार स्तर प्राप्त करने के उद्देश्य से पर्याप्त रोजगार का सृजन;

(2) लोगों के सक्रिय सहयोग तथा प्रोत्साहनों और हतोत्साहनों की एक प्रभावी स्कीम के माध्यम से जनसंख्या पर नियन्त्रण;

(3) प्रारम्भिक शिक्षा का व्यापीकरण तथा 15 से 35 वर्ष के आयु-वर्ग के लोगों के बीच से निरक्षरता का पूर्ण रूप से उन्मूलन;

(4) सभी गांवों तथा पूरी जनसंख्या को प्रतिरक्षण सहित सुरक्षित पेयजल और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधायें मुहैय्या कराना तथा सिर पर मैला ढोने की प्रथा को पूर्ण रूप से समाप्त करना;

(5) खाद्य में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने तथा निर्यात करने के लिए अधिशेष पैदा करने हेतु कृषि का विकास और विविधीकरण;

(6) स्थिर आधार पर विकास प्रक्रिया को समर्थन प्रदान करने के लिए आधारभूत ढांचे, (ऊर्जा, परिवहन, संचार, सिंचाई) को सुदृढ़ करना।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ). फिलहाल प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

आरक्षण

660. **श्री छेदी पासवान :**
श्री राजेश कुमार :

क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के क्रीमीलेयर व्यक्तियों के सभी बच्चों को आरक्षण नीति के अंतर्गत आरक्षण की सुविधा का लाभ देने से वंचित करने के लिए सरकार ने क्या ठोस कदम उठाए ?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. तंग्कावालू) : सेवाओं में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण में क्रीमी लेयर संबधी अवधारणा का कोई प्रावधान नहीं है।

"जेड" श्रेणी की सुरक्षा

661. **श्री रूपचन्द पाल:**
श्रीमती गिरिजा देवी :
श्री रामचन्द्र मारोतराव धंगारे :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कुछ गैर-राजनीतिक व्यक्तियों को भी "जेड" श्रेणी की सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध करा रही है;

(ख) यदि हाँ, तो उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (सैयद सिब्ते रजी) : (क) जी हाँ, श्रीमान।

(ख) और (ग). खतरे के प्रत्यक्ष बोध के आधार पर सुरक्षा व्यवस्था

उपलब्ध कराई जा रही है। सुरक्षा प्राप्त व्यक्तियों के नाम बताना उनकी सुरक्षा की दृष्टि से वांछनीय नहीं है।

मणिपुर में सुरक्षा बलों द्वारा सुरक्षा अभियान

662. **श्री याईमा सिंह युमनाम** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मणिपुर में गैर-कानूनी संगठनों से सम्पर्क रखने वाले उग्रवादियों और व्यक्तियों को गिरफ्तार करने हेतु अर्द्ध सैनिक बलों द्वारा कोई अभियान शुरू किय गये थे;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रकार का एक अभियान ''सनीवेला'' केवल मणिपुर की घाटियों में शुरू किया गया था न कि पर्वतीय क्षेत्रों में चलाया गया था;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) उपर्युक्त अभियान के दौरान गैर-कानूनी संगठनों से सम्पर्क रखने वाले कितने उग्रवादी और व्यक्ति गिरफ्तार एवं बन्दी बनाये गये और कितने मारे गये;

(च) क्या सरकार को सुरक्षा बलों द्वारा इन अभियानों के दौरान की ज्यादतियों की शिकायत प्राप्त हुई है; और

(छ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

गृह मंत्रालय में राज्य (सैयद सिब्ते रजी) : (क) से (ङ). राज्य में विभिन्न विद्रोही ग्रुपों की हिंसक और अलगाववादी गतिविधियों के कारण मणिपुर में कानून और व्यवस्था की स्थिति अशान्त बनी हुई है। वर्तमान स्थिति से निपटने के लिए, विद्रोही ग्रुपों नामतः नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल आफ नागालैंड तथा मितेई उग्रवादी संगठनों को ''गैर कानूनी'' तथा सम्पूर्ण मणिपुर को ''अशांत क्षेत्र'' घोषित बनाए रखा गया है। राज्य के विभिन्न भागों में गैर-कानूनी तत्वों के खिलाफ सतत अभियान चलाए गए हैं। घाटी में बढ़ती हुई हिंसा से निपटने के लिए आपरेशन ''सन्नी वेल'' नामक एक संयुक्त और समेकिन अभियान, चलाया गया था ताकि घाटी में जमें हुए विद्रोही ग्रुपों को बाहर खदेड़ा जा सके। इस अभियान के परिणामस्वरूप 12 विद्रोही तत्व मारे गए, 324 गिरफ्तार किए गए तथा 1813 राउण्ड मिले-जुले गोली-बारूद सहित 121 शस्त्र बरामद किए गए।

(च) और (छ). हालांकि कुछ संगठनों द्वारा अभियान को बदनाम करने के लिए कुछ विरोध व्यक्त करने की सूचना है फिर भी कुल मिलाकर इस अभियान के अच्छे परिणाम निकले हैं और इसे प्रशंसा एवं समर्थन प्राप्त हुआ है।

[हिन्दी]

एल. पी. जी. कनेक्शनों हेतु प्रतीक्षा सूची

663. **श्री फूलचंद वर्मा** : क्या पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 अक्टूबर, 1995 तक एल.पी.जी. कनेक्शनों हेतु राज्यवार प्रतीक्षा सूची के आवेदकों की संख्या क्या है; और

(ख) सरकार द्वारा प्रतीक्षा सूची को अद्यतन करने हेतु क्या प्रभावी कदम उठाये जायेंगे ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) नई परियोजनाएं स्थापित करके और अधिकाधिक आयातों के माध्यमा से आपूर्ति में बढ़ोत्तरी करके वर्तमान उत्पादन स्रोतों की क्षमता में वृद्धि करके एल.पी.जी. की अधिकाधिक उपलब्धता के लिए योजनाएं तैयार की गई हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के माध्यम से उपलब्ध एल.पी.जी. के अतिरिक्त, देश में एल.पी.जी. की उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए सरकार ने फरवरी, 1993 में निजी एजेंसियों द्वारा एल.पी.जी. के आयात और बिक्री किये जाने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। उद्योग ने नए स्थानों पर एल.पी.जी. भराई संयंत्र और एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिप खोलने की भी योजना बनाई है।

विवरण

1.10.95 की स्थिति के अनुसार राज्यवार प्रतीक्षा सूची

राज्य	
आंध्र प्रदेश	9.32
अरुणाचल प्रदेश	0.15
असम	1.28
बिहार	3.33
गोवा	0.57
गुजरात	8.33
हरियाणा	4.28
हिमाचल प्रदेश	0.80
जम्मू और कश्मीर	1.25
कर्नाटक	5.96

केरल	5.52
मध्य प्रदेश	6.63
महाराष्ट्र	15.06
मणिपुर	0.06
मेघालय	0.09
मिजोरम	0.14
नागालैंड	0.12
उड़ीसा	1.47
पंजाब	5.65
राजस्थान	7.45
सिक्किम	0.05
तमिलनाडु	12.91
त्रिपुरा	0.31
उत्तर प्रदेश	14.33
पश्चिम बंगाल	6.22
संघ राज्य क्षेत्र	
अंडमान एंड निकोबार	0.09
चंडीगढ़	0.79
दादरा और नगर हवेली	0.02
दिल्ली	7.55
दमन और दीव	0.03
लक्षदीप	0.00
पांडिचेरी	0.44

[अनुवाद]

भारतीय तेल निगम की परियोजनाएं

665. श्री बोल्ला बुल्ली रामय्याः
श्री डी. वेंकटेश्वर रावः

क्या पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम ने आगामी कुछ वर्षों में कई परियोजनाओं को शुरू करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो 1995-96 के दौरान शुरू की जाने वाली परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन परियोजनाओं को लागू करने संबंधी कार्य कब तक शुरू किए जाएंगे; और

(घ) इन परियोजनाओं को पूरा करने में कितना समय लगेगा?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (घ). सचूना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

एल.पी.जी. वितरकों के विरुद्ध शिकायतें

666. श्री गोविन्द चन्द्र मुंडा : क्या पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को गत तीन वर्षों के दौरान बिना गैस चूल्हे के गैस कनेक्शन न देने अथवा उपभोक्ताओं को समय पर गैस सिलेंडर की आपूर्ति न किए जाने के संबंध में एल.पी.जी. वितरकों के विरुद्ध कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख). एल.पी.जी. विपणन कंपनियों ने यह रिपोर्ट की है कि गत तीन वर्षों के दौरान (1992-93 से 1994-95 तक) चूल्हों की जबरन बिक्री की 65 शिकायतें तथा देर से रिफिल की आपूर्ति के 742 मामले स्थापित हुए हैं।

(ग) चूककर्ता डिस्ट्रीब्यूटरों के विरुद्ध विपणन अनुशासन दिशा-निर्देशों के तहत यथोचित दंडात्मक कार्रवाई की जाती है जिसमें चेतावनी पत्र देना, अर्थदंड लगाना तथा निलंबित करना आदि शामिल है।

[अनुवाद]

इस्लाम तथा ईसाई धर्म से संबंधित धारावाहिक

667. डा० (श्रीमती) के.एस. सौन्दरमः क्या सूचना तथा प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन से महाभारत तथा रामायण धारावाहिकों के समान इस्माल तथा ईसाई धर्म से संबंधित धारावाहिकों को भी प्रसारण किया जाता है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राष्ट्रीय एकता के हित में ऐसे धारावाहिकों के प्रसारण को प्रोत्साहन देने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का विचार है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) और (ख). दूरदर्शन ने अभी तक बाईबल की कहानियों पर आधारित धारावाहिक के कुछ प्रकरणों का प्रसारण किया है। भारतीय इतिहास के मुगल काल पर आधारित कुछ धारावाहिकों को भी प्रसारित किया गया है/प्रसारित किया जा रहा है उदाहरणार्थ द स्वोर्ड आफ टीपू सुलतान तथा अकबर द ग्रेट।

(ग) विगत की भाँति, दूरदर्शन का ऐसे प्रायोजित धारावाहिकों के चयन करने का सतत प्रयास रहेगा जो उच्च सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों का प्रचार करते हों जो विभिन्न धर्मों के प्रति समान आदर की भावना दर्शकों के मन में बिठाते हों, जो राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करते हों तथा जो स्वस्थ मनोरंजन उपलब्ध करवाते हों।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र के गांवों में टेलीफोन सुविधा

668. **श्री वत्सा मेघे** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिलावार महाराष्ट्र के कितने गांवों में अब तक टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराई गई है;

(ख) इस वर्ष कितने गांवों में टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है; और

(ग) शेष गांवों में टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) दिनांक 22.11.1995 तक महाराष्ट्र में 20587 गावों में सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान किए जा चुके हैं। जिलावार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 5000 गांवों में सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान किया जाना प्रस्तावित है।

(ग) सरकार द्वारा वर्ष 1994 की अवधि के दौरान अपनाई गई राष्ट्रीय दूरसंचार नीति में देश के सभी गावों में उत्तरोत्तर रूप से वर्ष 1997 तक सार्वजनिक टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किया जाना परिकल्पित है।

विवरण

क्र. सं.	जिले का नाम	ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों की सं.
1	2	3
1.	अकोला	749
2.	अमरावती	682
3.	भंडारा	697
4.	बुलढाना	638
5.	चन्द्रपुर	570
6.	गढ़चिरौली	171
7.	वर्धा	491
8.	यवतमाल	672
9.	जलगांव	1089
10.	रायगढ़	711
11.	रत्नागिरि	408
12.	सिंधुदुर्ग	257
13.	सांगली	660
14.	सतारा	993
15.	शोलापुर	877
16.	नासिक	1208
17.	धुले	845
18.	अहमदनगर	1121
19.	औरंगाबाद	655
20.	जालना	562
21.	बीड	413
22.	लातूर	452
23.	उस्मानाबाद	397
24.	नान्देड़	772
25.	परभानी	690
26.	थाणे	912
27.	कोल्हापुर	908

1	2	3
28.	नागपुर	928
29.	पुणे	824
30.	गोआ	235
	जोड़	20,587

[अनुवाद]

तेल की खोज कार्य का निजीकरण

669. **श्रीमती वसुन्धरा राजे :**
श्री राम कापसे :

क्या पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के कुछ भाग में तेल की खोज कार्य का निजीकरण कर दिया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौर क्या है;

(ग) तेल की खोज कार्य के लिए किन-किन निजी कंपनियों को अनुमति दी गई है; और

(घ) तेल की खोज के लिए इन कंपनियों के लिए क्या शर्तें निर्धारित की गई हैं ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख). सरकार ने अब तक अन्वेषण के आठ दौर तथा सयुंक्त उद्यम अन्वेषण कार्यक्रम के अधीन एक दौर तथा कल्पित सर्वेक्षण के तीन दौर घोषित किए हैं। अब तक हस्ताक्षरित संविदाओं के राज्यवार/क्षेत्रवार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए हैं।

(ग) जिन कंपनियों को तेल के अन्वेषण के लिए अनुमति दी गई है उनके नाम संलग्न विवरण-II पर दिए गये हैं।

(घ) विशेष शर्तें निम्नानुसार है:

अन्वेषण ब्लाकों से संबंधित संविदाएं कच्चे तेल और सहबद्ध गैस के मामले में 25 वर्ष की संविदा अवधि समेत, उत्पादन डिस्सेदारी संविदाएं हैं। कंपनियों को अधिलाभ के भुगतान तथा सांविधिक उदग्रहणों से छूट दी गई है। भारत सरकार को उन कंपनियों के साथ हुई संविदाओं के अधीन उत्पादित तेल के संबंध में मनाही का प्रथम अधिकार होगा जिन्हें उनके तेल अंश के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों पर भुगतान किया जा रहा है। अन्वेषण और/अथवा विकास स्तर पर उद्यमों के अन्तर्गत आयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन/आयल इंडिया लिमिटेड की भागीदारी के संबंध में प्रावधान किया गया है तथा आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन/आयल इंडिया लिमिटेड का उद्यम में 30 प्रतिशत से 40 प्रतिशत तक भागीदारी अंश होगा। वाणिज्यिक रूप से निकासी योग्य प्राकृतिक गैस संसाधनों के विकास के संबंध में भी प्रावधान किए गए हैं।

संयुक्त उद्यम कार्यक्रम के मामले में आयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन/आयल इंडिया लिमिटेड संविदा की शुरूआत से 25 प्रतिशत से 40 प्रतिशत की बीच भागीदारी अंश ग्रहण करेंगे। अन्वेषण अवधि भी अधिकतम 6 वर्ष के लिए होगी। अन्य उशर्तें अन्वेषण बोली दौरों के अन्तर्गत यथा प्रस्तावित जैसी ही होगी।

विवरण-I

(क) और (ख). **पहला दौर**

सौराष्ट्र अपतटीय ब्लाक-II के लिए एक संविदा ब्लाक बिना किसी वाणिज्यिक खोज के छोड़ दिया गया है।

दूसरा दौर

कोई संविदा नहीं की गई थी।

तीसरा दौर

नौ ब्लाकों के लिए संविदाएं हस्ताक्षरित की गई थी-4 कृष्णा गोदावरी अपतट में, एक पलार अपतट में,-3 केरल-कोंकण अपतट में तथा एक महानदी अपतट में।

चौथा दौर

चार ब्लाकों के लिए संविदाओं पर हस्ताक्षर किया गया है आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश में फैले प्राणडितों के गोदावरी अपतट कावेरी अपतट में तथा राजस्थान प्रत्येक में एक। भारत सरकार ने गुजरात में एक ब्लाक के लिए संविदा के एवार्ड को अनुमोदित कर दिया था तथा संविदा पर शीघ्र ही हस्ताक्षर होने की संभावना है।

पांचवां दौर

भारत सरकार ने 6 ब्लाकों के लिए संविदाओं के एवार्ड को अनुमोदित कर दिया है - गुजरात कच्छ अपतट, बम्बई अपतट, कृष्णा गोदावरी अपतट, कावेरी अपतट प्रत्येक में एक तथा राजस्थान में दो। संविदाओं पर अब तक हस्ताक्षर होना है।

छठा दौर

भारत सरकार ने तीन ब्लाकों के लिए संविदा के एवार्ड को अनुमोदित कर दिया है-गुजरात में दो तथा कैम्बे अपतट में एक संविदा पर अब तक हस्ताक्षर होना है।

सातवें और आठवें दौर के लिए प्राप्त हुए प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन हैं। संयुक्त उद्यम अन्वेषण कार्यक्रम के अधीन प्राप्त बोलियों का मूल्यांकन किया जा रहा है।

विवरण-II

कंपनियां जिनके साथ संविदायें हस्ताक्षर की गई है तथा कंपनियां जिन्हें तेल और गैस के अन्वेषण के संबंध में संविदायें एवार्ड की गई है उनके नाम हैं:

1.	हिन्दुस्तान आयल अन्वेषण कंपनी	भारत
2.	मफतलाल इण्डस्ट्रीज	भारत
3.	अलबियन इन्टरनेशनल रिसोर्सिस	यू.एस.ए.
4.	कोपलेक्स रिसोर्सिस लिमिटेड	आस्ट्रेलिया
5.	आकलैण्ड आयल कंपनी	यू.एस.ए.
6.	पान इनर्जी रिसोर्सिस	यू.एस.ए.
7.	पान पैसिफिक पेट्रोलियम एन.एल.	आस्ट्रेलिया
8.	ट्रॉस एशिया कन्सलटेन्टस	भारत
9.	शेल इन्टरनेशनल	नीदरलैन्डस
10.	वाल्को इनर्जी इंक	यू.एस.ए.
11.	टाटा पेट्रोडाइन	भारत
12.	इस्सार आयल लिमिटेड	भारत
13.	कमाण्ड पेट्रोलियम	आस्ट्रेलिया
14.	वीडियोकॉन पेट्रोलियम लि०	भारत
15.	रेक्स वुड - कारपोरेशन	यू.एस.ए.
16.	सैमसन इन्टरनेशनल लिमिटेड	यू.एस.ए.
17.	गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कारपोरेशन	भारत
18.	निको रिसोर्सिस	कनाडा
19.	स्टर्लिंग रिसोर्सिस	आस्ट्रेलिया

[हिन्दी]

रसोई गैस के नकली सिलिंडर

670. श्री राम कृपाल यादव : क्या पैट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान देश में रसोई गैस परिवहनकर्ताओं और वितरकों से नकली सिलिंडर जब्त किए गए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है; और

(घ) ऐसे सिलेंडरों की आवक को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (घ). वितरकों तथा परिवहनकर्ताओं के पास नकली सिलिन्डरों के प्रचलन का पता लगाने के लिए एल. पी.जी. विपणन कंपनियों के क्षेत्र कर्मचारियों द्वारा निरीक्षण किए जाते हैं। तथापि नकली सिलिन्डरों का बहुधा भरण संयंत्रों पर पता चल जाता है जहां इन्हें कुचल दिया जाता है तथा नष्ट कर दिया जाता है। जब परिवहनकर्ता तथा वितरक नकली सिलिन्डर रखते, बिक्री करते अथवा इनका प्रचलन करते हुए पाए जाते हैं तो उन्हें चेतावनी पत्र जारी किये जाते हैं तथा उनसे शास्तिक वसूली की जाती है।

सिलिन्डर-निर्माताओं से प्राप्त करने के उपरांत नकली सिलिन्डर अज्ञात अवांछनीय तत्वों द्वारा व्यवहार में ला दिये जाते हैं। जब अनुमोदित तथा लाइसेंस शुदा सिलिन्डर निर्माता नकली सिलिन्डरों का निर्माण तथा इनकी बिक्री करते पाए जाते हैं तो तेल उद्योग द्वारा उनसे सिलिन्डरों का अगला प्रापण बंद कर दिया जाता है तथा उससे सांविधिक अनुमोदन वापस ले लिए जाते हैं। ऐसे निर्माताओं तथा नकली सिलिन्डरों के प्रचलन में लिप्त पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध पुलिस कार्रवाई भी की जाती है। संदिग्ध परिसरों पर छापे मारे जाते हैं तथा अपराधियों को गिरफ्तार किया जाता है और नकली सिलिन्डर जब्त किए जाते हैं।

जब्त/पता चले नकली सिलिन्डरों की संख्या के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है तथा इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

बीस सूत्री कार्यक्रम

671. श्री रतिलाल वर्मा : क्या योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान गुजरात में 20 सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन में क्या प्रगति हुई;

(ख) क्या सरकार वर्ष 1995-96 के दौरान गुजरात में उपुर्यक्त कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) वर्ष 1993-94 तथा 94-95 के दौरान

गुजरात में 20सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन में की गई प्रगति का विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग). राज्यों में बीस-सूत्री कार्यक्रम में कार्यान्वयन के लिए योजना आयोग द्वारा अलग से किसी धन का आवंटन नहीं किया गया है। बीस सूत्री कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जो प्रबोधन के लिए पहचानी गई दोनों योजना तथा गैर योजना स्कीमों से मिलकर बना है जिसका कार्यान्वयन केंद्र, राज्यों तथा संघ शासित प्रशासनों द्वारा किया जाता है। इसलिए गुजरात राज्य को बीस सूत्री कार्यक्रम के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

राज्य का नाम : गुजरात

क्र.सं.	सूत्र कोड	सूत्र विवरण	इकाई	1993-94			1994-95		
				लक्ष्य	उपलब्धि	%	लक्ष्य	उपलब्धि	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	01क	एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (परिवार)	संख्या	74900	79578	106	61260	72429	118
2	01ख	जवाहर रोजगार योजना (श्रम दिवस)	संख्या	21140000	21055000	100	17745000	19568000	110
3.	01ग	लघु उद्योग इकाईयां (पंजी)	संख्या	8000	13035	163	8100	10167	126
4.	05क	कानतु भूमि का वितरण	एकड़	15140	2923	19	40270	4499	11
5.	06	बंधुआ मजदूर पुनर्वास	संख्या	-	-	-	-	-	-
6.	07क	सुलझायी गई पेयजल समस्या (गांव)	संख्या	500	458	92	500	464	93
7.	08क	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सीएचसी)	संख्या	5	6	120	9	9	100
8.	08ख	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पीएचसी)	संख्या	5	5	100	15	15	100
9.	08घ	बाल प्रतिरक्षण (डी.पी.टी., पोलियो, बी.सी.जी.)	संख्या	1198090	1197899	100	1177800	1174470	100
10.	09क	परिवार नियोजन नसबन्दी	संख्या	270000	287568	107	280000	301300	108
11.	09ख	समतुल्य नसबंदी (आई.यू.डी., ओ.सी., ओ.पी.)	संख्या	218722	219330	100	223056	252033	113
12.	09ग	एकीकृत बाल विकास सेवा खंड परिचालन (संचयी)	संख्या	124	124	100	137	137	100
13.	09घ	आंगनवाड़ियां (संचयी)	संख्या	19969	18750	194	21996	18552	84
14.	11क	अ.जा. के परिवारों को सहायता	संख्या	61000	61316	101	53000	57882	108
15.	11ख	अ.ज.जा. के परिवारों को सहायता	संख्या	82000	82642	101	85000	89762	106
16.	14क	आवंटित आवास स्थल (परिवार)	संख्या	30000	35092	117	30000	34000	113
17.	14ख	निर्माण सहायता (परिवार)	संख्या	20000	29829	149	20000	29530	148
18.	14ग	इन्दिरा आवास योजना (मकान)	संख्या	6598	6692	101	6884	7895	115
19.	14घ	आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को दिए	संख्या	2400	2445	102	4800	4383	91
20.	14ङ	निम्न आय वर्ग आवास	संख्या	1000	2368	237	2000	2100	105
21.	15	गंदी बस्तियों का सुधार (जनसंख्या)	संख्या	80000	92915	116	100000	125942	126
22.	16क	निजी भूमि पर वृक्षारोपण	संख्या	150000000	163176000	109	150000000	156672000	104
23.	16ख	शामिल क्षेत्र-सार्वजनिक एवं वन भूमि	हैक्टे०	68000	85277	125	54000	69983	130

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24.	18	उचित दर की दुकानें	संख्या	70	103	147	-	-	-
25	19ख	शक्तिचालित पम्पसेट	संख्या	17000	18766	110	20000	20005	100
26.	19ग	उन्नत चूल्हे	संख्या	50000	68442	137	63000	84587	134
27.	19घ	बायोगैस संयंत्र (राज्य)	संख्या	35000	38038	109	38000	25251	66

एल.पी.जी. सिलेंडरों के लिए प्रतिभूति जमाराशि

672. डा० मुमताज अंसारी : क्या पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऐल.पी.जी. सिलेंडरों के लिए प्रतिभूति जमाराशि में वृद्धि की है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी हाँ।

(ख) एल.पी.जी. के सिलेंडर तथा रेग्यूलेटर की अधिग्रहण लागत में वृद्धि को समायोजित करने के लिए प्रतिभूति जमा की दर में संशोधन किया गया था।

[अनुवाद]

तेल निकालने हेतु लाइसेंस

673. श्री रमेश चेन्निथला : क्या पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजी पार्टियों को तेल निकालने हेतु लाइसेंस दिये गये हैं;

(ख) यदि हाँ, तो ऐसी पार्टियों के नाम क्या है;

(ग) क्या किसी भी निजी पार्टी द्वारा केरल तट पर तेल अन्वेषण का कार्य किया जा रहा है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख). जी, हाँ। जिन कंपनियों के साथ संविदाओं पर हस्ताक्षर किये गये हैं/अन्वेषण/विकास के लिए जिन्हें संविदाएं देने हेतु अनुमोदित किया गया है, उनके नाम निम्नानुसार हैं :

(i)	हिन्दुस्तान आयल एक्सप्लोरेशन कंपनी बड़ौदा	भारत
(ii)	मफतलाल इंडस्ट्रीज	भारत
(iii)	टाटा पेट्रोडाइन	भारत
(iv)	ट्रांस एशिया कन्सलटेन्टस	भारत
(v)	एस्सार आयल लिमिटेड	भारत
(vi)	बीडियोकान पेट्रोलियम लि०	भारत
(vii)	गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कारपोरेशन लि०, अहमदाबाद	भारत
(viii)	लारसन एण्ड टौब्रो	भारत
(ix)	सेलन इक्सप्लोरेशन टेक्नोलोजीज, नई दिल्ली	भारत
(x)	इन्टर-लिंक पेट्रोलियम, बड़ौदा	भारत
(xi)	रिलायंस	भारत
(xii)	एन्ग्रो सर्विसिस	भारत
(xiii)	ज्यो एन्ग्रो	भारत
(xiv)	अलियन इन्टरनेशनल रिसोर्सिस इंक	यू.एस.ए.
(xv)	कोपलेक्स रिसोर्सिस लि०	आस्ट्रेलिया
(xvi)	नीको रिसोर्सिस	कनाडा
(xvii)	शेल इन्टरनेशनल	नीदरलैण्डस
(xviii)	बाल्को इनर्जी इंक.	यू.एस.ए.
(xix)	जोशी टैक्नोलोजीज	यू.एस.ए.
(xx)	एनरोन	यू.एस.ए.
(xxi)	ज्योपेट्रोल इन्टरनेशनल	फ्रांस
(xxii)	पान इनर्जी रिसोर्सिस	यू.एस.ए.
(xxiii)	स्टर्लिंग रिसोर्सिस	आस्ट्रेलिया

(xxiv)	आकलैण्ड आयल कंपनी	यू.एस.ए.
(xxv)	पान पैसिफिक पेट्रोलियम एन.एल.	आस्ट्रेलिया
(xxvi)	कमाण्ड पेट्रोलियम	आस्ट्रेलिया
(xxvii)	रेक्सवुड कार्पोरेशन	यू.एस.ए.
(xxviii)	सैमसन इन्टरनेशनल	यू.एस.ए.
(xxix)	मोसबाचेर	यू.एस.ए.
(xxx)	राब्बा आयल (सिंगापुर) प्रा० लि०	सिंगापुर

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सार्वजनिक दूरभाष केन्द्र पी.सी.ओ.

674. श्री पंकज चौधरी :
श्री बृजभूषण शरण सिंह :
श्री अजित डरांव :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 13 अक्टूबर, 1995 के ''नवभारत टाइम्स'' में ''हर दिन करोड़ों रुपये लूट रहे हैं पी.सी.ओ. वाले'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी हाँ।

(ख) इस समाचार में देश में एस.टी.डी./आई.एस.डी. सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान करने के बारे में दूरसंचार विभाग की नीति के साथ-साथ विशेषाधिकार आधार पर आवंटित कुछ पी.सी.ओ. प्रचालकों द्वारा किसी अन्य व्यक्तियों को पी.सी.ओ. सौंपने, एस.टी.डी./आई.एस.डी./स्थानीय कालों के लिए अधिक प्रभार वसूल करने जैसे अनाचार बरतने तथा दूरसंचार विभाग को भुगतान में अनियमितताओं का उल्लेख किया गया है।

(ग) जब कभी भी शिकायतें प्राप्त होती हैं या मेमी या विशेष जांच के दौरान अनाचार के मामले जानकारी में आते हैं तो विभागीय नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

पारादीप में तेलशोधक कारखाना

675. श्री जोकनाथ चौधरी : क्या **पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पारादीप में विदेशी सहयोग से एक तेलशोधक कारखाना लगाने का विचार है;

(ख) यदि हाँ, तो जिन विदेशी कंपनियों के साथ समझौता किया गया है उनके नाम क्या हैं;

(ग) क्या प्रस्तावित तेलशोधक कारखाने के लिए स्थल का चयन कर लिया गया है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा निर्माण कार्य कब तक आरम्भ होने की सम्भावना है; और

(ङ) यह कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ङ). आई.ओ.सी. ने संयुक्त उद्यम परियोजना के रूप में पूर्वी भारत में एक 6 एम.एम.टी. प्रति वर्ष की रिफाइनरी स्थापित करने के लिए 16.9.95 को कुवैत पेट्रोलियम कारपोरेशन (के.पी.सी.) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। प्रस्तावित रिफाइनरी परियोजना के समापन कार्यक्रम सहित रिफाइनरी के वास्तविक स्थान तथा अन्य ब्यौरों के संबंध में निर्णय विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट के आधार पर लिया जाएगा। सरकार ने इस परियोजना के लिए चरण-1 की स्वीकृति पहले ही दे दी है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में डाक और तार कार्यालय

676. श्री अर्जुन सिंह यादव : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994-95 के अन्त तक और आज तक उत्तर प्रदेश में कितने गांवों में डाक और तार के कार्यालय नहीं हैं;

(ख) प्रदेश में उन गावों की संख्या क्या है जहां विभिन्न श्रेणियों के डाक और तार कार्यालय हैं; और

(ग) वर्ष 1995-96 के दौरान प्रदेश में जिला-वार और श्रेणी-वार कितने डाक और तार कार्यालय खोले जाने का प्रस्ताव है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) डाकघर:

वर्ष 1994-95 के अन्त तक और आज की तारीख तक उत्तर प्रदेश के जिन गावों में डाकघर नहीं हैं, उनकी संख्या 94,847 है।

तारघर :

उत्तर प्रदेश में 1,23,950 गांव हैं। गांवों में 4735 डाक और तारघर हैं। इनके अलावा, 1239 डाक और तारघर शहरी क्षेत्रों में हैं जो गांवों को भी तार सुविधा प्रदान करते हैं।

(ख) डाकघर :

राज्य के जिन गांवों में विभिन्न श्रेणियों के डाकघर और तारघर हैं, उनकी संख्या निम्न प्रकार से हैं :-

विभागीय उप डाकघर	:	830
अतिरिक्त विभागीय उप-डाकघर	:	458
अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर	:	16669

तारघर :

संयुक्त डाक और तारघर	:	4735

(ग) डाकघर :

वार्षिक योजना 1995-96 के अन्तर्गत 12 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर और 16 विभागीय उप-डाकघर खोलने की योजना है, बशर्ते कि धनराशि उपलब्ध रहे।

तारघर:

सभी गांवों में तारघर खोलने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है क्योंकि यह सुविधा मांग तथा परियात की मात्रा पर आधारित औचित्य के आधार पर प्रदान की जाती है। वर्ष 1995-96 के दौरान तीन स्थानों अर्थात महोबा, अकबरपुर और रुद्रपुर में स्थित संयुक्त डाक व तारघरों का स्वतंत्र तारघरों के रूप में दर्जा बढ़ाने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

रसोई गैस के गोदाम की स्थापना

677. श्री काशीराम राणा: क्या पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-8 पर अहमदाबाद और मुम्बई के बीच रसोई गैस के एक गोदाम की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह कार्य किसी गैर-सरकारी पार्टी को सौंपा गया है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) प्रस्तावित गोदाम की स्थापना कब तक किये जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ). प्रश्न नहीं उठता।

अंडमान निकोबार में रेस्त्रां की तलाशी

678. श्री मनोरंजन भक्त : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पुलिस ने अक्टूबर, 1995 में दुर्गापूजा के दौरान चुलदारी, दक्षिण अंडमान में एक आहार गृह (रेस्त्रां) की तलाशी ली तथा इसे बलपूर्वक बन्द कर दिया;

(ख) क्या प्रशासन को इसके बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामलाल राही) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) जी हाँ, श्रीमान्।

(ग) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह प्रशासन ने मामले की जांच करवाई थी। यह आरोप सही नहीं पाया गया कि पुलिस ने रेस्टोरेन्ट की तलाशी ली और इसे जबरदस्ती बंद करवाया।

तेल के लिए बोली प्रक्रिया

679. श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद : क्या पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार तेल संयुक्त उद्यमों के लिए बोली प्रक्रिया को समाप्त करने और उसके स्थान पर किसी दूसरी पद्धति को अपनाने का है;

(ख) यदि हाँ, तो उस नयी प्रणाली/पद्धति का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या तेल के भंडारों और उत्पादन में अत्यधिक गिरावट आ रही है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस दिशा में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने का विचार है?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख). वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ). क्रूड उत्पादन में हुई गिरावट को 1992-93 में काबू कर लिया गया था तब से क्रूड के उत्पादन में बढ़ोत्तरी हुई है। चालू योजना में रिजर्व वृद्धि की दर में सुधार करने के उद्देश्य से सरकार ने अन्वेषण के लिए 6500 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर एक त्वरित कार्यक्रम अनुमोदित किया है।

[हिन्दी]

दूरसंचार मूलभूत सेवाओं के लिए समिति

680. श्री नवल किशोर राय :
श्री नीतीश कुमार :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मूलभूत दूरसंचार सेवाओं में सुधार के लिए किसी उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हाँ, तो उसका स्वरूप क्या है;

(ग) क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम): (क) जी, हाँ।

(ख) समिति का संगठन इस प्रकार है :

सर्वश्री

1. पी. खान,	अध्यक्ष
2. टी.वी. शिवागुमारन	सदस्य
3. आर.के. गुप्ता	सदस्य
4. एस. राजगोपालन	सदस्य
5. जे.एम. मिश्रा	सदस्य
6. सुश्री रुचिरा मुखर्जी	सदस्य
7. विनोद कुमार	सदस्य

(ग) समिति ने अपनी रिपोर्ट 04.10.1995 को प्रस्तुत कर दी है।

(घ) महत्वपूर्ण सिफारिशें संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ङ) समिति की सिफारिशें विचाराधीन हैं।

विवरण

1. मिशन और एस.डब्ल्यू.ओ.टी. विश्लेषण

दूरसंचार विभाग के लिए मिशन को पुनःपरिभाषित करना और यह सुनिश्चित करना है कि सभी कर्मचारियों को मिशन की सूचना दे दी गई है।

2. गुणवत्ता

नए वातावरण में दूरसंचार विभाग कुल गुणवत्ता प्रबंध के सिद्धान्त पर अमल करें और अपने आप को दूरसंचार गुणवत्ता प्रबंध (टी.क्यू.एम.) के संव्यवहारों के प्रति समर्पित करे। शीर्ष स्तर के प्रबंधकों को दूरसंचार गुणवत्ता प्रबंध (टी.क्यू.एम.) के संव्यवहार के सिद्धान्त से भली-भांति परिचित कराया जाए। दूरसंचार गुणवत्ता प्रबंध को संपूर्ण संगठन पर लागू करने से पहले इसे प्रयोग के तौर पर छोटे पैमाने पर इस्तेमाल किया जाए।

3. सभी स्तर के कर्मचारियों के सभी प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में गुणवत्ता प्रबंध के मॉड्यूल्स को शामिल किया जाना चाहिए।

4. देश के भीतर दूरसंचार प्रबंध के संबंधित क्षेत्रों में विशेषज्ञता वाले पाठ्यक्रमों में भाग लेने वालों की खर्च की प्रतिपूर्ति की सिफारिश की जाती है।

5. कार्यस्थल के भौतिक वातावरण में सुधार लाने के प्रति अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। दूरसंचार गुणवत्ता प्रबंध के एक भाग के तौर पर छोटे समूह की गतिविधि शुरू की जानी चाहिए।

6. दूरसंचार कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्टें इस प्रकार बनाई जाएं ताकि वे ग्राहक-संबंध के क्षेत्रों पर अधिक जोर दे सकें, कार्य की गुणवत्ता के प्रति ध्यान दे सकें और आंतरिक संचार में सफल हो सकें।

7. दूरसंचार विभाग कैजेन अथवा इस प्रकार की अन्य प्रणाली शुरू कर सकता है।

वाणिज्यिक बिलिंग जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों का सुधार

8. दूरसंचार विभाग की, वाणिज्यिक अनुभाग का नाम बदलकर विपणन एवं बिक्री समूह कर देना चाहिए। यह समूह दो भागों में बनाया जा सकता है और इसे विशेष कार्य सौंपे जा सकते हैं।

9. ग्राहक सेवाओं से जुड़ी सभी गतिविधियों का स्वचलीकरण तेज किया जाना है और ग्राहक सेवा केन्द्रों के संबंध में एस.टी.डी/आई.एस.डी. फ्रेंचाइजी को दूरसंचार विभाग के एजेंट के तौर पर काम करना चाहिए।

10. फोटो सहित एक नए आवेदनपत्र फार्म और डिमांड नोट की शुरुआत की जाए।

11. मल्टी-एक्सचेंज शिफ्ट का कार्य करने के लिए क्लियरिंग हाउस की संकल्पना शुरू की जाए।

12. टेलीफोन की सुरक्षित अभिरक्षा, टेलीफोन शिफ्ट करने, स्थाई वसूली के बाद पुनः संस्थापन, फ्रेंचाइजी किस्म के एस.टी.डी./आई.एस.डी., पी.सी.ओ. की आरंभिक प्रतिभूति जमा राशि बढ़ाने के संबंध में प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन शुरू किए जाएं।

13. दूरसंचार राजस्व बिलिंग और लेखा प्रणाली को प्राथमिकता पर कम्प्यूटरीकृत किया जाना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए जिन बातों पर विशेष ध्यान दिया जाना है उन्हें विस्तार से बताया गया है।

14. बिल छपे हुए होने चाहिए और उनकी छंटाई पिन-कोडवार की जानी चाहिए। अधिक संख्या में कॉल करने वालों के बिल कोरियर/स्पीड पोस्ट द्वारा भेजे जाएं, बिलों का वितरण करने के लिए तार संदेशवाहकों की सेवाएं इस्तेमाल की जाएं। बड़ी संख्या में कॉल करने वाले उपभोक्ताओं, सरकारी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और बड़े व्यापारिक घरानों के बिल फलॉपी में फीड किए जाने चाहिए।

15. डुप्लीकेट बिल जारी करने की विधि आसान बनाई जाए। बकाया बिलों के ब्यौरे सूचित करने वाली ऑन-लाइन टेलीफोन पूछताछ सेवा शुरू की जाए।

16. सभी एक्सचेजों/केन्द्रीय तार घरों/विभागीय तार घरों और ग्रेड-1 के ग्राहक सेवा केन्द्रों में ऑन-लाइन बिल भुगतान पटल खोले जाएं। राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित/सहकारी बैंकों के जरिए बिलों की वसूली, क्रेडिट कार्डों के जरिए भुगतान प्रणाली शुरू की जाए। भारतीय रिजर्व बैंक के जरिए भुगतान की इलैक्ट्रानिक निपटान प्रणाली भी शुरू की जाए। भारी संख्या में कॉल करने वालों के बिलों का भुगतान स्वीकार करने के लिए अलग पटल (कांउटर) खोले जाएं। भीड़भाड़ वाले दिनों में तुरंत भुगतान पटल खोले जाएं। विभागीय सचल वसूली केन्द्रों, बार कोड रीडर के जरिए बिलों की वसूली शुरू की जाए।

17. बिल/शिकायतों के तुरन्त निपटान की पद्धति में संशोधन किया जाए।

18. भिन्न-भिन्न किस्म के ग्राहकों के लिए अलग-अलग किस्म की बिलिंग आवृत्ति शुरू की जाए।

19. बकाया बिलों के निपटान के लिए एक संशोधित पद्धति निर्धारित की जाए। दोषी उपभोक्ताओं के लिए कम्प्यूटरीकृत अनुस्मारक सेवा की शुरूआत की जाए।

20. एस.टी.डी./आई.एस.डी. चाहने वाले उपभोक्ताओं के लिए प्रतिभूति जमा राशि में वृद्धि की जाए ताकि दोषी उपभोक्ताओं की संख्या को कम किया जा सके।

21. दोष-मरम्मत सेवा को तुरंत कम्प्यूटरीकृत किया जाना चाहिए और इन्हें दोष मरम्मत का नियंत्रण करने में अधिक प्रभावशाली बनाया जाए। इन्टरऐक्टिव वॉयस रिस्पांस प्रणाली की शुरुआत की जाए।

22. निजी वायर, पट्टे पर ली गई लाइनों और डॉटा सर्किटों की दोष रिपोर्टिंग पर विशेष ध्यान दिया जाए।

23. ग्रामीण टेलीफोनों के उचित अनुरक्षण के लिए संशोधित पद्धित शुरू की जाए।

24. बड़ी मात्रा में टेलीफोन इस्तेमाल करने वालों और क्रीमी लेयर के लिए प्रीमियम सेवा की संकल्पना शुरू की जाए।

25. डायरेक्टरी छापने के लिए डायरेक्टरी-सूचना-निहित फ्लापिया/सीडीआरओएम, निजी पक्षकारों को देना होगा। विभागीय छपाई को बन्द करना होगा।

26. तकनीकी-आर्थिक अध्ययन के आधार पर सभी इलेक्ट्रोमेकैनिकल एक्सचेंजों को एक समयबद्ध कार्यक्रम के अन्दर परिवर्तित करना होगा।

27. कम से कम, प्रीमियम ग्राहकों के लिए डब्ल्यू आई एल एल और आप्टिकल फाइबर तकनीक की शुरुआत की जानी चाहिए।

28. ग्राहक-केबल तंत्र को तेजी से उन्नत किया जाना चाहिए और तत्पश्चात् अभिलेखों को कम्प्यूटरीकृत किया जाना चाहिए।

29. नए वाइनों के प्रापण हेतु मुख्य महाप्रबंधकों को पूर्ण अधिकार दिए जाने चाहिए।

30. दूरसंचार विभाग को मूल्यवर्द्धित सेवा के क्षेत्र में प्रवेश करना चाहिए।

प्रणाली सपोर्ट

31. एक समेकित कम्प्यूटरीकृत सपोर्ट प्रणाली के तेजी से

कार्यान्वयन के लिए आई.टी. में सुविज्ञ प्रतिष्ठानों की सेवा ली जानी चाहिए।

32. राष्ट्रव्यापी डाइरेक्टरी सूचना सेवा, सामग्री प्रबंधन, केवल अभिलेखों को कम्प्यूटरीकृत करना, टेलीफोन राजस्व तथा लेखा-कार्य को कम्प्यूटरीकृत करने जैसे कार्यों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

33. वाणिज्यिक अभिलेखों को कम्प्यूटरीकृत करने के लिए आप्टिकल डिस्क पर आधारित डब्ल्यू ओ आर एम कहलाने वाली कम्प्यूटरीकृत रिकार्डिंग प्रणाली का प्रयोग किया जाना चाहिए।

मानव-संसाधन

34. कर्मचारियों की अभिप्रेरणा के कार्य को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसके लिए कई उपाय सुझाए गए हैं।

35. सभी पात्र समूह ग और समूह घ कर्मचारियों को पुनर्गठित संवर्गों के लिए प्रशिक्षित किया जाए। फोन मेकैनिक और अन्य पुनर्गठित संवर्गों के लिए मानदण्ड निर्धारित करने के संबंध में कार्य का अध्ययन किया जाए।

36. प्रशिक्षण बाहर की चुनिंदा एजेंसियों द्वारा आयोजित किए जा सकते हैं। ग्राहक की हितरक्षा पर व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करने के लिए समूह ख और समूह ''ग'' एक चुनिंदा समूह की कुछ विकसित देशों में भेजा जाना चाहिए।

37. दूरसंचार विभाग में एक लुभावनी स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति योजना शुरू की जाए।

38. समूह ''घ'' कर्मचारियों द्वारा पढ़ाई लिखाई में कुशलता प्राप्त करने के लिए विभाग द्वारा वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाए।

39. कर्मचारियों के आयु-स्वरूप को सही करने के लिए मझाप्रबंधकों को एक सीमित सीमा तक नए नवयुवकों को भर्ती करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

40. कनिष्ठ दूरसंचार अधिकारी, टी.ई.एस.समूह ''ख'', एस.टी. एस. समूह ''क'', सिविल/इलेक्ट्रिकल/आरकीट्रेक्चरल इंजीनियर्स और लेखाधिकारियों के संवर्गों के लिए संवर्ग प्रबंध योजना शुरू की जाए।

41. दूरसंचार विभाग में कर्मचारियों को विशेष भत्ते दिए जाएं।

42. कुशल कर्मचारियों को आवास, परिवहन, आवासीय टेलीफोन और अवकाश-विश्राम गृह जैसी अतिरिक्त सुविधाएं दी जाएं ताकि वे विभाग में ही बने रहें।

विपणन

43. बाहरी संचार (पी.आर.), आंतरिक संचार और विपणन, ग्राहक-उन्मुख और पी.आर. क्षेत्र में उपयुक्त प्रशिक्षण और अभिमुखीकरण कार्यक्रम से युक्त विपणन कार्य करने के लिए प्रत्येक सर्किल/गौण स्विचन क्षेत्र में एक नई विपणन संरचना सृजित की जाए। राजस्व प्रतिशत के तौर पर विपणन-बजट, निर्धारित किया जाए।

44. नीति-निर्धारण और कार्यान्वयन में विपणन अनुसंधान को एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी होती है ताकि राजस्व में बढ़ोतरी हो सके।

45. एक परामर्शदायी प्रकोष्ठ और एक दूरसंचार विपणन इकाई बनाई जाए।

46. आरम्भ में मूल्यवर्धित और बड़ी संख्या के ग्राहकों के हिसाब-किताब का कार्य करने के लिए सेवा प्रतिनिधि और सेवा प्रबंधक की संकल्पना की जाए।

वित्तीय प्रबंध

47. नए वातावरण में विभाग को अपनी भूमिका अपने उद्देश्यों के प्रति एक स्पष्ट दृष्टिकोण होना चाहिए।

48. लेखा-जोखा पूर्णतया वाणिज्यिक आधार पर रखने, कार्य निष्पादन और वित्तीय अनुपातों का नियमित विश्लेषण करने की तत्काल आवश्यकता है ताकि भविष्य में प्रभावशाली योजनाएं तैयार की जा सकें।

49. विभाग द्वारा उपस्कर की खरीद सहित खर्च करने की सभी संभावित शक्तियों का सर्किलों में विकेन्द्रीकरण कर देना चाहिए।

50. विभाग द्वारा व्यावसायिक सामग्री प्रबंध, माल सूची नियंत्रण, भण्डार-लेखा प्रणाली और वस्तुओं तथा सेवाओं की लागत-निर्धारण प्रणाली शुरू की जानी चाहिए। मौजूदा विसंगत और उल्टे टैरिफ ढांचे को तत्काल सही किया जाए।

51. विभाग, परमाणु ऊर्जा आयोग की तरह नियंत्रक कम्पनियों अथवा रेलवे की तरह एक दूरसंचार वित्त निगम की स्थापना पर विचार कर सकता है।

संरचना

52. एक वृहत्तर प्रचालक होने के नाते दूरसंचार विभाग के लिए यह आवश्यक है कि वह ब्रिटिश दूरसंचार की तरह अपने आपको एकोनिजी निकाय में परिवर्तित करने के लिए तैयार रहे।

53. निजी निकाय में परिवर्तन की दिशा में चार उपाय सुझाए जाते हैं।

54. निजी निकाय में परिवर्तन से पहले दूरसंचार विभाग की

प्रचालक यूनिट को पहले प्रोटो-निगम के तौर पर बनाया जाए और तदनंतर एक नियंत्रक कंपनी का गठन किया जाए जिसके अधीन सार्वजनिक क्षेत्र की चार इकाइयाँ होंगी।

55. मौजूदा दूरसंचार आयोग का विभाजन किया जाना चाहिए और इसका एक भाग अलग किया जाए जो संचार मंत्रालय के अधीन नीति-निर्धारण निकाय के तौर पर कार्य करेगा। इसमें दूरसंचार क्षेत्र के पेशेवर व्यक्ति नियुक्त किए जायें। इसका एक भाग नियंत्रक कंपनी के प्रबंधक मण्डल के तौर पर कार्य करेगा।

[अनुवाद]

कर्नाटक में दूरदर्शन रिले केन्द्र

681. श्री ए. वेंकटेशनायक : क्या सूचना तथा मंत्रालय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार कर्नाटक में शापुर में दूरदर्शन रिले केन्द्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस प्रयोजन के लिए भूमि का अधिग्रहण पहले ही कर लिया है; और

(घ) यदि हाँ, तो यह कार्य कब तक आरंभ होने की संभावना है?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) जी, नहीं। तथापि, गुलबर्ग स्थित 10 किलो वाट उच्च शक्ति ट्रांसमीटर के चालू होने पर इसे (शापुर) कवर किए जाने की संभावना है।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते।

पेट्रोल, डीजल तथा रसोई गैस का बाजार मूल्य तथा उत्पादन

682. श्रीमती गीता मुखर्जी: क्या पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पेट्रोलियम, डीजल तथा रसोई गैस की उत्पादन लागत क्या है; और

(ख) इन उत्पादों का वास्तविक बाजार मूल्य क्रमशः क्या है?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) क्रूड शुपुट के स्तर पर उत्पादन प्रणाली कच्चे तेल की सुपुर्दगी पर लागत प्रसंस्करण/शोधन की लागत तथा नियोजित पूंजी पर आय आदि के आधार पर पेट्रोल, डीजल तथा एल. पी.जी. की उत्पादन लागत रिफाइनरी-दर-रिफाइनरी भिन्न-भिन्न होगी। वर्ष 1994-95 के लिए भारित औसत आधार पर (उत्पाद कर को छोड़कर) उत्पादन की अनुमानित लागत निम्नानुसार बैठती है:

एम.एस.-87	रु. 4774/के.एल.
एच.एस.डी.	रु. 5440/के.एल.
एल.पी.जी. (थोक)	रु. 5915/एम.टी.
एल.पी.जी. (डिब्बा बंद)	रु. 7602/एम.टी.

(ख) पेट्रोलियम उत्पादों की घरेलू कीमतों की रचना इस प्रकार की जाती है कि इसके अनिवार्य उपयोग को निरुत्साहित किया जा सके, ईंधन प्रतिस्थापन को बढ़ावा दिया जा सके तथा सामाजिक-आर्थिक कारणों से समाज के कमजोर तबके के लिए आवश्यक ईंधनों पर राज सहायता दी जा सके। 1.10.95 की स्थिति के अनुसार चार महानगरों में खुदरा बिक्री कीमत निम्नानुसार हैं :

उत्पाद	इकाई	दिल्ली	कलकत्ता	बम्बई	मद्रास
एम.एस.-87	रुपए/प्रति लीटर	16.95	17.68	19.26	19.98
एच.एस.डी.	रुपए/प्रति लीटर	6.99	7.25	7.84	7.80
एल.पी.जी. (डिब्बा बंद-घरेलू) रुपए/प्रति 14.2 कि.मी. सिलेंडर)		93.78	106.99	94.37	98.05

अरुणाचल प्रदेश में चकमा शरणार्थी

683. श्री लाईता उम्ब्रे :
श्री पी.के. थुंगन:
श्री परसराम भारद्वाज :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अरुणाचल प्रदेश में बसे चकमा और हजोंग लोगों की संख्या अधिक है;

(ख) यदि हाँ, तो शिविरवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन्हें किस वर्ष में बसाया गया था;

(ग) किस कानून के अन्तर्गत इन शरणार्थियों को बसाया गया था; और

(घ) राज्य और केन्द्रीय सरकार दोनों द्वारा इन शरणार्थियों पर उनको बसाए जाने के बाद अब तक कितनी धनराशि व्यय की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (सैयद सिब्ते रजी) : (क) से (घ). भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान (अब बंगलादेश) में जातीय दंगों के परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में लोग भारत में आए। पुर्नवास योजना के अन्तर्गत उन्हें देश के विभिन्न भागों में बसाया/पुनः बसाया गया। उनमें 2902 चकमा और हजोंग परिवार भी शामिल थे जो नेफा प्रशासन के साथ परामर्श करके 1964-68 की अवधि के बीच उस समय लोहित जिले में नेफा (अब अरूणाचल प्रदेश) क्षेत्र तिरप जिले की नोवा डिहिंग घाटी और सुबन सिरी जिले में पुनः बसाए गए। नेफा में इन परिवारों के पुर्नवास के लिए केन्द्र सरकार द्वारा लगभग 1.30 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृति की गयी थीं।

तेल शोधक कारखाना

684. श्री बसुदेव आचार्य :
श्री चित्त बसु :

क्या **पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा तेल शोधक कारखाना स्थापित करने संबंधी कुछ प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास स्वीकृति हेतु लम्बित हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ये प्रस्ताव कब से लम्बित पड़े हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन प्रस्तावों को स्वीकृति देने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (घ). निम्नलिखित प्रस्ताव सरकार के पास कार्यवाही के विभिन्न चरणों में हैं।

पक्षकार का नाम	कार्य जिसके लिए प्रस्ताव है	तारीख जब से प्रस्ताव लंबित है।	स्थगन
1. मैसर्स स्टर्लिंग आयल रिफाइनरीज लिमिटेड	रिफाइनरी	8.5.1995	मिदनापुर
2. श्री श्रवण कुमार टोडी	रिफाइनरी	15.5.95	मिदनापुर
3. श्री ओम प्रकाश कनोई	रिफाइनरी	25.9.95	मिदनापुर
4. मैसर्स जालान कार्बन्स एण्ड केमीकल्स लिमिटेड	हल्के और भारी साल्वेंट नाफ्था का उत्पादन	30.10.95	हावड़ा

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति

685. डा. विश्वनाथम कैनिथी : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्वाह-व्यय में वृद्धि को देखते हुए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े समुदायों के छात्रों को दी जाने वाली मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की राशि में बढ़ोत्तरी करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को किसी अन्य रूप में क्षतिपूर्ति करने का है; और

(घ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों को दी जाने वाली मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति में पिछली बार कब संशोधन किया गया था?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. बी. तंग्काबालू) : (क) जी, हां। सरकार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की राशि में वृद्धि के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। तथापि, अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कल्याण मंत्रालय द्वारा ऐसी कोई योजना नहीं चलाई जा रही है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए अनुरक्षण भत्ते की दरों में पिछली बार 1.7.1989 से संशोधन किया गया।

बाराक बांध का निर्माण

686. श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंन्द्रीय सरकार ने तिपमुख में निर्मित किए जाने वाले बाराक बांध प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो कब किया है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसकी अनुमानित लागत क्या है; और

(घ) उक्त बांध का कार्य कब तक शुरू होने और कब पूरा होने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : (क) और (ख). जी नहीं। तथापि, सलाहकार समिति ने इस योजना को 25.8.95 को हुई अपनी बैठक में इस शर्त पर स्वीकार्य पाया कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पर्यावरणीय एवं वन स्वीकृति प्राप्त कर ली जाए। इस योजना में असम में बाढ़ लाभों तथा 1500 मेगावाट की संस्थापित क्षमता के विद्युत घर की परिकल्पना की गई है।

(ग) इस योजना पर 2899 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है।

(घ) ब्रह्मपुत्र बोर्ड को पर्यावरणीय एवं वन स्वीकृति प्राप्त करनी है तथा जलमग्न क्षेत्र और पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन संबंधी पहलुओं पर असम, मणिपुर एवं मिजोरम राज्यों के बीच मतभेदों को दूर करना है।

कोयला उत्पादन

687. श्री शांताराम पोतदुखे : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान देश में कुल कितने कोयले का उत्पादन हुआ;

(ख) गत् तीन वर्षों के उत्पादन माल-प्रेषण तथा स्टॉक का कम्पनीवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न कोयला कम्पनियों द्वारा क्षमता-उपयोग स्थिति का वर्षवार ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) देश में वर्ष 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान हुए कोयले के उत्पादन को नीचे दर्शाया गया है :-

मिलियन टन में

1993-94	246.04
1994-95	253.80

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान कंपनी-वार हुए कोयले के उत्पादन, प्रेषण तथा स्टाक का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(मिलियन टन में)

कंपनी	उत्पादन			प्रेषण			निम्न तारीख को बिक्री स्टाक		
	92-93	93-94	94-95	92-93	93-94	94-95	31.3.93	31.3.94	31.3.95
ईकोलि भाको	24.06	22.61	24.85	22.21	22.30	24.16	4.07	2.85	2.29
कोलि	28.06	29.04	28.76	26.72	28.55	28.31	9.06	7.43	4.33
सेकोलि	32.38	33.51	31.29	32.31	32.98	31.24	11.26	11.43	4.64
नाकोलि	30.70	31.41	32.50	30.30	32.37	32.92	2.89	1.91	1.48
वेकोलि	25.75	26.50	27.24	24.98	25.52	27.22	2.90	3.50	3.08
साईकोलि	46.03	47.53	50.00	44.93	46.91	47.67	6.95	7.00	8.70
मकोलि	23.14	24.30	27.32	22.51	23.99	26.85	4.60	4.82	5.14
नाईको	1.10	1.20	1.18	0.86	0.75	0.84	0.36	0.80	1.14
कोइलि	211.22	216.10	223.14	204.82	213.37	219.21	42.09	39.74	30.80
नि को कं. लि.	22.51	25.21	25.65	21.71	24.67	25.54	0.93	0.92	1.11
अन्य (टिस्को, इस्को और दा. घा. नि.)	4.53	4.73	5.01	4.50	4.69	5.02	0.27	0.28	0.23
कुलजोड़	238.26	246.04	253.80	231.03	242.73	249.77	43.29	40.94	32.14

(ग) पिछले प्रत्येक तीन वर्षों की अवधि के दौरान विभिन्न कोयला कंपनियों की क्षमता उपयोगिता का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

कंपनी	1992-93	1993-94	1994-95
ई. को. लि.	67.88	66.42	71.16
भा.को.को.लि.	77.55	76.55	75.37
से.को.लि.	99.94	92.55	71.69
ना.को.लि.	92.44	86.72	88.95
वे.को.लि.	92.47	95.09	92.89
सा.ई.को.लि.	103.18	116.81	98.02
म.को.लि.	133.09	108.57	81.13
को.इं.लि.	92.65	91.51	83.17
सिं.को.कं.लि.	94.00	95.00	95.00

दूरदर्शन का स्तर

688. कुमारी सुशीला तिरिया : क्या सूचना तथा प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन सूर्य ग्रहण जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को भली-भांति प्रसारित करने में असमर्थ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) दूरदर्शन के स्तर में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) दूरदर्शन अपने स्थलीय नेटवर्क के क्रमिक विकास और नवीनतम कला स्थिति उपकरण की शुरूआत के जरिए तथा कार्यक्रमों की दिशा में अतिरिक्त चैनलों और नए कार्यक्रम फॉरमेटों जो कि इसके व्यापक प्रतिनिधिक समूह को विविध आश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, को शुरूआत के माध्यम से अपने चैनलों की तकनीकी गुणवत्ता में सुधार लाने के बारे में सतत रूप से प्रयास कर रहा है।

[हिन्दी]

तेलशोधक कारखानों की स्थापना

689. श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार :
श्री अम्मा जोशी :

क्या पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार महाराष्ट्र में तेलशोधक परियोजनाओं/तेलशोधक कारखानों की स्थापना करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख). तेल क्षेत्र के विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा स्थापित करने के लिए प्रस्तावित परियोजनाओं का विवरण निम्नानुसार है:

(1) बी पी सी एल द्वारा 398.62 करोड़ रूपये की लागत पर स्थापित की जा रही बम्बई-मनमाड़ उत्पाद पाइपलाइन। इस परियोजना को 19.4.95 को अनुमोदित किया गया था।

(2) एच पी सी एल तथा ओमान आयल कंपनी के संयुक्त उद्यम के माध्यम से 4407 करोड़ रुपये की लागत पर 6 मि.मी.ट. प्रति वर्ष की एक रिफाइनरी। सरकार को प्रथम चरण का अनुमोदन दे दिया गया है।

(3) बी पी सी एल तथा शेल ओवरसीज इंटरनेशनल द्वारा स्थापित किया जा रहा 80 करोड़ रुपये की लागत पर तलोजा में स्नेहक मिश्रण संयंत्र।

(4) आई ओ सी द्वारा स्थापित किया जा रहा मनमाड, अकोला तथा बुल्दाना में 84 मि.मि.ट. प्रति वर्ष की क्षमता का एल पी जी भराई संयंत्र। बुल्दाना वाले संयंत्र को 28.11.95 को अनुमोदित किया गया था।

(5) आई ओ सी द्वारा स्थापित किये जा रहे उरान में 40,000 कि. ली. के भंडारण सहित नया पी ओ एल टर्मिनल तथा 15,000 कि.ली. के भंडारण सहित मनमाड़ में नया टी ओ पी।

(6) एच पी सी एल द्वारा स्थापित किया जा रहा 44 करोड़ रुपये की लागत पर न्यू बम्बई में ब्लैक आयल पाइपलाइन तथा सहबद्ध टर्मिनल।

एल. पी. जी. कनेक्शन

690. श्री राम प्रसाद सिंह : क्या पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चालू वर्ष में उन उपभोक्ताओं को एल.पी.जी कनेक्शन उपलब्ध कराने का है जिन्होंने एल.पी.जी. वितरकों के पास वर्ष 1984-85 तथा 1986-87 के दौरान पंजीकरण कराया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख). एल पी जी के नये कनेक्शन प्रतीक्षा सूची पर रखे व्यक्तियों को संबंधित वितरक के पास पंजीकृत क्रम संख्या के अनुसार दिये जाते हैं जो वितरक के पास उपलब्ध स्लैक, प्रतीक्षा सूची और उद्योगों की वर्ष के लिए नामांकन योजना को देखते हुए नये ग्राहकों के नामांकन के आधार पर वितरक को आवंटित किये जाते हैं। गैस कनेक्शन का दिया जाना वितरक को आवंटित पंजीकरण की आयु पर आधारित नहीं होता है।

[अनुवाद]

सिंचाई परियोजनाओं का गैर-सरकारीकरण

691. श्री राम कापसे: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाओं के गैर-सरकारीकरण की व्यवहार्यता की जांच करने के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) केंद्रीय सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो उक्त समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

(घ) उच्च स्तरीय समिति द्वारा दिसंबर, 1995 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की संभावना है।

[अनुवाद]

बंगलौर में आधुनिक फाइरिंग रेंज

692. श्रीमती चंद्र प्रभा अर्स : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सी.आर.पी.एफ. द्वारा बंगलौर में स्थापित किए जाने वाले आधुनिक फाइरिंग रेंज की स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस उद्देश्य के लिए भूमि अधिगृहीत की गई है;

(ग) इस रेंज के कब तक स्थापित किये जाने की संभावना है; और

(घ) इस योजना का प्रस्तावित येलहंका अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम लाल राही) : (क) भारत सरकार ने केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के लिए, बंगलौर के निकट एक चांदमारी क्षेत्र स्थापित करना मंजूर कर लिया है।

(ख) और (ग). इस उद्देश्य के लिए गांव तारलु, उत्तरहाली, बंगलौर, दक्षिण ताल्लुक में 253 एकड़ भूमि अधिगृहीत कर ली गई है और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा 14.11.95 को इसका कब्जा ले लिया गया है। अपेक्षित निर्माण कार्य, ड्राइंग्स, आकलन के तैयार हो जाने और उचित प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन प्राप्त हो जाने के बाद शुरू किया जायेगा।

(घ) चांदमारी का प्रस्तावित स्थल, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के प्रस्तावित हवाई अड्डे से 45 कि. मी. की दूरी पर स्थित है। इस समय ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि इससे हवाई अड्डे पर कोई प्रभाव पड़ने की संभावना है।

अधिकारियों का रिलायन्स समूह उद्योगों में शामिल होना

693. श्री सुखदेव पासवान : क्या पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय और सार्वजनिक क्षेत्र तथा अधीनस्थ सम्बद्ध कार्यालयों के कुछ वरिष्ठ स्तरीय तकनीकी प्रशासक और सचिव स्तर तक के अन्य अधिकारी सेवानिवृत्ति या त्यागपत्र या समय से पूर्व सेवानिवृत्ति लेकर तेलशोधक कारखाने लगाने के लिए तेल अन्वेषण में लगे रिलायन्स समूह के उद्योगों में शामिल हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा अपनी सरकारी सेवा छोड़ने के दो वर्ष के अन्दर रिलायन्स समूह के उद्योगों में शामिल

हो चुके अधिकारियों की संख्या कितनी है; और

(ग) उन्हें किस आधार पर अपेक्षित सरकारी स्वीकृति दी गई है?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग). इस्तीफा/सेवानिवृत्ति के बाद पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के किसी भी अधिकारी ने रिलायंस समूह के उद्योगों में सेवा आरंभ नहीं की है। परन्तु सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने सूचित किया है कि उनके पास अनौपचारिक जानकारी है कि इस्तीफे/सेवानिवृत्ति के बाद उनके कुछ अधिकारियों ने रिलायंस समूह के उद्योगों सहित अन्य संगठनों में सेवा आरंभ की है। ऐसे अधिकारियों की सही संख्या का पता सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को नहीं है क्योंकि उनके सेवा नियमों के अंतर्गत इस्तीफे/सेवानिवृत्ति के बाद ऐसे नियोजन शुरू करने के लिए अनुमति प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। परन्तु हाल ही में इस मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अनुदेश जारी किए हैं जिनमें निर्धारित किया गया है कि बोर्ड स्तर के अधिकारियों को अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख से दो वर्ष के भीतर नियोजन शुरू करने के लिए सरकारी अनुमति लेनी चाहिए।

जैन आयोग की टिप्पणियां

694. श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान श्री राजीव गांधी की हत्या के षडयंत्र की जांच कर रहे जस्टिस एम.सी.जैन आयोग द्वारा कथित रूप से की गई इस आशय की टिप्पणी की ओर दिलाया गया है कि आयोग "अंधेरे में भटक रहा है"; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस हेतु क्या कदम उठाए हैं कि आयोग निर्धारित समयावधि में उचित निष्कर्ष पर पहुंच सके?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (सैयद सिब्ते रजी) : (क) और (ख). सरकार, जैन जांच आयोग को पूरा सहयोग दे रही है।

[हिन्दी]

इन्दौर में दूरदर्शन स्टूडियो

695. श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या सूचना तथा प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इन्दौर में दूरदर्शन स्टूडियो की स्थापना करने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या निर्णय लिया है?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : (क) और (ख). जी, हां। इन्दौर में दूरदर्शन स्टूडियों की स्थापना से संबंधित स्कीम अनुमोदित कर दी गई है और इस समय इसको कार्यान्वित किया जा रहा है।

[अनुवाद]

तेल और प्राकृतिक गैस निगम स्टॉक में विनिवेश

696. श्री राजेश कुमार : क्या पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तेल और प्राकृतिक गैस निगम स्टॉक में विनिवेश करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी स्टॉक इक्विटी बेचे जाने का प्रस्ताव है और इसकी प्रतिशतता कितनी है?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख). सरकार ने ओ एन जी सी को ऐसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के रूप में छांटा है जिसे वर्ष 1995-96 के दौरान उसकी चुकता पूंजी के 5% की सीमा तक निवेश निकासी के लिए लिया जाएगा। अक्तूबर 95 की निवेश निकासी के रूप में 2.5% को बिक्री के लिए प्रस्तावित किया गया था।

[हिन्दी]

कोयले पर रायल्टी

697. श्री छोटन राम जांगड़े : क्या कोयले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयले की प्रति मीट्रिक टन, रायल्टी की दर कितनी है, जिस पर भुगतान किया जा रहा है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष में अब तक मध्य प्रदेश को दी गई रायल्टी की वर्षवार धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) ईस्टर्न कोल फील्डस लि० बिलासपुर, जिला सरगुजा, के अन्तर्गत कोयला खानों से उत्पादित कोयले की मीट्रिक टन में मात्रा कितनी है और राज्य सरकार को इस संबंध में कितनी रायल्टी अदा की गई;

(घ) क्या पहले भी इस क्षेत्र के विकास के लिए यह रायल्टी ली जा रही थी;

(ङ) यदि हां, तो इसे बंद करने के क्या कारण हैं; और

(च) इस प्रथा को बहाल करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) कोयले पर रायल्टी की दरों को केवल मेघालय राज्य को छोड़कर अंतिम बार 11.10.94 से संशोधित किया था। मेघालय राज्य के संशोधन के संबंध में 31.1.95 को अधिसूचित किया था। कोयले के विभिन्न ग्रेड के लिए रायल्टी की विद्यमान दरों को संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) 1991-92 से 30 सितम्बर 95 तक रायल्टी के रूप में मध्य प्रदेश को अदा की गई राशि का वर्षवार ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

करोड़ रुपये में

वर्ष	राशि
1991-92	240.20
1992-93	384.52
1993-94	369.56
1994-95	438.91
1995-96 (30.9.95 तक)	334.26

(ग) मध्य प्रदेश में ईस्टर्न कोल फील्डस् लि० (ई.को.लि.) के अन्तर्गत कोई कोलियरी नहीं है। 1994-95 के दौरान ई.को.लि. का उत्पादन 24.85 मि.टन था तथा ई.को.लि. ने 53.79 करोड़ रु. की रायल्टी का भुगतान किया (9.21 करोड़ रुपये पश्चिम बंगाल को तथा 44.50 करोड़ रुपये बिहार को) साऊथ ईस्टर्न कोलफील्डस् लि. (सा. ई. को. लि.) बिलासपुर द्वारा उत्पादित किए गए कोयले तथा अदा की गई रायल्टी की राशि और सरगुजा जिले में स्थित खानों द्वारा उत्पादित कोयले की मात्रा तथा अदा की गई रायल्टी नीचे दी गई है :-

वर्ष	सा.ई.को.लि. बिलासपुर, सरगुजा जिले में खानें			
	उत्पादन मि. टन में	म.प्र. को अदा की गई रायल्टी (करोड़ रू. में)	उत्पादन मि. टन में	मध्य प्र. को अदा की गई रायल्टी (करोड़ रू. में)
1991-92	44.15	137.29	87.13	48.84
1992-93	46.04	230.86	86.22	83.27
1993-94	47.53	212.18	84.33	69.63
1994-95	50.00	280.79	84.62	76.42
1995-96 (30.9.95 तक)	22.96	223.24	36.61	75.15

(घ) से (च). कोयला रायल्टी की राशि के उपयोग को प्रयोजन का निर्णय संबंधित राज्य सरकारों द्वारा लिया जाता है तथा उनके द्वारा केन्द्रीय सरकार को इस सम्बन्ध में कोई लेखा प्रस्तुत नहीं किया जाता है।

विवरण

पश्चिम बंगाल और मेघालय राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में उत्पादित कोयले की दरें नीचे दी गई हैं:

(1) **ग्रुप I कोयला** :

(क)	कोककारी कोयला इस्पात ग्रेड I इस्पात ग्रेड II वाशरी ग्रेड I	केवल एक सौ पन्द्रानवे रुपये प्रति टन
(ख)	अरुणाचल प्रदेश, असम और नागालैण्ड में उत्पादित हाथ से उठाया गया कोयला	केवल एक सो पचास रूपये प्रति टन

(2) **ग्रुप II कोयला** :

(क)	कोककारी कोयला वाशरी ग्रेड II कोककारी कोयला वाशरी ग्रेड III	
(ख)	अर्द्ध-कोककारी कोयला ग्रेड I अर्द्ध-कोककारी कोयला ग्रेड II	केवल एक सौ पैंतीस रुपये प्रति टन
(ग)	गैर-कोककारी कोयला ग्रेड-ए गैर-कोककारी कोयला ग्रेड-बी	

(घ)	अरुणाचल प्रदेश, असम और नागालैंड में उत्पादित बिना ग्रेड का खान से निकाला हुआ कोयला	केवल एक सौ तीस रुपये प्रति टन

(3) ग्रुप III कोयला :

(क)	कोककारी कोयला वाशंरी ग्रेड 4	केवल पन्द्रानवे रुपये
(ख)	गैर-कोककारी कोयला ग्रेड सी	प्रति टन

(4) ग्रुप IV कोयला :

(क)	गैर-कोककारी कोयला ग्रेड डी	केवल सत्तर रुपये
(ख)	गैर-कोककारी कोयला ग्रेड ई	प्रति टन

(5) ग्रुप V कोयला :

(क)	गैर-कोककारी कोयला ग्रेड एफ	केवल पचास रुपये
(ख)	गैर-कोककारी कोयला ग्रेड जी	प्रति टन

लिग्नाइट : केवल दो रुपये पचास पैसे प्रति टन

(6) ग्रुप VI कोयला :

आंध्र प्रदेश राज्य में उत्पादित कोयला	केवल पचहत्तर रुपये प्रति टन

पश्चिम बंगाल और मेघालय राज्यों मे उत्पादित कोयले की दरें नीचे दी गई हैं :

(1) ग्रुप I कोयला

(क)	कोककारी कोयला इस्पात ग्रेड 1 इस्पात ग्रेड 2 वाशंरी ग्रेड 1	केवल सात रुपये प्रति टन
(ख)	मेघालय राज्य में उत्पादित हाथ से उठाया गया कोयला	केवल एक सौ पचास रुपये प्रति टन

(2) ग्रुप II कोयला :

(क)	कोककारी कोयला वाशंरी ग्रेड ।। कोककारी कोयला वाशंरी ग्रेड ।।।	
(ख)	अर्द्ध-कोककारी कोयला ग्रेड । अर्द्ध-कोककारी कोयला ग्रेड ।।	केवल छः रुपये पचास पैसे प्रति टन
(ग)	गैर-कोककारी कोयला ग्रेड ए गैर-कोककारी कोयला ग्रेड बी	
(घ)	मेघालय राज्य में उत्पादित बिना ग्रेड का खान से निकाला हुआ कोयला	केवल एक सौ तीस रुपये प्रति टन

(3) ग्रुप III कोयला :

(क)	कोककारी कोयला वाशंरी ग्रेड 4	केवल पांच रुपये पचास पैसे
(ख)	गैर-कोककारी कोयला ग्रेड सी	प्रति टन

(4) ग्रुप IV कोयला :

(क)	गैर-कोककारी कोयला ग्रेड डी	केवल चार रुपये तीस पैसे
(ख)	गैर-कोककारी कोयला ग्रेड ई	प्रति टन

(5) ग्रुप V कोयला :

(क)	गैर-कोककारी कोयला ग्रेड एफ	केवल दो रुपये पचास पैसे
(ख)	गैर-कोककारी कोयला ग्रेड जी	प्रति टन

[अनुवाद]

रेल परियोजनाएं

698. श्री महेश कनोडिया : क्या योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि योजना आयोग द्वारा वर्ष 1993-94 और 1994-95 के दौरान गुजरात के लिए स्वीकृत की गई रेल परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : योजना आयोग द्वारा 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान गुजरात के लिए कोई रेलवे परियोजना स्वीकृत नहीं की गई थी।

[हिन्दी]

कोसी नहर परियोजना

699. श्री भोगेन्द्र झा : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार तथा इस राज्य के संसद सदस्यों ने केंद्र सरकार को पश्चिमी कोसी नहर परियोजना को केंद्रीय प्रायोजित परियोजना के अंतर्गत पूरा करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). यह प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत नहीं किया जा सका क्योंकि आठवीं योजना में राष्ट्रीय महत्व की सिंचाई परियोजनाओं को केन्द्रीय सहायता देने के लिए इस मंत्रालय का प्रस्ताव योजना आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। योजना आयोग ने वर्ष 1995-96 के दौरान इस परियोजना के लिए 30.50 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की है।

पेट्रोलियम उत्पादों में मापन और मिलावट

700. श्री चन्द्रेश पटेल : क्या पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पैट्रोलियम उत्पादों के मापन और उनमें मिलावट के संबंध में पिछले तीन वर्षों के दौरान अब तक कोई शिकायत मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) उन रसोई गैस एजेंसियों और पेट्रोल पम्पों की संख्या क्या है जिनके परमिट उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप रद्द किये गये हैं?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग). चालू वर्ष के दौरान तेल कंपनियों को कम माप तथा पेट्रोलियम उत्पादों में मिलावट के बारे में कतिपय शिकायतें मिली हैं। इसके संबंध में राज्य-वार विस्तृत ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

अपराध के प्रमाणित मामलों में चूककर्ता डीलरों/डिस्ट्रीब्यूटरों के विरुद्ध विपणन अनुशासन दिशानिर्देश के अनुसार कार्यवाही की जाती है जिसमें पहले अपराध के लिए अर्थदंड अथवा चेतावनी पत्र अथवा दोनों ही दिया जाता है तथा बार-बार अपराध करने पर डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप को निलंबित/परिसमा कर दिया जाता है।

(घ) गुजरात में एक खुदरा बिक्री केन्द्र तथा कर्नाटक में एक एल पी जी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप समाप्त कर दी गयी थी।

विवरण

पेट्रोलियम उत्पादों के कम माप तथा उनकी मिलावट के बारे में शिकायतों की राज्यवार संख्या

क्रमं.	राज्य	कम माप	मिलावट	कम भार के एल पी जी सिलिंडर
	1	2	3	4
1.	असम	0	1	0
2.	दिल्ली	2	1	1
3.	गुजरात	0	1	2
4.	हरियाणा	2	0	0
5.	मध्य प्रदेश	0	4	0
6.	महाराष्ट्र	0	9	0
7.	पंजाब	1	4	1
8.	कर्नाटक	0	0	1
9.	राजस्थान	0	2	1
10.	उत्तर प्रदेश	2	2	0

[अनुवाद]

उत्तर प्रदेश में डिजीटल नेटवर्क

701. डा. साबीजी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों को ग्रामीण एकीकृत डिजीटल नेटवर्क कार्यक्रम के अंतर्गत लाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी नहीं, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

नई दिल्ली नगर पालिका परिषद का एक निर्वाचित निकाय के रूप में गठन

702. श्री पीयूष तीरकी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एन. डी. एम. सी.) का एक निर्वाचित निकाय के रूप में गठन करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसका गठन कब तक किये जाने की संभावना है ?

गृह मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. एम. कामसन) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) और (ग). उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठत।

बॉटलिंग प्लांट लगाना

703. श्री जितेन्द्र नाथ दासः क्या पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में और अधिक बॉटलिंग प्लांट संयंत्र लगाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख). 8वीं योजना के दौरान पश्चिमी बंगाल राज्य के कलकत्ता में इंडियन आयल कारपोरेशन तथा भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन, प्रत्येक द्वारा 44 टी एम टी पी ए क्षमता के एक एक नए एल पी जी भरण संयंत्र स्थापित करने की योजनाएं है।

मुम्बई में डाकघरों का नवीकरण

704. श्री राम नाईक : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक विभाग ने मुम्बई में वर्ष 1995-96 के दौरान छः डाकघरों तथा वर्ष 1996-97 के दौरान बीस डाकघरों के नवीकरण का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो ये डाकघर कहां-कहां स्थित हैं तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उत्तरी मुम्बई में विभाग ने कहां-कहां पर नए डाकघर खोलने का निणर्य लिया है तथा इन नए डाकघरों के लिए इमारतें प्राप्त करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) से (ग). उत्तर बम्बई क्षेत्र के लिए निम्नलिखित विभागीय उप डाकघर मंजूर किये गए हैं :-

(क) कुरार गांव (मलाड)

(ख) साईबाबा नगर (बोरीवाली)

(ग) एवर शाइन नगर (मलाड)

(घ) पूनम नगर (जोगेश्वरी)

(ङ) बनोर पार्क (बोरीवली)

(च) वसई रोड पूर्व

इन डाकघरों में से वसई रोड पूर्व डाकघर 10.6.95 को खोल दिया गया था। भरसक प्रयास करने के बावजूद स्थान उपलब्ध न होने के कारण अन्य डाकघरों को खोलना संभव नहीं हुआ है। फिर भी, इन डाकघरों को संबंधित क्षेत्रों में उपयुक्त भवनों में खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं।

वार्षिक योजना 1996-97 में डाकघर खोलने के लक्ष्य अभी निर्धारित नहीं किए गये हैं।

[हिन्दी]

नहरों का सुदृढ़ीकरण

705. श्री भगवान शंकर रावत: क्या जल संशाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने नहरों का सुदृढ़ीकरण करने के लिए कोई प्रस्ताव केंद्रीय सरकार के अनुमोदन हेतु भेजा है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है;

(घ) क्या केंद्रीय सरकार को उपयुक्त प्रस्ताव को शीघ्र अनुमोदन प्रदान करने के लिये संसद सदस्यों से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हाँ, उस पर केंद्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) और (ख). उत्तर प्रदेश सरकार से नहर प्रणाली के आधुनिकीकरण के 11 प्रस्ताव अर्थात घाघर नहर प्रणाली का आधुनिकीकरण, बुन्देलखंड में चैनलों को पक्का करना, जामनिया पम्प नहर की क्षमता बढ़ाना, अनूपशहर शाखा का आधुनिकीकरण, फरुखाबाद शाखा का आधुनिकीकरण, चिल्लीमल पम्प नहर की क्षमता बढ़ाना, आगरा नहर का आधुनिकीकरण, पूर्वी यमुना नहर का आधुनिकीकरण, बेवर शाखा का आधुनिकीकरण, भोगनीपुर शाखा का आधुनिकीकरण और शारदा नहर का आधुनिकीकरण, तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन के लिए केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्त हुए हैं।

(ग) जामनिया पम्प नहर की क्षमता बढ़ाने के लिए परियोजना की तकनीकी-आर्थिक रूप से जांच की गई है और सलाहकार समिति द्वारा अप्रैल, 1992 में इस शर्त पर स्वीकार्य पाई गई कि राज्य सरकार द्वारा कुछ टिप्पणियों का अनुपालन कर ली जाए। घाघर नहर प्रणाली के आधुनिकीकरण और बुन्देलखंड क्षेत्र में चैनलों को पक्का करने के संबंध में राज्य सरकार को केन्द्रीय जल आयोग के साथ विभिन्न तकनीकी-आर्थिक मुद्दों को हल करना है। शेष आठ प्रस्ताव, राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों की अनुपालना न किए जाने और अन्तर्राज्यीय मुद्दों के हल न किए जाने के कारण, राज्य सरकार को लौटा दिए गए।

(घ) जी हाँ, उत्तर प्रदेश की आधुनिकीकरण योजनाओं के शीघ्र अनुमोदन के लिए बहुत से माननीय संसद सदस्यों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ङ) परियोजनाओं की स्वीकृति इस बात पर निर्भर करती है कि राज्य सरकार कितनी जल्दी केन्द्रीय जल आयोग और अन्य केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियों की अनुपालना करती है और पर्यावरण और वन मंत्रालय तथा कल्याण मंत्रालय से पर्यावरणीय/वन/पुनर्वास और पुनर्स्थापना संबंधी स्वीकृतियाँ प्राप्त करती है।

[अनुवाद]

ओमान-भारत पाइपलाइन

706. श्री सनत कुमार मंडल : क्या पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ओमान-भारत पाइपलाइन बिछाने का कार्य इस समय किस अवस्था में है;

(ख) इसकी अनुमानित लागत क्या है और भारत और ओमान के बीच यह लागत किस प्रकार वहन की जाएगी;

(ग) क्या ओमान आयल कम्पनी ने इस पाइपलाइन के लिए भारतीय निर्माताओं से 1150 कि.मी. पाइपलाइन खरीदने से इंकार कर दिया है;

(घ) यदि हाँ तो इसके कारण क्या हैं; और

(ङ) परियोजना की वित्तीय लागत पर इसका अंतिम रूप से क्या प्रभाव पड़ेगा?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) प्रस्तावित ओमान-भारत पाइपलाइन परियोजना के लिए विस्तृत व्यवहार्यता अध्ययन प्रगति पर है।

(ख) ओमान आयल कंपनी ने संकेत किया है कि इस परियोजनी में निवेश लगभग 5 बिलीयन अमरीकी डालर होगा। इस परियोजना

के वित्तपोषण पूर्णरूपेण ओमान द्वारा किया जाना है।

(ग) से (ङ). ओमान आयल कंपनी ने ऐसे आपूर्तिकर्ताओं की छांटी हुई सूची तैयार की है जो उनके स्वयं के मूल्यांकन के आधार पर ऐसी पाइपों का उत्पादन करने में सक्षम हैं। इस प्रयोजन के लिए छांटी हुई सूची में किसी भी भारतीय निर्माता को शामिल नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

डाइलिंग सुविधाएं

707. श्री अजय मुखोपाध्याय : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कलकत्ता टेलीफोन एक्सचेंज के अंतर्गत स्थानीय डाइलिंग सुविधाओं को कल्याणी तक बढ़ाने का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी नहीं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) मौजूदा नियमों के तहत स्थानीय कॉल सुविधा, कल्याणी से आगे प्रदान करने की अनुमति नहीं है। यहाँ तक कि कल्याणी टेलीफोन एक्सचेंज को कलकत्ता टेलीफोन प्रणाली से स्थानीय डायलिंग की सुविधा भी नहीं है। यह एक्सचेंज चिन्सुरा टेलीफोन प्रणाली का ही एक हिस्सा है जिसमें कलकत्ता टेलीफोन प्रणाली से 3 मिनट की पल्स पर इन्टर-डायलिंग सुविधा है।

[हिन्दी]

उत्तरांचल क्षेत्र में आरक्षण कोटा

708. श्री सुरेन्द्रपाल पाठक : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार बनाम-प्रदीप टंडन मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले के आधार पर केन्द्रीय सरकार ने सम्पूर्ण उत्तरांचल क्षेत्र को आरक्षण नीति के तहत लाने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० एम० कामसन) : (क) और (ख). मामला सरकार के विचाराधीन है।

गुजरात में दूसरे चैनल के कार्यक्रम

709. श्री एन. जे. राठवा : क्या सूचना तथा प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अहमदाबाद दूरदर्शन के दूसरे चैनल के कार्यक्रमों को संपूर्ण गुजरात राज्य में प्रसारित करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार अहमदाबाद दूरदर्शन केन्द्र से आदिवासी क्षेत्रों के लिए और भी शिक्षाप्रद एवं अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रसारित करने का है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : (क) से (ग). हालांकि कि दूरदर्शन का दूसरा चैनल (डी. डी.-2) उपयुक्त डिश एंटिना प्रणाली की सहायता से उपग्रह के जरिए समग्र गुजरात राज्य सहित संपूर्ण देश में उपलब्ध है तथापि, राज्य में अहमदाबाद और गांधीनगर स्थित अल्प शक्ति टी.वी. ट्रांसमीटरों द्वारा वर्तमान में इस सेवा को स्थलीय रूप से रिले किया जा रहा है। राज्य में सेवा का और अधिक विस्तार संसाधनों की उपलब्धता और पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

(घ) और (ङ). हालांकि दूरदर्शन केन्द्र, अहमदाबाद के ग्राम जगत कार्यक्रम की अवधि को बढ़ाए जाने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव नहीं है, तथापि, केन्द्र ऐसे कार्यक्रमों को प्रसारित करता रहेगा जो राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में डाक और तार कार्यालयों का आधुनिकीकरण

710. श्री अन्ना जोशी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वर्ष 1995-96 के दौरान महाराष्ट्र में मौजूदा सभी डाक व तार कार्यालयों का आधुनिकीकरण करने का है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) महाराष्ट्र में वर्ष 1995-96 के दौरान चुने हुए महत्वपूर्ण डाकघरों का

आधुनिकीकरण करने का प्रस्ताव है। तथापि, सभी स्वतंत्र तारघरों को मार्डन नेशनल टेलीग्राफ मैसेज स्विचिंग नेटवर्क से जोड़कर उनका पहले ही आधुनिकीकरण किया जा चुका है। जहाँ तक संयुक्त डाक-तारघरों का संबंध है, केवल उन्हीं संयुक्त डाक-तारघरों को चरणबद्ध रूप में राष्ट्रीय नेटवर्क से जोड़ा जाएगा जिनका परियात अपेक्षित स्तर का होगा।

(ख) फ्रैंट ऑफिस में प्रदान की जाने वाली सेवा की गुणवत्ता में सुधार करने, और इस प्रकार उपभोक्ता संतुष्टि में वृद्धि करने तथा कर्मचारियों को एक स्वच्छ और आधुनिक कार्य-वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 1995-96 के दौरान, पीसी आधारित बहुउद्देशीय काउंटर मशीनों की सुविधाओं का उपयोग करते हुए महाराष्ट्र के 55 महत्वपूर्ण डाकघरों को आधुनिकीकरण के लिए चुना गया है। ये 55 डाकघर पिछले वर्ष आधुनिक बनाए गए 8 डाकघरों के अतिरिक्त होंगे।

महाराष्ट्र दूरसंचार सर्किल में 11 केन्द्रीय तारघरों और 87 स्वतंत्र तारघरों को पहले ही मैसेज स्विचिंग नेटवर्क से जोड़ा जा चुका है। 114 संयुक्त डाक तारघरों को टेलीप्रिंटर के माध्यम से स्विचिंग नेटवर्क से जोड़ा गया है। 311 संयुक्त डाक-तारघरों को इलेक्ट्रानिक की-बोर्ड के माध्यम से मैसेज स्विचिंग नेटवर्क से जोड़ा गया है। वर्ष 1995-96 के दौरान 140 और संयुक्त डाक-तारघरों को इलेक्ट्रानिक की-बोर्ड के माध्यम से स्विचिंग नेटवर्क से जोड़े जाने की संभावना है। सभी स्वतंत्र तारघरों में टेलेक्स, टेलेक्स, एसटीडी और ट्रंक कॉल की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।

अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण

711. श्री मुडी राम सैकिया : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों को आय तथा व्यावसायिक कालेजों में सीटों में आरक्षण प्रदान करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.वी. तंग्कावालू) : (क) से (ग). यह मामला सरकार के सक्रिय विचारधीन है।

केन्द्रीय परियोजनाओं का कार्यान्वयन

712. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुल 383 केन्द्रीय परियोजनाओं में से 213 परियोजनाएं निर्धारित समय अवधि से पीछे चल रही हैं;

(ख) यदि हाँ, तो सेक्टर-वार ऐसी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक परियोजना की मूल्य लक्ष्य तिथि सहित मूल अनुमानित लागत का ब्यौरा और अद्यतन अनुमानित लागत सहित परियोजना पूर्ण करने की वर्तमान निर्धारित समय अवधि का ब्यौरा क्या है;

(घ) विलम्ब के क्या कारण थे और उसके फलस्वरूप लागत में कितनी वृद्धि हुई; और

(ङ) सरकार द्वारा मूल अनुमानित लागत से संबंधित प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए और स्वीकृत परियोजनाओं के शीघ्र क्रियान्वयन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) जी हाँ।

(ख) और (ग). परियोजनाओं की क्षेत्रवार सूची तथा समय और लागत वृद्धि के अन्य विवरण जून 1995 को समाप्त तिमाही की तिमाही परियोजना कार्यान्वयन स्थिति रिपोर्ट में दिए गए हैं। रिपोर्ट की प्रतियां माननीय सदस्यों के प्रयोग के लिए संसद पुस्तकालय में सन्दर्भ सामग्री के रूप में रखी गई हैं।

(घ) परियोजनाओं में विलम्ब तथा इसके फलस्वरूप लागत वृद्धि के मुख्य कारण-भूमि अधिग्रहण में विलम्ब, प्रौद्योगिक के चयन, ठेकों को देना, उपकरणों की आपूर्ति में विलम्ब, अपर्याप्त संरचना सुविधाएं, धन संबंधी रुकावटें आदि हैं। समय वृद्धि के कारण परियोजनाओं की लागत, कार्यक्षेत्र में बदलाव तथा वृद्धि के साथ-साथ मुद्रास्फीति तथा विनिमय दर में उतार-चढ़ाव के कारण, बढ़ती है।

(ङ) सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदम प्रत्येक परियोजना के लिए अलग होते हैं जो उनकी समस्याओं पर आधारित होते हैं। सामान्य रूप से सरकार द्वारा उठाए जाने वाले सुधारात्मक उपाय सदन के पटल पर विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

वास्तविक अनुमानों की तैयारी तथा परियोजनाओं के कार्यान्वयन को सुप्रवाही बनाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम

(1) उचित तैयारी, पर्यावरणीय एवं अन्य स्वीकृतियों को सुनिश्चित करने के लिए द्वि-स्तरीय परियोजना अनुमोदन एवं स्तर-II पर कार्यान्वयन के लिए अंतिम अनुमोदन से पहले स्तर-I पर अधिसंरचनात्मक आयोजन।

(2) संशोधित लागत अनुमानों के अनुमोदन की सरलीकृत प्रक्रिया जिसके अंतर्गत उच्चमों की सीमा से परे कारणों के कारण लागत वृद्धि,

मूल निर्माण अवधि का योजना आयोग के परामर्श से प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा स्वीकृत किया जाना है। उपरोक्त कारणों के अलावा अन्य कारणों से अनुमोदित लागत से 5 प्रतिशत से अधिक के संशोधित लागत को सार्वजनिक निवेश बोर्ड/मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत होना है।

(3) विभिन्न स्तरों पर परियोजनाओं का गहन प्रबोधन/इससे प्रबोधन अभिकरणों को अवरोधों की पहचान करने तथा सुधारात्मक उपाय करने में प्रबंधन की सहायता करने में सहूलियत होती है।

(4) परियोजना प्राधिकारों तथा प्रशासनिक मंत्रालयों के द्वारा प्रगति की सूक्ष्म आलोचनात्मक समीक्षा।

(5) संविदा पैकेजों के तीव्र फैसले भूमि अधिग्रहण एवं अन्य समस्याओं के निदान के लिए कार्य दल/उच्चाधिकार समितियों का गठन।

(6) कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग, संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों तथा परियोजना प्राधिकारों द्वारा राज्य सरकारों, उपस्कर आपूर्तिकाओं, ठेकेदारों, परामर्शदाताओं तथा अन्य संबंधित अभिकरणों के साथ विलंब को कम करने के लिए निकट से अनुवर्ती कार्रवाई।

(7) अन्तर्मंत्रालय समन्वय एवं परस्पर विचार विमर्श।

(8) वास्तविक परियोजना कार्यान्वियन योजना को तैयार करने पर बल।

(9) अवरोधों का सामना करने वाली विशिष्ट परियोजनाओं का सचिवों की समिति के द्वारा समीक्षा।

प्रति व्यक्ति विकास दर

713. श्री प्रकाश बी. पाटिल : क्या योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष के देश में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति विकास दर कुल कितनी-कितनी रही;

(ख) क्या पिछले दशक की तुलना में ये विकास दरें काफी कम रहीं;

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस बारे में क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का विचार है ?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है

(ग) प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद (एनएसडीपी) विभिन्न राज्यों में अनेक कारणों जैसे कि ऐतिहासिक रूप से आधार संरचना का असमान विकास और विभिन्न क्षेत्रों में, औद्योगिक तथा उद्यमशीलता विकास, वर्ष-दर-वर्ष वर्षा में अंतर और सूखा तथा बाढ़ और जनसंख्या में वृद्धि की वजह से भिन्न-भिन्न हैं।

(घ) राज्य सरकारें राज्यों की आय बढ़ाने के लिए विकास योजनाएं क्रियान्वित कर रही हैं। केन्द्र सरकार एक फार्मूले के अनुसार राज्य योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता मुहैय्या करा रही है, जिसमें प्रति व्यक्ति निम्न आय वाले राज्यों को अधिक महत्व दिया जाता है।

विवरण

1981-1991 के दशक और नवीनतम 3 वर्षों के दौरान कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रकों में राज्यवार कुल और प्रति व्यक्ति विकास दरें

वर्ष	प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद में विकास दर				कुल निवल राज्य घरेलू उत्पाद में विकास दर			
	कृषि	उद्योग	सेवाएं	कुल	कृषि	उद्योग	सेवाएं	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अखिल भारतीय (कुल और प्रति व्यक्ति निवल घरेलू उत्पाद) औसत वार्षिक विकास दर								
(1981-1991)	1.5	4.9	4.4	3.4	3.6	7.1	6.6	5.6
1991-92	-4.5	-4.2	2.4	-1.7	-2.6	-2.3	4.5	0.3
1992-93	3.3	0.5	2.0	2.3	5.2	2.3	4.7	4.2
1993-94	1.1	1.0	4.0	2.3	2.9	2.9	5.9	4.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
आन्ध्र प्रदेश								
औसत वार्षिक विकास दर								
(1981-1991)	1.6	3.6	3.9	2.8	3.8	5.9	6.2	5.0
1991-92	0.1	-1.7	2	0.5	2.1	0.3	4.0	2.5
1992-93	-7.5	-4.4	-0.5	-4	-5.9	-2.7	1.3	-2.2
1993-94	2.1	3.7	4.3	3.4	3.9	5.5	6.1	5.2
अरुणाचल प्रदेश								
औसत वार्षिक विकास दर								
(1981-1991)	5.7	7.9	6.9	5.7	9.1	11.3	10.3	9.1
1991-92	14.9	5.7	7.7	10.5	18.2	8.7	10.9	13.6
1992-93	-4.8	0.6	4.6	-0.7	-2.4	3.1	7.2	1.6
1993-94	3.3	11.3	4.1	5.2	5.8	14.0	6.6	7.8
असम								
औसत वार्षिक विकास दर								
(1981-1992)	-0.1	12.2	4.7	3.3	2.0	14.6	6.9	5.5
1991-92	0.4	5.2	6.2	4.5	2.7	7.7	10.7	7.0
1992-93	-1.3	2.0	7.6	3.1	0.9	4.3	10.0	5.4
1993-94	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.
बिहार								
औसत वार्षिक विकास दर								
(1981-1991)	1.2	5.5	3.9	2.7	3.4	7.8	6.1	5.0
1991-92	-18.0	-3.5	1.7	-7.9	-16.2	-1.4	3.9	-5.9
1992-93	-1.0	6.3	-4.5	0.0	1.2	8.9	-2.3	2.2
1993-94	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.
गोआ								
औसत वार्षिक विकास दर								
(1981-1991)	-6.5	6.5	6.4	-6.4	1.1	8.1	8.0	6.4
1991-92	-1.3	2.0	-4.7	-1.7	0.1	2.7	-3.1	-8.1
1992-93	3.5	3.6	3.4	3.5	5.9	4.7	5.5	5.6
1993-94	9.6	-1.4	1.4	8.2	2.7	0.6	3.4	2.2
गुजरात								
औसत वार्षिक विकास दर								
(1981-1991)	7.6	4.9	5.4	3.7	9.7	6.9	7.4	5.7
1991-92	-21.4	-1.8	0.0	-5.7	-19.9	0.1	2.8	-3.9
1992-93	50.1	1.1	3.7	12.7	52.6	2.3	5.4	14.6
1993-94	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
हरियाणा								
औसत वार्षिक विकास दर								
(1981-1991)	3.1	5.9	5.6	4.1	5.7	8.6	8.2	6.7
1991-92	-3.2	-2.3	5.3	-0.3	-0.9	0.0	7.0	2.0
1992-93	0.4	-3.6	-2.0	-1.3	2.6	-1.4	0.2	0.9
1993-94	1.5	-0.2	4.2	2.0	3.8	2.0	6.3	4.2
हिमाचल प्रदेश								
औसत वार्षिक विकास दर								
(1981-1991)	1.4	2.6	4.9	2.5	3.2	4.5	6.0	4.4
1991-92	-4.2	-13.9	2.0	-3.6	-1.4	-11.3	5.1	0.7
1992-93	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.
1993-94	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.
जम्मू और कश्मीर								
औसत वार्षिक विकास दर								
(1981-1991)	-1.3	2.0	0.1	-0.5	1.2	4.6	1.7	2.1
1991-92	-3.2	1.3	5.1	1.1	-0.7	3.9	7.8	3.7
1992-93	-1.2	0.2	5.0	1.8	1.1	2.5	7.4	4.1
1993-94	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.
कर्नाटक								
औसत वार्षिक विकास दर								
(1981-1991)	0.5	4.4	5.3	3.1	2.5	6.4	7.3	5.1
1991-92	16.5	8.7	5.4	10.1	18.3	10.5	7.1	11.8
1992-93	1.3	4.8	2.6	2.7	2.9	6.4	4.3	4.3
1993-94	1.6	-1.3	5.9	2.6	3.2	0.2	7.5	4.1
केरल								
औसत वार्षिक विकास दर								
(1981-1991)	1.3	2.0	2.9	2.0	2.6	3.4	4.3	3.3
1991-92	1.9	0.2	-0.3	0.6	3.2	1.5	1.1	1.9
1992-93	5.7	3.7	3.9	4.5	7.1	5.1	5.2	5.9
1993-94	2.6	2.4	4.0	3.1	4.1	3.9	5.5	4.6
मध्य प्रदेश								
औसत वार्षिक विकास दर								
(1981-1991)	1.3	4.0	3.9	2.5	3.7	6.5	6.4	5.0
1991-92	-13.3	1.0	2.2	-5.1	-11.3	3.3	4.6	-2.9
1992-93	6.0	4.6	-2.4	2.9	8.2	6.7	-0.4	5.0
1993-94	8.2	0.8	2.8	4.6	10.4	2.8	4.9	6.7

1	2	3	4	5	6	7	8	9
महाराष्ट्र								
औसत वार्षिक विकास दर								
(1981-1991)	1.8	3.7	5.0	3.6	4.2	6.1	7.5	6.0
1991-92	-22.7	-2.3	9.8	-1.7	-21.1	-0.2	12.2	0.5
1992-93	31.2	5.4	4.3	9.3	33.8	7.5	6.3	11.5
1993-94	5.0	5.9	5.5	5.5	7.1	8.0	7.6	7.6
राजस्थान								
औसत वार्षिक विकास दर								
(1981-1991)	7.8	4.4	6.1	5.6	10.5	7.2	8.9	8.3
1991-92	-18.5	0.6	-6.0	-10.8	-16.7	2.8	-4.0	-8.9
1992-93	16.7	0.5	5.7	9.5	19.3	2.7	7.9	11.9
1993-94	-17.2	0.6	-2.7	-8.9	-15.4	2.8	-0.6	-6.9
सिक्किम								
औसत वार्षिक विकास दर								
(1981-1991)	7.2	7.8	11.0	8.0	10.0	10.5	13.9	10.8
1991-92	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.
1992-93	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.
1993-94	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.
तमिलनाडु								
औसत वार्षिक विकास दर								
(1981-91)	4.0	4.5	5.2	4.4	5.5	5.9	6.7	5.9
1991-92	10.0	-9.5	4.1	0.9	11.3	-8.5	5.3	2.1
1992-93	1.2	-0.5	4.4	2.1	2.2	0.5	5.5	3.2
1993-94	4.6	-3.4	4.1	2.1	5.7	-2.4	5.1	3.1
त्रिपुरा								
औसत वार्षिक विकास दर								
(1981-91)	0.1	3.8	5.9	2.7	3.1	6.9	9.0	5.7
1991-92	-6.4	10.0	6.8	1.3	-3.9	13.0	9.6	4.0
1992-93	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.
1993-94	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.
उत्तर प्रदेश								
औसत वार्षिक विकास दर								
(1981-91)	0.6	4.5	3.8	2.4	3.0	6.9	6.2	4.8
1991-92	0.8	-4.0	-2.4	-1.5	2.8	-2.9	-0.5	0.5
1992-93	-3.9	-0.1	4.5	-0.1	-2.2	1.7	6.3	1.7
1993-94	2.1	0.9	0.2	1.1	3.9	2.7	2.1	3.0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
मणिपुर								
औसत वार्षिक विकास दर								
(1981-91)	0.2	5.9	4.3	2.7	2.7	8.5	6.8	5.1
1991-92	9.7	11.3	6.4	8.2	11.9	13.6	8.5	10.4
1992-93	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.
1993-94	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.
मेघालय								
औसत वार्षिक विकास दर								
(1981-91)	-0.7	4.2	4.9	2.7	2.2	7.3	7.9	5.7
1991-92	27.5	-4.5	2.3	8.0	31.4	-1.5	5.5	11.4
1992-93	9.2	-2.6	4.1	4.7	12.1	6.0	6.8	7.5
1993-94	4.5	22.3	4.3	7.1	7.5	25.8	7.3	10.2
नागालैंड								
औसत वार्षिक विकास दर								
(1981-91)	3.5	9.0	0.9	2.0	7.7	14.1	4.9	6.9
1991-92	5.0	9.0	1.7	0.5	8.8	-5.7	5.3	4.1
1992-93	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.
1993-94	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.
उड़ीसा								
औसत वार्षिक विकास दर								
(1981-91)	-0.4	5.7	4.7	1.7	1.4	7.7	6.6	3.5
1991-92	13.3	3.9	12.0	10.6	15.5	5.9	14.1	12.7
1992-93	-11.6	3.8	-0.3	-3.9	-9.9	5.7	1.6	-2.1
1993-94	10.3	4.6	6.2	7.3	12.4	6.6	8.2	9.3
पंजाब								
औसत वार्षिक विकास दर								
(1981-91)	3.3	5.7	2.4	3.5	5.2	7.7	4.3	5.4
1991-92	5.7	1.7	-0.2	3.1	7.7	3.6	1.6	5.0
1992-93	0.3	4.4	3.5	2.1	2.2	6.4	5.4	4.0
1993-94	1.3	3.7	4.0	2.6	3.1	5.7	5.9	4.5
पश्चिम बंगाल								
औसत वार्षिक विकास दर								
(1981-91)	2.6	2.1	2.1	2.1	4.7	4.5	4.1	4.2
1991-92	6.9	-0.4	4.0	3.5	9.3	1.8	6.3	5.9
1992-93	2.3	-1.1	4.4	2.0	4.6	1.1	6.8	4.3
1993-94								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह								
औसत वार्षिक विकास दर								
(1981-91)	1.1	-5.0	2.5	0.2	5.4	-0.8	6.9	4.5
1991-92	-0.8	-20.5	-32.7	-12.0	2.0	-17.6	-30.2	-8.8
1992-93	20.5	9.3	-19.7	10.2	25.0	13.4	-16.8	14.3
1993-94								
दिल्ली								
औसत वार्षिक विकास दर								
(1981-91)	0.3	3.2	2.8	2.7	4.6	7.6	7.2	7.1
1991-92	2.4	10.1	0.7	3.3	6.3	14.3	4.5	7.3
1992-93	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.
1993-94	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.
पांडिचेरी								
औसत वार्षिक विकास दर								
(1981-91)	-1.9	1.6	2.3	1.2	0.9	4.6	5.3	4.1
1991-92	5.2	0.2	1.8	1.3	7.3	2.2	3.9	3.4
1992-93	0.1	0.1	-0.2	0.0	2.1	2.1	1.6	2.0
1993-94	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.

टिप्पणी : 1. कृषि में वार्षिक मछली उद्योग भी शामिल है।
2. उद्योग में विनिर्माण खनन निर्माण और विद्युत, गैस और जल आपूर्ति क्षेत्र शामिल हैं।
3. सेवाओं में अवशिष्ट क्षेत्र हैं।

मछुआरों के लिए मिट्टी का तेल

714. श्री थाइल जॉन अंजलोज : क्या पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने मछुआरों के लिए मिट्टी के तेल के कोटे में वृद्धि करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग). केन्द्रीय सरकार राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को केरोसीन का केवल थोक आवंटन करती है। राज्य के अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों को इसका अगल वितरण राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। केरोसीन के अतिरिक्त आवंटन के संबंध में राज्य सरकारों से समय-समय पर अनुरोध प्राप्त होते हैं। केरल सरकार से भी अनुरोध प्राप्त हुआ था। परन्तु उत्पाद उपलब्धता, विदेशी मुद्रा तथा निहित भारी राज सहायता से संबंधित कठिनाइयों के कारण राज्यों की संपूर्ण मांग को पूरा करना संभव नहीं है। तथापि गत वर्ष की तुलना में वर्ष 1995-96 के लिए केरल राज्य को 4503 मी.टन केरोसीन का अतिरिक्त आवंटन किया गया है तथा आगे इस राज्य को सितंबर, 1995 से मार्च, 1996 की अवधि के लिए 12850 कि.ली. का तदर्थ अतिरिक्त आवंटन भी किया गया है।

निजी भवन

715. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय द्वारा किराये पर लिये गये निजी भवनों की संख्या क्या है;

(ख) उन सभी निजी परीसरों को जिन को पट्टा संलेख की अवधि समाप्त होने पर और प्रारंभ में स्वीकृत किए गए किराए को न बढ़ाए जाने के कारण तथा सरकारी भवनों का निर्माण हो जाने

पर खाली कराने के लिए प्राप्त पत्रों की संख्या क्या है और ऐसे पत्रों पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) उनके मंत्रालय द्वारा निर्मित किए गए भवनों की संख्या क्या है और किराए पर लिये गये भवनों को खाली न करने के क्या कारण हैं; और

(घ) किराए पर लिये गये भवनों के पट्टा संलेख की अवधि समाप्त होने पर उनको खाली करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और जिस मामले में मांग की गई है उसमें किराया बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है तथा इसे सदन-पटल पर रख दिया जाएगा।

[हिन्दी]

जाली पासपोर्ट

716. श्री देवी बक्स सिंह :
डा० रमेश चन्द्र तोमर :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली में जाली पासपोर्ट बनाने का धंधा विशाल स्तर पर चल रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने ऐसे किसी गिरोह को गिरफ्तार किया है;

(ग) यदि हाँ, तो सरकार ने उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की है; और

(घ) ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० एम. कामसन) : (क) 1995 में 15 नवम्बर तक दिल्ली में जाली पासपोर्टों के 365 मामले दर्ज किए गए, 390 जाली पासपोर्ट बरामद किए गए और 412 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।

(ख) और (ग). 1995 में 15 नवम्बर तक दिल्ली में गिराहों द्वारा जाली पासपोर्ट बनाने और जारी करने के दो मामलों का पता लगाया गया। दोनों मामलों में आपराधिक मामले दर्ज किए गए और जांच-पड़ताल के दौरान 5 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए।

(घ) इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम हैं - आसूचना को मजबूत करना और जब कभी इस प्रकार का कोई मामला ध्यान में आता है तो प्रभावपूर्ण अनुवर्ती कार्रवाई करना। जाली पासपोर्टों और बीजाओं का पता लगाने के लिए आप्रवासन अधिकारियों को सुविज्ञता प्रशिक्षण दिया जाता है।

कृषि क्षेत्र के लिए ऋण

717. श्री गुमान मल लोढा :
श्री नवल किशोर राय :

क्या योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान देश में कृषि के लिए ऋण राशि में पर्याप्त वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने आने वाले वर्षों में कृषि क्षेत्र हेतु शुरू की जाने वाली विकास एवं विस्तार की योजनाओं के आधार पर ऋण राशि की जरूरतों का आकलन किया है; और

(घ) यदि हाँ, तो देश के कृषि क्षेत्र के लिए इस शताब्दी के अंत तक ऋण राशि की कुल अनुमानित राशि क्या है तथा सरकार द्वारा उपरोक्त राशि को जुटाने हेतु क्या योजना तैयार की गयी है ?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) और (ख). पिछले तीन वर्षों के दौरान कृषि क्षेत्रक के लिए ऋण के ग्राउंड लैवल फ्लों का ब्यौरा निम्नानुसार है :

वर्ष	करोड़ रुपये
1992-93	15169
1993-94	16494
1994-95 [अनुमान]	21113

(ग) और (घ). आठवीं योजना के लिए योजना आयोग के कार्यदल ने 8वीं योजना अवधि के दौरान कृषि के लिए ग्राउंड लैवल क्रेडिट के प्रक्षेपों का अनुमान निम्नानुसार किया है :

(करोड़ रुपये)

वर्ष	अल्पावधि	दीर्घावधि	जोड़
1992-93	7,619	7,369	14,888
1993-94	8,898	8,650	17,548
1994-95	10,534	10,143	20,677
1995-96	12,457	11,665	24,122
1996-97	15,041	13,414	28,455

किसानों का उत्पादन ऋण वित्त के मापदण्डों के आधार पर दिया जाता है। फसल ऋणों के लिए वित्त के मापदण्ड स्थानीय रूप से उगाई जाने वाली विभिन्न फसलों के लिए जिला स्तर पर गठित तकनीकी समितियों द्वारा तैयार किए जाते हैं। वित्त के इन मापदण्डों की वार्षिक रूप से समीक्षा की जाती है तथा मूल्यों में परिवर्तन, आदानों के स्तर, उत्पादन खेती की कुल लागत, सकल पैदावार, पुनर्भुगतान क्षमता इत्यादि को देखते हुए इन्हें पुनर्निधारित किया जाता है।

शताब्दी के अन्त तक देश में कृषि क्षेत्रक के लिए ऋण की आवश्यकता के सन्दर्भ में योजना आयोग में कोई निर्धारिण नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

रेलगाड़ियों में लूट-पाट की घटनाएं

718. श्री जगत वीर सिंह द्रोण : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि 1995 में जून के अंतिम सप्ताह में 370 डाउन लुधियाना एक्सप्रेस, 3348 अप बरवाडिह पैसेन्जर तथा कालिंदी एक्सप्रेस में लूट-पाट की घटनाएं हुई हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो इनकी पुनरावृत्ति न हो इसके लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० एम. कामना) : (क) और (ख). रेलगाड़ियों में होने वाले अपराध को दर्ज करने, उसकी जांच करने, पता लगाने तथा अपराध होने से रोकने का उत्तरदायित्व, राजकीय रेलवे पुलिस (रा.रे.पु.) का है जो कि संबंधित राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के नियंत्रणाधीन कार्य करती है। रेलगाड़ी-वार लूट-पाट की घटनाओं और रेलगाड़ियों में होने वाले अन्य अपराधों से संबंधित जानकारी, केन्द्र सरकार द्वारा नहीं रखी जाती।

तिहाड़ जेल में पीलिया

719. श्री गुलशन कामत : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिहाड़ जेल में कई कैदियों को पीलिया हो गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० एम. कामसन) : (क) अक्टूबर और नवम्बर, 1995 के दौरान तिहाड़ जेल में 58 व्यक्तियों को पीलिया हो गया था।

(ख) तिहाड़ जेल परिसर में तीन से चार दिनों तक पानी जमा रहने से जल का संभावित प्रदूषित हो जाना ही संभवतः इस बीमारी का कारण था।

(ग) राष्ट्रीय संक्रामक रोग संस्थान द्वारा की गई जांच-पड़ताल से यह पता चला कि यह बीमारी आन्त्र संचारित वायरल यकृत-शोथ के कारण फैली।

निम्नलिखित उपाए किए गए :-

(i) प्रभावित कैदी मरीजों को अलग-अलग रखना तथा उनका उचित उपचार करवाना;

(ii) सभी जल स्त्रोतों में क्लोरीन मिलाना तथा व्यवस्थिति रूप से कूड़ाकरकट हटवाना;

(iii) स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना;

(iv) उबालने के बाद ही पेयजल का उपयोग करना;

(v) डाक्टरों और चिकित्सा सहायकों का टीकाकरण;

(vi) जलापूर्ति के प्रदूषण के विभिन्न स्त्रोतों का पता लगाना तथा उन पर नजर रखना, लीक कर रही पाईपों की मरम्मत करना तथा जलभण्डारण टैंक की सफाई करना; और

(vii) नमूने एकत्र करके और एकत्र किए गए नमूनों की रासायनिक जांच कर जल की गुणवत्ता का नियमित प्रबोधन करना।

देश में धार्मिक और गैर-धार्मिक शक्तियाँ

720. श्री के.एम. मैथ्यू : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में धार्मिक कट्टरपंथी और गैर-धर्मनिरपेक्ष शक्तियों की वृद्धि पर काबू पाने के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान क्या कदम उठाए गए;

(ख) क्या सरकार देश में धर्मविशेष या धार्मिक समूहों द्वारा शासन करने को रोकने के लिए पुनः विधेयक प्रस्तुत करेगी;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. एम. कामसन) : (क) धार्मिक कट्टरपंथी और गैर-धर्म-निरपेक्ष शक्तियों से निपटने के लिए विभिन्न अधिनियमों में प्रावधान है, जिन्हें राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। राज्य सरकारों से समय-समय पर अनुरोध किया गया है

कि कानून के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करें। विभिन्न धार्मिक ग्रुपों के बीच, धर्म के आधार पर असामंजस्य, बैर-भाव, घृणा और दुर्भावना फैलाने वाली कुछेक एसोसिएशनों को विधि-विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के अन्तर्गत गैर-कानूनी घोषित करने के लिए कार्रवाई की गयी।

(ख) से (घ). भारत का संविधान धर्म-निरपेक्षता पर आधारित है और किसी धर्म या धार्मिक ग्रुप के प्रभुत्व के लिए कोई प्रावधान नहीं है। अतः इस मामले पर विधेयक प्रस्तुत करने का प्रश्न नहीं उठता है।

असम में कम शक्ति के ट्रांसमीटर

721. श्री प्रबीन डेका : क्या सूचना तथा प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि असम में लगाए गए कुछ कम शक्ति के ट्रांसमीटर संतोषजनक ढंग से काम नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए हैं/उठाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या सरकार का विचार राज्य में कम शक्ति के ट्रांसमीटरों को उच्च शक्ति के ट्रांसमीटरों में परिवर्तित करने का है; और

(ङ) यदि हाँ, तो इस बारे में क्या योजनाएं बनाई गई हैं?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) से (ग). असम में स्थित अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों के समग्र कार्यनिष्पादन के संतोषजनक होने की रिपोर्ट मिली है। जब कभी भी अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों के ठीक ढंग से कार्य न करने की रिपोर्ट प्राप्त होती है तो उन पर तुरन्त विचार किया जाता है और खराबियों को यथासमय ठीक किया जाता है।

(घ) और (ङ). बोंगईगांव/कोकराझार, तेजपुर और जोरहाट स्थित मौजूदा अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों का उच्च शक्ति ट्रांसमीटरों में उन्नयन किए जाने का विचार है।

[हिन्दी]

दिल्ली में हत्याएं

722. डा० रमेश चन्द्र तोमर :
श्री देवी बक्स सिंह :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान 31 अक्टूबर, 1995 तक दिल्ली में घरों में लूटपाट की घटनाओं में कुल कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई;

(ख) इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; और

(ग) ऐसी घटनाओं में कुल कितने अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० एम. कामसन) : (क) वर्ष 1995 (30.10.95 तक) के दौरान लूटपाट के 36 मामलों में 42 व्यक्ति मारे गए।

(ख) अपराध निवारण और उसका पता लगाने की अपनी मुख्य डयूटी निभाते समय दिल्ली पुलिस द्वारा राजधानी के नागरिकों में सुरक्षा की भावना उत्पन्न करने के प्रयास किए जाते हैं। राजधानी में रह रहे लोगों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए किए गए उपायों में गश्त बढ़ाना, महत्वपूर्ण स्थानों पर पिकेट तैनात करना, आसूचना तंत्र को मजबूत बनाना, अपराधियों के छिपने के अड्डों पर आर-पार छापे मारना, चौकसी बढ़ाना, और पड़ौसी राज्यों के अधिकारियों के साथ समन्वय बैठकें करना, आधुनिक हथियारों का प्रयोग करने में पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण देना, जांच-पड़ताल में वैज्ञानिक तरीके अपनाना तथा संचार नेटवर्क का आधुनिकीकरण करना, इत्यादि, शामिल हैं।

(ग) उपर्युक्त मामलों में 60 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है।

[अनुवाद]

मुम्बई में डाक का वितरण

723. श्री मोहन रावले : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मुम्बई (महाराष्ट्र) में डाक वितरण सेवा के चरमरा जाने की जानकारी है जहां उसी शहर में ही एक जगह से दूसरी जगह पर डाक के पहुंचने में लगभग एक महीना लग जाता है और वहां से किसी दूसरे शहर में भेजी गई डाक को लगभग दो महीने लग जाते हैं;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) डाक विभाग के अधिकारियों ने स्थिति को सुधारने में क्या उपचारात्मक उपाय किये हैं और उसका निष्कर्ष क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी नहीं। मुम्बई की डाक वितरण सेवा में किसी प्रकार का ह्रास अथवा गिरावट

नहीं आई है। प्रथम-श्रेणी की अंतः शहरीय डाक को 24 से 48 घंटे के भीतर और अंतरशहरीय डाक को 24 से 72 घंटे के भीतर वितरित करने का हर प्रयास किया जाता है जो परिवहन सम्पर्कों पर निर्भर करता है। तथापि, यदा-कदा होने वाली विलम्ब की घटनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता।

(ख) लागू नहीं होता।

(ग) स्थानीय डाक का समय पर वितरण सुनिश्चित करने के लिए ग्रीन चैनल प्रणाली आरम्भ की गई, जो प्रतिदिन लगभग 2.5 लाख पत्रों का निपटान करती है। अंतर-महानगरीय डाक का समय पर वितरण करने के लिए अप्रैल, 1994 में मैट्रो चैनल शुरू किया गया था।

उग्रवादियों की घुसपैठ

724. श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति :
श्री गिरधारी लाल भार्गव :
श्री डी. वेंकटेश्वर राव :
श्री श्रवण कुमार पटेल :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान की आई.एस.आई. ने सीमा पार से अगस्त और सितम्बर, 1995 के बीच करीब 5000 उग्रवादियों को भेजा;

(ख) क्या आसूचना रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में विभिन्न स्थानों पर प्रशिक्षित उग्रवादी भारत में घुसपैठ करने का प्रयास कर रहे हैं;

(ग) यदि हाँ, कितने घुसपैठिये मुठभेड़ में मारे गए; और

(घ) उग्रवादियों के नापाक इरादों पर नियंत्रण पाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जा रहे हैं। और इसमें कितनी सफलता प्राप्त हुई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (सैयद सिब्ते रजी) : (क) से (घ). यह सच है कि देश के भागों में विध्वंसकारी, तोड़-फोड़ और जासूसी की गतिविधियों के पीछे आई.एस.आई. का हाथ है। भारत के खिलाफ विध्वंसकारी और आतंकवाद गतिविधियों के लिए पाकिस्तान के लगातार समर्थन के प्रति सरकार अत्यंत चिंतित है। जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद और हिंसक गतिविधियाँ करवाने के लिए प्रशिक्षित सशस्त्र उग्रवादियों की बड़ी संख्या में घुसपैठ करवाने में भी आई.एस.आई. सक्रिय रूप से संलिप्त रही है। वर्ष 1990 से अब तक राज्य में नियंत्रण रेखा के निकट लगभग 1400 उग्रवादी मारे गए हैं।

आई.एस.आई. के नापाक इरादों का मुकाबला करने का और उनको निष्फल करने के लिए सरकार सभी आवश्यक उपाय कर रही है जिनमें अधिसूचना तंत्र को सग्राही और सक्रिय बनाना, अधिसूचना का आदान-प्रदान करना तथा संबंधित केन्द्रीय और राज्य एजेन्सियों द्वारा समन्वित कार्रवाई करना तथा घुसपैठ रोकने के लिए सीमा पर चौकसी और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करना शामिल है।

प्रसार भारती अधिनियम

725. श्री सुदर्शन राय चौधरी :
श्री जगत वीर सिंह द्रोण :
श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य :
श्री इंद्रजीत गुप्त :
श्री लोकनाथ चौधरी :
श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :
श्रीमती गीता मुखर्जी :
श्री राम कापसे :
श्री श्रवण कुमार पटेल :

क्या **सूचना तथा प्रसारण मंत्री** दिनांक 24 अगस्त, 1995 के अतारांकित प्रश्न 3233 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रसार भारतीय अधिनियम 1990 के कुछ प्रावधानों में प्रस्तावित संशोधनों को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कब तक यह अधिनियम लागू किया जाएगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में हुए विलम्ब के क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ). विश्व के इस हिस्से में बढ़ते हुए अन्तर्राष्ट्रीय उपग्रह प्रसारण के कारण तेजी से बदलते प्रसारण परिदृश्य की दृष्टि से निगम से प्रस्तावित संगठनात्मक ढांचे में अन्य बातों के साथ-साथ कुछ परिवर्तन आवश्यक हैं। इस संबंध में ब्यौरों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। फिलहाल कोई निश्चित समय सीमा नहीं बतायी जा सकती है।

वोहरा समिति की रिपोर्ट

726. श्री रवि राय :
श्री जगत वीर सिंह द्रोण :
श्री गिरधारी लाल भार्गव :
श्री डी. वेंकटेश्वर राव :
श्री चित्त बसु :

क्या गृह मंत्री वोहरा समिति रिपोर्ट की सिफारिशों के परिणामस्वरूप सरकार द्वारा की गई अनुवर्ती कार्यवाही का ब्यौरा बताने की कृपा करेंगे ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (सैयद सिब्ते रजी) : वोहरा समिति की रिपोर्ट, गृह सचिव के स्तर पर एक नोडल एजेंसी स्थापित की सिफारिश की गई थी। सरकार ने तदनुसार, 2 अगस्त, 1995 को एक नोडल एजेंसी गठित कर दी जिसमें गृह सचिव को अध्यक्ष तथा सचिव (राजस्व) निदेशक (आई.बी.), निदेशक (सी.बी.आई.) और सचिव, रॉ को सदस्य के रूप में रखा गया है। नोडल एजेंसी का मुख्य काम समन्वय, निदेश और पर्यवेक्षण है। यह, उन संबंधित केन्द्रीय एवं राज्य एजेंसियों को स्थानापन्न नहीं हैं जो आसूचना संग्रहण अथवा जांच के लिए और संविधान एवं कानूनों के अन्तर्गत मुकद्मा चलाने के लिए जिम्मेवार हैं। इस नोडल एजेंसी ने काम करना शुरू कर दिया है और गठन के बाद से इसने दो बैठकें की हैं। अपनी बैठकों में नोडल एजेंसी, आम तौर पर, बड़े अपराध सिंडिकेट की गतिविधियों के संबंध में विभिन्न एजेंसियों के पास उपलब्ध जानकारी और फील्ड फार्मेशनों द्वारा की जाने वाली कार्रवाई की समीक्षा करती है। कानून के अनुसार मामलों को पैरवी में अन्तर-एजेंसी समन्वय एंव अन्तर-एजेंसी समर्थन के सवाल पर विचार किया जाता है और ऐसे समर्थन एवं समन्वय की जरूरतों के बारे में उपयुक्त निर्णय लिए जाते हैं।

[हिन्दी]

एम.पी. स्थानीय विकास योजना

727. श्री राम टहल चौधरी :
श्री कुन्जी लाल :

क्या योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक संसद सदस्य "एम.पी. स्थानीय क्षेत्र विकास योजना" के कार्यान्वयन के लिए निर्धारित सरकारी एजेंसी को सुझाव दे सकता है;

(ख) यदि हाँ, तो संसद सदस्य के सुझाव को स्वीकार करने के लिए जिलाधिकारी को किस सीमा तक उत्तरदायी बनाया जा सकता है;

(ग) संबंधित एजेन्सी द्वारा किसी कार्य का कार्यान्वयन न किये जाने अथवा घटिया स्तर का कार्य करने के संबंध में संसद सदस्य द्वारा दिये गये सुझाव के बावजूद यदि जिलाधिकारी एजेन्सी को नहीं बदलता है, तो इसका उत्तरदायित्व तय करने का मापदण्ड क्या है; और

(घ) किसी असंतोषजनक कार्य के संबंध में संसद सदस्य की शिकायत पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किय जाने का विचार है ?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) और (ख). इस योजना के मार्गदर्शी सिद्धांत यह प्रावधान करते हैं कि संसद सदस्य संबंधित जिला कलेक्टरों द्वारा कार्य निष्पादन की अनुशंसा करेगें। यदि ये तकनीकी रूप से व्यवहार्य होंगे तथा मार्गदर्शी सिद्धान्तों के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आते होंगे तो सभी संबंधित कारकों का संपूर्ण मूल्यांकन करने के बाद संबंधित जिला कलेक्टर सांसदों द्वारा अनुशंसित निर्माण कार्यों के लिए कार्यान्वयन अभिकरणों का अंतिम रूप से चुनाव करेंगे।

(ग) और (घ). जिला कलेक्टर जिला स्तर पर योजना के अधीन निर्माण कार्यों के समन्वय एवं समग्र पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी है। कार्यान्वयन अभिकरण भी निर्माण कार्यों के सफल कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार हैं। यदि किसी कार्यान्वयन अभिकरण से संबंधित निर्माण कार्यों के घटिया स्तर एवं अधूरे होने की कोई शिकायत मिलती है तो जिला कलेक्टर पर्याप्त जांच पड़ताल के बाद कार्यान्वयन अभिकरण को बदल सकता है। जब कभी इस बारे में कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त होती है, तो मामले को आवश्यक कार्यवाही हेतु संबंधित कलेक्टर/राज्य सरकार के साथ उठाया जाता है।

सिंचाई परियोजनाएं

728. श्री जगमीत सिंह बराड़ :
श्री नवल किशोर राय :
श्री डी. वेंकटेश्वर राव :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 28 अगस्त, 1995 के समाचार पर "बिजनेस स्टेंडर्ड" में "स्टेट गनर्वनेंट्स रिजोल्ट टु पुट न्यू इंटिगेशन प्रोजेक्ट्स आन होल्ड" के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी तथ्य एवं ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार का इस संबंध में क्या विचार है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) जी हाँ।

(ख) राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के जल संसाधन और सिंचाई मंत्रियों के 22 अगस्त, 1995 को नई दिल्ली में हुए 11वें सम्मेलन में यह सिफारिश की गई कि जब तक चालू परियोजनाएं पूरी नहीं हो जाती तब तक नई परियोजनाओं को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए और केवल उन नई परियोजनाओं का चयन करने में अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए जिन्हें अपवादात्मक मामलों में कार्यान्वयन के लिए शुरू किया जा सकता है, जो संतुलित विकास आदि के कारणों से आवश्यक है।

(ग) जल संसाधन मंत्रालय उपर्युक्त सिफारिश से सहमत है।

[अनुवाद]

अतिमहत्वपूर्ण लोगों के लिए सुरक्षा

729. **श्री सुल्तान सलाहुद्दीन ओवेसी :**
श्री डी. वेंकटेश्वर राव :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार देश में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के लिए सुरक्षा प्रबंधों में सुधार करने के विभिन्न प्रस्तावों पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों के लिए सुरक्षा प्रबंधों की कोई समीक्षा की गई है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन्हें कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (सैयद सिब्ते रजी) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता। तथापि, दिल्ली में रह रहे संरक्षा प्राप्त व्यक्तियों की सुरक्षा की समीक्षा आवधिक रूप से की जाती है। यह काम लगातार चलता रहता है।

[हिन्दी]

द्रुत डाक निगम

730. **श्रीमती शीला गौतम :**
श्री रामेश्वर पाटीदार :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार द्रुत डाक निगम स्थापित करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या द्रुत डाक सेवा की दरें आम आदमी के लिए काफी अधिक हैं;

(ङ) क्या यह सच है कि द्रुत डाक सेवा पर अधिक बल देने से सामान्य डाक वितरण पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है; और

(च) यदि हाँ, तो सामान्य डाक वितरण का स्तर बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गये हैं या किये जाने का विचार है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) एक पृथक स्पीड पोस्ट निगम की स्थापना करने के किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले उसकी प्रचालनात्मक और वित्तीय व्यवहार्यता का अत्यंत विस्तार से अध्ययन करना आवश्यक है।

(घ) स्पीड पोस्ट का शुल्क प्राइवेट कूरियर आपरेटरों द्वारा लिए जाने वाले शुल्क की तुलना में कम है और फिलहाल इसी शुल्क को बनाए रखने का प्रस्ताव है।

(ङ) से (च). स्पीड पोस्ट को प्राथमिकता वाली डाक माना जाता है और शेष डाक की तुलना में इसका निपटान अलग से किया जाता है। डाक की दोनो श्रेणियों के वितरण संबंधी मानदण्ड अलग-अलग हैं और वे एक दूसरे की कार्यकुशलता पर प्रभाव नहीं डालते हैं। सरकार का प्रयास सामान्य डाक सेवा की गुणवत्ता को निरंतर मॉनीटर करना और डाक विभाग द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले परिवहन के विभिन्न साधनों जैसे बस, ट्रेन, हवाई जहाज आदि का समय पर न चलना, डाक ले जाने वाले वाहनों में जगह की कमी, आपरेटरों द्वारा डाक की ढुलाई से अक्सर इंकार करना, शहरों में यातायात की भीड़-भाड़ और औद्योगिक संबंधों से जुड़ी अन्य समस्याओं जैसे विभिन्न दबावों के अन्तर्गत उसमें सुधार करना है।

[अनुवाद]

पीपावाव विद्युत परियोजना को गैस का आवंटन

731. **श्री हरिभाई नानजी पटेल :**
श्री हरिन पाठक :

क्या पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पीपावाव विद्युत परियोजना को गैस आवंटित करने का कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो ताप्ती गैस फील्ड से इस परियोजना को गैस की प्रस्तावित कितनी मात्रा की सप्लाई की जाएगी;

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में विलंब के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने ताप्ती गैस परियोजना को इसके विकास हेतु बोली लगाने वाले चौथे चक्र में शामिल किया है; और

(ङ) यदि हाँ, तो बोली लगाने वाली जो कम्पनियाँ शामिल हुई है उनका ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग). पिपावव विद्युत परियोजना के संबंध में कोई आवंटन नहीं किया गया है। विद्यमान वचनबद्धताओं को पूरा करने के संबंध में मध्य ताप्ती तथा दक्षिण ताप्ती से हजीरा को गैस ले जाने के लिए निर्णय लिया गया है।

(घ) मध्य ताप्ती तथा दक्षिण ताप्ती गैस क्षेत्र खोजे गए क्षेत्रों से संबंधित प्रथम प्रस्ताव के अन्तर्गत विकास के संबंध में प्रस्तावित किए गए थे।

(ङ) उपर्युक्त क्षेत्रों के संबंध में निम्नांकित कंपनियों/परिसंघ ने बोली में भाग लिया था :-

(i) बी.एच.पी. पेट्रोलियम।
टाटा पेट्रोडाइन

(ii) इनरोन एक्सप्लोरेशन कं०।
रिलायंस इण्डस्ट्रीज लि०

(iii) डाइडन पाई हैवी इण्डस्ट्रीज

(iv) मोसबाचेर इनर्जी कंपनी।
हिन्दुस्तान आयल एक्सप्लोरेश कंपनी।
पेट्रोडाइन।

(v) एस्सार आयल लिमिटेड।

(vi) बंबई अपतट सप्लाई एण्ड सर्विसिस।
कल्यानी स्टील।

(vii) टोरेन्ट एक्सपोर्टस लि०
गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि०
गुजरात स्टेट विद्युत कार्पोरेशन लि०
ए.एम.ई.सी. प्रोसेस एण्ड इनर्जी इण्टरनेशनल
हेरीटेज आयल एण्ड गैस कंपनी।

गोमा सिंचाई परियोजना

732. श्री दिलीप भाई संघाणी : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने गोमा सिंचाई परियोजना के विभिन्न तकनीक अर्थिक मामलों को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो केंद्रीय सरकार द्वारा उस परियोजना को कब तक स्वीकृत कर दिए जाने की संभावना है; और

(ग) उक्त परियोजना की स्वीकृति देने में विलंब के क्या कारण हैं ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). गोमा सिंचाई परियोजना की संशोधित रिपोर्ट केन्द्रीय जल आयोग में अक्टूबर 94 में प्राप्त हुई थी। विभिन्न तकनीकी आर्थिक मुद्दों पर टिप्पणियां राज्य सरकार को मई 1995 में और फिर नवंबर 1995 में भेजी गई। राज्य ने केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों की अनुपालना करनी है तथा पर्यावरण और वन मंत्रालय से वन दृष्टि से स्वीकृति प्राप्त करनी है।

अल्पसंख्यकों का सामाजिक-आर्थिक विकास

733. डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :
मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अल्पसंख्यकों की सामाजिक-आर्थिक दशा सुधारने के लिए कोई बहुक्षेत्रीय योजनाएं बनाई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए कोई धनराशि निर्धारित की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए किन्हीं विशिष्ट क्षेत्रों/जिलों का पता लगाया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री असलम शेर खां) : (क) अल्पसंख्यकों के विकास

के लिए बहुक्षेत्रीय योजनाओं के निर्माण से संबंधित योजना सरकार के सक्रिय विचाराधीन है।

(ख) उक्त योजना के अंतर्गत उन अभिज्ञात जिलों में आर्थिक कार्यकलापों के पहचान की परिकल्पना की गई है जिनमें अल्पसंख्यक विशेषरूप से काम पर लगाए जाते हैं। इस उद्देश्य के लिए प्रत्येक जिले और जहां कहीं सुविधाजनक हो किसी ब्लॉक अथवा किसी शहर को भी एक इकाई के रूप में लिया जा सकता है। ऐसी इकाइयों के लिए विशेष क्षेत्र कार्यक्रम तैयार किए जायेंगे जिनमें ऋण का प्रावधान, कच्ची सामग्री, उपयुक्त प्रौद्योगिकी और बाजार समर्थन शामिल होगा।

उक्त योजना राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा कार्यान्वित की जाएगी।

(ग) और (घ). परियोजना रिपोर्टों को तैयार करने के लिए राज्य सरकारों को आवश्यक वित्त प्रदान करने का प्रस्ताव है।

1995-96 के दौरान इस उद्देश्य के लिए 0.50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

(ङ) और (च). आरम्भ में, यह योजना 1971 की जनगणना के अनुसार अभिज्ञात 41 अल्पसंख्यक बहुल जिलों में शुरू की जाएगी जिन पर तत्काल अधिक ध्यान दिये जाने की जरूरत है।

बाढ़ प्रभावित राज्यों को सहायता

734. श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यमुना नदी में हाल की बाढ़ से प्रभावित हुए राज्यों में से कुछ राज्यों ने कृषि भूमि में जमा हुए जल को निकालने के लिए वित्तीय या तकनीकी सहायता की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केंद्रीय सरकार द्वारा इन राज्यों को कोई वित्तीय या तकनीकी सहायता प्रदान की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : (क) से (घ). यमुना नदी बेसिन में हाल में आई बाढ़ से दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्य प्रभावित हुए। सामान्य रूप में आपदा राहत निधि नियुक्त करने के अतिरिक्त, हरियाणा राज्य सरकार को राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से अतिरिक्त सहायता के रूप में 39.41 करोड़ रुपये प्रदान किए गए, जिनमें पांच करोड़ रुपये खाद्यान, आश्रय और पानी की निकासी के लिए हैं। अन्य किसी भी राज्य सरकार ने कृषि भूमि में इकट्ठा हुए जल को निकालने के लिए कोई वित्तीय अथवा तकनीकी सहायता नहीं मांगी है।

ओ. एन. जी. सी. के गायब उपकरण

735. श्री जार्ज फर्नान्डीज : क्या पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा स्थित ओ. एन. जी. सी. से संबंधित 13 करोड़ रुपये से अधिक के उपकरण और अन्य पूंजीगत परिसंपत्तियां गायब हो गई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस लूट के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों की शिनाख्त कर ली है;

(ग) यदि हां, दोषी व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) इन गायब उपकरणों को वसूल करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी नहीं, ओ. एन. जी. सी. लि. के त्रिपुरा स्थित प्रतिष्ठानों के लगभग 1.30 करोड़ रुपये के उपस्करों की चोरी हुई है।

(ख) से (घ). ओ. एन. जी. सी. लि. ने स्थानीय पुलिस में जांच पड़ताल तथा चोरी गये उपस्कर को खोज निकालने के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई है। ओ. एन. जी. सी. लि. भी राज्य सरकार के साथ मामले पर अनुवर्ती कार्रवाई कर रही है और अब तक 1.20 लाख रुपये के उपस्करों को खोज निकाला गया है।

[हिन्दी]

मद्यपान के कारण मृत्यु

736. डा. परशुराम गंगवार : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष मद्यपान के कारण राज्य-वार कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री असलम शेर खान) : वर्ष 1993, 1994 और 1995 (उन महीनों तक जिनके आंकड़े उपलब्ध हैं) के दौरान देश में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या क्रमशः 753, 790 और 629 थीं। ऐसे मामलों के राज्यवार आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

1993, 1994 और 1995 के दौरान देश में जहरीली शराब पीने से मरने वाले लोगों की संख्या (राज्य वार)

क्रम.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1993	1994	1995	अभ्युक्ति (1995 के आंकड़े निम्नलिखित महीने के लिए हैं)
1	2	3	4	5	6
राज्य					
1.	आन्ध्र प्रदेश	328	282	326	अगस्त
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	1	0	अगस्त
3.	असम	1	1	उ.न.	-
4.	बिहार	50	22	7	मई
5.	गोवा	0	0	0	सितम्बर
6.	गुजरात	44	30	4	जून
7.	हरियाणा	3	12	0	जून
8.	हिमाचल प्रदेश	0	0	1	सितम्बर
9.	जम्मू तथा कश्मीर	0	0	0	मार्च
10.	कर्नाटक	0	2	0	अगस्त
11.	केरल	0	0	0	सितम्बर
12.	मध्य प्रदेश	1	17	28	जुलाई
13.	महाराष्ट्र	3	11	1	अगस्त
14.	मणिपुर	2	3	1	सितम्बर
15.	मेघालय	0	0	0	जुलाई
16.	मिजोरम	0	0	0	अगस्त
17.	नागालैण्ड	0	0	0	सितम्बर
18.	उड़ीसा	25	22	4	अप्रैल
19.	पंजाब	0	11	0	अगस्त
20.	राजस्थान	32	0	7	जुलाई
21.	सिक्किम	0	0	0	अगस्त
22.	तमिलनाडु	235	364	234	जुलाई
23.	त्रिपुरा	0	0	0	अगस्त
24.	उत्तर प्रदेश	17	12	3	अगस्त
25.	पश्चिम बंगाल	12	उ.न.	13	मई
	कुल राज्य	753	790	629	

स्रोत : मासिक अपराध सांख्यिकी

नोट : 1. आंकड़े अनन्तिम हैं।

2. उ.न. का अर्थ 'उपलब्ध नहीं' है।

जेल के कैदियों का वर्गीकरण

7317. श्री रामपाल सिंह :
श्री पंकज चौधरी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार तिहाड़ जेल के कैदियों का वर्गीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. एम. कामसन) : (क) से (ग). जेल नियमावली पर आधारित मौजूदा परम्परा के अनुसार, कैदियों को मोटे तौर पर दो श्रेणियों में अर्थात्-विचाराधीन और दोषसिद्ध में वर्गीकृत किया जाता है। इनमें से प्रत्येक की दो-दो उप श्रेणिया बनाई जाती हैं। इस प्रकार दोष सिद्धों को श्रेणी 'ख' और 'ग' में तथा विचारधीन कैदियो को भी ऐसी ही दो श्रेणियों नामतः ''ख'' और ''ग'' में वर्गीकृत किया जाता है।

सिविल रिट याचिका सं0 1178/94 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार को 15 सितम्बर 1995 को निर्देश दिया था कि वह कैदियों के वर्गीकरण को युक्ति-संगत बनाने पर विचार करे।

सुरक्षा एजेन्सियों के वरिष्ठ अधिकारियों की लापरवाही

738. श्री सत्यदेव सिंह :
श्री सनत कुमार मंडल :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को प्रधान मंत्री की सुरक्षा से जुड़ी सुरक्षा एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों की लापरवाही के संबंध में कोई जानकारी प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कोई जांच करायी गई है;

(ग) यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम निकला;

(घ) दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) भविष्य के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किये गये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (सैयद सिब्ते रजी) : (क) से (ङ). सुरक्षा एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों की ओर से लापरवाही बरते जाने का कोई उदाहरण सरकार के ध्यान में नहीं आया है। तथापि 28 सितम्बर 1995 को एक फैक्स जिसमें उन एस पी ओ अधिकारियों के नाम शामिल थे जिन्हें कि एक आन्तरिक यात्रा में प्रधान मंत्री के साथ जाना था, गलत आदमी के पास भेज दिया गया था। इस घटना की जांच कराई गई है और संबंधित अधिकारी को उसके मूल संगठन में वापस भेज दिया गया है। इस मामले में आवश्यक उपचारात्मक उपाय शुरू किए गये हैं।

झारखंड स्वायत्त परिषद

739. श्री शैलेन्द्र महतो : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय, बिहार सरकार तथा झारखंड क्षेत्र के प्रतिनिधि झारखंड क्षेत्र के विकास के लिए झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद् के गठन पर गत वर्ष एक समझौते पर सहमत हुए;

(ख) क्या केन्द्र सरकार द्वारा उक्त परिषद को सीधे अनुदान देने तथा वित्तीय तथा प्राशसनिक स्वायत्तता प्रदान करने पर जोर दिया गया;

(ग) यदि हां, तो अब तक परिषद को सीधे अनुदान तथा पूर्ण स्वायत्तता न प्रदान करने के क्या कारण हैं;

(घ) सरकार द्वारा इस दिशा में क्या कदम उठाए जाने का विचार है;

(ङ) क्या सरकार ने बिहार राज्य सरकार को परिषद के गठन हेतु कुछ प्रतिनिधियों का शीघ्र चुनाव कराने के लिए निर्देश दिये हैं; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. एम. कामसन) : (क) से (च). झारखंड मसले पर संघीय सरकार की भूमिका, झारखंड क्षेत्र आंदोलन के प्रतिनिधियों और बिहार सरकार के बीच एक समझौते कराने में मदद करने तक थी। इस समझौते के परिणामस्वरूप, बिहार विधानसभा ने 'झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद अधिनियम, 1994'' अधिनियमित किया जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि राज्य के बजट में ही एक विशेष उप-शीर्ष के अंतर्गत 'झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद निधि'' स्थापित की जाए और इसमें झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद द्वारा वसूला गया या वसूला जाने योग्य तथा इसके द्वारा अन्यथा प्राप्त समस्त धन भी जमा कराया जाएगा। अधिनियम में यह प्रावधान भी है कि राज्य की वार्षिक योजना का कम से कम 25% परिषद के क्षेत्र के लिए विनिर्धारित किया जाएगा।

जहां सरकार ने, 'झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद अधिनियम, 1994'' के विभिन्न उपबंधों को लागू करने के लिए बिहार सरकार को लिखा है, वहीं मुख्यतया यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वह परिषद को धन जारी करने और इसके चुनाव करवाने संबंधी, अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करे।

मुसलमानों के लिए आरक्षण

740. श्री राम विलास पासवान : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार केन्द्र सरकार की नौकरियों में मुस्लिम समुदाय के लोगों को आरक्षण प्रदान करने पर विचार रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री असलम शेर खां) : (क) और (ख). ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।

(ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

आकाशवाणी और दूरदर्शन

741. डा. अमृतलाल कालीदास पटेल : क्या सूचना तथा प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न केन्द्रों में विभिन्न श्रेणियों में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या क्या है;

(ख) उनमें से कितने कर्मचारी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हैं;

(ग) इन केन्द्रों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कितने पद रिक्त पड़े हैं; और

(घ) ये रिक्त पद कब तक भर दिये जायेंगे ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम

742. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के अंतर्गत विचाराधीन कैदियों के रूप में जेलों में बंद पड़े व्यक्तियों की राज्यवार संख्या कितनी है; और

(ख) आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के समाप्त हो जाने के कारण इन मामलों की सुनवाई में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं/उठाए जा रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (सैयद सिब्ते रज़ी) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार नजरबंद व्यक्तियों की संख्या का एक विवरण संलग्न है।

(ख) टाडा मामलों के विचारण को तेज करने और तवरित निपटान के लिए मंत्रालय बार-बार राज्य सरकारों को लिख रहा है। इसके अलावा करतार सिंह बनाम पंजाब सरकार के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 11.3.1994 को दिये गए आदेश में निर्देश दिया था कि केन्द्र सरकार और साथ ही साथ राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के लिए पुनरीक्षा समितियां गठित की जायें और मामलों का पुनरीक्षण किया जाये। ये समितियां गठित कर ली गयी हैं और लम्बित मामलों की पुनरीक्षा कर रही है।

विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	टाडा के अंतर्गत निरुद्ध किए गये व्यक्तियों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	158
2.	अरुणाचल प्रदेश	2
3.	असम	427
4.	बिहार	81
5.	गुजरात	234
6.	गोवा	2
7.	हरियाणा	97
8.	हिमाचल प्रदेश	6
9.	जम्मू और कश्मीर	3049
10.	कर्नाटक	130
11.	केरल	निल
12.	मणिपुर	103
13.	मध्य प्रदेश	32
14.	महाराष्ट्र	635
15.	मेघालय	13
16.	पंजाब	286
17.	राजस्थान	163
18.	तमिलनाडु	88
19.	उत्तर प्रदेश	21
20.	पश्चिम बंगाल	6
21.	चंडीगढ़ प्रशासन	5
22.	दिल्ली	302
	योग	5839

लंबित परियोजनाएं

743. **डा. खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी :** क्या योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात की कौन-कौन सी परियोजनाएं मंजूरी हेतु योजना आयोग के पास लंबित पड़ी हैं;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) इन परियोजनाओं को कब तक मंजूर किए जाने की संभावना है ?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) से (ग). गुजरात सरकार की कोई परियोजना निवेश स्वीकृति के लिए कार्यवाही हेतु योजना आयोग में लंबित नहीं है

मीडिया नीति

744. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार की मीडिया नीति की मुख्य बातें क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार उसमें कोई परिवर्तन करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : (क) वर्तमान में मीडिया नीति को संहिताबद्ध नहीं किया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न माध्यम एकक सरकार की नीतियों, योजनाओं और परियोजनाओं के बारे में व्यापक सूचना उपलब्ध करवाते हैं, विकास की दिशाओं के बारे में जागरूकता का वातावरण तैयार करते हैं और इनके कार्यान्वयन में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। वे समय-समय पर यथाविनिर्दिष्ट विभिन्न संहिताओं/विनियमों/मार्गनिर्देशों के अंतर्गत कार्य करते हैं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

दिल्ली में टेलीफोन एक्सचेंज

745. **श्री बी. एल. शर्मा प्रेम** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का वर्ष 1995-96 के दौरान दिल्ली में कुछ और टेलीफोन एक्सचेंज खोलने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो निर्धारित स्थानों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी हां।

(ख) वर्ष 1995-96 के दौरान, उपस्कर उपलब्ध होने पर टेलीफोन एक्स्चेंज चालू करने की योजना के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं, जिनकी सकल क्षमता 287000 लाइनें हैं। अप्रैल 95 से अक्टूबर 95 तक 85850 लाइनों की सकल क्षमता पहले ही चालू कर दी गई है।

(ग) उपर्युक्त (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्र. सं	एक्सचेंज का नाम	हजार लाइनों में कुल क्षमता
1	2	3
1.	सरिता विहार	10
2.	केशवपुरम	8
3.	ओखला डी. II	11
4.	कड़कड़डूमा	25
5.	अलीपुर	1
6.	लोधी रोड़	10
7.	रोहिणी सेक्टर 9	2
8.	रोहिणी सेक्टर 3	2
9.	मयूर विहार फेज 1	2
10.	टेखंड	4
11.	यमुना विहार	20
12.	शादीपुर	12
13.	राजौरी गार्डन	12
14.	नांगलोई	18
15.	दिल्ली विश्वविद्यालय	1
16.	नरेला	1
17.	नजफगढ़	4
18.	एस. नगर	10
19.	प्रगति मैदान	1
20.	बी. सी. प्लेस	45
21.	रोहिणी सैक्टर 6	15
22.	सरस्वती विहार	2
23.	वसंत कुंज	10

24.	जनपथ डी 4	10
25.	हौजखास डी 1	10
26.	नेहरू प्लेस डी 3	10
27.	तुगलकाबाद	6
28.	पश्चिम विहार	4
29.	हरिनगर	2
30.	इंदिरा गांधी स्टेडियम	1
	कुल जोड़	287

सेवाओं का पुनर्गठन

746. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय की विभिन्न सेवा और संवर्गों के पुनर्गठन के लिए एक उच्चस्तरीय समिति गठित की गयी थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) समिति ने क्या-क्या सिफारिशें की थी;

(घ) सरकार द्वारा किन-किन सिफारिशों को स्वीकार किया गया; और

(ङ) शेष सिफारिशें कब तक स्वीकार कर ली जाएंगी?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : (क) जी, हां।

(ख) सूचना और प्रसारण मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सभी मीडिया एककों तथा संगठनों के विभिन्न सेवाओं और संवर्गों से संबंधित पहलुओं का अध्ययन करने तथा उपचारात्मक उपाय सुझाने हेतु सरकार द्वारा 16 अप्रैल 1993 को एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई थी। समिति का संघटन निम्न प्रकार से था :

1. श्री यू. सी. अग्रवाल — अध्यक्ष
   (सेवा निवृत्त सचिव, कार्मिक विभाग)
2. लेफ्टिनेन्ट जनरल — सदस्य
   (सेवा निवृत्त) के. बलराम
   (सेवा निवृत्त एडजूटेन्ट जनरल)
3. श्रीमती वी. एस. रमा देवी — सदस्य
   (सेवा निवृत्त सचिव, विधायी विभाग)
4. डा. एन. भास्कर राव — सदस्य
   (मीडिया विशेषज्ञ)
5. श्री गिरीश कर्नाड — सदस्य
   (पूर्व अध्यक्ष, संगीत नाटक अकादमी)
6. श्री एस. सी. महालिक — सदस्य
   (पूर्व अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार सूचना और प्रसारण मंत्रालय)
7. श्री के. ए. वरदन — सदस्य
   (पूर्व अपर सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय)
8. श्री एस. के. मल्होत्रा — सदस्य सचिव
   (पूर्व अपर महानिदेशक, दूरदर्शन)

इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 16.11.1993 को सरकार को प्रस्तुत की।

(ग) समिति द्वारा की गई सिफारिशों की मुख्य बातें सूचना और प्रसारण मंत्रालय की सेवाओं और संवर्गों, इसके मीडिया एककों के पुनर्गठन, कार्मिक प्रशिक्षण तथा प्राशासनिक एवं वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन से संबंधित हैं।

(घ) और (ङ). समिति ने 98 सिफारिशें की। जिनमें से 65 सिफारिशें सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई है, 4 सिफारिशें आंशिक रूप से स्वीकार की गई है तथा 6 सिफारिशें सरकार द्वारा स्वीकार नहीं की गई हैं। शेष सिफारिशों को स्वीकृति समय-समय पर बदलती हुई अपेक्षाओं और संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगी।

रसोई गैस एजेन्सियों का आबंटन

747. श्री छेदी पासवान : क्या पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल तथा रसोई गैस बिक्री केन्द्रों तथा डीलरशिप के आबंटन की प्रक्रिया या इससे संबंधित सर्वेक्षण कार्य शुरू किया जा चुका है; और

(ख) इसे कब तक पूरा किये जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख). विपणन योजना 1988-93, 1992-94 तथा 1989-93 में बिहार राज्य के लिए क्रमशः 188 खुदरा

बिक्री केन्द्र डीलरशिपें, 29 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें तथा 31 एस के ओ-एल डी ओ डीलरशिपें सम्मिलित की गई हैं। तेल चयन बोर्ड (बिडार) के माध्यम से इन स्थानों के लिए चयन कार्य पहले ही चल रहा है।

इसके अतिरिक्त, सर्वेक्षण पूरा होने के उपरांत सरकार ने बिहार राज्य के लिए एल पी जी विपणन योजना 1994-96 में 95 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें तथा खुदरा बिक्री केन्द्र विपणन योजना 1993-96 में 121 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपें अनुमोदित की गई हैं।

[अनुवाद]

उपग्रह चैनल

748. श्री बोज्जा बुज्जी रामय्या : क्या सूचना तथा प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश के अन्दर गैर सरकारी उपग्रह चैनलों को अनुमति देने तथा उपग्रह केन्द्रों को संचालित करने के लिए एक व्यापक प्रसारण अधिनियम लाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अधिनियम की विशेषताएं क्या हैं;

(ग) इस संबंध में कब तक विधान लाने की संभावना है;

(घ) देश में विदेशी उपग्रहों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या अधिकतर चैनलों का उपयोग ठीक से नहीं हो रहा है; और

(च) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : (क) जी हां।

(ख) ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं।

(ग) फिलहाल कोई समय सीमा नहीं बतायी जा सकती।

(घ) विदेशी उपग्रह जिनके फुट प्रिण्ट भारत को कवर करते हैं उनमें से कुछ ये हैं : एशिया सैट I, रिमसैट, अपस्टार I, स्टेशनर, गोरिजोण्ट और पी ए एस 4

(ङ) और (च). भारत सरकार विदेशी उपग्रहों के बारे में ऐसे ब्यौरे नहीं रखती है।

तिहाड़ जेल में महिला कैदी

749. डा. श्रीमती के. एस. सौन्दरम : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में तिहाड़ जेल में महिला कैदियों की संख्या कितनी है;

(ख) वर्तमान में तिहाड़ जेल में महिला पुलिस अधिकारियों की संख्या क्या है;

(ग) क्या महिला कैदियों के उपचार के लिए महिला डाक्टर और नर्सें वहां पर हैं; और

(घ) यदि हां, तो महिला डाक्टरों की वर्तमान संख्या क्या है और स्वीकृत पदों की संख्या कितनी है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. एम. कामसन) : (क) 25.11.1995 को स्थिति के अनुसार, तिहाड़ जेल में रखी गई महिला कैदियों की संख्या 336 थी।

(ख) तिहाड़ जेल में कोई महिला पुलिस अधिकारी नहीं है।

(ग) और (घ). विशेष रूप से महिला वार्ड के लिए ही एक महिला डाक्टर है। तथापि, तिहाड़ जेल मे कोई नर्स नही हैं। महिला वार्ड में रोगियों को देखने के लिए आने वाली एक स्त्री रोग विज्ञानी एक बाल रोग चिकित्सक और एक होम्योपैथिक/आयुर्वेदिक डाक्टर के रूप में प्राप्त होने वाली गैर सरकारी संगठन द्वारा इस कमी को पूरा किया जाता है। महिला डाक्टरों के दो पद स्वीकृत हैं जिनमें से एक रिक्त है।

[हिन्दी]

भूजल संसाधन

750. श्री दत्ता मेघे : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केंद्रीय भूजल बोर्ड की प्रायोगिक परियोजना के अंतर्गत भूजल संसाधनों के अन्वेषण तथा विकास के लिए केंद्रीय सरकार को अनुमोदन हेतु कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं/उठाए जाने का विचार है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

पेट्रोल के खुदरा विक्रय केन्द्रों की स्थापना

751. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सितम्बर, 1993 से लेकर अब तक दिल्ली में महीना वार आवंटित किए गये पेट्रोल खुदरा विक्रय केन्द्रों का विवरण क्या है;

(ख) सरकार/दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा किस तिथि को पेट्रोल पम्प के लिए भूमि आवंटित की गई;

(ग) पेट्रोल खुदरा विक्रय केन्द्रों के आवंटन के संबंध में अनियमितताओं के संबंध में क्या मंत्रालय को शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी विवरण क्या है; और

(ङ) इन शिकायतों के संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख). तेल कंपनियों ने सितंबर 1993 से अक्तूबर 1995 तक दिल्ली में 110 खुदरा बिक्री केन्द्रों की डीलरशिपों के लिए आशय पत्र जारी किए हैं। इसी अवधि के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 19 खुदरा बिक्री केन्द्रों के लिए भूमि आवंटित की है जिनमें से 5 स्थल उक्त प्रायोजन के लिए व्यवहार्य/उपयुक्त नहीं पाए गये। उपयुक्त वैकल्पिक स्थलों के लिए अनुरोध किए गये हैं।

(ग) से (ङ). तेल चयन बोर्ड और सरकार के स्वविवेकाधीन कोटे के माध्यम से डीलरशिपों के आवंटन में हुए अनियमितताओं से संबंधित आरोप वाली शिकायतें समय समय पर प्राप्त होती हैं। उपचारी कार्रवाई के लिए इन शिकायतों से आशय पत्र वापस ले लिया गया था तथा नं 2 के उम्मीदवार को यह आशय पत्र भेज दिया गया था। कुछ मामलों में विभिन्न न्यायालयों में याचिकाएं भी इन मामलों में कानूनी उपचार प्रदान करने हेतु दायर की गई हैं।

[हिन्दी]

गुजरात में एस.टी.डी. सुविधा

752. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात के सभी उप-मंडल मुख्यालयों में सीधे टेलीफोन सेवा (एस टी डी) की सुविधा प्रदान कर दी गई है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां यह सुविधा अभी प्रदान की जानी शेष है; और

(घ) इन स्थानों पर यह सुविधा कब तक उपलब्ध किए जाने की सम्भावना है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी हां। गुजरात के सभी 46 उप मण्डलीय मुख्यालयों में एस टी डी सुविधा प्रदान की जा चुकी है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

तेल क्षेत्र पर से नियंत्रण हटाना

753. श्री रमेश चेन्निथला :
श्री जोकनाथ चौधरी :
श्रीमती गीता मुखर्जी :

क्या पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में तेल उद्योग के स्वस्थ एवं प्रतिस्पर्धात्मक विकास के लिए अनुशासित मूल्य निर्धारण प्रक्रिया (एपीएम) को चरणबद्ध ढंग से समाप्त करके बाजार निर्धारित मूल्य निर्धारण नीति (अर्थात तेल क्षेत्र पर से नियंत्रण हटाना) लागू करने की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा विद्यमान नीति के स्थान पर नई नीति लागू करने से क्या उद्देश्य प्राप्त होंगे;

(ग) क्या आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन तथा आयल इंडिया लिमिटेड कच्चे तेल के लिए अन्तर्राष्ट्रीय दरों पर भुगतान की अनुमति दिये जाने का अनुरोध करते रहे हैं जैसा कि गैर-सरकारी क्षेत्र की उन घरेलु तथा विदेशी दोनों प्रकार की कम्पनियों के मामले में लागू है, जिन्हें देश में तेल निकालने के लिए लाइसेंस दिए गये हैं; और

(घ) उपरोक्त दोनों प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या है?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख). राष्ट्रीय तेल उद्योग की पुनर्रचना पर एक 'कार्यनीति संबंधी योजना दल' गठित किया गया है जिसमें सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के शीर्ष प्रबंधन के सदस्य तथा

शैक्षणिक एवं शोध संस्थानों के अग्रणी विशेषज्ञ शामिल हैं। इस दल ने अभी तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

(ग) जी नहीं ।

(घ) राष्ट्रीय तेल उद्योग की पुनर्रचना पर गठित सीमति संबंधी योजना दल की रिपोर्ट मिलने के बाद ही इसके संबंध में एक दृष्टिकोण अपनाया जा सकता है।

[अनुवाद]

लैटर बॉक्स

754. श्री पंकज चौधरी :
श्री बृज भूषण शरण सिंह :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि तक देश में ऐसे गावों की संख्या कितनी है जहां न तो डाकघर और न ही लैटर बाक्स;

(ख) इसके क्या कारण हैं;

(ग) कब तक सभी गांवों में उंक्त सुविधा उपलब्ध करवा दी जाएगी;

(घ) क्या दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित डाकघरों में सदैव डाक सामग्री का अभाव रहता है;

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई अथवा किये जाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) देश में बिना डाकघर और लैटर बाक्स वाले गांवो की संख्या 31.3.95 की तिथि के अनुसार संलग्न विवरण I और II में दी गई है।

(ख) और (ग). जहां तक गांवों मे डाकघर खोलने का संबंध है, देश के सभी गांवो में डाकघर खोलने की कोई योजना नहीं है। सरकार का लक्ष्य निर्धारित प्राथमिकताओं के अनुसार गांवो में डाकघर खोलना है, बशर्ते कि दूरी, जनसंख्या और आय संबंधी मानदंड पूरे होते हों और संसाधन उपलब्ध रहें।

जहां तक लैटर बाक्स का संबंध है, इस समय 500 से अधिक जनसंख्या वाले सभी गांवो में लैटर बाक्स लगाने का लक्ष्य रखा गया है। ऐसी संभावना है कि यह लक्ष्य दो वर्षों के भीतर प्राप्त कर लिया जायेगा।

(घ) जी नहीं, ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है कि दूरदराज के इलाकों के डाकघरों में डाक-सामग्री की हमेशा कमी रहती है। कभी कभी उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के कुछ दूरदराज के इलाकों में थोड़े समय के लिए कतिपय मदों की कमी हुई थी।

(ङ) यह कमी सरकारी सिक्यूरिटी प्रिंटर्स से अपर्याप्त सप्लाई अथवा परिवहन के विलंब के कारण हुई।

(च) डाक लेखन सामग्री आसानी से उपलब्ध हो, इसके लिए डाक विभाग ने सरकारी सिक्यूरिटी प्रिंटर्स के अलावा प्राइवेट प्रिंटर्स की सेवाएं लेनी भी शुरू कर दी हैं।

विवरण-I

उन गांवो की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा, जिनमें 31.3.95 की स्थिति के अनुसार डाकघर नहीं हैं

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	बिना डाकघर वाले गांवो की संख्या
1	2	3
	राज्य	
1.	आन्ध्र प्रदेश	12300
2.	असम	21117
3.	अरुणाचल प्रदेश	27
4.	बिहार	56524
5.	गोवा	182
6.	गुजरात	9949
7.	हरियाणा	4489
8.	हिमाचल प्रदेश	14385
9.	जम्मू व कश्मीर	4995
10.	कर्नाटक	18828
11.	केरल	-
12.	मध्य प्रदेश	61662
13.	महाराष्ट्र	29414
14.	मणिपुर	1364
15.	मेघालय	5044
16.	मिजोरम	348

1	2	3
17.	नागालैंड	936
18.	उड़ीसा	43486
19.	पंजाब	9072
20.	राजस्थान	28412
21.	सिक्किम	244
22.	तमिलनाडु	5484
23.	त्रिपुरा	4076
24.	उत्तर प्रदेश	94847
25.	पश्चिम बंगाल	30781
	संघ राज्य क्षेत्र	
26.	अंडमान व निकोबार	113
27.	चंडीगढ़	17
28.	दादर एवं नागर हवेली	38
29.	दमण व दीव	16
30.	दिल्ली	93
31.	लक्षद्वीप	-
32.	पांडिचेरी	233
	अखिल भारतीय योग	458476

विवरण-II

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	गांवो की संख्या जिनमें लैटर बाक्स नहीं हैं
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	485
2.	असम	10388
3.	अरुणाचल प्रदेश	3074
4.	बिहार	41708
5.	गोवा	42
6.	गुजरात	352
7.	हरियाणा	-
8.	हिमाचल प्रदेश	11378
9.	जम्मू व कश्मीर	2920
10.	कर्नाटक	9348
11.	केरल	-
12.	मध्य प्रदेश	33290
13.	महाराष्ट्र	8976
14.	मणिपुर	931
15.	मेघालय	3968
16.	मिजोरम	264
17.	नागालैंड	598
18.	उड़ीसा	36205
19.	पंजाब	1676
20.	राजस्थान	17310
21.	सिक्किम	165
22.	तमिलनाडु	839
23.	त्रिपुरा	1773
24.	उत्तर प्रदेश	35571
25.	पश्चिम बंगाल	4720
	संघ राज्य क्षेत्र	
26.	अंडमान व निकोबार	27
27.	चंडीगढ़	-
28.	दादर एवं नगर हवेली	-
29.	दमण व दीव	-
30.	दिल्ली	-
31.	लक्षद्वीप	-
32.	पांडिचेरी	62
	अखिल भारतीय योग	226070

डाक का वितरण

755. श्री लाल बाबू राय :
श्री एं वेंकटेश नायक :
श्री कुन्जी लाल :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक विभाग कर्मचारी धीमी गति से कार्य करने (गो स्लो) की विधि अपना रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी मिली है कि पत्र कई सप्ताह विलम्ब से वितरित किये जा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का विचार है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) देश में डाक विभाग के कर्मचारियों ने सामान्यतया "धीमे काम करो" की प्रक्रिया नहीं अपनाई है। तथापि, दिल्ली सर्किल में रेल डाक सेवा के कर्मचारियों ने दिनांक 17 अक्तूबर, 1995 से ओवरटाइम पर काम करने से इंकार कर दिया था। यह आंदोलन 3 नवम्बर, 1995 को समाप्त कर दिया गया।

(ख) दिल्ली में रेल डाक सेवा के कर्मचारियों द्वारा किए गए आंदोलन का कारण धनराशि उपलब्ध न होने से समयोपरि भत्ते का भुगतान न किया जाना था।

(ग) देश में पत्रों के वितरण में आमतौर पर ऐसा विलम्ब नहीं हुआ। तथापि, विलम्ब की यदा-कदा हुई घटनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता। दिल्ली में, रेल डाक सेवा के कर्मचारियों द्वारा किए गए आंदोलन के कारण डाक के सामान्य प्रेषण में दिनांक 17 अक्तूबर 1995 से कुछ विलम्ब हुआ।

(घ) विभाग ने समयोपरि भत्ते से लंबित पड़े बिलों का भुगतान करने के लिए अतिरिक्त धनराशि के आवंटन के लिए वित्त मंत्रालय से अनुरोध किया है। डाक के प्रेषण और वितरण में तेजी लाने के लिए कई अन्य कदम उठाए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

बी. सी. सी. एल. में घाटा

756. श्री बी. श्रीनिवास प्रसाद :
श्री तारा सिंह :
श्री बसुदेव आचार्य :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 7 नवम्बर 1995 के 'पायोनियर' में बी. सी. सी. एल' इन ए सौरी कन्डीसन शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या बी.सी.सी.एल. को रुग्ण घोषित कर दिया गया है तथा इसे 'औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड' को सौंप दिया गया है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान बी.सी.सी.एल को कितना घाटा हुआ है तथा इसके क्या कारण हैं;

(घ) बी.सी.सी.एल के घाटे को कम करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं;

(ङ) क्या बी.सी.सी.एल के बहुत से कामगारों की छंटनी कर दी गयी है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी हां।

(ख) दिनांक 24.11.95 को भारत कोकिंग कोल लि. (भा. को. को. लि.) ने ही बी.आई.एफ.आर. को एक संदर्भ किया था, जिसमें कंपनी को रुग्ण के रूप में घोषित किये जाने का प्रस्ताव किया था। किन्तु बी.आई.एफ.आर. द्वारा भा.को.को.लि. को एक रुग्ण कंपनी के रूप में घोषित किए जाने के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ग) भा.को.को.लि. विगत तीन वर्षों के दौरान उठाए गये वास्तविक घाटे (कोयला कीमत विनियमन लेखें में समायोजन दिए जाने से पूर्व) को नीचे दर्शाया गया है :-

करोड़ रुपये में

वर्ष	राशि
1992-93	370.26
1993-94	341.87
1994-95	560.70

भा.को.को.लि. में घाटे होने के मुख्य कारण नीचे दिये गए हैं :-

1. कच्चे कोककर कोयले तथा धुले कोयले दोनों के मामले में अलाभकारी कीमतों का होना।

2. प्रतिकूल ऋण इक्विटी अनुपात के कारण भारी ब्याज के बोझ

का होना।

3. फालतू श्रमशक्ति।

4. भा.को.को.लि. का उत्पादन बड़े अनुपात में भूमिगत खानों से प्राप्त किया जाता है और भूमिगत खानों में कठिन परिस्थितियां होने के कारण उत्पादन की बहुत ऊंची लागत आती है।

(घ) भा.को.को.लि. के घाटे को कम किए जाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :-

1. सुधरी हुई श्रमशक्ति आयोजन, जिसमें अतिरिक्त श्रमशक्ति का नियोजन किया जाना शामिल है।

2. भूमिगत खानों में कोयला लदान को यंत्रिकृत किया जाना ताकि उत्पादन तथा उत्पादकता में सुधार किया जा सके।

3. 'होम' की उपलब्धता तथा उपयोगिता में सुधार किया जाना, जोकि पर्याप्त वर्कशाप सपोर्ट, कलपुर्जों के सुधरे प्रबंधन और उपक्रमों का पुनर्वास करके किया जाना है।

4. ओपनकास्ट खानों में प्रतिस्थापन उपकरणों को मुहैया करके क्षमता उपयोगिता में सुधार किया जाना, जहां कि उपकरणों की उपयोगी समयावधि समाप्त हो गई है और सामान्य तथा निरोधात्मक अनुरक्षण के माध्यम से उपकरणों के खराब होने की समयावधि को न्यूनतम किया जाना।

5. गुणवत्ता कटौती, डेमरेज तथा उतराई संबंधी दण्ड के लिए अधिकतम सीमा निर्धारण करके विनियंत्रित लागत को न्यूनतम किया जाना।

6. समयावधि आधार पर और रविवार तथा छुट्टी के दिनों में श्रमिकों का पुनर्नियोजित किया जाना।

(ङ) और (च). कोल इंडिया लि. से प्राप्त सूचना के अनुसार भा.को.को.लि. ने खानों के जलमग्न होने के कारण लगभग 1100 कामगार आरंभिक रूप में अतिरिक्त हो जाएंगे। किन्तु मजदूर संघों के साथ बाद में विचार विमर्श किए जाने पर यह निर्णय लिया गया कि अन्य खानों में कामगारों को पुनः नियोजित कर दिया जायेगा। अतः इस संबंध में कोई श्रमशक्ति की छंटनी नहीं की गई है।

दूरदर्शन के चल केन्द्र

757. श्री ए. वेंकटेश नायक : क्या सूचना तथा प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में हाल ही में दूरदर्शन के चल केन्द्र चालू किए गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस समय देश में दूरदर्शन के कितने चल केंद्र हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार चालू वर्ष के दौरान दूरदर्शन के और भी चल केन्द्र खोलने का है; और

(ङ) इन चल केंद्रों की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : (क) और (ख). जी हां। दूरदर्शन द्वारा 1991 में प्राप्त किए गए 3 चल ट्रांसमीटरों को आपात स्थिति में क्षेत्र विस्तारण के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों में वितरित कर दिया गया है।

(ग) फिलहाल दूरदर्शन नेटवर्क में 7 चल ट्रांसमीटर हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) चल ट्रांसमीटरों की प्रमुख विशेषताएं नीचे दी गई हैं :-

1. यह उपकरण 6 टन के दो वाहनों पर उपयुक्त रूप से स्थापित स्वयं में एक अल्प शक्ति टी.वी. ट्रांसमीटर रिले केन्द्र (उपग्रह से संकेत प्राप्त करने वाला) है।

2. एन्टिना को वाती/जल व्यवस्था द्वारा 15 मी. तक खड़ा किया जा सकता है।

3. यह उपकरण अल्प सूचना पर सड़क से जुड़े दूरवर्ती दूर दराज के क्षेत्रों में लगाने के लिए उपयुक्त है।

4. इस चल टी.वी. ट्रांसमीटर को आपात स्थिति अर्थात् मौजूदा अल्प शक्ति ट्रांसमीटर/अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर के खराब होने/स्थानान्तरित किए जाने की स्थिति में भी प्रयोग में लाया जा सकता है।

चकमाओं को नागरिकता

758. श्री जाईता उम्ब्रे : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चकमा शरणार्थियों ने भारतीय नागरिकता को अपनी मांग के समर्थन में अनेक संगठनों का निर्माण किया है;

(ख) यदि हाँ, तो उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विदेशियों को संघ अथवा संगठन बनाने का अधिकार है; और

(घ) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (सैयद सिब्ते रजी) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

उपग्रह टीवी चैनल

759. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : क्या सूचना तथा प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय दर्शकों पर उपग्रह टीवी चैनलों के कार्यक्रमों के प्रतिकूल प्रभावों का पता लगाने के लिए कोई समिति गठित की थी;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार को इस समिति की सिफारिशें प्राप्त हो गई हैं;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) देश में उपग्रह टीवी चैनलों के कार्यक्रमों के प्रतिकूल प्रभावों को दूर करने/न्यूनतम करने के लिए किये गए प्रभावी उपायों का ब्यौरा क्या है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

(घ) दूरदर्शन द्वारा अपने दर्शकों के व्यापक प्रतिनिधिक समूह की विविध आवश्यकताओं की पूर्ति करने तथा उनकी रुचि को बनाए रखने के उद्देश्य से किए गए उपायों में 11 क्षेत्रीय भाषाओं में क्षेत्रीय भाषा उपग्रह सेवा, मूवी चैनल-मूवी क्लब, डी.डी.-3 चैनल की शुरूआत करना तथा डी.डी.-1 तथा डी.डी.-2 चैनल दोनों के स्थलीय प्रसारण में उत्तरोत्तर वृद्धि करना शामिल है।

सुवर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना

760. श्री वित्त वसु : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सुवर्णरेखा बहुउद्देयशी अंतर्राज्यीय परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या उक्त परियोजना की प्रगति का कार्य धीमी गति से चल रहा है;

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उपरोक्त परियोजना की प्रगति में तेजी लाने के लिए केंद्र सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : (क) सुवर्णरेखा बहुप्रयोजनीय परियोजना का वर्तमान चरण निम्नवत् है :

क्र.सं.	कार्य का नाम	पूरा होने की सीमा
1.	चाडिल बांध	97% (गेट लगाने के कार्य को छोड़कर)
2.	इचा बांध	30%
3.	गलुडीह बराज	98% (गेट लगाने के कार्य को छोड़कर)
4.	इचा दायां तट नहर	50%
5.	गलुडीह दायां तट नहर	70%
6.	इचा बायां तट नहर	30%
7.	खरकई नहर	25%
8.	चांडिल बायां तट नहर	70%
9.	गलुडीह बायां तटर नहर	0%
10.	खरकई बराज	0%

इस परियोजना पर मार्च, 95 तक 622 करोड़ रुपए व्यय होने की संभावना है जबकि इस परियोजना की नवीनतम अनुमानित लागत 1428.82 करोड़ रुपए है।

(ख) जी हाँ।

(ग) इस परियोजना के निर्माण कार्यों पर प्रगति, मुख्य रूप से राज्य द्वारा पर्याप्त वित्त पोषण न किए जाने तथा भूमि अधिग्रहण में विलंब होने के कारण धीमी रही।

(घ) इस परियोजना को 1981-89 के दौरान विश्व बैंक से सहायता प्राप्त हुई। योजना आयोग के कार्य दल ने 1995-96 के लिए 64.60 करोड़ रुपए के परिव्यय की सिफारिश की है।

समेकित जनजातीय विकास परियोजनाएं

761. श्रीमती भावना चिखलिया : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 30 सितम्बर तक क्रियान्वित की जा रही समेकित जनजातीय विकास परियोजनाओं की राज्य-वार संख्या कितनी है; और

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इन परियोजनाओं के अंतर्गत लाभान्वित जनजातीय परिवारों की राज्य-वार संख्या कितनी है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) देश में 194 समेकित आदिवासी विकास परियोजनाएं चल रही हैं। राज्य-वार सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) सूचना राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

समेकित आदिवासी विकास परियोजनायें

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आई.टी.डी.पी. की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	8
2.	असम	19
3.	बिहार	14
4.	गुजरात	9
5.	हिमाचल प्रदेश	5
6.	कर्नाटक	5
7.	केरल	7
8.	मध्य प्रदेश	49
9.	महाराष्ट्र	16
10.	मणिपुर	5
11.	उड़ीसा	21
12.	राजस्थान	5
13.	सिक्किम	4
14.	तमिलनाडु	9
15.	त्रिपुरा	3
16.	उत्तर प्रदेश	1
17.	पश्चिम बंगाल	12
18.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	1
19.	दमन एवं दीव	1

[हिन्दी]

रसोई गैस एजेन्सियाँ

762. श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार : क्या पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र में किन-किन स्थानों को रसोई गैस एजेंसियां खोलने हेतु विपणन योजना में शामिल किया गया है; और

(ख) इन एजेंसियों को खोलने की प्रक्रिया के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित है ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख). तेल चयन बोर्ड (महाराष्ट्र, गोवा, दमन तथा दीव) के माध्यम से आवंटन के लिए एल.पी.जी. विपणन योजना 1994-95 में महाराष्ट्र के संबंध में 133 एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिपें सम्मिलित की गई हैं। एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिप खोलने के संबंध में विज्ञापन जारी होने की तारीख से सामान्यतः 1-2 वर्ष का समय लगता है।

एल.पी.जी. एजेंसियां और पेट्रोल के खुदरा बिक्री केन्द्र

763. श्री चन्द्रेश पटेल : क्या पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 नवम्बर, 1995 से 15 नवम्बर, 1995 तक गुजरात, दिल्ली और देश के दूसरे भागों में एल.पी.जी. की कितनी एजेंसियां/पेट्रोल के कितने खुदरा बिक्री केन्द्र आवंटित किए गये हैं;

(ख) इनमें से महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यकों, बधिर तथा मूक लोगों, स्वतंत्रता सेनानियों, भूतपूर्व सैनिकों तथा उनकी विधवाओं को कितनी एजेंसियां आवंटित की गई हैं तथा स्वविवेक कोटे और सामान्य कोटे का अलग-अलग राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) कितने आवेदन पत्र स्वीकृति के लिए लंबित हैं; और

(घ) वर्ष 1996 और 1997 के दौरान एल.पी.जी. एजेंसियों, पेट्रोल खुदरा बिक्री केन्द्रों के आवंटन के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख). तेल विपणन कंपनियों ने 1 नवम्बर, 1995, से 15 नवम्बर, 1995 की अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों के अन्तर्गत 8 खुदरा बिक्री केन्द्रो तथा 6 एल.पी.जी.

डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के संबंध में निम्नवत आशय पत्र जारी किए हैं:

	खुदरा बिक्री केन्द्र	एल.पी.जी.
गुजरात	4	2
दिल्ली	3	0
बिहार	1	0
जम्मू कश्मीर	0	1
मध्य प्रदेश	0	2
उत्तर प्रदेश	0	1
	8	6

उपर्युक्त में से एक एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशि तथा एक खुदरा बिक्री केन्द्र की डीलरशिप क्रमशः "रक्षा" तथा शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणी के अधीन महिलाओं को आबंटित की गई हैं। इसी प्रकार अ.जा. तथा अ.ज.जा. उम्मीदवारों में प्रत्येक को एक खुदरा बिक्री केन्द्र आबंटित किया गया है।

(ग) और (घ). पिछली विपणन योजनाओं से लंबित चले आ रहे स्थानों के अतिरिक्त 1040 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपें तथा 1191 एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिप क्रमशः खुदरा बिक्री केन्द्र विपणन योजना 1993-96 तथा एल.पी.जी. विपणन योजना 1994-96 में सम्मिलित की गई हैं। तेल चयन बोर्डों के माध्यम से डीलरों/डिस्ट्रीब्यूटरों का चयन, जो कि एक अनवरत प्रक्रिया है, प्रगति पर है। चयन को अंतिम रूप देने तथा आशय पत्र जारी करने के लिए विज्ञापन की तारीख से सामान्यतः छः माह से एक वर्ष तक का समय लगता है। लंबित आवेदन पत्रों से संबंधित सूचना का रख रखाव सरकार द्वारा नहीं किया जाता है।

[अनुवाद]

दूरदर्शन नेटवर्क में आने वाले क्षेत्र

764. डा० साक्षीजी : क्या सूचना तथा प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में उन क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जो दूरदर्शन नेटवर्क के अंतर्गत नहीं आते;

(ख) क्या सरकार को इन क्षेत्रों को दूरदर्शन नेटवर्क के अंतर्गत लाने के विषय में कोई अभ्यावदेन मिला है; और

(ग) यदि हाँ, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस बारे में क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. एम. सईद): (क) हालांकि सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों को उपग्रह सेवाओं द्वारा कवर किया जाता है तथापि, इन दो राज्यों के सभी जिले पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से स्थलीय ट्रान्समीटरों द्वारा कवर किए जाते हैं जो उत्तर प्रदेश के 79.1% क्षेत्र तथा महाराष्ट्र के 72.4% क्षेत्र को टी.वी. सेवा प्रदान कर रहे हैं।

(ख) जी, हाँ। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों में टी.वी. सेवा को बढ़ाने तथा सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों से समय-समय पर अभ्यावेदन प्राप्त होते रहे हैं।

(ग) उपरोक्त राज्यों में टी.वी. सेवा को सुदृढ़ करने की दृष्टि से इस प्रयोजनार्थ अपेक्षित पर्याप्त संसाधनों की उपलब्धता और पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करते हुए उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों में भिन्न-भिन्न शक्ति वाले कई ट्रांसमीटर वर्तमान में कार्यान्वयनाधीन/स्थापित किए जाने हेतु परिकल्पित हैं। अपेक्षित ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में वर्तमान में कार्यान्वयनाधीन/स्थापित किए जाने हेतु परिकल्पित भिन्न-भिन्न शक्तियों के ट्रान्समीटरों की संख्या को दर्शाने वाली सूची

राज्य का नाम	टी.वी. ट्रांसमीटरों की संख्या			
	उ.श.ट्रा.	अ.श.ट्रा.	अ.अ.श.ट्रा.	ट्रान्सपोजर
उत्तर प्रदेश	4	27	30	-
महाराष्ट्र	3	31	7	1

दिल्ली में टेलीफोन कनेक्शन काटा जाना

765. श्री राम कृपाल यादव : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में जनवरी 1995 से अब तक टेलीफोन बिलों का भुगतान नहीं किए जाने के कारण कितने टेलीफोन काट दिए गए हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी, हाँ।

(ख) सूचना मंगाई गई है, तथा उसे सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

प्रति व्यक्ति आय

766. श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : क्या योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान राज्य-वार/केन्द्र शासित प्रदेश-वार प्रति व्यक्ति आय क्या है;

(ख) उन राज्यों के क्या नाम हैं जो गत दो दशकों के दौरान प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय औसत आय के स्तर से ऊपर नहीं आ सके;

(ग) उन राज्यों में प्रति व्यक्ति आय के कम होने के क्या कारण हैं; और

(घ) इन राज्यों की विकास प्रक्रिया को त्वरित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) वर्ष 1992-93 तथा 1993-94 के लिए चालू कीमतों पर राज्य/संघ क्षेत्र-वार प्रति व्यक्ति आय (प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद) संलग्न विवरण में दी गई है। 1994-95 के लिए आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) वे राज्य जिनकी प्रति व्यक्ति आय (प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद) सम्पूर्ण राष्ट्र (प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय उत्पाद) के प्रति व्यक्ति आय पिछले दो दशकों में निरन्तर कम रही है, वे हैं : आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, केरल, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, उड़ीसा, राजस्थान, त्रिपुरा तथा उत्तर प्रदेश।

(ग) प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद (एनएसडीपी) विभिन्न राज्यों में अनेक कारणों जैसे कि ऐतिहासिक रूप से आधार संरचना का असमान विकास और विभिन्न क्षेत्रों में, औद्योगिक तथा उद्यमशीलता विकास, वर्षा में अंतर ओर सूखा तथा बाढ़ और जनसंख्या में वृद्धि की वजह से भिन्न-भिन्न हैं।

(घ) राज्य सरकारें आय में वृद्धि के लिए विकास योजनाएं क्रियान्वित कर रही हैं। केन्द्र सरकार एक फार्मूले के अनुसार राज्य योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराती है, जिसमें प्रति व्यक्ति कम आय वाले राज्यों को अधिक महत्व दिया जाता है।

विवरण

चालू कीमतों पर प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद

(रुपये)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1992-93 (पी)	1993-94 (क्यू)
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	5767	6489
2.	अरुणाचल प्रदेश	7389	8172
3.	असम	5310	5916
4.	बिहार	3084	3650
5.	गोआ	11294	11658
6.	गुजरात	7175	7600
7.	हरियाणा	9171	10359
8.	हिमाचल प्रदेश	5979	6519
9.	जम्मू व कश्मीर	4024	4244
10.	कर्नाटक	6443	7029
11.	केरल	5768	6242
12.	मध्य प्रदेश	4733	5485
13.	महाराष्ट्र	9628	10984
14.	मणिपुर	5028	5362
15.	मेघालय	5215	5519
16.	मिजोरम	-	-
17.	नागालैण्ड	-	-
18.	उड़ीसा	4097	4726
19.	पंजाब	11106	12319
20.	राजस्थान	5086	5220
21.	सिक्किम	-	-
22.	तमिलनाडु	6663	7352
23.	त्रिपुरा	3781	-
24.	उत्तर प्रदेश	4273	4744
25.	पश्चिम बंगाल	5775	6055
26.	अ.व.नि. द्वीप समूह	6751	-
27	दिल्ली	13336	14714
28.	पांडिचेरी	9888	10108
	अखिल भारतीय		
	कारक लागत पर प्रति व्यक्ति एन.एन.पी.	6234	6929
	कारक लागत पर प्रति व्यक्ति एन.डी.पी.	6369	7062

क्यू: त्वरित अनुमान पी : अंनतिम

- संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए गए।

स्रोत : सम्बन्धित राज्य सरकारों के आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय एवं अखिल भारतीय प्रति व्यक्ति एन.एन.पी.

तथा एन.डी.पी. के लिए सी.एस.ओ. प्रति व्यक्ति एन.डी. पी. के आंकड़े एन.ए.एस. में प्रकाशित नहीं किए जाते हैं।

टिप्पणी : 1. प्रयोग में लाई गई स्रोत सामग्री में भिन्नता के कारण विभिन्न राज्यों/संघ क्षेत्रों के आंकड़े तुलनीय नहीं हैं।

टिप्पणी : 2. चण्डीगढ़ दादरा एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव तथा लक्षद्वीप संघ क्षेत्र ये आंकड़े तैयार नहीं करते हैं।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में टेलीफोन एक्सचेंज

767. श्री शिवराज सिंह चौहान : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में पुराने टेलीफोन केन्द्रों की संख्या क्या है;

(ख) राज्य में अब तक कितने इलैक्ट्रानिक केन्द्र स्थापित किए गए हैं; और

(ग) 1995-96 के दौरान कितने गांवों में टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराई गई है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) पुराने टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या 18 है

(ख) अब तक स्थापित किए गए इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों की संख्या 2616 है।

(ग) वर्ष 1995-96 (19.11.1995 तक) के दौरान टेलीफोन सुविधा युक्त ग्रामों की संख्या 342 है।

[अनुवाद]

एल.पी.जी. की सप्लाई

768. श्री जितेन्द्र नाथ दास :
श्री पूर्ण चन्द्र मलिक :

क्या पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पश्चिम बंगाल में एल.पी.जी. उपभोक्ताओं को एल.पी.जी. के सिलिण्डर समय पर उपलब्ध नहीं हो रहे हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उस राज्य में उपभोक्ताओं को सिलिंडरों की सप्लाई नियमित तथा समुचित रूप से करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जायेंगे?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग). सड़क की खराब स्थिति तथा कतिपय भराई संयत्रों में क्षमता उपयोग संबंधी अड़चनों की वजह से हाल ही में पश्चिमी बंगला में कुछ स्थानों पर एल.पी.जी. की रिफिलों की आपूर्ति में अस्थायी रूप से कमी हुई है। एल.पी.जी. विपणन कंपनियों द्वारा पहले से ही किए गए उपायों के परिणामस्वरूप स्थिति में सुधार हुआ है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में विदेशी डाकघर

769. श्री भगवान शंकर रावत : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आगरा में विदेशी डाकघर खोले जाने की अनुमति दी है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विदेशी डाकघरों द्वारा उपलब्ध की जा रही विभिन्न सुविधाओं और सेवाओं का ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी नहीं। डाक विभाग द्वारा आगरा में केवल एक एक्सपोर्ट एक्सटेंशन कांउटर खोलने की अनुमति दी गई थी।

(ख) से (ग). इस क्षेत्र के निर्यातकों को, केवल विदेश भेजने वाली मदों (हवाई और स्थल मार्ग से) की बुकिंग की सुविधा देने के लिए इन-हाउस कस्टम क्लीयरेंस की सुविधा के साथ संजय प्लेस उप-डाकघर में दिनांक 1.4.1995 को एक एक्सपोर्ट एक्सटेंशन कांउटर खोला गया था।

[अनुवाद]

पश्चिम बंगाल में टेलीफोन कनेक्शन

770. श्री अजय मुखोपाध्याय : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में 31.10.95 को जिला-वार टेलीफोन सुविधा के लिए प्रतीक्षा सूची में कितने व्यक्ति थे; और

(ख) यह प्रतीक्षा सूची कब तक समाप्त होने की संभावना है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) पश्चिम

बंगाल में 31.10.1995 की स्थिति के अनुसार 104259 व्यक्ति प्रतीक्षा सूची में दर्ज थे। इसके जिला-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) प्रतीक्षा सूची को 31 मार्च, 1997 तक उत्तरोत्तर रूप से निपटाए जाने की संभावना है।

विवरण

पश्चिम बंगाल में प्रतीक्षा सूची के जिले-वार ब्यौरे

	जिलों का नाम	31.10.95 तक प्रतीक्षा सूची
1.	24 परगना (उत्तरी)*	18672
2.	24 परगना (दक्षिण)*	9038
3.	बंकुरा	773
4.	बरदवान	8202
5.	बीरभूम	1710
6.	कूचबिहार	923
7.	दक्षिण दिनाजपुर	537
8.	दार्जिलिंग	4269
9.	हुगली*	8273
10.	हावड़ा*	8175
11.	जलपाईगुड़ी	1554
12.	मालदा	1886
13.	मिदनापुर	4474
14.	मुर्शीदाबाद	1778
15.	नादिया*	3427
16.	पुरुलिया	320
17.	उत्तर दिनाजपुर	1073
18.	कलकत्ता जिला	28535
	जोड़	104259

* इन जिलों का कुछ भाग कलकत्ता टेलीफोन्स में और कुछ भाग पश्चिम बंगाल दूरसंचार सर्किल में आता है।

[हिन्दी]

गुजरात का विकास

771. **श्री एन.जे. राठवा** : क्या योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गुजरात को एक आदर्श राज्य के रूप में विकसित करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो इस प्रयोजनार्थ दी जाने वाली/दी गई विशेष सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन राज्यों के क्या नाम हैं जिन्हें एक आदर्श राज्य के रूप में विकसित करने हेतु कदम उठाये गये हैं, और इस प्रयोजनार्थ राज्यवार कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) से (ग). देश में सभी राज्यों के तीव्र आर्थिक विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। गुजरात की आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए 11,500 करोड़ रुपये का परिव्यय मंजूर किया गया था जिसमें 1055.76 करोड़ रुपये की सामान्य फार्मूला आधारित केन्द्रीय योजना सहायता (सकल) शामिल है। देश में किसी राज्य को एक आदर्श राज्य के रूप में विकसित करने के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

[अनुवाद]

शासकीय गुप्त बात अधिनियम

772. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शासकीय गुप्त बात अधिनियम को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस चुनौती के आधार क्या हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (सैयद सिब्ते रजी) : (क) और (ख). उच्चतम न्यायालय में भारतीय संघ के विरुद्ध एक रिट याचिका दायर की गई है जिसमें, अन्य-बातों के साथ-साथ, शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923, की धारा 5 को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि वह संविधान के अनुच्छेद 14,19(1)(क) और 21 के नियम विरुद्ध है।

राजभाषा

773. **श्री प्रवीन डैका** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार के कार्यालय जो असम में स्थित हैं असमी भाषा का उपयोग नहीं करते हैं जबकि यह भाषा असम की राजभाषा है;

(ख) क्या सरकार के ध्यान में ऐसी बात लाई गई है कि अपनी भाषा का प्रयोग न करने के कारण स्थानीय लोगों को बहुत कठिनाई हो रही है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे आदेश जारी किए हैं कि सभी केन्द्रीय कार्यालय तथा प्रतिष्ठान जो असम में स्थित हैं अपने साइन बोर्ड, स्टेम्पस, लोगो इत्यादि तीन भाषाओं में बनाए जिसमें सबसे ऊपर असमी भाषा में होना चाहिए; और

(घ) यदि हाँ, तो इस आदेश को लागू करवाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामलाल राही) : (क) से (घ). हिन्दी संघ सरकार की राजभाषा है। केन्द्र सरकार के कार्यालयों में केवल हिंदी तथा अंग्रेजी में कार्य किए जाने की व्यवस्था है। परन्तु जनसुविधा के लिए अहिंदी भाषी क्षेत्रों में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में रबड़ की मोहरें नामपट्ट, सूचना पट्ट, पत्र-शीर्ष, लोगो आदि में क्षेत्रीय भाषा, हिंदी तथा अंग्रेजी के, इसी क्रम में, प्रयोग संबंधी आदेश सरकार द्वारा जारी किए गए हैं। राजभाषा संबंधी अनुदेशों के अनुपालन का दायित्व सभी संबंधित विभागों/कार्यालयों का है, परन्तु जब कभी भी इन आदेशों के उल्लंघन संबंधी सूचना राजभाषा विभाग के अधिकारियों को प्राप्त होती है तो वे संबंधित कार्यालय में इन आदेशों के अनुपालन के लिए कार्रवाई करते हैं।

[हिन्दी]

मानव बम

774. **डा० रमेश चन्द तोमर :**
श्री पंकज चौधरी :
श्री राम सिंह कस्वां :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में दिल्ली में पाकिस्तान प्रशिक्षित मानव बमों को पकड़ा गया;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में कोई जाँच समिति का गठन किय गया; और

(घ) यदि हाँ, तो उसके क्या निष्कर्ष हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० एम० कामसन) : (क) जी हाँ, श्रीमान्।

(ख) से (घ). ता : 27.9.1995 को "बब्बर खालसा इन्टरनेशनल" के दो कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया और उनसे 30 सक्रिय कारतूसों के साथ एक ए.के.-56 असाल्ट राईफल, और 1.04 किलोग्राम आर.डी.एक्स. शक्तिशाली विस्फोटक बरामद किया गया। आगे पूछताछ करने पर उनके तीसरे साथी को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 40 सक्रिय कारतूस बरामद हुए। गिरफ्तार किए गए तीन कार्यकर्ताओं में से एक को, दिल्ली में एक या दो राजनैतिक नेताओं को मारने के लिए मानव बम के रूप में कार्य करने के लिए प्रशिक्षित किया गया था।

कोई जांच समिति गठित नहीं की गयी। तथापि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन थाने में विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4/5, भा.द.सं. की धारा 120-ख, 121, 122, 124-क और शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के अन्तर्गत एक मामला दर्ज किया गया है।

[अनुवाद]

दिल्ली टेलीफोन एक्सचेंजों की शिकायत सेवा

775. **श्री मोदन रावले** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के टेलीफोन एक्सचेंजों, विशेषकर शक्ति नगर एक्सचेंज, जहां महीनों तक शिकायतों पर सुनवाई नहीं होती, में शिकायत सेवाओं को सुव्यवस्थित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे टेलीफोन एक्सचेंज में शिकायत सेवा को कब तक कम्पयूटरीकृत किए जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड ने दिल्ली में दोष मरम्मत सेवा (एफ.आर.एस.) को सरल तथा कारगर बनाने के लिए एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम आरंभ किया है। इस कार्यक्रम के एक अंग के रूप में सभी एक्सचेंजों को कम्प्यूटरीकृत किया जा रहा है। शक्ति नगर एक्सचेंज की दोष मरम्मत सेवा के कम्प्यूटरीकृत का कार्य चल रहा है।

(ख) राजोरी गार्डन, करोलबाग, जनकपुरी, लक्ष्मी नगर, तीस हजारी, सेना भवन, राजपथ, नेहरू प्लेस और चाणक्यपुरी एक्सचेंजों में दोष मरम्मत सेवा को पहले ही कम्प्यूटरीकृत कर दिया गया है।

(ग) शक्ति नगर एक्सचेंज में दोष मरम्मत सेवा को वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान कम्प्यूटरीकृत किए जाने की संभावना है।

[अनुवाद]

दिल्ली में बम विस्फोट

776. श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति :
श्री राम पाल सिंह :
श्री मनोरंजन भक्त :
श्री माणिकराव होडल्या गावीत :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में सितम्बर, 1995 में हुए बम विस्फोटों के कारण दहशत फैली;

(ख) यदि हाँ, तो इन बम विस्फोटों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके परिणामस्वरूप कितनी जान-माल की हानि हुई;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच करवाई;

(ङ) यदि हाँ, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला; और

(च) भविष्य में ऐसे बम विस्फोटों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० एम० कामसन) : (क) से (ग). अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गयी है।

(घ) से (ङ). दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज मामलों में की गयी जांच पड़ताल के अलावा अलग से जांच नहीं की गयी।

(च) भविष्य में इस प्राकर से बम विस्फोटों को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

(i) विभिन्न सार्वजनिक स्थानों अर्थात, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे, आई.एस.बी.टी., पूजा के महत्वपूर्ण स्थानों पर विस्फोटक रोधी एहतियाती उपाय किए गए हैं।

(ii) चौकसी में बढ़ोतरी।

(iii) लावारिस/परित्यक्त सम्पत्ति से सावधानी बरतने और इस प्रकार की संदिग्ध सामग्री के बारे में तत्काल पुलिस को रिपोर्ट करने के बारे में जनसम्पर्क माध्यमों से जनजागरण अभियान आयोजित किए गए हैं।

(iv) मार्किट एसोसिएशनों और रेजिडेंट एसोसिएशनों से कहा गया है कि वे संदेहास्पद प्रतीत होने वाली वस्तुओं के प्रति बाजार और रिहायशी क्षेत्रों में लगातार सतर्कता बरतें।

विवरण

क्र.सं.	कानून की धारा और पुलिस स्टेशन सहित मामला प्रथम सूचना रिपोर्ट सं०	मामले के संक्षिप्त तथ्य	मारे गए व्यक्ति	जख्मी हुए व्यक्ति	सम्पत्ति को हुआ नुकसान
1.	भा.द.सं. की धारा 307 और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3/4/5 के तहत थाना-कोतवाली में 25.9.95 को दर्ज मामला सं. 848	25.9.1995 को लगभग 7 बजे शाम को लाल किला चौक के समीप एक बम-विस्फोट हुआ।	-	30	दो मोटर साईकिल और एक स्कूटर
2.	भा.द.सं. की धारा 307 और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3/4/5 के अंतर्गत थाना कोतवाली में 25.9.95 को दर्ज मामला सं० 849	25.9.95 को लगभग 7.45 बजे शाम को सुभाष मार्ग दिल्ली में छत्ता रेल पर एक विस्फोट हुआ।		20	एक स्कूटर
3.	भा.द.सं. की धारा 307 और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3/4/5 के अंतर्गत थाना समयपुर बादली में 26.9.95 को दर्ज मामला सं० 561	26.9.95 को लगभग 8.45 बजे पूर्वाह्न मूरी एक्सप्रेस से उस समय एक विस्फोटक सामग्री फैंकी गयी जब वह उत्तरी दिल्ली में बादली गांव से गुजर रही थी। संदीप नामक एक लड़का घायल हुआ।	-	1	कुछ बर्तन और मकान की दीवार
4.	विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3/4/5 के अंतर्गत पुलिस स्टेशन कल्याण पुरी में 30.9.95 को दर्ज मामला सं० 419	30.9.95 को लगभग 9.30 बजे मकान सं० 8/57, खिचड़ीपुर, दिल्ली के प्रथम तल पर एक विस्फोट हुआ जहां श्री नसीर अपने परिवार के साथ रह रहा है। कमरे के अंदर रखे 5 देशी बमों में से 3 फट गए और बिना फटे 2 बम बाद में घटनास्थल से बरामद किए गए।	-	-	-

तेल क्षेत्र में विदेशी/निजी कंपनियां

777. प्रो० सुदर्शन राय चौधरी :
श्री रूप चन्द पाल :

क्या पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खोज किये गये तेल क्षेत्रों में विदेशी/निजी क्षेत्र की भागेदारी के लिए पेशकश की है अथवा पेशकश करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो ऐसे तेल क्षेत्रों के नाम क्या हैं; और

(ग) इस नीति को अपनाने के पीछे क्या तर्क है ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी हाँ। 1992 और 1993 के दो विकास प्रस्तावों के अन्तर्गत कुल 74 लघु आकार के और मध्यम आकार के अन्वेषिक तेल और गैस क्षेत्र निजी पक्षकारों को दिए गए हैं।

(ख) 1992 और 1993 में दिए गए क्षेत्रों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) इससे होने वाले मुख्य लाभ निम्नलिखित होंगे :-

- इस क्षेत्रों में शीघ्र उत्पादन शुरू करके तेल और गैस उत्पादन में वृद्धि की जा सकेगी।
- निम्न भण्डारों वाले क्षेत्रों अथवा क्षेत्रों को विकसित किया जाएगा जो रिक्त हो चुके हैं और जिनके लिए संबंधित तेल निकासी प्रक्रियाओं की आवश्यकता हो।
- विदेशी कंपनियों द्वारा आधुनिक प्रौद्योगिकी के शुरू किए जाने के माध्यम से प्रौद्योगिकी की उपलब्धता में बढ़ोत्तरी होगी।

विवरण

वर्ष 1992 में बोली के लिए प्रस्तावित लघु आकारीय क्षेत्रों का ब्यौरा:

अपतटीय

क्षेत्र/बेसिन

अंडमान

1. ए.एन.-1

कृष्णा-गोदावरी

2. जी-1
3. जी-2

कावेरी

4. पी.एच.-9
5. पी.वाई-1

बम्बई

6. डी-18
7. बी-178
   बी-179
8. बी-80
9. बी-119
   बी-121
10. बी-192

तटीय

क्षेत्र/राज्य

गुजरात

11. वावेल
12. बाकरोल
13. साबरमती
14. लोढार
15. करजीसान
16. बाओला
17. मोढ़रा
18. आसजोल
19. माही बाई
20. सिसवा
21. मतार
22. भांदुत
23. समालपुर
24. हजीरा
25. दक्षिण पातान
26. इंदरोरा
27. ढोल्का
28. कैम्बे

असम

29. तिनाली
30. सरोजनी

31. धौलिया

1992 की बोली के लिए प्रस्तावित मध्यमाकारीय क्षेत्रों का ब्यौरा :

अपतटीय

क्षेत्र/बेसिन

कृष्णा-गोदावरी

1. रावा

बम्बई

2. मुक्ता
3. पन्ना
4. आर-श्रृंखला
5. डी-1
6. मध्य और दक्षिण तापती

अपतटीय

क्षेत्र/राज्य

अरुणाचल प्रदेश

7. खंसांग

असम

8. डिग्बोई (ई.ओ.आर.)
9. बोगापानी-सम्दांग
10. बारबिल-डिरोई
11. डिप्लिंग

राजस्थान

12. बाधेवाला

(बीकानेर-नागौर)

1993 की बोली के लिए प्रस्तावित लघु आकरीय क्षेत्रों का ब्यौरा :

अपतटीय

क्षेत्र/राज्य

अंडमान

1. ए.एन.-1

बम्बई

2. डी-18
3. बी-80
4. बी-192

तटीय

आन्ध्र प्रदेश

5. बंतु मिल्ली
6. भीमन पल्ली
7. काजा
8. माने पल्ली
9. बांदामुर्लाक-नार्थ
10. पालाकोल्लु-पेडापेडु
11. राजोल चिंतालापल्ली
12. नरसापुर
13. कवितम

तमिलनाडु

14. ऊटटीकाडई

असम

15. बरवपुर
16. डिलारा
17. उरियमघाट
18. नाडोरडाबी
19. आमगुड़ी
20. तिनाली
21. सरोजनी
22. धोलिया
23. बागापानी-समडांग
24. डिपलिंग

गुजरात

25. नार्थ कठाना
26. नार्थ बलोल
27. वेस्ट बेचराजी
28. ढोलासन
29. सांगनपुर
30. अल्लोरा
31. ओगनाज
32. कनावाड़ा
33. उनावा

1993 की बोली के लिए प्रस्तावित मध्यमाकारीय क्षेत्रों का ब्यौरा:

अपतटीय

बेसिन/क्षेत्र

बम्बई

1. रत्ना और आर श्रृंखला

2. बेसिन आयल रिम

तटीय

कैम्बे

3. नवागाम

(लोअर पे)

4. दक्षिणी काडी

5. वासना

6. अंकलेश्वर (ई.ओ.आर.)

अपर असम

7. चांगमईगांव

8. डिग्बोई (ई.ओ.आर.)

[हिन्दी]

डाकघर

778. श्री राम टहल चौधरी :
श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1992, 1993, 1994 के अन्त तक तथा इसके पश्चात् राज्य-वार और वर्ष-वार ऐसे गांवों की संख्या कितनी है जहाँ डाकघर नहीं हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान बन्द किए गए डाकघरों की राज्य-वार संख्या क्या है;

(ग) राज्य-वार ऐसे कितने डाकघर ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित थे;

(घ) कितने समय में प्रत्येक गावं में डाकघर खोल दिए जाएंगे;

(ङ) क्या सरकार का विचार शिक्षित बेरोजगार युवाओं को डाकघर रहित गांवों में अशंकालिक डाक कर्मचारियों के रूप में रोजगार प्रदान करने का है; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) से (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

(घ) देश के सभी गांवों में डाकघर खोलने की कोई योजना नहीं है। सरकार का उद्देश्य गांवों में निर्धारित प्राथमिकताओं के अनुसार उत्तरोत्तर रूप से डाकघर खोलना है, बशर्ते कि दूरी, जनसंख्या और आय संबंधी मानदंड पूरे होते हों तथा संसाधन उपलब्ध रहें।

(ङ) जी नहीं। ऐसी कोई योजना नहीं है लेकिन जब भी कोई डाकघर खोला जाता है, उस डाकघर के लिए मंजूर पदों को भरने के रूप में रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं।

(च) इस दिशा में कोई नीति नहीं है।

[अनुवाद]

बम्बई का नाम परिवर्तन

779. श्री राम नायक : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई उच्च न्यायालय द्वारा हिन्दी में ''बम्बई'' के स्थान पर ''मुम्बई'' शब्द का उपयोग करने संबंधी दिए गये निर्णय के विरुद्ध भारत सरकार ने विशेष अनुमति याचिका दायर की है;

(ख) यदि हाँ, तो इस याचिका को स्वीकृत किए जाने की तिथि कौन सी है तथा इस अपील को दायर करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या प्रधान मंत्री महोदय ने मुम्बई के मेयर तथा संसद सदस्यों को यह आश्वासन दिया था कि उन्होंने ''बम्बई'' के स्थान पर ''मुम्बई'' के उपयोग की स्वीकार कर लिया है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस माँग को स्वीकार न करने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामलाल राही) : (क) और (ख). बम्बई उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध विधिक कारणों से उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की गई थी जिसे दिनांक 10.7.95 को उच्चतम न्यायालय ने विचारार्थ स्वीकार कर लिया था।

(ग) और (घ). ''बम्बई'' का नाम ''मुम्बई'' रखने के महाराष्ट्र सरकार के अनुरोध को केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूर कर लिया है।

जल संसाधनों से संबंधित कम्प्यूटरीकृत डाटा बेस

780. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ राज्यों में जल संसाधनों से संबंधित कम्प्यूटरीकृत डाटा बेस के विकास के लिए विश्व बैंक से ऋण सहायता की मांग की है;

(ख) यदि हाँ, तो कितनी राशि की मांग की गई है और उपरोक्त डाटा बेस किन-किन राज्यों में विकसित किए जाएंगे; और

(ग) इन परियोजनाओं पर कार्य कब तक शुरू हो जाने की संभावना है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) जी हाँ।

(ख) सात प्रायद्वीपीय राज्यों अर्थात तमिलनाडु, केरल, आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात और महाराष्ट्र में विश्व बैंक सहायता की चलायी जा रही जलविज्ञान परियोजना के जरिए कम्प्यूटरीकृत आंकड़ा आधार विकसित किए जाने का प्रस्ताव है। इस परियोजना के अंतर्गत 142 मिलियन डालर की राशि प्राप्त की जा रही है जिसमें कम्प्यूटरीकृत आंकड़ा आधार भी शामिल है।

(ग) इन परियोजनाओं पर कार्य 22 सितंबर, 1995 से पहले ही शुरू हो चुका है।

[हिन्दी]

फिल्म प्रभाग के क्षेत्रीय केन्द्र

781. **श्रीमती शीला गौतम :**
श्री रामेश्वर पाटीदार :

क्या सूचना तथा प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय फिल्म डिवीजन के कितने क्षेत्रीय केन्द्र हैं;

(ख) क्या इन केन्द्रों में रिकार्डिंग, कैमरा सम्पादन और अन्य मशीनों की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इन केन्द्रों को सभी सुविधाएं प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या फिल्म डिवीजन के कुछ और क्षेत्रीय केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : (क) वर्तमान में परिवार कल्याण तथा रक्षा प्रशिक्षण फिल्मों के निर्माण के लिए नई दिल्ली में स्थित प्रभाग की एक यूनिट के अतिरिक्त, फिल्म प्रभाग के दो क्षेत्रीय निर्माण केन्द्र नामतः दक्षिणी क्षेत्रीय निर्माण केन्द्र, बंगलौर तथा पूर्वी क्षेत्रीय निर्माण केन्द्र कलकत्ता हैं।

(ख) और (ग). जी हाँ। इन केन्द्रों को सभी आवश्यक उपकरण तथा सुविधा उपलब्ध करवा दी गई हैं।

(घ) और (ङ). जी, नहीं। आठवीं पंचवर्षीय योजना में 16 से. मी. लघु फीचर तथा वीडियो फिल्मों के निर्माण के लिए दो नए क्षेत्रीय निर्माण केन्द्र अर्थात एक लखनऊ में तथा दूसरा बम्बई में स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया था। तथापि, धनराशि की कमी के कारण प्रस्ताव को कार्यान्वित नहीं किया जा सका।

[अनुवाद]

गुजरात में एस.टी.डी. टेलीफोन सुविधा

782. **श्री विजीप भाई संघाणी:**
श्री कांशीराम राणा :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में ऐसे जिलों की संख्या क्या है जो इलैक्ट्रानिक केन्द्रों की एस.टी.डी. सुविधा से राज्य की राजधानी से नहीं जुड़े हैं;

(ख) ऐसे गांवों/पंचायतों की संख्या क्या है जो अभी तक एस. टी.डी. से जिला मुख्यालयों से नहीं जुड़े हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है या किए जाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) गुजरात के सभी जिलों को, एस.टी.डी. सुविधायुक्त इलैक्ट्रानिक एक्सचेंजों के जरिए प्रदेश-राजधानी से जोड़ा जा चुका है।

(ख) संलग्न विवरण में दिए ब्यौरों के अनुसार।

(ग) शेष गांवों/पंचायतों में टेलीफोन सुविधाएं जुटाने का प्रस्ताव इस प्रकार है:-

वर्ष	लाभ पहुंचाने हेतु प्रस्तावित गाँवों/पंचायतों की संख्या
1995-96	2000
1996-97	1068

शेष 3070 गाँवों/पंचायतों को निजी प्रचालकों द्वारा लाभान्वित किए जाने का प्रस्ताव है।

विवरण

पैरा (ख) : राज्य के जिला-मुख्यालयों के साथ एस.टी.डी. से अभी जोड़े जाने वाले गाँव/पंचायतें

इस संबंध में स्थिति इस प्रकार है:

	गाँव	ग्राम पंचायतें
कुल संख्या	18125	13510
टेलीफोन सुविधा युक्त	11987	11862
जिन्हें अभी यह सुविधा दी जानी है	6138	1642

गावों में प्रदत्त सभी सार्वजनिक टेलीफोनों से, ट्रंक कॉल बुक करके जिला मुख्यालयों से सम्पर्क साधा जा सकता है।

माँग व तकनीकी व्यवहार्यता के बाद इन टेलीफोनों में एस. टी. डी. सुविधा प्रदान की जा सकती है।

[हिन्दी]

पुलिस हिरासत में व्यक्तियों की मृत्यु

783. श्री सत्यदेव सिंह :
श्री लोकनाथ चौधरी :
कुमारी उमा भारती :
श्री राम चंदन :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में पुलिस हिरासत में गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई;

(ख) इन घटनाओं के लिए कितने पुलिस कर्मी दोषी पाए गए हैं और उनके विरुद्ध क्या दण्डात्मक कार्यवाही की गई है; और

(ग) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० एम० कामसन) : (क) और (ख). वर्ष 1992, 1993, 1994 और 1995 में (31.10.95 तक) दिल्ली में पुलिस हिरासत में मरे व्यक्तियों की संख्या, दोषी पाए गए पुलिस कर्मियों की संख्या और उनके खिलाफ की गई कार्रवाई इस प्रकार है:

वर्ष	पुलिस हिरासत में मौतों की संख्या	संलिप्त पुलिस कर्मियों की संख्या	उन पुलिस कर्मियों की संख्या जो दोषी पाए गए विभागीय कार्रवाई में	उन पुलिस कर्मियों की संख्या जो दोषी पाए गए आपराधिक कार्यवाही में
1992	5	10	4	-
1993	4	16	-	-
1994	2	2	1	-
1995 (31.10.95 तक)	1	10	-	-

(ग) इन अनुदेशों को दुहराया गया है कि हिरासत में रखे गए व्यक्तियों के साथ कानून के अनुसार व्यवहार किया जाएगा और कि दमनात्मक तरीकों का सहारा नहीं लिया जाएगा। जब कभी किसी पुलिस कर्मी को यंत्रणा में संलिप्त पाया जाता है या हिरासत में हुई मौत के लिए जिम्मेवार ठहराया जाता है तो आपराधिक अभियोजन सहित कड़ी कार्यवाही की जाती है। ''प्रवेशकालीन'' तथा ''सेवाकालीन'' प्रशिक्षण कार्यक्रमों में विशेष सामग्री शामिल की गई है ताकि पुलिस अधिकारियों को, जांच के वैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग करने के बारे में सुग्राही बनाया जा सके।

पूछताछ कक्षों को इस प्रकार पुनर्स्थापित किया और उन्हें रिपोर्टिंग कक्षों के निकट लाया जा रहा है ताकि वे अधिक दृष्टिगोचर रहें और इन अनुदेशों के उल्लंघन की गुंजाइश कम से कम हो सके।

बिहार में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए डाकपालों के पद

784. श्री राम विलास पासवान : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार नियुक्त किये गये ग्रामीण डाकपालों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) इनमें से कितने पद अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं;

(ग) इन आरक्षित पदों पर वर्ष-वार नियुक्त किये गये अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की संख्या कितनी है;

(घ) क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण के प्रावधान संबंधी नियमों का पालन नहीं किया गया है;

(ङ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या सरकार को इस बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(छ) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है अथवा किये जाने का विचार है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) से (छ). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

भारतीय कारागार अधिनियम, 1894

785. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पुराने पड़ गए भारतीय कारागार अधिनियम, 1894 को अद्यतन बनाने तथा उसमें संशोधन करने की मांग की है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौर क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (सैयद सिब्ते रजी) : (क) और (ख). अखिल भारतीय जेल सुधार समिति, 1980-83 सहित विभिन्न मंचों पर व्यक्त की गयी आवश्यकता के जवाब में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का यह मत है कि जेल अधिनियम, 1894 को संशोधित और अद्यतन करने की आवश्यकता है। भारत सरकार इस विचार से पूरी तरह सहमत है। ''जेल'' राज्य का विषय होने के कारण, राज्यों के साथ बातचीत शुरू की गयी ताकि केन्द्र/राज्य सरकारों द्वारा जेल प्रशासन से संबंधित कानून/मैन्युली में जिन लाईनों पर संशोधन किया जाना है उनके बारे में उनके साथ परामर्श किया जा सके।

रेड-लाईन बसें

786. श्री विजय कुमार यादव : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 11 नवम्बर, 1995 के ''हिन्दुस्तान टाइम्स'' में ''रेड-लाईन टर्न रेपलाईन्स'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन प्राइवेट बसों में जेब काटने, बलात्कार और महिलाओं से छेड़-छाड़ आदि की घटनाएं चिंताजनक स्तर पर पहुंच गई हैं;

(घ) यदि हाँ, तो चालू वर्ष के दौरान दिल्ली में अब तक पता लगाए गए ऐसे मामलों में ब्यौरा क्या है;

(ङ) ऐसे मामलों में लिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई; और

(च) भविष्य में ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति न होने देने के लिये क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० एम० कामसन) : (क) जी हाँ, श्रीमान।

(ख) समाचार में उल्लिखित सभी घटनाओं पर कार्रवाई कर ली गई हैं, घटनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ग) से (ङ). अपेक्षित सूचना संलग्नक विवरण-II में दी गई है।

(च) उपर्युक्त अपराध को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए है:-

(i) ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए बस स्टैन्डों और बसों में सादे कपड़ों में स्टाफ तैनात किया जाता है।

(ii) उपर्युक्त घटना की रोकथाम करने के लिए बसों की बार-बार जांच की जाती है।

(iii) गश्ती दलों को क्षेत्र में गश्त लगाते समय बस स्टैण्डों पर कड़ी नजर रखने को कहा गया है।

(iv) अभियुक्तों को पकड़ने के लिए पीक आवर्स के दौरान जाल बिछाया जाता है।

(v) चालक और संवाहक दोनों के लिए पी.एस.वी. (पब्लिक सेफ्टी व्हीकल) बिल्ले पहनना अनिवार्य करने के लिए अभियान चलाया गया है, जो केवल उसी को दिया जाता है। जिसकी पुलिस द्वारा जांच कर ली गई हो। इससे दिल्ली की बसों में बिना जांच वाले व्यक्तियों का बसों में मौजूद रहना रुक जाएगा।

विवरण-I

1. प्र.सू.रि. मामला संख्या 1109 दिनांक 5.11.95 थाना - सुलतानपुरी, दिल्ली में भा.द.सं. की धारा 341/376/34 के अधीन दर्ज।

दिनांक 5.11.95 को श्रीमती सोमवती, निवासी दुर्गा पार्क, पालम कालोनी, ने सूचित किया कि वह 4 नवम्बर की रात करीब 10.15 बजे रेड लाईन बस संख्या डी.एल.-1पी-6570, रूट सं0 954 में सवार हुई। बस में बैठे 4/5 युवकों के कहने पर उसे एक सुनसान स्थान पर ले जाया गया और उसके साथ बलात्कार किया गया। उसके शोर मचाने पर गश्त ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मी वहां पहुंचे और तीन बलात्कारियों को पकड़ लिया गया, जबकि दो युवक घटना-स्थल से बचकर भाग निकले।

2. प्र.सू. रिपोर्ट मामला संख्या 290/95 दिनांक 1.11.95 भा. द.सं. की धारा 305/342/316/376/506/34 के अधीन दर्ज, थाना - आनन्द पर्वत।

1.11.95 को सोमवती नामक एक गर्भवती महिला, निवासी आर. जैड.-92, सागर पुर (पूर्वी) दिल्ली, ने सूचना दी कि 24.10.95 को उसे एक प्राइवेट बस में चढ़ाकर प्रेमनगर ले जाया गया जहां उसे कमरे में दो दिनों तक बंद रखा गया। इस अवधि के दौरान चालक और अन्य दो व्यक्तियों द्वारा उसके साथ बलात्कार किया गया। उसे 26.10.1995 को छोड़ दिया गया। जब उसे प्रसव पीड़ा महसूस हुई तो वह स्वंय दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल गई और 27.10.95 को एक मृत बच्चे को जन्म दिया। 1.11.95 को पुलिस को की गई शिकायत पर उपर्युक्त मामला दर्ज किया गया। दो अभियुक्तों को पकड़ा गया है।

3. प्रथम सूचना रिपोर्ट मामला संख्या 570 दिनांक 4.9.95 थाना मालवीय नगर में भा.दं.सं. की धारी 342/376/34 के अधीन दर्ज।

4.9.95 को कुमारी चंचल निवासी 778/21, रामगढ़, जयपुर, राजस्थान, ने थाना कोतवाली, दिल्ली को सूचित किया कि दिनांक 2.9.95 को करीब 9.00 बजे रात को वह अन्तर्राजीय बस अड्डे पर एक रेड लाईन बस में सवार हुई। रास्ते में उसे पता लगा कि वह बस देवली जा रही है। आखिरी स्टाप के बाद बस का चालक, संवाहक और हैल्पर उसे एकान्त स्थान पर ले गए और उसके साथ बलात्कार किया। उसकी निशानदेही पर शिनाख्त पर तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। मामले में आरोप पत्र दाखिल किया गया है।

विवरण-II

अपराध शीर्ष	सूचित हुए मामले	चालान किए गए मामले	दोष सिद्ध हुए मामले	दोष मुक्त हुए मामले	गिरफ्तार हुए व्यक्ति	चालान हुए व्यक्ति	दोष सिद्ध हुए व्यक्ति	दोष मुक्त हुए व्यक्ति
जेब-काटना	201	77	1	2	142	95	1	2
बलात्कार	3	1	-	-	8	3	-	-
छेड़-छाड़	11	9	-	-	21	16	-	-
महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार	47	47	40	1	59	59	52	1
छुरा घोपना	19	6	-	-	26	10	-	-
चोरी	41	2	-	-	6	2	-	-
छीना-झपटी	3	2	-	-	3	3	1	-
हत्या	1	1	-	-	1	1	-	-

[हिन्दी]

दिल्ली पुलिस में रिक्त पद

787. श्री वी. एच. शर्मा प्रेम : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस में कई पद रिक्त पड़े हुए हैं तथा पुलिस बल की कमी के कारण अपराध-दर में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हाँ, तो प्रत्येक श्रेणी में कितनी रिक्तियाँ हैं; और

(ग) इन रिक्त पदों को भरने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. एम. कामसन) : (क) लगभग 51,000 कार्मिकों वाले एक विशाल बल में विभिन्न रैंकों के केवल 1557 पद दिल्ली पुलिस में रिक्त हैं। इनमें से लगभग 50 प्रतिशत रिक्तियों, सीधी भर्ती से भरी जानी हैं जिसके लिए भर्ती की अपनी अलग समय सीमा है इसलिए, किसी भी निश्चित समय पर, किसी भी विशाल बल में इसकी कुल संख्या का 2-3 प्रतिशत, भर्ती एवं प्रशिक्षण प्रक्रिया के अधीन रिक्तियों के रूप में रहना चाहिए। अपराधों में वृद्धि के लिए, केवल कार्मिकों की कमी को ही जिम्मेवार नहीं ठहराया जा सकता।

(ख) और (ग). दिल्ली पुलिस में श्रेणीवार रिक्त पदों की संख्या तथा रिक्त पदों को भरने के लिए की गई कार्रवाही, सलंग्न विवरी में दी गई है।

विवरण

	(ख)	(ग)
रैंक	रिक्त पदों की संख्या	रिक्त पदों को भरने के लिए की जा रही कार्रवाही
(क)	कार्यकारी संवर्ग	
	स.पु.आ. (का.)2	तदर्थ आधार पर पदोन्नति द्वारा इन दो पदों को भरने के लिए, रा.रा. क्षेत्र, दिल्ली सरकार के साथ मामला पहले ही उठाया जा चुका है।
	उ.नि.(क.) 598	507 पद सीधी भर्ती के लिए हैं। 244 उम्मीदवारों का चयन क.च.आ. द्वारा कर लिया गया है, शेष रिक्तियों के लिए, क.च.आ. द्वारा जुलाई, 1995 में लिखित परीक्षा पहले ही ली जा चुकी है। लिखित परीक्षा के परिणाम की प्रतीक्षा है। पदोन्नति कोटे के 91 पद जल्दी ही भर लिए जाएंगे।

(ख)	(ग)
(ख) महिला संवर्ग	
निरी. (म.) 4	पदोन्नति का मामला प्रक्रियाधीन है।
उ.निरी. (म.) 11	ये सीधी भर्ती के लिए हैं। इन्हें जल्दी ही भर लिया जाएगा।
स.उ.नि.(म.) 115	68 उम्मीदवारों की भर्ती का मामला प्रक्रियाधीन है। शेष 47 पद पदोन्नति कोटे के लिए हैं और जल्दी ही भर लिए जाएंगे।
है.कां. (म.) 23	पदोन्नति द्वारा इन पदों को भरने के लिए मामला प्रोसेस किया जा रहा है।
कां. (म.) 81	भर्ती प्रक्रिया चल रही है।
(ग) अनुसचिवीय संवर्ग	
उ.नि. (एस एच आर) 3	दो उम्मीदवारों के लिए लिखित परीक्षा ली जा चुकी है। परिणाम की प्रतीक्षा है। शेष एक पद अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के लिए है। इस समय अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति का कोई उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है और जब फीडर लाइन में अनु. जाति का कोई उम्मीदवार उपलब्ध होगा, वह पद भर लिया जाएगा।
स.उ.नि.1 (एस एच आर)	उपयुक्त उम्मीदवारों के नाम 30.11.95 तक भेजने के लिए, रोजगार केन्द्र को मांग भेज दी गई है।
स.उ.नि. (अनु.) 10	पदोन्नति का मामला प्रक्रियाधीन है।
स.उ.नि. (स्टेनो) 29	प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
है. कां. (अनु.) 168	अनु. जनजाति श्रेणी की पिछली रिक्तियां भरने के लिए विशेष अभियान शुरू कर दिया गया है।
(घ) तकनीकी संवर्ग	
पुलिस उप-आयुक्त/एम.टी.-1	श्री आर.के. मित्तल, स.पु.आ., पुलिस उप-आयुक्त/एम.टी. के रैंक पर पदोन्नति के लिए पात्र हैं और दिल्ली सरकार से नियमित पदोन्नति करने के लिए, निवेदन किया गया है।
स.पु.आ./एम.टी.-2	पदोन्नति के लिए कोई पात्र अधिकारी उपलब्ध नहीं है।
स.पु.आ. (प्रोग्रा.)-2	तदर्थ आधार पर पदोन्नति के द्वारा इन दोनों पदों को भरने के लिए मामले को, रा.रा. क्षेत्र, दिल्ली सरकार के साथ पहले ही उठाया जा चुका है।
स.पु.आ. (प.अभि.)-1	प्रतिनियुक्ति के माध्यम से इस पद को भरने के लिए मामला, रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार के पास पहले ही प्रक्रियाधीन है।
ए.पी.आर.ओ. (संचार)-1	इस पद को भरने के लिए मामले की प्रक्रिया चल रही है।
स.पु.आ. (सं.)-2	ये दो पद, अनु.जाति/जनजाति श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं। प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण के माध्यम से इन दोनों पदों को भरने के लिए एक प्रस्ताव, रा.रा.क्षेत्र, दिल्ली सरकार को भेजा गया था, तथापि, पात्र अधिकारी न मिल सका।
निरी. (प्रचा.) 10 (संचार)	फीडर लाइन में पात्र अधिकारी उपलब्ध नहीं है। तदर्थ पदोन्नति हेतु एक मामला प्रक्रियाधीन है।
निरी. (तक.) (संचार) -3	एस पी जी में दो निरीक्षकों के प्रतिनियुक्ति पर चले जाने से दो पद रिक्त हुए हैं। अभी 31.10.95 को ही एक निरीक्षक के सेवानिवृत्त हो जाने से एक रिक्त हुई है जिसे कि जल्दी ही भर लिया जाएगा।
निरी. (मो.प.पं.) 1	तदर्थ पदोन्नति के लिए भी, फीडर लाइन में कोई पात्र उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है।
निरी. (मो.प. वार्कमैन) 1	पदोन्नति का मामला प्रक्रियाधीन है और इसे जल्दी ही पूरा कर लिया जाएगा।
निरी. (मो.प.) (प्रचा.) 2	एस पी जी में दो निरीक्षकों के प्रतिनियुक्ति पर जाने से ये रिक्तियां हुई हैं।
निरी. (कंप्यू.प्रचा.) 1	फीडर लाइन में कोई पात्र उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है।
निरी. डीडीएस 3	ये नव सृजित पद हैं। इनके बारे में नियम बनाए जा रहे हैं। तथापि ये पद एक्सीक्यूटिव अधिकारी के माध्यम से अस्थाई तौर पर भर लिए गए हैं।
निरी. जे.आर.ओ 1	तदर्थ पदोन्नति के लिए भी कोई पात्र अधिकारी उपलब्ध नहीं है।
निरी. (तक.पर्य.) 1	उम्मीदवार का चयन पहले ही किया जा चुका है। जल्द ही नियुक्ति पत्र जारी कर दिए जाने की आशा है।
निरी. (फोटोग्राफर) 1	प्रतिनियुक्ति के आधार पर इस पद का भरने के लिए विभिन्न विभागों में परिपत्र भेजे गए हैं। अन्तिम तिथि 30.11.95 है।
उ.निरी. (एम.टी.प्रचा.) 3	तदर्थ पदोन्नति के लिए भी, फीडर लाइन में कोई उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है।
उ.निरी. (एम.टी.तक.) 3	पदोन्नति का मामला प्रक्रियाधीन है और इसे जल्दी ही पूरा कर लिया जाएगा।
उ.निरी. (पर्य./संचार) 12	पदोन्नति का मामला प्रक्रियाधीन है।
उ.निरी. (फोटोग्राफर) 6	फीडर लाइन में कोई पात्र उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है।
उ.निरी. (मुद्र) 1	तदर्थ पदोन्नति के लिए भी, फीडर लाइन में कोई पात्र उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है।
उ.निरी.-1 (इनपुट-आउटपुट सहा.)	यह पद प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जा रहा है।
स.उ.नि. (एम.टी. फिटर) 2	ये पद, अनु. जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं। इन उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के कारण इन पदों को अनारक्षित करने के लिए एक मामला रा.रा.क्षे., दिल्ली सरकार के पास लम्बित है।
स.उ.निरी. 4 (एम टी प्रचा.)	पदोन्नति का मामला प्रक्रियाधीन है।
स.उ.निरी.14	पदोन्नति का मामला प्रक्रियाधीन है।
(आर.टेक.) स.उ.निरी. 21 (कम्प्यू एस ए)	19.12.95 को 7 पदों के लिए साक्षात्कार लिया जाएगा। शेष 14 पद पदोन्नति कोटे के हैं। तदर्थ पदोन्नति के लिए भी, फीडर लाइन में कोई पात्र उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है।

स.उ.निरी. (चालक) 80	इन रिक्तियों को भरने के लिए मामला प्रक्रियाधीन है।
स.उ.निरी. 10 (वायरलैस प्रचा.)	इन रिक्तियों को भरने के लिए मामला प्रक्रियाधीन है।
स.उ.निरी. (फिंगरप्रिंट) 6	ये पद अप्रैल/मई, 1996 में भरे जाएंगे।
स.उ.निरी. (डी ई ओ) 2	इन पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ये पद जुलाई, 1996 में भर लिए जाएंगे।
है.कां. (चालक) 3	पदोन्नति का मामला प्रक्रियाधीन है।
है.का. (ए डब्ल्यू ओ) 169	60 कांस्टेबल प्रशिक्षणाधीन हैं। शेष 109 रिक्तियों को भरने के प्रयास किए जा रहे हैं।
है. कां. (तक.) 52	भर्ती की प्रक्रिया चालू है।
है.कां. (ए एस टी) 2	भर्ती की प्रक्रिया चालू है।
है. कां. (ट्रेसर) 1	भर्ती की प्रक्रिया चालू है।
कां. (चालक) 64	कांस्टेबल चालक की भर्ती की प्रक्रिया चालू है।
कांस्टे० (एम टी) 23	भर्ती की प्रक्रिया चालू है।

[अनुवाद]

तिहाड़ जेल में महिला कैदी

788. श्री गुरूदास कामत :
कुमारी सुशीला तिरिया :
श्री श्रवण कुमार पटेल :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने दिल्ली की तिहाड़ जेल और देश के अन्य जेलों में बंद महिला कैदियों की सुरक्षा और सुरक्षा में कमी के ऊपर गंभीर चिंता व्यक्त की है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. एम. कामसन) : (क) जी हाँ, श्रीमान।

(ख) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने यह देखा है कि सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों ने अभी तक महिला कैदियों के लिए अलग से सुविधाएं अथवा संस्थान उपलब्ध नहीं कराए हैं। आयोग ने पाया कि केवल पंजाब, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, असम और केरल राज्यों ने महिला कैदियों के लिए या तो अलग से संस्थान उपलब्ध कराए हैं अथवा विशेष उपगृह बनाएं हैं ताकि महिला कैदियों को पुरुष कैदियों से पूर्णतः अलग रखा जा सके।

आयोग ने यह भी पाया है कि आमतौर पर महिला कैदियों पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता जितना कि उन्हें मानवीय दृष्टिकोण से दिया जाना चाहिए। अधिकांश स्थानों पर महिला कैदियों की देख-रेख, कुल मिलाकर अभी भी पुरुष स्टाफ द्वारा की जाती है। अतः आयोग ने इस बात पर जोर दिया है कि महिलाओं के समग्र कल्याण के लिए आवश्यक प्रावधानों सहित अलग जेल या अलग उपगृह बनाकर, जिनकी देख-रेख महिला स्टाफ द्वारा की जाए, महिलाओं को पूर्णतः अलग रखने के बारे में राज्यों द्वारा प्राथमिकता के आधार पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

(ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार ने सूचित किया है कि उसने निम्नलिखित उपाय किए हैं :-

(i) तिहाड़ जेल, दिल्ली, में केवल महिलाओं के लिए अलग से वार्ड पहले से ही मौजूद है जहां महिला कैदियों को अलग से रखा जाता है।

(ii) जेल की महिला वार्ड की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दी गई है तथा वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निगरानी बढ़ा दी गई है।

(iii) महिला कैदियों को उनके रिश्तेदारों के साथ मुलाकात जिम्मेवार वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में कार्रवाई की जाती है।

नवेली लिग्नाईट कारपोरेशन का विस्तार कार्यक्रम

789. श्री अन्ना जोशी : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1600 करोड़ रुपये की लागत वाले नेवेली लिग्नाईट कारपोरेशन कार्यक्रम की विस्तार योजना को सरकार ने मंजूरी दे दी है;

(ख) क्या इस परियोजना को किसी अनिवासी भारतीय को सौंपे जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार जर्मनी की साफ्ट लोन आर्म के.एफ.डब्ल्यू. को ऋण भुगतान के लिए प्रति-गारंटी देने हेतु सहमत हो गई है;

(घ) क्या विदेशी संस्थागत ऋणदाताओं को प्रति-गारंटी देने की सरकार की यह स्वीकृत/अनुमोदित नीति है; और

(ङ) यदि नहीं, तो काउंटर गारंटी देने का क्या कारण है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन की टी.पी.एस.-। विस्तार परियोजना (2 x 210 मे.वा.) को सरकार द्वारा अभी स्वीकृति नहीं दी गई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) सरकार की गारंटी के प्रश्न पर उपयुक्त समय पर विचार किया जाएगा।

(घ) जी, हाँ। विद्यमान सरकारी आदेशों के अंतर्गत केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को द्विपक्षीय अभिकरणों से देय बाह्य सहायता के अंतर्गत सभी आसान शर्तों के ऋणों के संबंध में सरकार की गारंटी दी जा सकती है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता है।

केन्द्र-राज्य संबंध

790. श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने तेजी से हो रहे आर्थिक परिवर्तनों तथा राज्यों द्वारा अपनी जिम्मेदारियाँ निभाने को देखते हुये केन्द्र-राज्य संबंधों पर एक ताजा दृष्टि डालने का आह्वान किया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में सरकारिया आयोग की सिफारिशें भी प्राप्त की हैं;

(घ) यदि हाँ तो लागू की गई/अस्वीकार की गई तथा स्वीकार की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) कौन-कौन सी सिफारिशें विचाराधीन हैं; और

(च) इन्हें कब तक स्वीकार कर लिये जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. एम. कामसन) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (च). केन्द्र और राज्यों के बीच वर्तमान प्रबंधों के कार्यकरण की जांच करने के उद्देश्य से केन्द्र राज्य संबंधों पर सरकारिया आयोग का गठन किया गया था। अन्तर-राज्यीय परिषद की उप-समिति, जिसे सरकारिया आयोग की सिफारिशों पर विचार करने का कार्य सौंपा गया था, ने अब तक 247 सिफारिशों में से 191 सिफारिशों पर विचार कर लिया है। अन्तर-राज्यीय परिषद द्वारा विचार कर लिए जाने के बाद आयोग की विभिन्न सिफारिशों पर सरकार अपना मत निश्चित करेगी।

महिला कर्मचारी

791. डॉ० (श्रीमती) के.एस. सौन्दरम : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय डाक विभाग में कार्यरत महिला कर्मचारियों की कुल संख्या क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार उन्हें विशेष कोटा देकर उनकी संख्या बढ़ाने का है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) डाक विभाग में महिला कर्मचारियों की कुल संख्या निम्न प्रकार से है :-

ग्रुप "क"	:	71
ग्रुप "ख"	:	83
ग्रुप "ग"	:	22,621
ग्रुप "घ"	:	4,742

(ख) से (घ). डाक विभाग, भारत सरकार के नोडल मंत्रालय अर्थात् कार्मिक मंत्रालय द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी अनुदेशों का अनुपालन करता है। विभाग द्वारा, इस संबंध में, महिलाओं के लिए अलग से कोई नीति अपनाने का प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र स्वयंसेवी संगठन

792. श्री दत्ता मेघे : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में शारीरिक रूप से अपंग और मानसिक रूप से विकलांग तथा मूक और बधिर लोगों के कल्याण कार्य में नियुक्त विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों को अनुदान दिये गये हैं;

(ख) यदि हाँ, तो उन संगठनों का ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष उनमें से प्रत्येक संगठन को कितनी धनराशि दी गई;

(ग) कितने आवेदन पत्र स्वीकृति के लिये लंबित हैं; और

(घ) लंबित आवेदन पत्रों को कब तक स्वीकृति दे दिये जाने की संभावना है?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वी. तन्गकाबालू) : (क) जी हाँ।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ). सत्ताईस मामले लम्बित हैं, जिनमें से सत्तरह (17) पुराने हैं जिन पर राज्य सरकार की सिफारिश प्राप्त होने पर कार्रवाई की जाएगी। शेष दस (10) मामले जो नए हैं पर तभी कार्रवाई की जाएगी जब अतिरिक्त निधियां उपलब्ध हो जाएंगी।

विवरण

क्र. सं.	गैर सरकारी संगठन का नाम	निर्मुक्त राशि 1992-93	1993-94	1994-95
1	2	3	4	5
1.	डैलस केयर इन्स्टीच्यूट फार डीफ एंड डीफ ब्लाइंड, बम्बई	2.02	-	8.70
2.	एजुकेशन आडियोलाजी एंड रिसर्च सोसायटी, बम्बई	-	-	4.09
3.	माजी विद्यार्थी संघ, जलगांव	-	-	1.54
4.	न्यू एजूकेशन सोसायटी, कोल्हापुर	-	-	2.00
5.	सरस्वती शिक्षण प्रसारक, गंगाखेड	-	-	2.43
6.	श्री राम एजूकेशन सोसायटीज रेजींडेशनल मूक बधिक विद्यालय	2.50	-	.40
7.	श्री सिद्धेश्वर शिक्षण प्रसारक मंडल नवजिवा मूक बधिर विद्यालय, बासमथ	2.50	2.00	राज्य सरकार ने प्रस्ताव नहीं भेजा है।
8.	सुदरड मंडल, पुना	2.00	2.48	1.90
9.	विकास विद्यालय जानकीभाई शिक्षण संस्था, बम्बई	.61	1.49	.40
10.	थानेजिला श्री शक्ति जागृति समिति, थाने	-	1.50	1.50
11.	आविष्कार सोसायटी फॉर डवल्पमेंट आफ एम.एच. पर्सनस	-	-	2.00
12.	ए.डब्ल्यू.एम.एच., बम्बई	1.17	-	.77
13.	के.ई.एम. अस्पताल, पुणे	-	5.76	3.02
14.	एम.आर. रेजिडेंसल स्पेशल स्कूल फॉर बॉइज एंड गर्ल्स, नागपुर	-	-	1.22
15.	पुनर्वास एजूकेशन सोसाइटी, बम्बई	-	-	.51
16.	रिसर्च सोसाइटी फार दा केयर, ट्रीटमेन्ट एंड ट्रेनिंग	7.48	3.73	13.25
17.	सोसायटी फार ओकेशनल रेहबिलेटेशन आफ रिटारडीड	0.40	0.27	1.31
18.	बी.डी. इंडिया सोसायटी फॉर एम.आर. बम्बई	-	-	0.44
19.	श्री ट्रस्ट, वीरार	6.96	10.75	6.67
20.	संत गेबज महाराज भक्त्या विकुक्षित जैनी समाधि शिशु पसारक मंडल प्रभानी	-	-	1.09
21.	अपंग मैट्रो, थाने	-	-	0.50

1	2	3	4	5
22.	अपंग जीवन विकास संस्थान, अमरावती	-	-	0.18
23.	अपंग निराधार कल्यानकारी संस्था ओल्क रिमन्ड होग, नागपुर	-	-	1.77
24.	ग्राम विकास युवक मंडल, नांडेड	-	-	0.79
25.	इन्डियन कैनकर सोसाइटी, बम्बई	-	0.74	0.40
26.	मरथावाड़ा अपंग संस्थान, लातुर	-	-	2.22
27.	मातृ सेवा संघ, नागपुर	1.74	2.86	2.56
28.	समता युवक मण्डल	-	-	.84
29.	सोसायटी फॉर दि एजुकेशन ऑफ दि क्रिप्पलड, बम्बई	-	1.07	.79
30.	विजय मर्चेन्ट रिहैबिलिटेशन सेंटर फॉर दि डिएबल्ड	-	1.40	3.59
31.	श्री गणेश शिक्षण प्रसारक मण्डल, लातुर	-	-	.65
32.	अपंग पुनर्वास बलदाना	4.00	-	राज्य सरकार ने प्रस्ताव नहीं भेजा है।
33.	फेलोशिप ऑफ दि फिजीकली हैंडिकेप्ड, बम्बई	.69	.35	- बडी -
34.	एन.ए.एस.ई.ओ.एच., बम्बई	0.63	.95	18
35.	निवासी अंध विद्यालय, हिंगोली	2.50	-	2.00
36.	एन.एस.डी. इंडस्ट्रीयल होम फॉर दि ब्लांइड, बम्बई	.39	2.20	.40
37.	एन.एस.बी., बम्बई	15.46	23.15	17.43
38.	नेशनल फेडरेशन ऑफ दि ब्लाइंड, बम्बई	.54	-	.91
39.	बम्बई लेप्रोसी प्रौजेक्ट, बम्बई	-	-	1.19
40.	पूरा डिस्ट्रिक्ट लेप्रोसी कमेटी	.64	-	11.61
41.	बाई अजर, सतारा	-	-	3.16
42.	स्पास्टिक सोसायटी ऑफ इंडिया, बम्बई	2.51	-	राज्य सरकार द्वारा प्रस्ताव नहीं भेजा है
43.	सोसायटी फॉर दि रिहैबलिटेशन ऑफ दि क्रिप्पलड चिल्ड्रेन, बम्बई	4.26	-	-बडी-
44.	सी.ए.एस.पी., बम्बई	3.36	-	स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया
45.	सोसायटी फॉर दि स्पेशल एजूकेशन ऑफ दि डीफ, बम्बई	6.27	2.25	राज्य सरकार ने प्रस्ताव नहीं भेजा है।

1	2	3	4	5
46.	प्राइड, इंडिया, बम्बई	3.93	2.47	-वही-
47.	विद्या भवन, एजूकेशन सोसायटी, प्रभनी	2.50	2.00	-वही-
48.	एन.ए.डब्ल्यू.पी.एच., अमरावती	.33	-	-वही-
49.	गंगा मैया शिक्षण प्रसारक मण्डल, भिलाई	1.80	-	-वही-
50.	अजन मण्डल, सांगली	4.50	-	-वही-
51.	पूना स्कूल एंड होम फॉर ब्लाइंड, पूना	1.16	-	-वही-
52.	शिक्षण प्रसारक मण्डल, पुणे	2.10	-	-वही-
53.	लायन्स डीफ एंड डम्ब एंड पी.एच. स्कूल, नागपुर	-	.50	-वही-
54.	सोसायटी फॉर दि एजूकेशन फॉर ओ.एच.	-	.66	-वही-
55.	सोसायटी फॉर दि वेल्फेयर ऑफ पी.एच. पूणे	-	3.50	-वही-
56.	राष्ट्र संत टकोजी महाराज टेक्नीकल एजूकेशन सोसायटी	-	4.75	-वही-

[अनुवाद]

मादक द्रव्यों का दुर्व्यसन

793. श्रीमती वसुंधरा राजे : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में मादक द्रव्यों का दुर्व्यसन निरंतर बढ़ रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) देश में मादक द्रव्यों के दुर्व्यसन को रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.वी. तंगकाबालू) : (क) इस संबंध में देशव्यापी किसी ठोस आंकड़े के अभाव में यह बताना संभव नहीं होगा कि नशीली दवाओं के दुरुपयोग में लगातार वृद्धि हो रही है। तथापि, विभिन्न अध्ययनों से इसमें वृद्धि के संकेत मिले हैं।

(ख) संगी साथियों का दबाव, प्रयोग तनाव तथा उत्सुकता नशीली दवाओं के दुरुपयोग के आम कारण हैं।

(ग) इसकी पूर्ति पर सरकार स्वयापक तथा मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के उपबंधों को लागू कर रही है।

मांग में कमी के बारे में सरकार सम्पूर्ण देश में नशीली दवाओं के व्यसनियों के लिए परामर्श, उपचार तथा पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के लिए नशीली दवा के प्रति जागरूकता, परामर्श तथा सहायता केन्द्रों और निर्व्यसन तथा पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना के लिए स्वयंसेवी संगठनों की सहायता अनुदान दे रही है। इसके अतिरिक्त, नशीली दवाओं की मांग में कमी लाने तथा नशीली दवाओं के दुरुपयोग निवारण के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए एक देशव्यापी एक बहु-प्रचार जागरूकता अभियान चलाया गया है।

[हिन्दी]

लंबित सिंचाई परियोजनाएँ

794. श्री रतिलाल वर्मा : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केंद्रीय सरकार के पास लंबित पड़ी गुजरात की सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा उनकी अनुमानित लागत और उनसे मिलने वाले लाभों का ब्यौरा क्या है;

(ख) ये परियोजनाएं कितने समय से लंबित पड़ी हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इन परियोजनाओं की शीघ्र मंजूरी के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगयूया नायडू) : (क) और (ख). गुजरात की नई सिंचाई परियोजनाएं और

उनकी स्वीकृति स्थिति का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) परियोजना की स्वीकृति इस बात पर निर्भर करती है कि राज्य सरकार कितनी जल्दी विभिन्न तकनीकी-आर्थिक पहलुओं को हल करती हैं और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पर्यावरण एवं वनदृष्टि से और कल्याण मंत्रालय से पुनर्वास और पुनर्स्थापन योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त करती हैं।

विवरण

गुजरात की नई बड़ी एवं मझौली सिंचाई परियोजनाएं तथा स्वीकृति की स्थिति का ब्यौरा दर्शानेवाला विवरण

क्र. सं.	परियोजना का नाम	केन्द्रीय जल आयेग में प्राप्त होने की तिथि	अनुमानित लागत (करोड़ रु0)	लाभ (हैक्टेयर में)	स्वीकृति की स्थिति
1	2	3	4	5	6
बड़ी परियोजनाएँ					
1.	मच्छु-1 सिंचाई परियोजना का आधुनिकीकरण	फरवरी 1991	8.12	2,140	सलाहकार समिति द्वारा यह परियोजना 8/93 में तकनीकी-आर्थिक रूप से इस शर्त पर स्वीकार्य पाई गई कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पर्यावरणीय स्वीकृति तथा राज्य के वित्त विभाग की सहमति प्राप्त कर ली जाये। राज्य सरकार की इन टिप्पणियों की अनुपालना करनी है।
मझौली परियोजनाएं					
2.	वालन सिंचाई परियोजनाएं	मई 1990	22.16	7,390	सलाहकार समिति द्वारा मार्च 1991 में विचार विमर्श अस्थागित कर दिया गया क्योंकि राज्य सरकार ने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से वन दृष्टि से, कल्याण मंत्रालय से पुनर्वास एंव पुनर्स्थापित योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त नहीं की और कृषि पद्धति की समीक्षा भी नहीं की। कल्याण मंत्रालय ने इस परियोजना के बीच में पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना पहलुओं संबंधी स्वीकृति अगस्त, 94 में दी। राज्य सरकार को वन दृष्टि से अभी स्वीकृति प्राप्त करनी है तथा कृषि पैटर्न की समीक्षा भी करनी है।
3.	उन्द-II	दिसंबर, 91	27.09	4250	राज्य8/93 में सरकार को विभिन्न तकनीकी आर्थिक मामलों को हल करना है।
4.	गोमा	मई, 94	31.10	7000	-वही-
5.	ओजट-II	अक्टूबर, 93	59.73	7970	-वही-
6.	मिरी का पुनरूद्धार	जून, 93	14.51	2030	-वही-
7.	मधुपदा	सितंबर, 93	25.74	2340	-वही-
8.	वरतु-II	दिसंबर, 91	24.18	6150	-वही-
9.	ननीवरसन	नवंबर, 91	32.40	3760	-वही-
10.	वकरोल	जनवरी, 1995	23.86	4290	-वही-

बिहार में एस. टी. डी. / आई. एस. डी. बूथ

795. श्री लाल बाबू राय : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ समय पहले बिहार के विभिन्न शहरों विशेषकर छपरा में एस.टी.डी./आई.एस.डी. बूथ आंवटित करने के लिए विज्ञापन प्रकाशित किए गए थे;

(ख) क्या एक वर्ष से भी अधिक अवधि बीत जाने के बावजूद ये बूथ अभी तक आवंटित नहीं किए गए हैं;

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) इस आवंटन के लिए क्या मापदण्ड अपनाये गए हैं; और

(ङ) यह आवंटन कब तक कर दिया जाएगा ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). छपरा दूरसंचार जिले में, अक्टूबर, 94 के बाद से कोई एस.टी.डी./आई.एस.डी. बूथ आंवटित नहीं किया गया है क्योंकि एक्सचेंज की क्षमता पूरी हो चुकी है।

(घ) एस.टी.डी./आई.एस.डी. पी.सी.ओ. का आवंटन प्रत्येक गौण स्विचन क्षेत्र के लिए गठित एस.टी.डी./आई.एस.डी..पी.सी.ओ. आवंटन समिति द्वारा शिक्षित बेरोजगार आवेदकों (शहरी क्षेत्र में मैट्रिक पास तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 8वीं पास आवेदक) को विशेषाधिकार आधार पर किया जाता है जिसके लिए नेत्रहीनों सहित विकलांगों, अनुसूचित जाति/अनु.ज.जाति, भूतपूर्व सैनिकों, युद्ध में मारे गए सैनिकों की विधवाओं, दूरसंचार विभाग से सेवा निवृत्त कर्मचारियों या उनके आश्रितों, स्वतंत्रता सेनानियों या उनके आश्रितों तथा धमार्थ संस्थाओं/ इस्पतालों को प्राथमिकता दी जाती है।

(ङ) छपरा दूरसंचार जिले में लंबित मामलों को अप्रैल, 96 में एक्सचेंज की क्षमता में विस्तार करने के बाद निपटाया जाएगा। अन्य जिलों में लंबित मामलों को भी सम्बद्ध एक्सचेंजों के विस्तार के बाद निपटाया जाएगा।

[अनुवाद]

अल्पसंख्यकों के लिए 15सूत्री कार्यक्रम

796. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अल्पसंख्यकों के कल्याण संबंधी प्रधान मंत्री के 15-सूत्री कार्यक्रम शुरू होने के समय से इसके प्राप्त हुए परिणामों और उपलब्धियों की समीक्षा की है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस कार्यक्रम में किसी तरह का कोई संशोधन करने का है;

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इस संबंध में अल्पसंख्यक आयोग तथा अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न संगठनों और संस्थाओं से परामर्श कर लिया है;

(घ) क्या सरकार का विचार अल्पसंख्यक बहुल जिलों की सूची को विशेष रूप से इस बार संशोधित करने का है कि यह जिले में अल्पसंख्यकों की वास्तविक जनसंख्या के आधार पर हो न कि उनकी प्रतिशतता के आधार पर;

(ङ) क्या सरकार का विचार 1995 की जनगणना के दौरान एकत्र किए गए अल्पसंख्यकों के शैक्षिक और आर्थिक स्थिति से संबंधित आंकड़ों को प्रकाशित करने का है;

(च) क्या सरकार का विचार अल्पसंख्यकों को राष्ट्रीय स्तर के समक्ष लाने के लिए, उनके आर्थिक और शैक्षिक विकास हेतु किन्हीं भौतिक अथवा परिमाणात्मक लक्ष्यों को निर्धारित करने का है; और

(छ) यदि हैं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री असलम शेर खाँ) : (क) जी, हाँ। 15 सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा आरंभ से तिमाही आधार पर नियमित रूप से की जाती है।

(ख) जी, हाँ। यह मामला सरकार के विचाराधीन है।

(ग) भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों से इस संबंध में परामर्श किया गया है।

(घ) जिन जिलों में अल्पसंख्यक जनसंख्या 20 प्रतिशत या इससे अधिक है (सभी 5 अल्पसंख्यक समुदायों को मिलाकर) वहां अल्पसंख्यक बहुल जिलों की संशोधित सूची की पहचान के लिए यह आधार बनाता है।

(ङ) जनगणना कार्यों के दौरान अल्पसंख्यकों की शैक्षिक तथा आर्थिक स्थिति के संबंध में कोई ब्यौरा एकत्र नहीं किया जाता है। तथापि, 15 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के शैक्षिक विकास की समीक्षा और मानीटरिंग के लिए मानव संसाधन विकास मंत्री की अध्यक्षता में मानव संसाधन विकास मंत्रालय में गठित कार्य दल ने अल्पसंख्यक बहुल जिलों में अल्पसंख्यकों की शैक्षिक स्थिति का पता लगाने के लिए एक सर्वेक्षण कराने का निर्णय लिया है।

(च) और (छ). 15 सूत्री कार्यक्रम का उद्देश्य अल्पसंख्यकों के

सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक स्तर को ऊपर उठाना है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कल्याण मंत्रालय दो योजनाएं चला रहा है- पहली योजना अल्पसंख्यकों की स्वरोजगार के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से रियायती दरों पर वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए है। इस मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित की जा रही अन्य योजना अल्पसंख्यकों के कमजोर वर्गों के लिए परीक्षापूर्व कोचिंग की योजना है। इसका उद्देश्य अल्पसंख्यकों की रोजगार योग्यता को बढ़ाना तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में उनके प्रवेश में वृद्धि करना है। लक्षित समूह के अल्पसंख्यक उम्मीदवार जिनकी वार्षिक आय सभी स्रोतों से 24,000/- रू० प्रति वर्ष से अधिक न हो, इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसी प्रकार, अन्य सभी संबंधित मंत्रालय यथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय, श्रम मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय आदि भी अल्पसंख्यकों के शैक्षिक, सामाजिक एवं आर्थिक विकास को लक्ष्य बनाकर बड़ी संख्या में योजनाएं चला रहे हैं।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम, राज्य माध्यम एजेन्सियों के माध्यम से प्रस्तुत किए गए परियोजना प्रस्तावों पर प्रति वर्ष 7 प्रतिशत ब्याज पर वित्त स्वीकृति करता है जो ऋण राशि के रूप में 85,000/-रु० की उच्चतम सीमा के अध्यधीन हो। यह योजना उन अल्पसंख्यकों के लिए खुली हुई है जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय गरीबी की रेखा के दो गुना नीचे हो, जो इस समय प्रति वर्ष 22,000/- रु० बनती है।

[हिन्दी]

ओ.एन.जी.सी. पर बकाया ऋण

797. **श्री गुमान मल लोढ़ा :**
श्री नीतिश कुमार :

क्या पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष आयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड पर ऋण बकाया में पर्याप्त वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) वर्ष 1990-91 के दौरान और वर्ष 1994-95 के अंत में इस कारपोरेशन की ओर ऋण की कितनी राशि बकाया थी;

(घ) क्या उपरोक्त अवधि के दौरान इस कारपोरेशन ने ब्याज की राशि का भुगतान कर दिया है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख). अन्वेषण तथा विकास परियोजनाओं में निवेश हेतु लिए गए उधार तथा विनिमय दर में भिन्नता की वजह से ओ एन जी सी के प्रति ऋण में गत तीन वर्षों के दौरान वृद्धि हुई है।

(ग) वर्ष 1990-91 के अंत में तथा 1994-95 के दौरान बकाया ऋण क्रमशः 6730.54 करोड़ रुपए तथा 12893.36 करोड़ रुपए था।

(घ) और (ङ). ओ.एन.जी.सी. द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान भुगतान किया गया ब्याज नीचे दर्शाया गया है:

	करोड़ रुपए
1992-93	706.32
1993-94 (10 माह)	653.96
1994-95 (14 माह)	1136.25

[अनुवाद]

आई.टी.आई. तथा इजरायल की टाडिरन दूर-संचार के बीच संयुक्त उद्यम

798. **श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूर-संचार उत्पादों के निर्माण तथा विपणन के लिए इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज (आई.टी.आई.) और इजरायली टेलिकोम जेंट-टाडिरन टेली-कामनिकेशेन के बीच कोई संयुक्त उद्यम लगाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस सुयंक्त उद्यम समझौते/समझौता ज्ञापन को कब तक अन्तिम रूप दिए जाने की संभावना है;

(घ) क्या नए उत्पादों के संयुक्त विकास तथा एक-दूसरे के उत्पादनों के विपणन के लिए आई.टी.आई. और टाडिरन के बीच पहले भी कोई समझौता हुआ है;

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या आई.टी.आई. और टाडिरन के बीच प्रस्तावित संयुक्त उद्यम से आई.टी.आई. की क्षमता उपयोग में वृद्धि होने की संभावना है; और

(छ) यदि हाँ, तो कितनी?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम): (क) जी, हां।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ). भारतीय दूरसंचार नेटवर्क में प्रयोग के लिए और एक दूसरे के उत्पादों का विपणन करने के लिए, परस्पर सहमति से स्वीकृत देशों आदि को निर्यात करने के संबंध में दोनों कम्पनियों की उत्पाद श्रृंखला से प्राप्त उत्पादनों का संयुक्त निर्यात बाजार स्थापित करने के लिए आई.टी.आई. द्वारा टाडिरन के कुछ उत्पादों का विनिर्माण करने के उद्देश्य से आई.टी.आई. और मैसर्स के बीच नवम्बर, 1993 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए।

(च) और (छ). इस समझौता ज्ञापन में, जिस पर पहले ही हस्ताक्षर हो चुके हैं, दूरसंचार के क्षेत्र में संयुक्त रूप से सहयोग करने के लिए दोनों पक्षों के उद्देश्य शामिल हैं। प्रस्तावित संयुक्त उद्यम, आई.टी. आई. से उपस्कर प्राप्त करेगा और आ.टी.आई., मैसर्स आई.टी.आई. और टाडिरन के बीच अलग से किए जाने वाले प्रौद्योगिकी अंतरण करार के तहत ऐसे उत्पादों की प्रौद्योगिक-वाणिज्यिक व्यवहार्यता की शर्त पर विनिर्माण सुविधाएं स्थापित करेगी। इससे उत्पादों की एक नई श्रृंखला में वृद्धि होगी और इस प्रकार आई.टी.आई. की कुल सक्षमता में वृद्धि होने की आशा है।

टेलीफोन एक्सचेंज

799. श्रीमती भावना चिखलिया : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में देश में टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का लक्ष्य राज्य-वार और वर्ष-वार क्या था;

(ख) क्या यह लक्ष्य पूरे हुए;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) से (ग). दूरभाष केन्द्रों की स्थापना के लक्ष्य निर्धारित नहीं हैं। फिर भी, पिछले तीन वर्षों-1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान सर्किल/राज्यवार लक्ष्य और सभी लाइनों की उपलब्धियां संलग्न विवरण में दर्शाई गई हैं। समग्र लक्ष्य पूरी तरह प्राप्त कर लिए गए थे।

(घ) और (ङ). प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

गत तीन वर्षों 1992-93, 1993-94 तथा 1994-95 के राज्यवार लक्ष्य तथा उपलब्धियां

क्र. सं.	सर्किल/प्रदेश	1992-93 (सर्कल लाइनें)		1993-94 (सर्कल लाइनें)		1994-95 (सर्कल लाइनें)	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	132376	110948	153760	151204	174564	184892
2.	असम	20920	24092	22480	20604	16000	23708
3.	बिहार	32420	77315	76220	66572	67012	78151
4.	संघ शासित क्षेत्र दादर-नगर हवेली, दमण, दीव सहित गुजरात	146700	144938	197060	210770	202554	229981
5.	हरियाणा	61120	68072	61860	71108	65928	86836
6.	हिमाचल प्रदेश	14600	20016	21280	35983	23600	43824
7.	जम्मू-कश्मीर	14712	6867	13280	16017	25320	12028
8.	कर्नाटक	83032	146379	155996	172107	193576	259709
9.	लक्षदीव केरल सहित	158800	126722	124900	134963	157060	156545

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	मध्य प्रदेश	105900	181750	115200	170442	117564	176216
11.	गोवा राज्य सहित महाराष्ट्र	272800	280060	362980	515538	390678	613104
12.	पूर्वोत्तर (अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड तथा त्रिपुरा के राज्य	25480	19236	19920	22757	14576	18463
	उड़ीसा	20000	36631	59930	51932	18252	35796
13.	संघ शासित क्षेत्र चंडीगढ़ सहित पंजाब	67700	74207	154440	128034	185052	196001
15.	राजस्थान	66620	114451	145800	1743381	130636	167000
16.	संघ शासित क्षेत्र पाण्डिचेरी सहित तमिलनाडु	157380	138698	211470	185949	196296	279885
17.	उत्तर प्रदेश	121236	96326	204920	139955	171440	192772
18.	सिक्किम सहित पश्चिम बंगाल	37260	24240	100600	120796	96692	135092
19.	संघ शासित क्षेत्र अण्डमान व निकोबार (सर्किल का सृजन 1994-95 में हुआ था)	-	-	-	-	-	1505
20.	दिल्ली	138000	91000	146000	76750	318000	236000
	जोड़	1677056	1781848	2339096	2465842	2567500	312760

महाराष्ट्र में बड़ी परियोजनाएं

800. श्री प्रकाश वी. पाटील : क्या योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में निर्माणाधीन बड़ी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने इन परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की है;

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले; और

(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा इन परियोजनाओं को समय पर पूरा किया जाना सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है ?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) वर्ष 1995-96 की पहली तिमाही में महाराष्ट्र राज्य में 100 करोड़ रुपये तथा उससे अधिक की प्रत्याशित लागत वाली कार्यान्वयनाधीन 21 केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाएं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग के प्रवोधन पर थीं। इनमें रेलवे लाइनों की 6 बहुराज्यीय परियोजनाएं तथा महाराष्ट्र राज्य से होकर गुजरने वाली विद्युत ट्रांसमिशन लाइनें शामिल हैं। चालू होने की समयावधि, अनुमानित लागत तथा सितम्बर, 1995 तक किए गए व्यय को दर्शाता विवरण-I संलग्न है।

(ख) जी, हाँ।

(ग) कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग के प्रवोधन पर वर्तमान 21 परियोजनाओं में से 8 परियोजनाओं (विवरण-I के क्रम सं0- 8, 9, 12, 16, 17, 19 तथा 21 पर) ने अपने नवीनतम अनुमोदित समयावधि की तुलना में विलंब की सूचना दी है। 21 परियोजनाओं

में से 2 परियोजनाओं (क्रं.सं. 3 तथा 4 पर) शुरू नहीं हुई तथा 2 परियोजनाएं (क्रं.सं. 18 तथा 21 पर) मार्च, 1996 तक पूरी होनी हैं।

(घ) विवरण-II में सरकार द्वारा समय पर परियोजनाओं की पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदम दिए गए हैं।

विवरण-I

इकाई : (लागत/व्यय करोड़ रु. में)

क्र. सं.	परियोजना (जिला) (राज्य)	क्षमता	सरकारी अनुमोदन की तिथि	चालू होने की तिथि वास्त. (संशो.)	प्रत्याशित	लागत अनुमोदित वास्त. (सशों)	प्रत्याशित	व्यय 3/95 तक	संचयी व्यय
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	क्षेत्र: नागर विमानन								
1.	2बी747400 एअर क्राफ्ट की प्राप्ति, बम्बई, महा.	एअर क्राफ्ट 2	01/95	08/96	08/96	1137.70	1137.70	81.68	148.80
	क्षेत्र : कोयला								
2.	यूकेएनआई ओसी चन्द्रपुर महाराष्ट्र	1.10 एमटीवाई	01/92	03/99	03/99	100.37	100.37	39.08	43.41
	क्षेत्र : पेट्रोकेमिकल्स								
3.	एमजीसीसी पर इथीलीन का विस्तार नगोथाणे महाराष्ट्र	टीपीए 1 एलएसी	05/92	11/95	11/95	177.58	177.58	-	0.00
4.	एचडीपीई पालीइथीलीनए एमजीसीसी नागोथाणे महा.	टीपीए 75000	05/92	11/95	11/95	158.78	158.78	-	0.00
	क्षेत्र : पेट्रोलियम								
5.	एलपीजी रिकवरी प्लांट यूएसएआर, उत्तरिया महाराष्ट्र	ह.टीपीए 139	05/94	07/97	07/97	319.59	319.59	13.18	20.42
	क्षेत्र : विद्युत								
6.	बैक टू बैक एचवीडीसी चन्द्र, महाराष्ट्र	एमडब्ल्यू 2X250 वीडीसी	11/93	11/97	11/97	900.28	943.51	168.58	290.80
	क्षेत्र : रेलवे								
7.	बोरीवली-वसाई, प.रे. बम्बई, महाराष्ट्र	कि.मी. 17.65	04/95	00/00	00/00	131.34	131.34	-	0.00
8.	मंगिया-धोलापोर्ट, द.पू.रे.	कि.मी. 242	12/92	12/96	03/97	158.83	190.00	86.38	91.16
9.	मनखुर्द-बेलापुर विस्तार बम्बई, महाराष्ट्र	कि.मी. 18	02/86	10/90 (06/86) (06/91)	03/94 (03/91)	75.74 (287.11) (287.11)	440.87	330.50	335.74
10.	अंधेरी-बांद्रा, अतिरिक्त लाईन, बम्बई, महाराष्ट्र	कि.मी. 7.20	03/84	03/92 (12/95)	12/95	46.61 (62.05)	11.57	59.10	76.00
11.	अमरावती-नारखेर, म.रे. महाराष्ट्र	कि.मी. 138	06/94	00/00	00/00	120.90	120.90	0.52	0.52

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
क्षेत्र : भूतल परिवहन									
12	पीरपाउ तेल पायर को बदलना, बम्बई, महाराष्ट्र	35000 डीडब्ल्यूटी	08/90	11/94	11/95	50.24 (110.89)	110.89	59.68	65.74
13.	7 उप-समुद्री पाइप लाइनों को बदलना, बम्बई, महाराष्ट्र		03/95	01/98	01/98	165.15	165.15	0.33	0.39
14.	रा.राज मार्ग 8 : 4 लाइन (439-497 कि.मी.) लोक निर्माण विभाग, महाराष्ट्र	कि.मी. 58.00	04/93	05/97	05/97	117.73	119.00	1.00	1.00
महाराष्ट्र से होकर गुजरने वाली परियोजनाएं									
क्षेत्र : नागर विमानन									
15.	टर्मि. परिसर, स्तर-3, बम्बई, महाराष्ट्र	सं. 1200	05/93	10/96	10/97	84.12 (105.49)	105.49	15.87	20.03
16.	हवाई अड्डा सेवाओं का आधुनिकीकरण, बम्बई, दिल्ली/महाराष्ट्र		06/90 (03/93)	10/92 (04/93) (10/95)	04/96	210.00 (351.87)	413.13	292.30	336.25
क्षेत्र : विद्युत									
17.	अतिरिक्त विंध्याचल संचरण लाइन-1, म.प्र./महाराष्ट्र	सीकेएम 1990	05/89	09/94	12/97	339.69	654.84	61.53	109.53
18.	गंधार संचरण प्रणाली स्तर-1 गुजरात/महाराष्ट्र	सीकेएम 715	02/92	08/95	06/95	203.81	212.87	157.87	168.80
क्षेत्र : रेलवे									
19.	परभनी-पुरना-मुरखेड-अकोलाबाद, द.म. आ.प्र./महाराष्ट्र	कि.मी. 248	04/85	03/95	05/96	181.19	201.26	46.00	59.41
20.	शोलापुर-गदाग, द.म.रे. कर्ना, महाराष्ट्र	कि.मी. 300	06/95	00/00	03/98	180.00	180.00	-	3.50
21.	कोंकण रेलवे के.आर.सी.एल. कर्ना, गोवा, महाराष्ट्र	कि.मी. 837	03/90	10/94	12/9	968.00	2029.89	1719.96	1890.99

विवरण-II

वास्तविक अनुमानों की तैयारी तथा परियोजनाओं के कार्यान्वयन को सुप्रवाही बनाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम :

1. उचित तैयारी, पर्यावरणीय एवं अन्य स्वीकृतियों को सुनिश्चित करने के लिए द्वि-स्तरीय परियोजना अनुमोदन एवं स्तर-II पर कार्यान्वयन के अंतिम अनुमोदन से पहले स्तर-I पर अधिसंरचनात्मक आयोजन।

2. संशोधित लागत अनुमानों के अनुमोदन की सरलीकृत प्रक्रिया जिसके अन्तर्गत उद्यमों की सीमा से परे कारणों के कारण लागत वृद्धि मूल निर्माण अवधि को योजना आयोग के परामर्श से प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा स्वीकृत किया जाना है। उपरोक्त कारणों के अलावा अन्य कारणों से अनुमोदित लागत से 5 प्रतिशत से अधिक के संशोधित लागत को सार्वजनिक निवेश बोर्ड/मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत होना है।

3. विभिन्न स्तरों पर परियोजनाओं का गठन प्रबोधन इससे

प्रबोधन अभिकरणों को अवरोधों की पहचान करने तथा सुधारात्मक उपाय करने में प्रबंधन को सहायता करने में सहूलियत होती है।

4. परियोजना प्राधिकारों तथा प्रशासनिक मंत्रालयों के द्वारा प्रगति की सूक्ष्म आलोचनात्मक समीक्षा।

5. संविदा पैकेजों के तीव्र फैसले भूमि अधिग्रहण एवं अन्य समस्याओं के निदान के लिए कार्यदल/उच्चाधिकार समितियों का गठन।

6. कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों तथा परियोजना प्राधिकारों द्वारा राज्य सरकारों, उपस्कर, आपूर्तिकर्त्ताओं, ठेकेदारों, परामर्शदाताओं तथा अन्य संबंधित अभिकरणों के साथ विलंब को कम करने के लिए निकट से अनुवर्ती कार्रवाई।

7. अन्तर्मंत्रालयीय समन्वय एंव परस्पर विचार विमर्श।

8. वास्तविक परियोजना कार्यान्वयन योजना को तैयार करने पर बल।

9. अवरोधों का सामना करने वाली विशिष्ट परियोजनाओं के सचिवों की समिति के द्वारा समीक्षा।

केरल में टेलीफोन कनेक्शन

801. श्री थाइल जॉन अंजलोज :
प्रो. के.वी. थामस :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में जिला-वार टेलीफोन कनेक्शन लेने वाले व्यक्तियों की प्रतीक्षा सूची में श्रेणी-वार इस समय कितने-कितने व्यक्तियों के नाम दर्ज हैं;

(ख) राज्य में अब तक श्रेणी-वार कितने व्यक्तियों को टेलीफोन कनेक्शन दिये जा चुके हैं;

(ग) वर्ष 1995-96 के अंत तक कितने व्यक्तियों को टेलीफोन कनेक्शन आवंटित किये जाने की संभावना है;

(घ) शेष व्यक्तियों को टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए क्या उपाय करने का विचार किया गया है; और

(ङ) राज्य में टेलीकॉम विस्तार कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) वर्ष 1995-96 (1.4.95 से 31.10.95 तक) के दौरान टेलीफोन कनेक्शन प्राप्त व्यक्तियों की संख्या :-

क्र.सं.	श्रेणी	आवंटित टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या
1.	ओवाईटी	17843
2.	विशेष	4852
3.	सामान्य (गैर-ओवाईटी)	35334
	कुल	58029

(ग) वर्ष 1995-96 के दौरान केरल के लिए 326300 सीधी एक्सचेंज लाइनें प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

(घ) चालू वर्ष और अगले वर्ष (1996-97) के दौरान मौजूदा एक्सचेजों को विस्तार करके तथा अतिरिक्त नए एक्सचेंजों को चालू करके प्रतीक्षा सूची के शेष व्यक्तियों को टेलीफोन कनैक्शन प्रदान किए जाएंगे।

(ङ) केरल सर्किल की विकास योजना में 3.26 लाख लाइनों की निवल क्षमता सहित 4.29 लाख लाइनों की सकल क्षमता की संस्थापना तथा 3.26 लाख सीधी एक्सचेंज लाइनों की व्यवस्था करने की परिकल्पना है। राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, 94 में केरल सहित समूचे देश में मांग पर टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करना परिकल्पित है।

विवरण

31.10.95 की स्थिति के अनुसार केरल में जिलावार और श्रेणीवार प्रतीक्षा सूची

31.10.95 की स्थिति के अनुसार प्रतीक्षा-सूची में जिला-वार और श्रेणीवार आवेदक :

क्र.सं.	जिले का नाम	ओवाईटी	विशेष	सामान्य	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	अलेप्पी	923	572	17650	19145
2.	कालीकट	3312	1504	31812	36628
3.	कनानोर	3270	899	28727	32896
4.	एर्नाकुलम	1202	1035	38484	40721
5.	इडुकी	266	278	10690	11234
6.	कोट्टयम	3236	1091	25839	30166

1	2	3	4	5	6
7.	पालघाट	860	140	15882	16882
8.	पत्तनमथिट्टा	2234	324	17057	19615
9.	क्विलोन	962	511	19847	21320
10.	त्रिचूर	3184	1305	35195	39684
11.	त्रिवेन्द्रम	745	528	32890	34153
12.	कासरागौड़	1184	254	16596	18034
13.	मालाप्पुरम	4859	1096	30684	36639
14.	वैनाड़	205	121	5907	6233
15.	माहे (पांडिचेरी संघ शासित क्षेत्र)	33	49	1355	1437
16.	लक्षद्वीप (संघ शासित क्षेत्र)	0	0	375	375
	कुल	26475	9707	328990	365172

[हिन्दी]

भोपाल दूरदर्शन कार्यालय में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा छापे

802. श्री शिवराज सिंह चौहान : क्या सूचना तथा प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने भोपाल दूरदर्शन केन्द्र के कार्यालय में छापे मारे हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) छापों के क्या परिणाम निकले;

(घ) छापों के दौरान मिले आपत्तिजनक दस्तावेजों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई या किए जाने का प्रस्ताव है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : (क) और (ख). केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने 15 अप्रैल, 1995 को एक निजी टी. वी. कम्पनी के परिसर में छापा मारा। निजी टी. वी. कम्पनी के पास दूरदर्शन के 5 कैसेट (यू.मैट्रिक) प्राप्त होने के फलस्वरूप, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने टेप लाइब्रेरी के रिकार्डों की जांच करने और जिन अधिकारियों के नाम पर टेप जारी किए गए थे, उनसे पूछ-ताछ करने हेतु उसी दिन दूरदर्शन केन्द्र भोपाल का दौरा किया।

(ग) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने इसमें लिप्त अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाही करने और निजी निर्माताओं जिनके पास से टेप प्राप्त हुए, को भी काली सूची में दर्ज करने की सिफारिश की है।

(घ) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा टेप लाइब्रेरी के सभी रिकार्ड अपने कब्जें में ले लिए गए थे।

(ङ) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की सिफारिशों के अनुसार सभी सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाही शुरू करने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

[अनुवाद]

उत्तर प्रदेश में अपराध

803. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में हत्या, डकैती तथा बलात्कार की कितनी वारदातें हुई; और

(ख) राज्य में धन-जन की सुरक्षा और संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० एम. कामसन) : (क) उत्तर प्रदेश में पिछले, 3 वर्षों के दौरान, हत्या डकैती और बलात्कार के मामलों की संख्या निम्न प्रकार से है :-

अपराध शीर्ष	1992	1993	1994
हत्या	10559	10589	10615
डकैती	2210	1778	1693
बलात्कार	1757	1787	2021

(ख) संविधान के अन्तर्गत "पुलिस" और "लोक व्यवस्था" राज्य के विषय होने के कारण, राज्य में लोगों को जान और माल की सुरक्षा के लिए उपयुक्त कदम और उपाय करना राज्य सरकार का कार्य है।

पिछड़े क्षेत्रों का विकास

804. श्री प्रवीन डेका : क्या योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित स्कीमों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान कितनी धनराशि स्वीकृत और जारी की गई;

(ग) असम सरकार द्वारा प्रस्तुत ऐसी कितनी स्कीमें केन्द्रीय सरकार के पास अनुमोदनार्थ लंबित पड़ी हैं; और

(घ) इन स्कीमों को स्वीकृति देने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) और (ख). असम राज्य सरकार ने 1992-93 से 1994-95 के दौरान असम में पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए कोई विशिष्ट स्कीम अनुमोदनार्थ प्रस्तुत नहीं की है। बहरहाल, केन्द्र सरकार ने 1993-94 में गरीबी उन्मूलन हेतु सूखा प्रवण क्षेत्रों, मरुस्थल क्षेत्रों, आदिवासी क्षेत्रों तथा पहाड़ी क्षेत्रों मे अवस्थित अभिनिर्धारित पिछड़े ब्लॉकों में ''रोजगार आश्वासन स्कीम'' नामक एक नई स्कीम आरम्भ की। असम में 217 ब्लॉकों में से 142 ब्लाक रोजगार आश्वासन स्कीम (ईएएस) के तहत शामिल हैं। 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान इस गरीबी उन्मूलन स्कीम को जारी की गई निधियां नीचे दी गई हैं :

(लाख रुपये)

वर्ष	जारी की गई निधियाँ
1993-94	2587.50
1994-95	5790.00

रोजगार आश्वासन स्कीम (ईएएस) एक आवश्यकता आधारित स्कीम है और इसलिए राज्यवार आवंटन नहीं किए जाते हैं।

(ग) असम में पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए कोई स्कीम केन्द्र सरकार के पास अनुमोदन हेतु लम्बित नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

प्रीमियम बचत बैंक सेवा

805. श्री मोहन रावले : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक विभाग का प्रीमियम बचत बैंक सेवा प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है ताकि खाताधारी अपने बचत खाते को विभिन्न डाकघरों से संचालित कर सकें;

(ख) यदि हाँ, तो इस योजना की मुख्य-मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) इस प्रीमियम बचत बैंक सेवा को कब तक शुरू करने का प्रस्ताव है और किन-किन राज्यों में यह सेवा शुरू की जाएगी ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी हाँ।

(ख) और (ग). स्मार्ट कार्ड आधारित टेक्नालॉजी के माध्यम से कार्य करने वाली प्रीमियम बचत बैंक सेवा प्रदान करने के लिए एक प्रायोगिक परियोजना दिल्ली में 20 नवम्बर, 1995 को शुरू की गई है। इस परियोजना के अधीन स्मार्ट कार्ड पर आधारित डाकघर बचत बैंक सेवा दिल्ली के चुने हुए 15 डाकघरों से उपलब्ध होगी। ये डाकघर हैं - संसद मार्ग प्रधान डाकघर, नई दिल्ली जीपीओ, लोदी रोड़ प्रधान डाकघर, दिल्ली जीपीओ, लाजपत नगर, इन्द्रप्रस्थ प्रधान डाकघर, मालवीय नगर, वसन्त विहार, करोल बाग, जनकपुरी, पटपड़गंज, हौज खास, रामकृष्ण पुरम (मुख्य), चाणक्यपुरी और ईस्टर्न कोर्ट।

स्मार्ट कार्ड आधारित डाकघर बचत बैंक सेवा चुने हुए डाकघरों में से किसी भी डाकघर में काउंटर पर बोझिल कागजी कार्रवाई किए बिना धनराशि जमा करने और निकालने की सुविधा प्रदान करती है। स्मार्ट कार्ड में निहित प्रोसेसर एक इलेक्ट्रानिक पास बुक रूप में कार्य करता है और इलेक्ट्रानिक विधि से खाता-धारक की शिनाख्त भी करता है। यह लेन-देन के विशिष्ट नम्बर का और साथ ही खाता-धारक के पर्सनल आइडेंटीफिकेशन नम्बर (पी.आई.एन.) का ब्यौरा भी रखता है। पी.आई.एन. की जरूरत तब पड़ती है, जब ग्राहक कार्ड का उपयोग करते हुए धनराशि निकालना चाहता है। तथापि, धनराशि पी.आई.एन. का उपयोग किए बिना जमा की जा सकती है। पी.आई.एन. जिसका चयन ग्राहक को स्वंय करना होता है और पूरी तरह गोपनीय रखना होता है, ग्राहक के खाते की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करता है। पी.आई.एन. की जानकारी खाता-धारक के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को और यहाँ तक कि डाकघर के किसी कर्मचारी को भी नहीं होनी चाहिए। इस पी.आई.एन. में, इलैक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज में लॉकिंग कोड में परिवर्तन करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली प्रक्रिया जैसी साधारण पद्धति के जरिए परिवर्तन करना भी संभव है। स्मार्ट कार्ड आधारित डाकघर बचत सेवा केवल लेन-देन की सुविधा प्रदान करती है और यह डाकघर बचत बैंक नियमावली के अंतर्गत कार्य करती है। यह सुविधा प्राप्त करने के लिए खाता-धारक से यह अपेक्षित है कि उसके खाते में कम से कम 250/- रु० रहें और खाते में

50,000/- रु० से अधिक भी जमा न हों। चुने गए 15 डाकघरों में से किसी भी डाकघर के जरिए प्रीमियम बचत बैंक खाता खोलने के लिए ग्राहक द्वारा 500/-रु० ज्वाइनिंग फीस का भुगतान किया जाना होता है। वर्ष के अंत में ब्याज देते हुए, 50/- रु० वार्षिक सेवा शुल्क के नाम में डाले दिए जाते हैं।

स्मार्ट कार्ड टेक्नालॉजी के माध्यम से कार्य कर रही प्रीमियम बचत बैंक सेवा का 1996-97 में देश के अन्य 6 शहरों में विस्तार किए जाने का प्रस्ताव है।

सी.बी.आई. के लिए शक्तियाँ

806. श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपराधिक मामलों की जांच हेतु सरकार ने सी.बी. आई. को और अधिक शक्तियां देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस संबंध में कोई कानून बनाये जाने की संभावना है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी विवरण क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० एम० कामसन) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) और (ग). उपर्युक्त भाग (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सिंचाई क्षमता

807. श्री राम टहल चौधरी : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार नहरों की सिंचाई क्षमता कितनी-कितनी है;

(ख) पिछली तीन पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान प्रत्येक योजना में इन नहरों की सिंचाई क्षमता में राज्यवार कितनी वृद्धि हुई है; और

(ग) सिंचाई की विभिन्न प्रणालियों के माध्यम से सिंचाई क्षमता को बढ़ाने के लिए तैयार की जा रही कार्य योजना क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू): (क) और (ख). जल संसाधन मंत्रालय वृहद और मध्यम परियोजनाओं तथा लघु सिंचाई योजनाओं की सृजित सिंचाई क्षमता के बारे में वार्षिक आधार पर राज्यवार आंकड़े अलग से एकत्र करता है तथा रखता है। पांचवीं योजना (1974-78), छठीं योजना (1980-85), सातवीं योजना (1985-90) के दौरान, 1995-96 के अंत तक (प्रत्याशित) सृजित सिंचाई क्षमता और चरम सिंचाई क्षमता के राज्यवार आंकड़े दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सिंचाई को, प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में विनिर्दिष्ट किया गया है। सिंचाई क्षमता बढ़ाने की नीति के मुख्य तत्वों में अन्य बातों के साथ-साथ ये हैं: (i) चालू वृहद और मध्यम परियोजनओं को पूरा करने को प्राथमिकता देना, (ii) वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं में प्रयोक्ताओं की अधिक भागीदारी (iii) बहुत सी चालू धरातलीय जल लघु सिंचाई योजनाओं को शीघ्र पूरा करना और (iv) धरातलीय और भूजल का संयुक्त उपयोग।

विवरण

पांचवीं योजना (1974-78), छठीं योजना (1980-85) सातवीं योजना (1985-90) के दौरान और 1995-96 के अंत तक (प्रत्याशित) वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं तथा लघु सिंचाई योजनाओं के जरिए सृजित सिंचाई क्षमता और चरम सिंचाई क्षमता

(हजार हेक्टयेर)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सृजित सिंचाई क्षमता 5वीं योजना के दौरान	6 वीं योजना के दौरान	7 वीं योजना योजना	1995-96 के अंत तक प्रत्याशित	चरम सिंचाई क्षमता
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	443.0	661.0	545.0	6210.5	9200
2.	अरुणाचल प्रदेश	-	40.2	15.8	78.6	260
3.	असम	9.0	115.0	192.0	830.6	2670
4.	बिहार	862.0	1504.0	1203.0	8417.9	12400
5.	गोवा	संघ राज्य क्षेत्र में शामिल	15.3	14.9	34.5	82
6.	गुजरात	382.0	307.0	320.3	3337.6	4750
7.	हरियाणा	326.0	284.0	199.0	3655.5	4550
8.	हिमाचल प्रदेश	11.0	26.5	11.6	157.7	335
9.	जम्मू व कश्मीर	12.0	55.0	24.3	546.4	800
10.	कर्नाटक	306.0	312.0	350.4	3199.6	4600
11.	केरल	68.0	157.0	116.4	1160.8	2100
12.	मध्य प्रदेश	509.0	823.0	612.4	4915.2	10200

6

1	2	3	4	5	6	7
13.	महाराष्ट्र	466.0	823.0	661.1	4832.2	7300
14.	मणिपुर	2.0	46.7	26.9	138.6	240
15.	मेघालय	8.0	11.3	5.4	51.8	120
16.	मिजोरम	संघ राज्य क्षेत्र में शामिल	6.4	3.1	12.6	70
17.	नागालैंड	2.0	9.0	11.7	67.7	90
18.	उड़ीसा	307.0	522.0	216.2	2889.4	5900
19.	पंजाब	314.0	414.0	170.7	5879.6	6550
20.	राजस्थान	219.0	435.0	477.1	4733.5	5150
21.	सिक्किम	7.0	5.0	6.4	25.0	42
22.	तमिलनाडु	110.0	128.0	148.4	3719.3	3900
23.	त्रिपुरा	6.0	19.6	24.5	100.2	215
24.	उत्तर प्रदेश	3008.0	3895.0	4955.0	29726.4	25700
25.	पश्चिम बंगाल	395.0	325.0	981.6	4602.3	6100
राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों का कुल जोड़		7779.0	10921.2	11310.3	89428.5	113512

[अनुवाद]

तेल की खोज

808. श्री जितेन्द्र नाथ दास : क्या **पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में ओ.एन.जी.सी. द्वारा तेल की खोज का कार्य किया जा रहा है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी विवरण क्या है ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी हाँ।

(ख) तेल के अन्वेषण के लिए द्वि-आयामी तथा त्रीआयामी भूकंपी सर्वेक्षणों के लिए 1995-96 क्षेत्र मौसम के दौरान 3 भूकंपी पार्टियां काम पर लगायी जा रही हैं। कोल बेड मिथेन अन्वेषण हेतु एक कूप दुर्गापुर-1 में फिलहाल वेधन हो रहा है।

[हिन्दी]

समेकित जनजातीय विकास अभिकरण

809. श्री एन.जे.राठवा : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समेकित जनजातीय विकास अभिकरण देश में, विशेष रूप से गुजरात में जनजातीय विकास के लिए मार्गनिर्देशों का क्रियान्वयन सही रूप से नहीं कर रहे हैं;

(ख) क्या ये अभिकरण अपात्र व्यक्तियों को ऋण तथा अन्य लाभ उपलब्ध करा रहे हैं;

(ग) यदि हाँ, इन अभिकरणों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की राज्य-वार संख्या कितनी है; और

(घ) इस संबंध में राज्य सरकारों को क्या निर्देश जारी किए गए हैं ?

कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. तंग्कावालू) : (क) से (ग). सूचना राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से एकत्रित की जा रही है और इसके प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) इस संबंध में राज्य सरकारों को कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है। तथापि, दिनांक 30.4.94 तथा 11.8.95 को राज्य सरकारों से यह अनुरोध किया गया है कि समेकित आदिवासी विकास एजेंसियों/समेकित आदिवासी विकास परियोजनाओं को यह सुनिश्चित करने के लिए कहें कि उचित जांच के बाद ही बैंकों को आवेदन पत्र भेजे जाएं ताकि आदिवासियों को एक समान तथा न्यायोचित रूप से सहायता का वितरण हो और यह कि सभी ऋण बार-बार कुछ लोगों तक ही सीमित होकर न रह जाएं।

[अनुवाद]

ओमान-भारत गैस परियोजना

810. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवसी :
श्रीमती वसुन्धरा राजे :

क्या **पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमेरिका के हास्टन में हुई दो दिन की वार्ता के दौरान भारत-ओमान गैस परियोजना के संबंध में तकनीकी मुद्दों को हल कर लिया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या हाल ही में इस मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ हुई चर्चा में ऐसे कई मुद्दे उठाए गए जिन पर भारत सहमत नहीं था;

(ग) यदि हाँ, तो क्या पाकिस्तान के इस रवैये से ओमान-भारत गैस पाइप लाइन परियोजना को आगे जारी नहीं रखा जा सकेगा; और

(घ) इस संबंध में पाकिस्तान ने कौन से मुख्य कारण बताए हैं ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) 300 मीटर से अधिक की गहराई में ओमान भारत गैस पाइपलाइन को बिछाने, इसके रखरखाव तथा मरम्मत से संबंधित तकनीकी घटकों को अभी सुलझाना है।

(ख) से (घ). उपर्युक्त परियोजना पर पाकिस्तान के साथ चर्चा नहीं हुई है।

पहाड़ी क्षेत्रों का विकास

811. **श्रीमती शीला गौतम** : क्या योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ राज्यों को विशेष केन्द्रीय सहायता उपलब्ध की जाती है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्वी घाटी के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता हेतु केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है ?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) विशेष केन्द्रीय सहायता उत्तर प्रदेश, असम, तमिलनाडु तथा पश्चिम बंगाल में पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्वनिर्दिष्ट पहाड़ी क्षेत्रों तथा पश्चिमी घाट के पूर्वनिर्दिष्ट तालुकों को प्रदान की जाती है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठते।

खानों में पुराने उपकरणों का प्रतिस्थापना/विस्तार

812. **श्री राम विलास पासवान** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लि० का विचार खानों में प्रयुक्त पुराने उपकरणों का प्रतिस्थापना/विस्तार करने हेतु प्रमुख उपकरण खरीदनेके लिये धनराशि उपलब्ध करने का है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) कोल इंडिया लि० ने आंतरिक संसाधनों तथा वाणिज्यिक उधारों द्वारा घरेलू और/अथवा बाह्य स्रोतों से विस्थापित किए जाने हेतु बड़े; उपकरणों की खरीद का वित्त-पोषण किए जाने का प्रस्ताव किया गया है।

(ख) कोल इंडिया लि० ने अपने आंतरिक संसाधनों से 373 करोड़ रु० की कीमत के वर्ष 1995-96 के लिए बड़े उपकरणों की खरीद के संबंध में कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके अलावा, संभरकों के ऋण के साथ उपकरणों की खरीद के किए जाने हेतु विश्वव्यापी निविदाएं आमंत्रित की हैं। तथा लगभग 1000 करोड़ रु० की कीमत के वर्ष 1995-96 तथा 1996-97 में उपकरणों की आंशिक रूप में आवश्यकताओं को पूरा किए जाने हेतु यह कार्रवाई की गई है।

कोल इंडिया लि० ने चीन से 32.665 मिलियन अमरीकी डालर की लागत से पी.एस.डब्ल्यू. फेसिज के चार सेटों की भी व्यवस्था की जा रही है, जो कि 15 प्रतिशत आरंभिक अदायगी तथा 85 प्रतिशत ऋण के रूप में, जिसका 24 छमाही किश्तों में प्रतिसंदाय किया जाएगा, के माध्यम से व्यवस्था की जा रही है।

दिल्ली में हुर्रियत का कार्यालय

813. **श्री गुरुदास कामत** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हुर्रियत ने दिल्ली में अपना कार्यालय खोल दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस कार्यालय के क्रियाकलापों की जानकारी है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. एम. कामसन) : (क) से (ङ). उपलब्ध सूचना के अनुसार, जम्मू व कश्मीर आल पार्टीज हुर्रियत कांफ्रेंस के पास दिल्ली में श्री शबीर शाह द्वारा किराए पर लिए गए भवन के परिसर में अगस्त 1995 से एक कार्यालय था। इसने "कश्मीर अवेयरनैस ब्यूरो" के नाम से दिल्ली स्थिति कार्यालय का औपचारिक रूप से उद्घाटन करने के लिए हाल में नई दिल्ली के प्रगति मैदान

में एक समारोह का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य कश्मीर के निवासियों की आंकाक्षाओं और भावनाओं के बारे में प्रत्यक्ष रूप में जागरूकता फैलाना तथा यह स्पष्ट करना था कि वह राज्य में चुनाव कराने का विरोध क्यों करते हैं। हुर्रियत कांफ्रेस के सदस्यों और प्रतिनिधियों के अलावा सर्वश्री इन्द्रजीत गुप्त, आई.के.गुजराल, बेद भसीन, और बलराज पुरी द्वारा समारोह में भाग लेने और समारोह संबोधित करने की सूचना मिली है।

सरकार इस संगठन की गतिविधियों पर नजर रखे हुए है तथा कार्रवाई, जो आवश्यक और उचित समझी जाएगी, की जाएगी।

वर्ल्ड टैलिकोम ओर्गनाइजेशन, 1995

814. श्री अन्ना जोशी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपने हाल ही में ''वर्ल्ड टेलिकोमुनिकेशन ओर्गानाइजेशन'' टेलिकोम-95 की बैठक में भाग लेने के लिए जनेवा का दौरा किया है;

(ख) क्या आपने इस क्षेत्र में और अधिक निजी क्षेत्र का विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए इसे और अधिक उदार बनाने की पेशकश की है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस बैठक में भाग लेने के परिणामस्वरूप देश को क्या-क्या लाभ हुए ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी हाँ, संचार राज्य मंत्री ने टेलीकॉम 95 की बैठक में भाग लेने के लिए जनेवा दौरा किया है।

(ख) जी नहीं।

(ग)और(घ) उपरोक्त ''ख'' को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

परियोजना को पूरा करने के लिए अतिरिक्त धनराशि

815. श्री घोल्ला बुल्ली रामय्या : क्या योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का आठवीं योजना के दौरान चालू की जाने वाली 261 परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 1996-97 के दौरान अतिरिक्त धनराशि का प्रावधान करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी सेक्टर-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं की आधुनातन अनुमानित लागत क्या है ?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) योजना आयोग द्वारा केन्द्रीय मंत्रालयों/विभाग के साथ विचार विमर्श के पूरा होने पर वर्ष 1996-97 के लिए परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त निधियों के आंबटन का निर्णय लिया जाएगा। 1.7.95 को किए गए आकलन के अनुसार 8वीं योजनावधि के दौरान चालू होने वाली परियोजनाओं की संख्या 254 है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) 254 परियोजनाओं की नवीनतम अनुमोदित लागत 78879.22 करोड़ रु0 हैं।

मुम्बई बम विस्फोट

816. डा0 (श्रीमती) के.एस. सौन्दरम : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुम्बई बम विस्फोट के मामले संलिप्त कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए जाएंगे; और

(ख) इस संबंध में चल रही जांच की इस समय क्या स्थिति है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (सैयद सिब्ते रजी) : (क) अपराध में संलिप्तता के लिए कुल 198 व्यक्तियों की पहचान की गयी। 135 अभियुक्तों के खिलाफ आरोप-पत्र दायर किए गए हैं जबकि 26 अभियुक्तों को न्यायालय द्वारा छोड़ दिया गया। 2 इकबाली गवाह बन गए और एक की बाद में न्यायिक हिरासत में मृत्यु हो गयी। 34 अभियुक्त लापता है।

(ख) मामले का विचारण प्रगति पर है।

[हिन्दी]

गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों की समीक्षा

817. श्री दत्ता मेघे : क्या योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों की समीक्षा की है;

(ख) यदि हाँ, तो उसका क्या परिणाम निकला;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) कब तक इन कार्यक्रमों की समीक्षा किए जाने की सम्भावना है ?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) जी, हाँ।

(ख) गरीबी उन्मूलन के लिए तीन प्रमुख केन्द्र प्रायोजित कार्यक्रम है नामतः एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई.आर.डी.पी.), जवाहर रोजगार योजना (जे.आर.वाई.) और रोजगार आश्वासन स्कीम (ई.ए.एस.) इन कार्यक्रमों की केन्द्रीय स्तर की समन्वय समिति, राज्य स्तरीय समन्वय समिति और जिला स्तर पर जिला ग्रामीण विकास एजेन्सियों के शासी निकायों द्वारा नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। इसके अतिरिक्त, वास्तविक प्रगति की कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा मानीटरिंग की जाती है।

ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार मंत्रालय ने क्षेत्र अधिकारियों की एक स्कीम आरम्भ की है, जिसके तहत अधिकारियों की एक टीम राज्यों का दौरा करती है और और इन तीन स्कीमों तथा ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार मंत्रालय की अन्य स्कीमों के संदर्भ में मौजूदा समस्याओं और उनकी प्रगति का प्रत्यक्ष ब्यौरा देती है। यह स्कीम 1993 से चल रही है।

इसके अतिरिक्त, ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार मन्त्रालय अपने प्रमुख कार्यक्रमों का आवधिक समवर्ती मूल्यांकन करता है।

विभिन्न गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को सुचारू बनाने और इनके कार्यक्षेत्र का विस्तार करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं।

मूल्यांकन अध्ययनों और क्षेत्र से प्राप्त निरन्तर फीड बैक के निष्कर्षों के आधार पर आई.आर.डी.पी. में कुछ संशोधन किए गए हैं। गरीबी उन्मूलन के उद्देश्य को प्राप्त करने में इस कार्यक्रम को अधिक प्रभावी बनाने के लिए हाल ही में उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदम हैं : (i) प्रति परिवार निवेश स्तर में वृद्धि (ii) चालू वर्ष के दौरान देश में 213 जिलों तक परिवार जमा योजना का विस्तार और (iii) आई.आर.डी.पी. परियोजनाओं की उत्पादकता में सुधार के लिए आधार संरचना मानदण्डों में संशोधन। ये उपाय महाराष्ट्र राज्य सहित पूरे देश में क्रियान्वित किए जाने हैं।

जे.आर.वाई. के तहत निधियां देश में प्रत्येक जिले/गांव तक पहुंचती है। बहरहाल, यह पाया गया कि संसाधन देश में थोड़े स्तर पर फैले हैं। इसलिए, चुनिन्दा पिछड़े जिलों, जहां बेरोजगारी और अर्ध-रोजगारी थी, जे.आर.वाई. को सघन किए जाने का निर्णय लिया गया। तदनुसार, 120 चुनिन्दा पिछड़े जिलों में सघन जे.आर.वाई आरम्भ की गई थी जिसमें इन जिलों को दी जाने वाली निधियों में पर्याप्त वृद्धि की गई थी। इसके अतिरिक्त, कृषि के लीन मौसम के दौरान सभी समर्थ व्यक्तियों को, जो काम की तलाश में और कार्य करना चाहते थे, सौ दिन के कैजुअल मैनुअल कार्य का निश्चित मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराने के लिए 2.10.93 से ई.ए.एस. 1778 आर. पी.डी.एस. ब्लाकों में आरम्भ किया गया था। यह इस मूल्यांकन के फलस्वरूप की गई थी कि जे.आर.वाई. के तहत प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति औसतन केवल 15-25 दिन का रोजगार सृजित किया जा रहा था। अब ई.ए.एस. देश के 2470 ब्लाकों में चल रही है।

आई.जे.आर.वाई. के तहत महाराष्ट्र के 16 जिले शामिल किए गए हैं, ई.ए.एस. महाराष्ट्र में 171 आर.पी.डी.एस. ब्लॉकों में क्रियान्वित की जा रही है।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

राजस्थान में पंचायतों को दूरभाष सेवाएं

818. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में विशेषकर झालावाड़ और बारां जिलों में पंचायत मुख्यालयों में कितने टेलीफोन लगाए गए हैं;

(ख) उन पंचायत मुख्यालयों के नाम क्या हैं जहां अभी तक टेलीफोन नहीं लगाये गये हैं और वहां पर कब तक टेलीफोन लगा दिये जायेंगे;

(ग) क्या अब तक लगाये गये अधिकांश टेलीफोन सन्तोषजनक रूप से कार्य कर रहे हैं, यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार का इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) 31.10.95 तक झालावाड़ तथा बारां जिलों सहित राजस्थान के पंचायत मुख्यालयों में सार्वजनिक टेलीफोनों की स्थिति इस प्रकार है :-

	पंचायत मुख्यालयों की कुल संख्या	सार्वजनिक टेलीफोन सुविधा प्राप्त पंचायत मुख्यालयों की संख्या
राजस्थान	9178	7681
झालावाड़ जिला	251	227
बारां जिला	214	151

(ख) उपर्युक्त दो जिलों में जिस पंचायत मुख्यालयों में सार्वजनिक टेलीफोन सुविधा अभी प्रदान की जानी है उनके नाम संलग्न विवरण

में दिए गए हैं। इन पंचायत मुख्यालयों में मार्च, 97 तक उक्त सुविधा प्रदान कर दी जाएगी।

(ग) जी हाँ। ऐसे टेलीफोन पर दोष उत्पन्न तो होते हैं परन्तु इनकी सूचना मिलते ही इन्हें दूर कर दिया जाता है।

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं :-

(1) सार्वजनिक टेलीफोन सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से नेटवर्क में नवीनतम प्रौद्योगिकी वाले देश में विकसित एम.ए.आर.आर. उपस्कर अधिष्ठापित किए जा रहे हैं।

(2) ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की अनियमित आपूर्ति पर अधिक निर्भर न रहना पड़े, इसके लिए सौर ऊर्जा का इस्तेमाल किया जा रहा है।

(3) प्रशिक्षित स्टाफ द्वारा नेमी रख-रखाव किया जा रहा है।

विवरण

जिले का नाम	पंचायत मुख्यालय का नाम
1	2
झालावाड़	1. बांस खेड़ी
	2. डार खेड़ी
	3. बाडखेड़ा कलां
	4. देवरी
	5. गहवाड़ा
	6. वारिया
	7. रेम्पला
	8. थोबारिया खुर्द
	9. देवगढ़
	10. कोटिया
	11. खोजारिया खुर्द
	12. आक खेड़ी
	13. अलावा
	14. मैसानो
	15. गगरॉन
	16. गुरदिया माना
	17. गुर्डा
	18. नारायण खेड़ा
	19. बोसर
	20. गोविन्दपुरा
	21. हरनावाड़ा गंज
	22. सुमारिया
	23. सॉग्रिया
	24. सार खेड़ी
बांरा	
	1. हिंगोनिया
	2. महुआ
	3. वेसोरखंड कलां
	4. अरदण्ड
	5. डारा
	6. धोटी
	7. जीरोद
	8. कनोटिया
	9. कवल
	10. खेटलोगंज
	11. खुरी
	12. किशनपुरा
	13. रिछाण्डा
	14. सहरोय

1	2
	15. घाटवाड़ा
	16. इकरेला
	17. करनाडेडा
	18. कोटरी सुण्डा
	19. मियादा
	20. पठेड़ा
	21. फंसारा
	22. सीमली
	23. थामली
	24. तिसाया
	25. घाट खेड़ी
	26. कवाइयाबान
	27. सेमली
	28. भावोपुरा
	29. बिलेंदी
	30. झंझानी
	31. कलपा जागीर
	32. खेरला जागीर
	33. खुन्मा खेड़ी
	34. मानपुरा
	35. मोवम्पुरा
	36. पीठपुर
	37. असनावाड़
	38. बादीपुरा
	39. बाकनपुरा
	40. बरोनी

1	2
	41. बिलासगढ़
	42. ब्रिजनगर
	43. छत्तरगंज
	44. छिनोड
	45. करवाड़ी कलां
	46. खायावाडा
	47. लक्ष्मीपुरा
	48. पोपल्दा कलां
	49. रामपुरिया टीडिया
	50. रानी बरोव
	51. सिवानी
	52. सिमलोव
	53. सुवास
	54. अगर
	55. वाल्दा
	56. वामन गवा
	57. बोल खेड़ा
	58. गदरेटा
	59. कुशियारा
	60. राजपुरा
	61. सन्दोकाड़ा
	62. सानवाडा

[हिन्दी]

फिरोजाबाद-आगरा सेक्शन पर गैस पाइप लाइन

819. **श्री भगवान शंकर रावत** : क्या पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष आगरा-फिरोजाबाद सेक्शन पर प्राकृतिक गैस पाइप लाइन बिछाने के लिए डेनमार्क की निजी कम्पनी के साथ मुंबई में किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त पाइप लाइन को बिछाने के कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है तथा यह कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) आगरा-फिरोजाबाद के लिए पाइपलाइन के संबंध में विस्तृत मार्ग सर्वेक्षण गैस अथारिटी आफ इण्डिया द्वारा हाथ में लिया गया है। सिटी गेट स्टेशन तक पाइपलाइन दिसंबर, 1996 तक पूरा होने के लिए योजनाबद्ध है।

[अनुवाद]

मिट्टी के तेल का उत्पादन

820. **श्री सैयद पृथ्वीन** : क्या पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1995 तथा 30 सितम्बर, 1995 की स्थिति के अनुसार देश में मिट्टी के तेल का कितना भंडार था;

(ख) देश में 1994-95 तथा अप्रैल-सितम्बर, 1995 के दौरान मिट्टी के तेल का कितना उत्पादन हुआ;

(ग) उक्त अवधि के दौरान कुल कितना आयात किया गया;

(घ) वर्ष 1994-95 तथा अप्रैल-सितम्बर, 1995 में वास्तविक आवंटन सहित 1994-95 और 1995-96 के लिए राज्य-वार आवंटन का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन दोनों अवधियों के दौरान राज्य-वार प्रति व्यक्ति आवंटन कितना था?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) 1 अप्रैल, 1995 तथा 20 सितम्बर, 1995 के अनुसार देश में मिट्टी के तेल का स्टाक क्रमशः 245.2 टी.एम.टी. तथा 263.2 टी.एम.टी. था।

(ख) और (ग). वर्ष 1994-95 तथा अप्रैल-सितम्बर, 1995 के दौरान देश में उत्पादित तथा आयातित मिट्टी के तेल की मात्रा नीचे दी गयी है :

('000' टन)

अवधि	उत्पादन	आयात
1994-95	5261	3889*
1995-96 (अप्रैल-सितम्बर, 1995)	2650	2048*

(*) समानांतर विपणन कर्त्ताओं द्वारा आयातित मात्रा शामिल नहीं है।

(घ) 1994-95 तथा 1995-96 (अप्रैल-सितम्बर) की अवधि के दौरान राज्यवार एस.के.ओ. के आवंटन तथा वास्तविक आपूर्ति का ब्यौरा संलग्न विवरण I और II में दिया गया है।

(ङ) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एस.के.ओ. का प्रति व्यक्ति आंवटन पूर्ववर्ती कारणों से करीब 7 कि.ग्रा. वार्षिक से 32 कि.ग्रा. वार्षिक के बीच होता है।

विवरण-I

वर्ष 1994-95 (अप्रैल-सितम्बर, 95) तथा 1995-96 के दौरान एस.के.ओ. का आवंटन/वास्तव आपूर्ति (तदर्थ सहित)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल (94-95) राज्य आवंटन	(मी.टन) में बिक्री
1	2	3
हरियाणा	153992	154277
हिमाचल प्रदेश	40374	39730
जम्मू और कश्मीर	77815	76499
पंजाब	325679	324010
राजस्थान	305612	303711
उत्तर प्रदेश	1015016	1015513
चंडीगढ़	20928	18721
दिल्ली	238540	239654
असम	251586	253877
बिहार	558436	557668

1	2	3
मणिपुर	22262	21581
मेघालय	15703	15908
नागालैंड	10324	10532
उड़ीसा	194954	196393
सिक्किम	7556	7512
त्रिपुरा	22188	22221
पश्चिम बंगाल	748188	746984
अरुणाचल प्रदेश	9566	9587
मिजोरम	6422	6332
अंडमान और निकोबार	4348	4358
गुजरात	805680	807911
महाराष्ट्र	1507874	1510636
गोआ	29132	29184
दीव	1468	1343
दमण	1476	1482
दादर नगर हवेली	3108	3125
मध्य प्रदेश	444420	446257
आंध्र प्रदेश	602882	601596
कर्नाटक	455696	458244
केरल	272537	274107
तमिलनाडु	668258	665633
पांडिचेरी	14860	14434
लक्षद्वीप	876	297

विवरण-II

वर्ष 1995-96 (अप्रैल-सितम्बर 1995) तक तथा सहित एस.के.ओ. आवंटन बनाम संवितरण

(मीट्रिक टन में)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	कुल (1995-96)	
	राज्य आवंटन	विक्रय
1	2	3
हरियाणा	80234	79289
हिमाचल प्रदेश	21114	21073
जम्मू और कश्मीर	34212	38093
पंजाब	164466	165735
राजस्थान	155505	151698
उत्तर प्रदेश	357894	526590
चंडीगढ़	10566	9265
दिल्ली	120462	119665
असम	128116	128082
बिहार	303462	301499
मणिपुर	10994	11275
मेघालय	8046	7973
नागालैंड	5322	5826
उड़ीसा	105726	104150
सिक्किम	3816	3797
त्रिपुरा	11556	11531
पश्चिम बंगाल	378413	377955
अरुणाचल प्रदेश	4788	4803
मिजोरम	3180	3165
अंडमान एवं निकोबार	2316	2268

1	2	3
गुजरात	403140	402940
महाराष्ट्र	763824	756364
गोवा	13704	13801
दीव	744	539
दमण	744	737
दादर एवं नगर हवेली	1572	1551
मध्य प्रदेश	240610	235439
आंध्र प्रदेश	307716	301502
कर्नाटक	232620	232628
केरल	138846	139623
तमिलनाडु	337638	336908
पांडिचेरी	7506	7157
लक्षद्वीप	444	39

पेट्रोल पम्पों पर क्रेडिट कार्ड सुविधा

821. **श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर सरकारी क्षेत्र की तेल कम्पनियों द्वारा महानगरों में अपने पेट्रोल पम्पों पर क्रेटिड कार्ड की सुविधा प्रदान किए जाने की संभावना है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ये सुविधाएं दूसरे बड़े नगरों में भी देने का विचार किया गया है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (घ). सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने महानगरों तथा अन्य चुने हुए नगरों में चुने हुए खुदरा बिक्री केन्द्रों पर उधार कार्ड की सुविधाएं आरम्भ कर दी हैं। तेल कंपनियाँ इस उद्देश्य के लिए सिटी बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा तथा अन्य बैंकों के साथ संबंध रखती हैं।

इलैक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज

822. **श्रीमती भावना चिखलिया** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अभी तक स्थापित किए गये इलैक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेजों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) एस.टी.डी. सुविधा युक्त टेलीफोन एक्सचेंजों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एस.टी.डी. सुविधायुक्त नये इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी विवरण क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है तथा उपलब्ध होते ही इसे सदन-पटल पर रख दिया जाएगा।

विकलांग व्यक्तियों को आरक्षण

823. **कुमारी सुशीला तिरिया** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सरकारी कार्यालयों में ग्रुप ''क'' और ''ख'' पदों के लिए विकलांग व्यक्तियों को आरक्षण देने का विचार है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी विवरण क्या है?

कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के. वी. तंग्कावालू): (क) और (ख). विकलांग व्यक्तियों को सरकारी सेवा में समूह ''क'' और ''ख'' पदों में आरक्षण प्रदान किए जाने संबंधी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

कोयले की कमी

824. **श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति** :
डा० महादीपक सिंह शाक्य :
श्री नीतिश कुमार :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूरे देश में अक्तूबर, 1995 के दौरान सभी विद्युत केन्द्र कोयले की भारी कमी का सामना कर रहे थे;

(ख) यदि हाँ, तो उत्तरी राज्यों के विद्युत केन्द्रों में अनिश्चित स्थिति बनी हुई थी और उनके पास 24 घंटे से भी कम समय के लिये कोयले के भण्डार उपलब्ध थे;

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग). देश में कुछ विद्युत गृह, जिसमें उत्तरी क्षेत्र के विद्युत गृह शामिल हैं, अक्तूबर, 1995 के माह के दौरान उनमें कभी-कभी 24 घंटे से भी कम कोयले का स्टाक विद्यमान रहा है। उत्तरी क्षेत्र के विद्युत गृहों को समग्र रूप में अक्तूबर, 1995 माह के लिए आपूर्ति किया गया कोयला कंपनियों के लिए स्थापित किये गये लक्ष्य से अधिक रहा है। कोल इंडिया लि० के स्रोतों से उत्तरी क्षेत्र के विद्युत गृहों को अक्तूबर, 1995 के महीने में यह प्रेषण 4.45 मि.टन किया गया जबकि इसकी तुलना में किये गये संयोजन 4.33 मि.टन था। कुछ विद्युत गृहों पर कोयले की कमी निम्न कारणों से हो सकती है :

(1) मात्रा की तुलना में कोयले का अधिक मात्रा में उपभोग, जो कि मात्रा कोयला कम्पनियों द्वारा इन विद्युत गृहों को आपूर्ति की जानी अपेक्षित हैं।

(2) विद्युत गृह के स्थल पर उतराई संबंधी अवरोध।

(3) कोयले की आपूर्ति को प्रतिबंधित किया जा रहा है, जो कि विद्युत गृहों द्वारा देय कोयले की बिक्री की राशि न अदा किए जाने के उद्देश्य से की गई है।

(4) रेलवे के संचलन सम्बंधी अवरोध।

(घ) विद्युत गृहों को कोयले की आपूर्ति के मामले में उच्चतम प्राथमिकता दी जाती है और इसकी एक अन्तर-मंत्रालयीय समिति द्वारा निगरानी रखी जाती है। कोयले की आपूर्ति की वृद्धि किये जाने हेतु जहां कहीं अपेक्षित होता है, उक्त सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।

[हिन्दी]

गैस वितरण प्रणाली

825. श्री एन.जे. राठवा : क्या पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास देश में लघु उद्योगों, विशेषकर गुजरात के आदिवासी क्षेत्रों के उद्योगों की गैस की मांग की पूर्ति के लिए गैस वितरण प्रणाली स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो यह प्रणाली कब तक लागू की जाएगी और इसके लिए किन राज्यों का चयन किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग). गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड ताज ट्रेपोलियम क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयों की जरूरत को पूरा करने के लिए गैस वितरण प्रणाली को स्थापित करने के उपाय कर रहा है। गैस आपूर्ति के दिसम्बर, 1996 में आरंभ होने की संभावना है।

विदेशी नागरिकों की वापसी

826. श्रीमती शीला गौतम : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदेशी नागरिकों की वापसी के कारण उत्तर-पूर्वी राज्यों में बढ़ रहे तनाव के संबंध में जानकारी है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या विदेशी नागरिकों की वापसी के लिए सरकार ने कोई व्यापक नीति तथा दिशा निर्देश तैयार किए हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी विवरण क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (सैयद सिब्ते रजी) : (क) से (ग). पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में स्थानीय संवासियों के मानस को विदेशियों संबंधी मुद्दा, आन्दोलित कर रहा है। पूर्वोत्तर के राज्यों में विदेशियों की पहचान/उनका पता लगाने के कानूनी मानदण्ड, देश में शेष भागों की भांति, बिल्कुल स्पष्ट हैं। ''विदेशी'' की परिभाषा, भारत में विदेशियों का प्रवेश और उनका यहाँ से प्रस्थान, विदेशी नागरिक अधिनियम, 1946 तथा विदेशी नागरिक (अधिकरण) आदेश, 1964 जो कि पूर्वोत्तर सहित सभी राज्यों में समान रूप से लागू है, के उपबंधों से शासित होता है। तथापि, 25.3.1971 को या इसके पश्चात् असम में प्रवेश करने वाले अवैध प्रवासियों का पता लगाने/उन्हें बाहर निकालने के लिए एक विशेष प्रक्रिया का प्रावधान, ''अवैध प्रवासी (अधिकरणों द्वारा निर्धारण) अधिनियम, 1983'', जो कि इस राज्य में 15 अक्टूबर, 1983 से लागू हुआ, के अधीन किया गया है। चूंकि ''विदेशी'' उसे कहते हैं जो देश का नागरिक न हो, इसलिए ''नागरिकता अधिनियम, 1955 के उपबंध भी लागू होंगे। इस अधिनियम की धारा-6 क में, असम राज्य के लिए, असम समझौते में शामिल व्यक्तियों की नागरिकता के संबंध में विशेष प्रावधान किए गए हैं। बंगलादेश से अवैध प्रवासियों के बारे में सितम्बर, 1972 में केन्द्र सरकार ने स्पष्ट निर्देश भी जारी किए थे कि केवल उन्हीं शरणार्थियों, जिन्हें कि 25.3.71 के पश्चात् बंगलादेश छोड़ने और भारत में शरण लेने के लिए विवश होना पड़ा था, पुनर्वास के लिए बंगलादेश वापस भेजा जाएगा।

त्वरित कार्य बल में जवानों की संख्या

827. श्री राम विलास पासवान :
श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्से :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्वरित कार्य बल में इस समय कुल कितने जवान हैं;

(ख) क्या उनकी वर्तमान संख्या परिस्थितियों से निपटने के लिए पर्याप्त है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार त्वरित कार्य बल में जवानों की संख्या में वृद्धि करने का है; और

(घ) यदि हाँ, तो कब और उनकी संख्या में कितनी वृद्धि की जाएगी?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामलाल राही) : (क) त्वरित कार्य बल की स्वीकृत संख्या 13,180 है।

(ख) और (ग). त्वरित कार्य बल की विद्यमान बटालियनों के कंधों पर, पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू व कश्मीर को छोड़कर, संपूर्ण देश की जिम्मेदारी है। अतः भविष्य में त्वरित कार्य बल की 2 बटालियनें और गठित करने की आवश्यकता है।

[अनुवाद]

भिक्षुक रिमांड गृह से भिक्षुओं का भाग निकलना

828. श्री गुरुदास कामत :
कुमारी सुशीला तिरिया :

क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली स्थित भिक्षुक रिमांड गृह से हाल ही में कई भिक्षुक भाग निकले हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सच है कि यह रिमांड गृह अपराधियों का अड्डा बन गया है;

(घ) यदि हाँ, तो इस समस्या की रोकथाम के लिए क्या कार्रवाई की जाएगी;

(ङ) क्या भिक्षुक रिमांड गृह में भिक्षुओं की हालत बहुत दयनीय है और उन्हें दास की तरह समझा जाता है; और

(च) यदि हाँ, तो संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.वी. तंग्काबालु) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अनुसार स्वागत तथा वर्गीकरण केन्द्र के एक निवासी श्री बप्पी शंकर उर्फ श्री बप्पी सरकार की दिनांक 1.10.95 को अचानक मृत्यु हो गई। इस मृतक निवासी की मृत्यु की खबर वहां अन्य निवासियों में फैली और इससे कानून और व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हुई और स्वागत तथा वर्गीकरण केन्द्र से 89 निवासी भाग गए।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, नहीं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अनुसार स्वागत तथा वर्गीकरण केन्द्र में गिरफ्तार किए गए भिक्षुक निवासियों को रखा जाता है और उन्हें देखभाल, संरक्षण, खाने-पीने, ठहरने तथा चिकित्सा उपचार इत्यादि की सुविधाएं नियमानुसार प्रदान की जाती हैं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

कोयले का उत्पादन और आपूर्ति

829. श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में कोयले के दुरुपयोग तथा इसकी काला बाजारी पर रोक लगाने हेतु अनेक उपाय किए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में कोयले के उत्पादन में बढ़ोत्तरी करने हेतु क्या कदम उठाए गए; और

(घ) राज्यों को उनकी आवश्यकता के अनुसार कोयले का वितरण सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाये गए?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (घ). कोयले की चोर-बाजारी रोकने के ध्येय से कोलियरी नियंत्रण आदेश को संशोधित किया गया है ताकि वास्तविक उपभोक्ताओं को आपूर्ति किए गए कोयले को स्थानान्तरित किए जाने से रोका जा सके। कोयला कंपनियों द्वारा केवल वास्तविक उपभोक्ताओं को कोयले की आपूर्ति की जाती है। आवश्यक वस्तु अधिनियम के उपबन्धों के अंतर्गत कोयले का दुरुपयोग तथा काला-बाजारी के विरुद्ध कार्यवाही करना राज्य सरकारों पर निर्भर करता है।

घरेलू प्रयोजन के लिए प्रयुक्त साफ्ट कोक को छोड़कर राज्यों को कोयले का कोई अबटंन नहीं किया जाता है। वास्तविक उपभोक्ताओं को सीधे ही कोयले की आपूर्ति की जा रही है। सरकार/कोयला कंपनियों द्वारा इस प्रयोजनार्थ संबंधित प्रायोजित प्राधिकारियों द्वारा जारी संयोजन/प्रायोजकता के आधार पर वास्तविक उपभोक्ताओं को कोयले

का नियत्तन किया जाता है।

कोयला कंपनियों द्वारा उत्पादन में सुधार किए जाने के लिए उठाए गए कदमों में निम्न कदम शामिल हैं-नयी खानों का खोला जाना तथा विद्यमान खानों का आधुनिकीकरण करके दक्षता तथा उत्पादकता में वृद्धि करना, नई प्रौद्योगिकियों को लागू करना तथा समय पर आवक तथा अवसंरचनात्मक सुविधाएँ समय पर मुहैय्या करना। इसके अतिरिक्त विशिष्ट प्रदीत प्रयोगों के लिए कोयला खनन में निजी क्षेत्र की भागीदारी की भी अनुमति दी जा रही है।

कोयला खानें

830. श्रीमती भावना चिखलिया : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा 30 सितम्बर, 1995 तक देश में विशेष रूप से गुजरात और अन्य राज्यों के आदिवासी एवं पिछड़े क्षेत्रों में नई कोयला खानों की पहचान करने हेतु कोई सर्वेक्षण कराया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख). भारतीय भू-सर्वेक्षण (भा.भू.स.) आदिवासी तथा पिछड़े क्षेत्रों सहित देश में कोयले के लिये क्षेत्रीय अन्वेषण का कार्य कर रहा है। भा.भू.स. ने गुजरात में कोयले होने के संबंध में सूचना नहीं दी है। किन्तु, भा.भू.स. के क्षेत्रीय अन्वेषण द्वारा गुजरात के कच्छ जिले में 28.48 मि.ट. लिग्नाइट के भण्डार होने का अनुमान लगाया गया है। गुजरात के भारूच तथा सूरत जिलों के राजपर्दी-वस्तन क्षेत्रों में भा. भू.स. द्वारा वर्तमान में किये जा रहे क्षेत्रीय अन्वेषण से लगभग 40 मि.ट. लिग्नाइट के भण्डार विस्थापित किये गये हैं। 1.1.95 की स्थिति के अनुसार कोयला भण्डार के लिये क्षेत्रीय अन्वेषण के बारे में भा. भू.स. ने देश के विभिन्न भागों में 0.9 मीटर तथा इससे ऊपर की मोटाई की सीमायें 1200 मीटर तक की गहराई में लगभग 200 बिलियन टन कोयले के भण्डार होने का अनुमान लगाया गया है।

[हिन्दी]

दिल्ली पुलिस

831. श्री राम टहल चौधरी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस के कमांडो प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे 147 ग्रुप निरीक्षक लापता हो गये हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा इन व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० एम० कामसन): (क) जी, नहीं श्रीमान। तथापि, 15 मई से 7 जुलाई, 1995 तक के एक कमांडो-पूर्व प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के दौरान, 1 जुलाई, 1995 की रात को, बैरकों की अचानक जांच में सभी 132 उप-निरीक्षक अनुपस्थित पाए गए।

(ख) तर्कसंगत कारण के बिना अनुपस्थित पाए जाने वालों के खिलाफ उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है।

[अनुवाद]

महानगर टेलीफोन निगम में कदाचार

832. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 16 नवम्बर, 1995 के ''दि हिन्दुस्तान टाइम्स'' में ''एम.टी.एन.एल. वर्कर्स मोटो., नो वर्क, मोर पे'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?.

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम): (क) जी हाँ।

(ख) और (ग). 1.4.86 की एम.टी.एन.एल. का गठन होने के बाद से, दिल्ली में दूरसंचार नेटवर्क का 31.3.95 की स्थिति के अनुसार 3.3 लाख लाइनों से लेकर 1.1 मिलियन से अधिक अर्थात 242 प्रतिशत तक विस्तार हुआ है। तथापि, कर्मचारियों की संख्या लगभग वही है। विस्तार, प्रचालन और अनुरक्षण से संबंधित अधिक कार्य-भार से निपटने के लिए, कर्मचारियों को सामान्य कार्य के घंटों के बाद भी काम करना पड़ता था। जिसकी प्रतिपूर्ति, नियमानुसार समयोपरि भत्ता तथा मानदेय प्रदान करके की गई थी। वेतन और मजदूरी की लागत, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ मानदेय और समयोपरि भत्ता शामिल है, एम.टी.एन.एल. के कुल व्यय में से 1986-87 में 25.15 प्रतिशत से घटकर 1994-95 में 14.37 प्रतिशत रही।

11.32 म. पू.

तत्पश्चात लोक सभा
शुक्रवार, 1 दिसम्बर, 1995/10 अग्रहायण, 1917 (शक)
के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

पी.एल.एस.-48.45.4.95 (एच.)
250

© 1995 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (आठवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित
और नेशनल प्रिंटर्स, 20/3 , वैस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली-110008 द्वारा मुद्रित